



MAED 613

Semester IV

समावेशी शिक्षा

Inclusive Education



शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय , हल्द्वानी

अध्ययन बोर्ड			
प्रोफेसर जे0के0 जोशी निदेशक शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी, उत्तराखण्ड	प्रोफेसर एन0 एन0 पाण्डेय(सदस्य) शिक्षा संकाय एम० जे० पी० रुहेलखंड, विश्वविद्यालय, बरेली, उत्तरप्रदेश	प्रोफेसर गिरिजेश कुमार (सदस्य) शिक्षा संकाय एम० जे० पी० रुहेलखंड, विश्वविद्यालय, बरेली, उत्तरप्रदेश	प्रोफेसर रोमेश वर्मा(सदस्य) शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी, उत्तराखण्ड
डॉ0 दिनेश कुमार सहायक प्रोफेसर उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी, उत्तराखण्ड	डॉ0 रजनी रंजन सिंह सहायक प्रोफेसर उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी, उत्तराखण्ड	डॉ0 प्रवीण कुमार तिवारी सहायक प्राध्यापक उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी, उत्तराखण्ड	सुश्री ममता कुमारी सहायक प्रोफेसर उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी, उत्तराखण्ड
डॉ0 भावना पलड़िया सहायक प्राध्यापक उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी, उत्तराखण्ड	श्रीमती मनीषा पंत परमर्शदाता उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, उत्तराखण्ड	श्री सिद्धार्थ पोखरियाल संविदा शिक्षक उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी, उत्तराखण्ड	
पाठ्यक्रम संयोजक एवं संपादक		उप संपादक	
डॉ0 दिनेश कुमार सहायक प्रोफेसर शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी, उत्तराखण्ड		डॉ कल्पना पाटनी लखेड़ा सहायक प्रोफेसर शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी, उत्तराखण्ड	
इकाई लेखन	इकाई संख्या	इकाई लेखन	इकाई संख्या
श्री चेतनारायण पटेल सहायक प्रोफेसर, श्रवण बाधिता विभाग, विशिष्ट शिक्षा संकाय, उत्तरप्रदेश विकलांग उद्धार डॉ० शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तरप्रदेश	1, .2.	डॉ० आद्याशक्ति राय दृष्टि बाधिता विभाग, विशिष्ट शिक्षा संकाय, उत्तरप्रदेश विकलांग उद्धार डॉ० शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय, लखनऊ,	3, 4.
श्री पंकज कुमार सहायक प्रोफेसर, शिक्षा संकाय (कमच्छा), काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी	5, 9, 10.	श्री अखिलेश कुमार सहायक प्रोफेसर, सतत शिक्षा विभाग, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा, राजस्थान	6, 7, 8, 11.
डॉ० सुनील उपाध्याय सहायक प्रोफेसर, शिक्षा विभाग, डी० बी० एस० महाविद्यालय, गोविंदपुरी, कानपुर,	12, 13.		

ISBN-13 -978-93-84632-49-6

समस्त लेखों/पाठों से सम्बंधित किसी भी विवाद के लिए सम्बंधित लेखक जिम्मेदार होगा। किसी भी विवाद का जूरिसडिक्शन हल्द्वानी (नैनीताल) होगा।

कापीराइट: उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय प्रकाशन वर्ष: 2014 पुनः प्रकाशन- 2022

संस्करण: सीमित वितरण हेतु पूर्व प्रकाशन प्रति

प्रकाशक: एम0पी0डी0डी0, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी-263139, (नैनीताल)

समावेशी शिक्षा Inclusive Education
MAED- 613 Semester IV

इकाई सं०	इकाई का नाम	पृष्ठ सं०
1.	श्रवणबाधित बच्चों की पहचान, स्थापन, देख-रेख एवं प्रशिक्षण	1-14
2.	श्रवणबाधित बच्चों के लिए शैक्षिक समावेशन, शिक्षक की भूमिका	15-29
3.	दृष्टिबाधिता: अर्थ, वर्गीकरण, कारण तथा लक्षण	30-45
4.	दृष्टिबाधित बच्चों की पहचान, स्थापन, देख- रेख एवं प्रशिक्षण	46-64
5.	दृष्टिबाधित बालकों हेतु समावेशी शिक्षा एवं शिक्षकों की भूमिका	65-80
6.	मानसिक मंदता की अवधारणा, परिभाषा, वर्गीकरण एवं विशेषताएँ	81-108
7.	मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता की स्क्रीनिंग , पहचान, उनका शिक्षण एवं प्राशिक्षण	109-143
8.	मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता युक्त बालकों की समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका	144-172
9.	अधिगम अक्षमता: अर्थ, विशेषता एवं वर्गीकरण	173-186
10.	अधिगम अक्षम बालकों की पहचान, मूल्यांकन तथा प्रशिक्षण	187-201
11.	अधिगम अक्षमता युक्त बालकों की समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका	202-231
12.	प्रतिभाशाली बच्चे : संप्रत्यय, पहचान तथा विशेषताएँ	232-246
13.	प्रतिभाशाली बच्चों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम, समावेशी शैक्षिक कार्यक्रम, अल्प सम्प्राप्ति वाले प्रतिभाशाली बच्चे	247-256

इकाई 1.श्रवणबाधित बच्चों की पहचान, स्थापन, देख-रेख एवं प्रशिक्षण(Identification, Placement ,Care & Training of Hearing Disabled Children)

- 1.1 प्रस्तावना
- 1.2 उद्देश्य
- 1.3 श्रवणबाधित बच्चों की पहचान तथा स्थापन
 - 1.3.1 श्रवणबाधित बच्चों की पहचान
 - 1.3.2 श्रवणबाधित बच्चों का शैक्षणिक स्थापन
- 1.4 श्रवणबाधित बच्चों की देख-रेख एवं प्रशिक्षण
- 1.5 श्रवणेन्द्र की देख-रेख के उपाय तथा श्रवणबाधिता की रोकथाम
 - 1.5.1 श्रवण प्रशिक्षण
 - 1.5.2 श्रवण प्रशिक्षण के चरण
- 1.6 श्रवण प्रशिक्षण को प्रभावित करने वाले घटक
- 1.7 सारांश
- 1.8 परिभाषिक शब्दावली
- 1.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 1.10 संदर्भ ग्रन्थ सूची
- 1.11 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री
- 1.12 निबंधात्मक प्रश्न

1.1 प्रस्तावना

इससे पहले की इकाई में आपने जाना कि श्रवण बाधिता क्या है। श्रवणबाधिता की स्थिति को कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है तथा इसकी विशेषताएं/लक्षण क्या-क्या हैं

श्रवणबाधिता से ग्रसित बच्चों के जीवन को पर्याप्त प्रशिक्षण एवं अवसर प्रदान कर उन्हें समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित किया जा सकता है। सही समय पर शीघ्र हस्तक्षेप एवं पहचान इनके देख-रेख एवं प्रशिक्षण हेतु पहली आवश्यकता है। प्रस्तुत इकाई में श्रवणबाधित बच्चों की पहचान, स्थापन, उनके देख-रेख तथा प्रशिक्षण से सम्बन्धित जानकारियां प्रस्तुत हैं।

इस इकाई के अध्ययन के बाद आप श्रवणबाधित बच्चों की पहचान, शैक्षिक स्थापन हेतु विकल्पों तथा उनके देख-रेख एवं प्रशिक्षण के सम्बन्ध में विस्तार से जान सकेंगे।

1.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के बाद आप-

1. श्रवणबाधित बच्चों की पहचान की योग्यता विकसित कर सकेंगे।
2. श्रवणबाधित बच्चों के शैक्षिक स्थापन हेतु विकल्पों का विश्लेषण कर सकेंगे।
3. कानों की देख-रेख एवं श्रवणबाधिता की रोकथाम के उपायों से अवगत हो सकेंगे।
4. श्रवणप्रशिक्षण के लक्ष्य तथा उसके विविध चरणों का विश्लेषण कर सकेंगे।
5. श्रवणबाधित बच्चों के शिक्षण-प्रशिक्षण के दौरान अध्यापक द्वारा ध्यान देने योग्य सामान्य तथ्यों से परिचित हो सकेंगे।

1.3 श्रवणबाधिता की पहचान(Identification of Hearing impairedness)

श्रवणबाधिता की पहचान का महत्व:-

1. श्रवणबाधिता की शीघ्र पहचान होने से सही व्यवस्था की शुरुआत करने में आसानी होती है जिससे विकलांगता किस स्तर की है उसकी जानकारी होती है साथ ही उस विकलांगता को दूर करने या कम करने के उपाय खोजने में आसानी होती है।
2. शीघ्र पहचान तथा शीघ्र हस्तक्षेप से भाषा के विकास के क्रान्तिक काल 0-3 वर्ष का सही उपयोग किया जा सकता है।
3. श्रवणबाधिता की शीघ्र पहचान होने से भाषा विकास में होने वाली कठिनाइयों को दूर किया जा सकता है। भाषा विकास में आने वाली बाधाओं को ज्ञात कर उन बाधाओं को दूर करना, साथ ही विभिन्न तरीकों को अपनाना जिससे भाषा विकास तेज हो सके तथा बोलने की, वर्तालाप करने की दक्षता विकसित हो सके।
4. यदि श्रवणबाधिता की शीघ्र पहचान हो जाती है जो ये वर्तालाप विकास या भाषा विकास में सहयोगी होती है जिससे व्यक्ति का सामाजिक, भावात्मक, शैक्षिक तथा व्यक्तिगत विकास तेजी से होता है।
5. हमारे देश में हर साल 21 हजार बच्चे श्रवणबाधित पैदा होते हैं। श्रवणबाधिता की शीघ्र पहचान होने से श्रवणबाधिता के प्रभाव को कम करने में सहायता मिलेगी साथ ही इस विकलांगता पर हर साल खर्च होने वाले वित्तीय बोझ में भी कमी आयेगी।

श्रवणबाधिता की पहचान सामान्यतः माता-पिता एवं परिवार के सदस्यों के द्वारा ही हो जाती है। श्रवणबाधिता की पहचान निम्न प्रकार से कर सकते हैं-

1. कान की बाह्य आकृति के आधार पर(external structure of ear) - बाह्य कान का जन्म से बना न होना। इसको 'एट्रीशिया' भी कहते हैं। बच्चे की कान की बनावट दोषपूर्ण होना। बच्चे के कान का बहने के आधार पर श्रवण बाधिता की पहचान किया जा सकता है।
2. व्यक्ति के व्यवहार के आधार पर -
 - i. कान के पीछे हाथ लगाकर सुनने का प्रयास करना।
 - ii. बहुत जोर से बोलना।
 - iii. बात सुनते हुए आंखों पर समय से अधिक निर्भर होना।
 - iv. बात करते समय वक्ता के चेहरे पर अधिक ध्यान देना।
 - v. बात करते समय समझने में दिक्कत महसूस होना।
 - vi. इशारों का अधिक प्रयोग करना।
 - vii. बोली अस्पष्ट होना।
 - viii. बच्चे कम या बिल्कुल ही न बोल पाना।
 - ix. नाम पुकारने जाने पर उस ओर न मुड़ना।
 - x. वर्तालाप करने में शर्म महसूस करना।
 - xi. पीछे से आवाज देने पर मुड़कर न देखना।
 - xii. टेलीवीजन या रेडियो की आवाज तेज करके सुनना।
 - xiii. वर्तालाप के दौरान कही गई बात को दोहराने का अनुरोध करना।

श्रवणबाधित बच्चों का शैक्षणिक स्थापन

श्रवणबाधित बच्चों की शिक्षा हेतु अनेक विकल्प वर्तमान में मौजूद हैं सभी प्रकार के विकल्पों की अपनी विशेषताएं व कमजोरियां भी हैं। मौजूदा विकल्पों में सर्वोत्तम चयन विकलांगता की प्रकृति एवं गंभीरता पर निर्भर करती है। अतिअल्प एवं अल्पतम रूप से बाधित बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ सामान्य विद्यालयों में सरलता से शिक्षा प्रदान किया जा सकता है तथा गम्भीर बच्चों को प्रारम्भिक प्रशिक्षण विशेष विद्यालयों में आसानी से दिया जा सकता है। मंगल (2009) के अनुसार सामान्यता: मौजूद शैक्षिक स्थापन के निम्नलिखित विकल्प हैं-

1. सामान्य विद्यालयों की नियमित कक्षाएं (पूणतः समावेशन):- इस व्यवस्था के अन्तर्गत श्रवणबाधित विद्यार्थी का स्थापन नियमित विद्यालय के नियमित कक्षाओं में सामान्य क्षमता वाले विद्यार्थियों के साथ होता है। श्रवणबाधित बच्चों की समस्याओं का निदान तथा विशेष

अवश्यकताओं की पूर्ति, नियमित सामान्य शिक्षकों के द्वारा एवं कभी-कभी श्रवणबाधिता क्षेत्र के विशेषज्ञ एवं व्यावसायिकों के संपर्क द्वारा किया जाता है।

2. **नियमित कक्षाओं के साथ संसाधन कक्ष की सुविधाएं (आंशिक समावेशन):-** इस व्यवस्था के अन्तर्गत यद्यपि बच्चों का स्थापन सामान्य कक्षा के सामान्य विद्यार्थियों के साथ होता है परन्तु बच्चे श्रवणबाधिता के कारण उत्पन्न विशेष आवश्यकताओं एवं समस्याओं की पूर्ति हेतु अपने विद्यालयी समय का कुछ हिस्सा वो संसाधित कक्ष में व्यतीत करता है।
3. **नियमित विद्यालयों के अन्दर विशेष कक्षाएं (विद्यालय के अन्दर अलगाव):-** इसके अन्तर्गत श्रवणबाधित विद्यार्थियों को उनके सामान्य सहपाठियों से अलग, नियमित विद्यालय के परिसर के भीतर उनके उम्र, योग्यता तथा रूचि के हिसाब से सामूहित करके विशेष कक्षाओं के आयोजन के माध्यम से शिक्षा दी जाती है।
4. **विशेषतः श्रवणबाधित विद्यार्थियों हेतु दिवसीय विद्यालय:-** ये वो विद्यालय हैं जो दिन के समय श्रवणबाधित विद्यार्थियों के देख-रेख एवं शिक्षा का प्रबन्ध करती हैं। इस व्यवस्था का लाभ यह है कि श्रवणबाधित विद्यार्थी अपने परिवार के साथ रहकर दिन के समय विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करता हैं।
5. **आवासीय विद्यालय:-** यहां श्रवणबाधित बच्चे (खासकर बाधिरता के साथ अन्य विकलांगता वाले बच्चे) विद्यालय परिसर में ही अन्य श्रवणबाधित बच्चों के साथ शैक्षिक प्रगति एवं सामंजस्य हेतु आवश्यक शिक्षा एवं प्रशिक्षण इन बच्चों को प्रदान की जाती है। वे इन विद्यालयों में बाधिर या श्रवणबाधित समुदाय के रूप में प्रगति करते हैं। इन विद्यालयों में श्रवणबाधित विद्यार्थियों के लिए विशेष प्रावधान एवं संसाधन उपलब्ध होते हैं।

अभ्यास प्रश्न

1. वाह्य कान का जन्म से न बने होने की स्थिति _____ कहलाती है।
2. व्यक्ति के व्यवहार के आधार पर भी श्रवण बाधिता की _____ की जा सकती है।
3. श्रवणबाधिता के कारण सबसे अधिक _____ विकास प्रभावित होती है।
4. श्रवणबाधिता बच्चों के स्थापन के विकल्पों का चयन विकलांगता की _____ एवं _____ पर निर्भर करती है।
5. सामान्य विद्यालयों की नियमित कक्षाओं में श्रवणबाधित बच्चों की शिक्षा का अर्थ है _____ समावेशन है।
6. श्रवणबाधित बच्चे आवासीय विद्यालय में _____ समुदाय के रूप में प्रगति करते हैं।

7. बाधिरता के साथ अन्य विकलांगता वाले बच्चों के लिए _____ विद्यालय उपयुक्त विकल्प है।

1.4 श्रवण बाधित बच्चों की देख रेख एवं प्रशिक्षण

कानों की देख-रेख के उपाय तथा श्रवण बाधिता की रोक थाम

- कानों को धूल, पानी, मैल से बचाना चाहिये तथा साफ रखना चाहिए।
- कानों को नुकीली वस्तुओं जैसे- माचिस की तीली, बालों की पिन, पेंसिल आदि से खोदना नहीं चाहिये। कानों के क्षतिग्रस्त होने की सम्भावना बढ़ जाती है।
- कान पर मारना नहीं चाहिये। इससे कान सम्बंधित दिक्कत बढ़ सकती है।
- बच्चों के ऊपर निगरानी रखनी चाहिये जिससे कि वो छोटी वस्तुएं जैसे:- मिट्टी, बीज इत्यादि को कान में न डाल दें। इससे कान के पर्दे खराब होने की सम्भावना बढ़ जाती है।
- कान को हमेशा सूखा रखना चाहिये इसमें तेल इत्यादि को नहीं डालना चाहिये। इससे कानों में दर्द होने या सूजन आने की सम्भावना रहती है।
- गंदे पानी में कभी तैराकी नहीं करनी चाहिये। इससे गंदा पानी कानों में चला जाता है। जिससे संक्रमण होने की संभावना रहती है। तैरते वक्त हमेशा कानों में रूई लगा लेनी चाहिये।
- सड़क पर बैठने वाले व्यक्तियों से कभी कान साफ नहीं करवाना चाहिये। वे हमेशा गंदे औजारों का प्रयोग करते हैं जिससे संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही कानों को भी क्षति पहुंचती है। हमेशा रूई से कानों की सफाई करनी चाहिये।

श्रवणबाधिता की रोकथाम

- निकट रिस्तेदारी में शादी नहीं करनी चाहिये।

- टीकाकरण समय-समय पर करवाना चाहिये। यदि कोई महिला रूबैला जैसी बीमारियों से ग्रसित है तो पूरा चेकअप भी करवाना चाहिये। कुपोषण से ग्रहित महिलाओं व बच्चों में इसकी संभावना अधिक बढ़ जाती है।
- गर्भवती महिला को अपने स्वास्थ्य का खास ख्याल रखना चाहिये।
- गर्भवती महिलाओं को ऐसे व्यक्तियों के संपर्क से दूर रहना चाहिये जिन्हें संक्रमित बीमारी हो।
- इस बात का खास ख्याल रखना चाहिये कि बच्चा पैदा होते वक्त डॉक्टर पूरी तरह प्रशिक्षित हो।
- बच्चे का टीकाकरण समय-समय पर हो।
- बिना धुले तकिये के कवर, तौलिया, या दूसरे व्यक्ति के द्वारा प्रयुक्त तकिया, जिसका कान पहले से संक्रमित हो, को प्रयोग नहीं करना चाहिये।
- बहुत ज्यादा शोर-गुल वाले माहौल में नहीं रहना चाहिये।

रोकथाम के उपाय -

1. **प्राथमिक(Primary) रोकथाम:-** इस प्रकार की विकलांगता को जड़ से पूरी तरह से खत्म करने के लिए टीकाकरण समय पर करवाना चाहिये। इसके लिए काउंसलिंग बेहद जरूरी है।
2. **द्वितीयक(secondary) रोकथाम:-** यदि प्राथमिक स्तर पर रोकथाम नहीं हो पाती है तो इस विकलांगता को आगे बढ़ने से रोकने के लिए-
 - श्रवण सहायक यंत्रों का प्रयोग करना चाहिये।
 - कानों के बहने की बीमारी (ओटाइटिस मीडिया) का सही तरीके से इलाज करवाना चाहिये।
3. **तृतीयक (tertiary) रोकथाम:-** यदि प्राथमिक और द्वितीयक स्तर पर रोकथाम नहीं हो पाती है तो व्यक्तियों की विकलांगता किस स्तर की है इसकी जांच करने के पश्चात-
 - पुनर्वास के माध्यम से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना
 - व्यावसाहिक प्रशिक्षण के माध्यम से व्यक्ति की विकलांगता को दूर करने का प्रयास करना।

प्रारंभिक रोकथाम की रणनीति:- यदि सही तरीके से रणनीति बनाई जाये तो इसकी रोकथाम शुरूआत में ही की जा सकती है-

- i. **पैरेंट इन्कैक्ट प्रोग्राम:-** इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य अभिभावकों को उन कौशलों के बारे में अवगत कराना है जिससे वे अपने बच्चों की, जो इस विकलांगता से ग्रसित हैं, पूरी तरह देखभाल करने में सक्षम हो सकें।
- ii. **होम ट्रेनिंग प्रोग्राम/ करेस्पॉन्डेन्स प्रोग्राम:-** इस प्रकार के प्रोग्राम अभिभावकों को प्रिन्ट मीडिया के माध्यम से प्रोफेशनल व्यक्तियों की सलाह उपलब्ध कराते हैं। चूंकि वे अभिभावक जो रोजाना इन व्यवसायिक केन्द्रों पर नहीं जा सकते उनके लिए ये कार्यक्रम सहायक सिद्ध हो सकते हैं।
- iii. **ग्रुप पैरेंट मीटिंग:-** ये कार्यक्रम अभिभावकों को एक प्लेटफार्म प्रदान करते हैं जिससे वे अपने भावों को, अनुभवों को और समस्याओं को साझा कर सकें, साथ ही उन अभिभावकों से अपनी भावनाएं बांट सकें जिनके बच्चे भी इसी विकलांगता से ग्रसित हैं।
- iv. **काउंसलिंग एवं गाइडेंस:-** काउंसलिंग की प्रक्रिया उसी समय से प्रारम्भ होनी चाहिये जिस समय श्रवणबाधित बच्चे की पहचान हो जाये। ये प्रक्रिया तब तक क्रियान्वित रहे जब तक बच्चे का पूर्ण पुनर्वास न हो जाये। अभिभावकों को इस तरह के सुझाव देने चाहिये जिससे बच्चों के कौशल को पहचान कर उसका पूर्ण विकास किया जा सके।

श्रवण प्रशिक्षण

श्रवण प्रशिक्षण की विभिन्न लोगों ने कई परिभाषाएं दी हैं। सभी परिभाषाएं इस तरफ इशारा करती हैं बालक को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाये वह अपनी बची हुई श्रवण क्षमता का ज्यादा से ज्यादा उपभोग कर सके। कुछ परिभाषाएं निम्नवत हैं-

- i. “श्रवण प्रशिक्षण उन प्रक्रियाओं का समूह है जिसका मुख्य लक्ष्य श्रवणबाधित बच्चों में कौशल का विकास करना है जिससे वे आवाज को सुन सकें, समझ सकें, एक आवाज से दूसरी आवाज में विभेद कर सकें, अधिक से अधिक आवाज को प्राप्त कर सकें।” (Kelly, 1953)
- ii. “श्रवण प्रशिक्षण उन प्रक्रियाओं का समूह है जिनके माध्यम से श्रवणबाधित बच्चे तथा श्रवणबाधित व्यक्ति को इस प्रकार शिक्षित किया जाये जिससे वह श्रवण से संबंधित चिन्हों का पूरा लाभ उठा सके।” (Carhast, 1960)
- iii. श्रवण प्रशिक्षण तीन मुख्य बातों पर आधारित है (1) व्यक्ति का ध्वनि में विभेद (2) श्रवण से संबंधित यंत्र का अनुस्थिति ज्ञान (3) सहन क्षमता का विकास” (Alpiner, 1978)

इन सभी परिभाषाओं से ये साबित होता है कि श्रवणबाधित बच्चे को इस प्रकार प्रशिक्षित या शिक्षित किया जाये जिससे वे अपनी बची हुई श्रवण क्षमता का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर सकें।

श्रवण प्रशिक्षण का लक्ष्य:-

- i. दूसरों के द्वारा बोली गई भाषा की बेहतर समझ:-सुनकर वाणी को बेहतर समझने की कला विकसित करना।
- ii. भाषा का प्रयोग करने में तेजी से विकास:-भाषा का विकास बहुत तेजी से होता है यह सामान्य दिशा की ओर प्रगति करता है।
- iii. वाणी में शुद्धता आती है:- साधारण बच्चे, बड़ों के बोलने के तरीकों की नकल करते हैं, तथा स्वयं की वाणी को सही करते हैं, अपनी और बड़ों की वाणी की तुलना करके। इसी प्रकार श्रवणबाधित बच्चों को इस प्रकार का प्रशिक्षण देने का लक्ष्य है कि बच्चे अपने बड़ों के बोलने के तरीकों को सुनें और अपने बोलने की कला को विकसित करें।
- iv. उच्च शैक्षिक उपलब्धि:- पहले तीन लक्ष्य बच्चे को शैक्षिक उपलब्धि दिलाने में मदद करेंगे।
- v. श्रवणयुक्त संसार के माध्यम से बेहतर सामाजिक व भावनात्मक ताल-मेल:- एक बच्चे का सर्वांगीण विकास, वह भी सभी स्तरों पर इस बात पर निर्भर करता है कि उसका सामंजस्य उस संसार से कितना बेहतर है जिस संसार में ज्यादातर सुनने वाले लोग रहते हैं।

श्रवण प्रशिक्षण के चरण

नीचे दिये गये चरण 'परम्परागत उपगम' में अपनाये गये जिसे Hirsch (1966), Ling (1976) तथा Erber (1982) ने प्रोत्साहित किया Jalvi, NardurKar, Bantwal (2006) में उद्धृत पर आधारित है:-

- i. आवाज को पहचानने की जागरूकता:-सबसे प्रमुख प्रक्रिया है, यह जानना कि ध्वनि उपस्थित है अथवा नहीं। इसके लिये ध्वनि का अनुपस्थिति ज्ञान होना जरूरी है। इससे बच्चे को मदद मिलती है कि कौन सी वस्तु ध्वनि उत्पन्न करती है कौन सी नहीं।
- ii. विभेद:- इससे पता चलता है कि ध्वनि में भी विभिन्नता होती है समझ विकसित होती है कि भिन्न-भिन्न वस्तुएं भिन्न-भिन्न आवाज उत्पन्न करती हैं। एक ही स्रोत भिन्न-भिन्न आवाज उत्पन्न कर सकते हैं। समान और भिन्न में विभेद करना।
- iii. पहचान:-जो सुना गया है उसे एक नाम देना। बच्चे में इतनी क्षमता विकसित करना जिसे वह सुनी गयी ध्वनि की तरफ इशारा कर सके, चित्र की तरफ इशारा कर सके जो उस ध्वनि से सम्बन्धित है। लिखे हुए शब्द या वाक्य की तरफ इशारा कर सके जो सुना गया है। ये वर्तालाप का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है।

- iv. समझ:- जो कुछ सुना गया है उसका एक अर्थ निकालना। ये भाषा के कौशल पर निर्भर करता है। इससे पता चलता है कि बच्चा जो कुछ भी सुनता है उससे नई जानकारी हासिल करता है। और उसी के अनुसार व्यवहार करता है।

1.6 श्रवण प्रशिक्षण को प्रभावित करने वाले घटक

1. **श्रवणीय हानि तथा श्रवणीय यंत्र से संबंधित तथ्य:-** बच्चे की उम्र जिसमें शीघ्रता से पता चल जाये कि बच्चा श्रवणबाधित है वह उसके लिए उतना ही लाभकारी है। यदि शुरूआती अवस्था में बच्चे की श्रवणबाधिता का पता चल जाता है तो इससे उससे सम्बन्धित विकलांगता को दूर करने से संबंधित निर्णय लेने में आसानी रहती है। शोध यह प्रदर्शित करते हैं कि जो बच्चे 6 माह की उम्र से पहले पचान लिये जाते हैं कि वो श्रवणबाधित हैं वे श्रवण उपकरण के लिये सबसे ज्यादा उपयुक्त होते हैं। बजाय इसके जिन बच्चों की पहचान 6 महीने बाद होती है। बच्चों में बची हुई श्रवण क्षमता भी, श्रवणीय उपकरण तथा श्रवण प्रशिक्षण के लिए लाभकारी होती है।
2. **प्रेरणा:-** एक श्रवणबाधित बच्चे में प्रेरणा विकसित करने के लिये सबसे ज्यादा उत्तर दायी अभिभावक, अध्यापक तथा स्वयं उस बच्चे के सहपाठी तथा भाई-बहन हैं। सर्वप्रथम अध्यापक को इतना दृढ़ विश्वास होना चाहिये कि बच्चा अपनी बची हुई श्रवणशक्ति का अधिकाधिक प्रयोग करे। अध्यापक, अभिभावक को प्रेरणा दे सकता है कि बच्चे के श्रवण प्रशिक्षण में वे एक सक्रिय भूमिका अदा करें। बच्चा जब श्रवण प्रशिक्षण में भाग ले तो अभिभावक इस बात का खास ख्याल रखें कि सीखने की प्रक्रिया बच्चे के लिए रूचिकर हो और बच्चे के लिये चुनौतीपूर्ण हो ताकि बच्चा उस कार्य में अपनी रूचि बनाये रखे नाकि अपनी रूचि खो दे। बच्चा तनाव में ना आने पाये इसका भी ध्यान रखा जाये।
3. **अध्यापक तथा अभिभावक में सामंजस्य:-** अध्यापक को अभिभावकों की काउंसलिंग करनी चाहिये जिससे वे प्रशिक्षण में सक्रिय भूमिका अदा कर सकें। जब भी क्लास में कोई नया कार्य सिखाया जाये, अभिभावक बच्चे के साथ उसका अभ्यास घर पर जरूर करें। इससे बच्चा जल्दी सीखेगा।
4. **कौशलों का अभ्यास तथा उपयोग के अवसर:-** अध्यापक को अभिभावक को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि जो भी नया कौशल बच्चों को सिखाया है उसका अभ्यास पहले से कर लिया जाय। इसके लिये अध्यापक और अभिभावक को इस प्रकार का महौल तैयार करना चाहिये चाहिये जिससे नयी सीखी गई विधा का विधिवत् अभ्यास कर लिया जाये। मान लिये अध्यापक को क्लास में सिखाना है कि “ध्वनि उपस्थित है” तथा “ध्वनि उपस्थित नहीं है” तो उसे इस प्रक्रिया का रोज अभ्यास कराना पड़ेगा जब तक कि बच्चा सीख न जाये। साथ ही साथ अभिभावकों को घर

पर इसका अभ्यास कराना पड़ेगा। जैसे- माता एक डिब्बे में सिक्के भरकर हिला सकती है और कहें “इसमें ध्वनि है”। इसके बाद सिक्के निकालकर, हिलाकर कहें कि “इसमें ध्वनि नहीं है”।

5. **सही गलत का सामंजस्य:-** बच्चे में इस आदत का विकास किया जाये कि ध्वनि के प्रति अपना पूरा ध्यान दे साथ ही सजग रहे। बच्चे को इतना तत्पर होना चाहिये जिससे वह वातावरण में उपस्थित ध्वनि के प्रति तुरंत सतर्क हो। यह तभी संभव है जब उसे सही तरीके से प्रशिक्षण दिया गया हो। बच्चों को यह भी ध्यान देने की आदत डालनी चाहिये कि जो कुछ भी उसने सुना वह सही है अथवा गलत।
6. **बच्चे में कार्य को समझने तथा प्रतिक्रिया करने की योग्यता:-** अध्यापक को इस बात की समझ होनी चाहिये कि प्रशिक्षण बच्चे के स्तर का है अथवा नहीं। बच्चे को भी इस बात को समझना चाहिये कि वह प्रशिक्षण में सही तरीके से भाग ले पा रहा है अथवा नहीं। साथ ही अध्यापक उससे क्या आशा कर रहा है।
7. **अध्यापक द्वारा प्रयोग किये गये तरीके:-** सही परिणाम प्राप्त हों इसके लिए यह जरूरी है कि अध्यापक प्रशिक्षण के दौरान सही तरीकों का इस्तेमाल करें। यदि अध्यापक ऐसे तरीकों का इस्तेमाल करता है जो बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है, या तो उसका स्तर बहुत ऊंचा है अथवा नीचे है, तो बच्चे का विकास संतोषजनक नहीं होगा। इस प्रकार के खेल क्रियायें की जायें जिसमें बच्चे की रुचि हो। अध्यापक को प्रत्येक क्रिया तथा प्राप्त परिणाम को नोट करना चाहिये। यदि विकास नहीं हो पा रहा हो तो अपने प्लान में फेरबदल कर देना चाहिये।

श्रवणबाधित बच्चों के शिक्षण- प्रशिक्षण के दौरान अध्यापक को ध्यान में रखने योग्य कुछ तथ्य

इन बच्चों को सही समय पर उचित शिक्षण-प्रशिक्षण प्रदान कर बाधिरता के प्रभाव को न्यून किया जा सकता है जिससे ये आत्मनिर्भर होकर समाज की मुख्यधारा में आसानी से जुड़ सकें। इन्हें शिक्षित-प्रशिक्षित करके समाज में समावेशित करने में वर्तमान के समावेशी तथा समेकित शिक्षा के अध्यापकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। नीचे कुछ तथ्य दिये गये हैं जो इनके शिक्षण-प्रशिक्षण के दौरान महत्वपूर्ण हैं:-

s

- i. इन बच्चों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखें।
- ii. इन बच्चों की भाषा व सम्प्रेषण क्षमता अत्यधिक प्रभावित होती है। इन दोनों कौशलों का विकास इनके शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों में एक है। अतः अध्यापक को इनके शिक्षा के प्रारम्भिक वर्षों में भाषा के विकास करने एवं सम्प्रेषण कौशल को बढ़ाने हेतु उचित अवसर का सृजन करना चाहिए।

-
- iii. भाषा एवं सम्प्रेषण के साथ ही वाचन एवं लेखन के विकास का भी प्रयास किया जाना चाहिए जिससे कि वे शिक्षा का समुचित लाभ उठा सकें।
 - iv. वाक् प्रशिक्षण एवं अवशिष्ट श्रवण क्षमता के उपयोग के सम्यक् प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिये।
 - v. श्रवणबाधित बच्चों में प्राकृतिक भाषा का विकास किया जाना चाहिए।
 - vi. कक्षा में इन बच्चों को आगे की सीट पर बैठने की व्यवस्था की जानी चाहिए जहां से शिक्षक का चेहरा ठीक से दिखाई दे।
 - vii. शिक्षण-प्रशिक्षण के दौरान शिक्षक द्वारा बच्चे की श्रवण यन्त्र की जांच कर लेनी चाहिए।
 - viii. वातावरण को शान्त एवं शोरगुल से मुक्त रखने का प्रयास करना चाहिए।
 - ix. बच्चे को दरवाजा या खिड़की के पास नहीं बैठाना चाहिए।
 - x. श्रवणबाधित बच्चों को पढ़ाते समय अतिरिक्त हाव-भाव का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।
 - xi. इन बच्चों को सामान्य बच्चों जैसे ही स्वीकार करें तथा अक्षमता वाला न मानकर भिन्न रूपेण योग्य मानकर शिक्षित-प्रशिक्षित करना चाहिए।
-

अभ्यास प्रश्न

8. श्रवण सहायक यंत्रों का प्रयोग _____ रोकथाम के अन्तर्गत आता है।
 9. टीकाकरण _____ रोकथाम है।
 10. _____ तृतीयक रोकथाम में आता है।
 11. बची हुई _____ क्षमता के उपयोग का प्रशिक्षण श्रवण-प्रशिक्षण कहलाता है।
 12. ध्वनि में विभेदक्षमता _____ का हिस्सा है।
 13. _____ प्रदान कर बाधिरता के प्रभाव को न्यून किया जा सकता है।
 14. श्रवणबाधित बच्चों में _____ भाषा का विकास किया जाना चाहिए।
-

1.7 सारांश

- श्रवणबाधिता बच्चों के लिए सही समय पर प्रशिक्षण प्रारम्भ हो सके इसके लिए उनका शीघ्र पहचान होना आवश्यक है जिससे विकलांगता के स्तर की जानकारी हो सके शीघ्र पहचान तथा शीघ्र हस्तक्षेप से भाषा के विकास के क्रान्तिक काल का सही उपयोग किया जा सकता है। तथा भाषा विकास में होने वाली कठिनाइयों को दूर किया जा सकता है। जिससे व्यक्ति का सामाजिक,
-

भावात्मक, शैक्षिक तथा व्यक्तिगत विकास तेजी से होता है। श्रवणबाधिता की पहचान सामान्यतः माता-पिता एवं परिवार के सदस्यों के द्वारा ही हो जाती है। श्रवणबाधिता की पहचान कान की बाह्य आकृति के आधार पर तथा व्यक्ति के व्यवहार के आधार पर की जा सकती हैं।

- श्रवण बाधित बच्चों का स्थापन विकलांगता की प्रकृति एवं गंभीरता पर निर्भर करती है। अतिअल्प एवं अल्पतम रूप से बाधित बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ सामान्य विद्यालयों में सरलता से शिक्षा प्रदान किया जा सकता है तथा गम्भीर बच्चों को प्रारम्भिक प्रशिक्षण विशेष विद्यालयों में आसानी से दिया जा सकता है। मौजूद शैक्षिक स्थापन के सामान्य विद्यालयों की नियमित कक्षाएं (पूर्णतः समावेशन) नियमित कक्षाओं के साथ संसाधन कक्ष की सुविधाएं (आंशिक समावेशन)ए नियमित विद्यालयों के अन्दर विशेष कक्षाएं (विद्यालय के अन्दर अलगाव)ए विशेषतः श्रवणबाधित विद्यार्थियों हेतु दिवसीय विद्यालयए आवासीय विद्यालय विकल्प हैं।
- सही जानकारी तथा थोड़ी सावधानी से अधिकतर बच्चों में श्रवण अक्षमता की रोकथाम की जा सकती है श्रवण बाधिता के लिए प्राथमिक , द्वितीयक , तृतीयक रोकथाम को अपनाया जा सकता है। पैरेंट इन्कैक्ट प्रोग्रामए होम ट्रेनिंग प्रोग्राम/ करेस्पॉन्डेन्स प्रोग्रामए ग्रुप पैरेंट मीटिंग , परामर्श एव निर्देशन प्राथमिक रोक थाम के उपाय हैं।
- श्रवणबाधित बच्चे को अपनी बची हुई श्रवण क्षमता का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने का प्रशिक्षण देना उनके शिक्षण. प्रशिक्षण का महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए।

1. 8 शब्दावली

1. संसाधन कक्ष - जहाँ श्रवणबाधिता के कारण उत्पन्न विशेष आवश्यकताओं तथा समस्याओं की पूर्ति हेतु संसाधन उपलब्ध हो
2. सामंजस्य- ताल मेल, अनुकूलन

1.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. एट्रीशिया
2. पहचान
3. भाषा
4. प्रकृति, गम्भीरता
5. पूर्णता:
6. श्रवणबाधित

7. आवासीय
8. द्वितीयक
9. प्राथमिक
10. पुनर्वास एवं शिक्षण-प्रशिक्षण
11. श्रवण
12. श्रवण-प्रशिक्षण
13. शिक्षण-प्रशिक्षण
14. प्राकृतिक

1.10 संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. Jalvi, R Nandurkar, A., Bantwal, A., (2006), Auditory Learning- Auditory Training, in R. Ranga Sayee (Eds), Introduction to Hearing Impairment, New Delhi, RCI in Association with Kanishka Publishers.
2. Mangal, S.K. (2009), Educating Exceptional Children An Introduction to Special Education, New Delhi, PHI Learnigh Private Limited.

1.11 सहायक उपयोगी पाठ्य सामग्री

1. Ysseldyke, J.E., B. Algozzine and M.L. Thuslow (1992), Critical Issues in Special Education (2nd edn), Boston: Houghton Mifflin.
2. Julka, A. (2007), Meeting Special Needs in School: a Manual, New Delhi, NCERT
3. Panda, K.C. (2004), Education of exceptional Children. A base text on the rights of the handicapped and the gifted, Vikas Publishing House.
4. Cecil, R.Reynolds (2007), Encyclopedia of special Education, (3rd Ed.). A reference guide for the education of the handicapped and other exceptional children and adults, N.Y. John Wiley & sons.
5. Heward, V.L. & Orlansky, M.D. (1996), Exceptional children, (6th Ed.), Charles E. Meril Publishing Company, Columbus.
6. Hallahan, D.P. and I.M. Kauffman (1991), Exceptional Children: Introduction to Special Education (5th edn.), Boston: Allyn & Bacon.

7. Evans, P and Verma, V. (Eds.) (1990) Special Education. Past Present and Future. The Faimer Press.
8. Bench, John, R. (1992). Communication Skills in Hearing Impaired Children, Whurr Publishers Ltd.
9. Goetzinger, C.P. (1978). The psychology of hearing impairment. In Katz, J. (ed). Handbook of Clinical Audiology London: Williams and Wilkins.
10. Kadar, Fatima, Gorawar Pooja and Huddar Asmita (2002). Communication Options Available for the Deaf: The Indian Scenario in The Journal of the Indian Speech and Hearing Association. Vol –16 - 5.
11. Quigley, Stephen P and Kretschmer Robert E. (1982). The Education of the Deaf Children: University Park Press.

1.12 निबंधात्मक प्रश्न

1. श्रवण बाधिता की पहचान के महत्व के साथ उसके पहचान के तरीकों को बताइये?
(Explain importance of identification of hearing impairedness including means to identify hearing impairedness?)
2. श्रवणबाधित बच्चों के शैक्षिक स्थापन हेतु विकल्पों का विश्लेषण कीजिये?
(Analyse options of educational placement for Hearing impaired children?)
3. कानों की देख-रेख एवं श्रवणबाधिता की रोकथाम के उपायों की चर्चा कीजिये?
(Discuss means to keep ears healthy and prevention of hearing impairedness?)
4. श्रवण प्रशिक्षण के लक्ष्य तथा उसके विविध चरणों का विश्लेषण कीजिये?
(Describe objectives and steps in hearing training?)
5. श्रवणबाधित बच्चों के शिक्षण. प्रशिक्षण के दौरान अध्यापक द्वारा ध्यान देने योग्य तथ्यों की चर्चा कीजिये?
(Discuss role of teacher in education and training of hearing impaired children?)

इकाई- 2 श्रवणबाधित बच्चों के लिए शैक्षिक समावेशन, शिक्षक की भूमिका (Educational inclusion of Hearing impaired children, Role of Teacher)

- 2.1 प्रस्तावना
- 2.2 उद्देश्य
- 2.3 विशेष शिक्षा के विविध चरण क्रमिक विकास
 - 2.3.1 विशेष शिक्षा एकीकृत शिक्षा और समावेशित शिक्षा में अन्तर
 - 2.3.2 समावेशन की प्रक्रिया
 - 2.3.3 समावेशन के प्रतिमान
 - 2.3.4 समावेशित शिक्षा में बाधा
 - 2.3.5 श्रवण बाधित विद्यार्थियों का समावेशन
 - 2.3.6 श्रवणबाधित विद्यार्थियों के समावेशन के लाभ
- 2.4 श्रवण बाधित विद्यार्थियों का समावेशन में अध्यापक की भूमिका
- 2.5 सारांश
- 2.6 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 2.7 संदर्भ ग्रन्थ सूची
- 2.8 सहायक/उपयोगी पाठ्यसामग्री
- 2.9 निबन्धात्मक प्रश्न

2.1 प्रस्तावना

श्रवण बाधिता से सम्बंधित इससे पूर्व की इकाइयों में आपने जाना कि श्रवण बाधिता क्या है। इसे कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है तथा इसकी पहचान, स्थापन, देख-रेख एवं प्रशिक्षण की विधियां क्या हैं।

वर्तमान में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षित करने तथा उनको समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित करने के लिए समावेशित शिक्षा को एक मात्र विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। विशेष शिक्षा के क्रमिक विकास में यह एक सबसे महत्वपूर्ण सोपान है जो बिना भेद भाव के सभी बच्चों को सामान अवसर प्रदान करती है। प्रस्तुत इकाई में समावेशन से सम्बंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्रस्तुत हैं।

इस इकाई के अध्ययन के बाद आप विशेष शिक्षा एकीकृत शिक्षा और समावेशित शिक्षा में अन्तरण समावेशन के प्रतिमान उसकी प्रक्रियाएँ समावेशित शिक्षा में बाधाएँ श्रवणबाधित विद्यार्थियों के समावेशन के

लाभ तथा श्रवण बाधित विद्यार्थियों का समावेशन में अध्यापक की भूमिका के सम्बन्ध में विस्तार से जान सकेंगे।

2.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के बाद-


1. समावेशन की प्रक्रिया को समझा सकेंगे।
2. समावेशित शिक्षा को परिभाषित कर सकेंगे।
3. विशेष शिक्षा, एकीकृत शिक्षा और समावेशित शिक्षा में अन्तर स्पष्ट कर सकेंगे।
4. समावेशन के प्रतिमान को परिभाषित कर सकेंगे।
5. श्रवण बाधित विद्यार्थियों के लिए समावेशन के लाभ को स्पष्ट कर सकेंगे।
6. समावेशित शिक्षा में आने वाली बाधाओं को बता सकेंगे।
7. श्रवण बाधित विद्यार्थियों के समावेशन के बाद अध्यापक की भूमिका को स्पष्ट कर सकेंगे।

2.3 विशेष शिक्षा के विविध चरण क्रमिक विकास

विशेष शिक्षा का प्रारम्भ 18 वी0 शताब्दी के प्रारम्भ में हो गया था। समय के साथ साथ इसमें धीरे धीरे बहुत से परिवर्तन आये। प्रारम्भ से हमारे पास दो प्रकार की शिक्षा व्यवस्था थी। पहले में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षित किया जाता था तथा दूसरे में इन बच्चों के अलावा अन्य बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। लगभग 70 मे दशक से विशेष शिक्षा में एक नये प्रचलन का प्रारम्भ शुरू हुआ। शिक्षा व्यवस्था के इस नये चलन में इस बात पर जोर दिया गया कि विद्यालय में सभी बच्चों का स्वागत बिना किसी भेद भाव के आधार जैसे विकलांगता समुदाय धर्म लिंग किया जाए।

2.3.1 विशेष शिक्षा एकीकृत शिक्षा और समावेशित शिक्षा में अन्तर

विशेष शिक्षा की अवधारणा के पृथक सामान्य है।	एकीकृत दृष्टिकोण में यह सामान्य शिक्षा का एक अभिन्न हिस्सा है।	समावेशी शिक्षा प्रणाली में विशेष शिक्षा सामान्य शिक्षा प्रणाली का एक शिक्षा प्रणाली से हिस्सा है।
---	---	---



15.3.2 समावेशन की प्रक्रिया

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत सी नीतियों एवं सन्धियों का योगदान रहा है। इनमें मुख्यतः

Platform for Inclusive Education

- i. 1948: universal declaration of human rights;
- ii. 1982: World Programme of Action;
- iii. 1989: United Nations Convention on the rights of children;
- iv. 1990: Declaration of the world of education for all, Jomtien;
- v. 1993: Standard Rules on the Equalization of Opportunities for persons with disabilities;
- vi. 1994: Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education;
- vii. 1999: Review of 5 years of Salamanca; 2000: A Framework for Action Forum World Pendidikan, Dackar;
- viii. 2000: Millennium Development Goals that focus on decreasing the number Kemiskinan and Development;
- ix. 2001: Flagship Education for All (EFA) on Education and Disability.

जून 1994 में स्पेन के सलामांका नामक स्थान पर विशेष आवश्यकता पर आधारित शिक्षा पर एक विश्व सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस सम्मेलन में विश्व के 92 देशों एवं 25 अन्तरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों ने प्रतिभाग किया। सभी लोग विकलांग बच्चों की शिक्षा के नये गतिशील ब्रतान्त “समावेशन एक कसौटी” पर सहमत हुए थे।

सलामांका कथन के अनुसार.

- i. शिक्षा सभी बच्चों का अधिकार होना चाहिए।

- ii. सभी बच्चों में अपनी विशिष्ट विशेषता सामर्थ्य एवं सीखने की आवश्यकता होती है।
- iii. विशेष आवश्यकता के लोग सामान्य स्कूलों तक पहुंच स्थापित कर सकें।
- iv. सामान्य स्कूल समावेशित सदाचार के साथ भेदभावपूर्ण नजरियें से आगे आकर समावेशित समाज का निर्माण करें जिससे सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।
- v. स्कूलों के बहुतरय बच्चों को उनकी क्षमता के अनुसार प्रभावशाली शिक्षा देनी चाहिए।

सलामांका कथन में सभी सरकारों के लिए से निम्नलिखित suggestions है

- i. शिक्षण व्यवस्था को समावेशित बनाने को सबसे अधिक प्राथमिकता दी जाये।
- ii. समावेशित शिक्षा के सिद्धान्तों को अधिनियम अथवा नीति के रूप में स्वीकार किया जाए।
- iii. निरूपण परियोजनाओं का विकास किया जाये तथा विभिन्न देशों के समावेशित स्कूलों में आदान प्रदान को बढ़ावा दिया जाये।
- iv. विकलांगजनों के लिए बनाये जा रहे कार्यक्रमों एवं नीतियों में उनके लिए कार्य कर रहे संगठनों विकलांगजनों एवं उनके माता पिता को सम्मिलित किया जाये।
- v. शीघ्र पहचान एवं शीघ्र हस्तक्षेप की युक्तियों पर अधिक ध्यान दिया जाये।
- vi. समावेशित शिक्षा के व्यवसायिक आयाम पर अधिक निवेश किया जाये।
- vii. पर्याप्त शिक्षक शिक्षण कार्यक्रम को सुनिश्चित किया जाये।

15.3.3 समावेशन के प्रतिमान (Models of Inclusion)

पूर्ण समावेशन- पूर्ण समावेशन में विकलांग छात्रों से सामान्य विद्यालय की कक्षा में नियमित रूप से अनुदेशन ग्रहण करते हैं तथा सहायक सेवार्यें वही पर छात्रों को उपलब्ध करायी जाती है।

सहायक अधिगम- सहायक अधिगम में छात्रों के छोटे छोटे समूह बनाये जाते हैं। जिसके माध्यम से छात्र अपनी अधिकतम क्षमता के साथ कार्य करते हैं और अन्य सहपाठियों को भी उनके अधिगम में सहायता देते हैं।

सहायक अधिगम में पांच मुख्य मौलिक घटक शामिल होते हैं-

- सकारात्मक परस्पर निर्भरता
- व्यक्तिगत एवं समूह जवाबदेही

- पारस्परिक और छोटा समूह कौशल
- आपने सामने धनात्मक अन्तःक्रिया
- समूह प्रसंस्करण

अनुदेशात्मक रूपान्तरण और सामंजस्य- वास्तविक समावेशन के लिए अनुदेशात्मक रूपान्तरण और सामंजस्य होना बहुत ही आवश्यक होता है। सामान्य शिक्षा की कक्षा में विकलांग विद्यार्थियों के प्रदर्शन का स्तर सामान्य विद्यार्थियों के स्तर के बराबर नहीं होता है। इसलिए समावेशित शिक्षा में सामान्य अध्यापकों को कक्षा में पढ़ाते समय पाठ योजना निर्देशों को इस तरह रूपान्तरित और सामंजस्य स्थापित करना चाहिए जिससे प्रत्येक छात्र को शिक्षण सामग्री जानने का अवसर प्राप्त हो सके। इसके लिए शिक्षक उपलब्ध सामग्री को फिर से लिख सकते हैं या पुनर्निर्माण कर सकते हैं जिससे विद्यार्थी की पाठ्यचर्चा पर स्वतंत्र पहुँच स्थापित हो सके अथवा विकलांग छात्रों के स्वाभाविक सीखने की समस्या की क्षतिपूर्ति करने के लिए किसी अन्य वैकल्पिक सामग्री का चयन कर सकता है।

सामान्य शिक्षा के शिक्षकों को प्रशिक्षण- सामान्य शिक्षा के अध्यापक अपने विषय विशेषज्ञ होते हैं लेकिन ये अध्यापक विकलांग विद्यार्थियों की विशेष आवश्यकता को अच्छे से वहीं समझते हैं। विशेष शिक्षक विभिन्न विषयों के विषय वस्तु में निपुण नहीं होते हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए सामान्य शिक्षा के अध्यापकों को विभिन्न विकलांगताओं तथा विशेष अनुदेशन की आवश्यकता के बारे में अतिरिक्त प्रशिक्षण प्रदान किया जाये।

आंशिक समावेशन- आंशिक समावेशन में विकलांग विद्यार्थी नियमित रूप से सामान्य कक्षा में अपने सहपाठियों के साथ शिक्षा प्राप्त करता है लेकिन अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के हिसाब से उसे कुछ समय के लिए उसे वहाँ से निकाला जाता है।

सहयोग परामर्श मंत्रणा- सहयोगपूर्ण परामर्श में इस बात पर बल दिया जाता है कि विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी को सामान्य शिक्षा की कक्षा में उचित रूप से शामिल है। इसमें विशेष शिक्षक सामान्य शिक्षा के शिक्षकों में विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की जरूरत और उपयुक्त सीखने के माहौल बनाने में सहयोग करता है।

टोली शिक्षण- टोली शिक्षण प्रतिमान में सामान्य शिक्षा एवं विशेष शिक्षा के अध्यापक सभी विद्यार्थियों को एक कक्षा में संयुक्त रूप से शिक्षण करते हैं। इलियोट और किने 1998 के अनुसार सामान्य शिक्षण व्यवस्था में विद्यार्थियों में पूरी तरह से समावेशी प्रणाली द्वारा लाये गये तनाव के उच्च स्तर को कम करने के क्रम में विशेष शिक्षा सेवाएँ उनसे वापस निकालने का कार्य करती है। विद्यार्थियों को नियमित कक्षा में शामिल किया जाना चाहिए तथा टोली शिक्षण के सम्प्रत्यय को ध्यान से चिन्तन कर सहयोग से पूर्व की योजना बनाई जानी चाहिए।

प्रभावशाली सह शिक्षण तभी सम्भव है जब शिक्षक बराबर के सहयोगी की तरह कार्य करें। दोनों शिक्षकों द्वारा कक्षा के कार्य शिक्षण योजना और मूल्यांकन इत्यादि की प्रावस्था में बराबर का अंशदान देना चाहिए। टोली शिक्षण को सफल बनाने के लिए एक प्रभावशाली योजना और अवलंब के साथ आवश्यक संसाधन सामग्री बहुत ही आवश्यक है।

क्रॉस और वाकर नाइट 1997 के अनुसार सफल टोली के शिक्षक ईमानदारी से सहयोग करने के लिए अपनी व्यक्तिगत इच्छा पर ध्यान देना चाहिए।

समावेशित शिक्षा के टोली शिक्षण प्रतिमान में सामान्य शिक्षक विशेष शिक्षक एवं विद्यार्थियों के बहुत से लाभ प्रतिवेदित किये गये जैसे:-

- विकलांग छात्रों के सैद्धान्तिक प्रदर्शन के साथ साथ उनके आत्म सम्मान और अभिप्रेरणा में सुधार हुआ।
- सामान्य विद्यार्थियों के सैद्धान्तिक प्रदर्शन एवं सामाजिक कौशल में वृद्धि प्रतिवेदित की गयी।
- सामान्य एवं विशेष शिक्षकों नौकरी संतुष्टि एवं व्यवसायिक विकास में वृद्धि देखी गयी।

सहायक शिक्षण- सामान्य कक्षा में विकलांग विद्यार्थी तथा सामान्य विद्यार्थियों के विविधता वाले समूह को सामान्य शिक्षक साथ-साथ पढाते हैं। दोनों अध्यापक विद्यार्थियों की आवश्यकता के आधार पर अनुदेशन की योजना बनाते हैं तथा उसे प्रदान करते हैं। ये अध्यापक विद्यार्थियों की उपलब्धि, आकलन तथा अनुशासन के लिए उत्तरदायी होते हैं।

2.3.4 समावेशित शिक्षा में बाधा

समावेशित शिक्षा में निम्न बाधाएं देखने को मिलती हैं-

- i. **सामाजिक दृष्टिकोण-** विशेष विद्यार्थियों के समायोजन में सामाजिक दृष्टिकोण सबसे बड़ी बाधा के रूप में दिखाई देता है। समाज के नकारात्मक दृष्टिकोण के कारण ये विद्यार्थी अपने आप को अपेक्षित महसूस करते हैं। अतः सफल समावेशन के लिए समाज का धनात्मक दृष्टिकोण बहुत ही जरूरी है।
- ii. **भौतिक बाधा-** भौतिक बाधा के कारण बहुत से अधिगम संस्थानों में विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की पहुँच नहीं हो पाती है। ये वातावरणीय बाधा जैसे- दरवाजा, सीडियां, रैम्प, सांकेतिक चिह्न, सांकेतिक भाषा अनुवादक इत्यादि।
- iii. **पाठ्यचर्या-** विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के समावेशन में सामान्य विद्यार्थियों के लिए बनायी गयी पाठ्यचर्या भी एक प्रमुख बाधा की तरह कार्य करती है। यह पाठ्यचर्या विशेष

आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाती है। सामान्यतः पाठ्यचर्या का निर्माण बहुत ही दृढ़ होता है जिससे अध्यापकों को अनुकूलन एवं नये उपागमों के प्रयोग के अवसर नहीं मिल पाते हैं। पाठ्यचर्या के संदर्भ श्रवणबाधित की भाषा एवं जीवन शैली से अलग होने के कारण इन विद्यार्थियों के पहुँच से दूर रहते हैं।

- iv. **भाषा और सम्प्रेषण-** सामान्य शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया पूर्णतः मौखिक भाषा पर आधारित होती है। मौखिक भाषा श्रवण बाधित विद्यार्थियों की प्राथमिक भाषा नहीं होती है। अतः सामान्य शिक्षण अधिगत में श्रवण विद्यार्थी लाभान्वित नहीं होते हैं और यह श्रवणबाधित विद्यार्थियों के समायोजन में बाधा की तरह कार्य करती है।
- v. **अध्यापक प्रशिक्षण-** समावेशित शिक्षा में श्रवण बाधित विद्यार्थियों को सामान्य अध्यापकों द्वारा भी शिक्षण कार्य किया जाता है। सामान्य अध्यापकों के श्रवणबाधित विद्यार्थियों के शिक्षण हेतु प्रशिक्षण नहीं प्राप्त होता है। अतः अप्रशिक्षित अध्यापक भी श्रवण बाधित विद्यार्थियों के समावेशन में बाधा की तरह कार्य करते हैं।
- vi. **नीतियाँ -** सामान्यतः समावेशित शिक्षा की नीतियाँ उन लोगों द्वारा बनायी जाती हैं जो लोग न तो विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की आवश्यकता को और न ही समावेशन शिक्षा के सम्प्रत्य को समझते हैं।
- vii. **नामकरण-** सामान्यतः सामान्य विद्यालय के अध्यापक द्वारा विशेष आवश्यकता के विद्यार्थी का नामकरण कर दिया जाता है जैसे- लंगड़ा, अन्धा, बहरा, पागल इत्यादि। समावेशित शिक्षा में इस प्रचलन का कोई स्थान नहीं होता है क्योंकि यह बालक के नकारात्मक आधार को दर्शाता है। अध्यापक और माता- पिता की अपेक्षाएं विद्यार्थियों से कम हो जाती हैं जिसका प्रभाव उनके प्रदर्शन में दिखाई देता है। विद्यार्थी के कमजोर शैक्षिक निष्पादन को अध्यापक उसकी कमी से साथ जोड़कर बताता है। वह इसे अपने अनुदेशन निर्देश की असफलता नहीं मानता है। इस तरह नामांकित विद्यार्थी में कमजोर सम्प्रत्य का विकास होता है।
- viii. **सहपाठी तिरस्कार-** जब कोई श्रवण बाधित विद्यार्थी सामान्य विद्यालय में दाखिला लेता है तो यह हो सकता है कि वह अन्य सहपाठी विद्यार्थियों द्वारा स्वीकार न किया जाये। भाषा एवं सम्प्रेषण कौशल की कमी के कारण श्रवण बाधित विद्यार्थी सामान्य विद्यार्थियों के साथ वार्तालाप स्थापित नहीं कर पाते हैं।
- ix.

अभ्यास प्रश्न

1. _____ में विशेष आवश्यकता पर आधारित विश्व सम्मेलन का आयोजन किया गया।
2. समावेशित शिक्षा में विकलांग विद्यार्थियों को सामान्य शिक्षा व्यवस्था में _____ के साथ शिक्षा देना है।
3. _____ प्रतिमान में छात्रों के छोटे-छोटे समूह बनाते हैं।
4. विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के स्तर के अनुसार निर्देशों में _____ और _____ होना चाहिए।
5. _____ विद्यार्थी को उसकी आवश्यकता के हिसाब से अलग से सहायता प्रदान की जाती है।

2.3.5 श्रवण बाधित विद्यार्थियों का समावेशन

बधिर विश्व संघ श्रवण बाधित विद्यार्थियों के गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा अधिकार और सुरक्षा के उपायों को बढ़ावा देता है। अन्य विद्यार्थियों की गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा की तरह ही श्रवण बाधित को भी गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा पूर्ण करने का अधिकार होना चाहिए।

शिक्षा सभी लोगों की एक बुनियादी जरूरत होती है। शिक्षा स्वतंत्रता नागरिकता के अधिकार उचित रोजगार आर्थिक शक्ति और आत्म सशक्तिकरण पाने का एक प्राथमिक साधन है। श्रवण बाधित विद्यार्थियों में अन्य बच्चों की तरह ही सीखने भाषा ग्रहण करने की मूल क्षमता के साथ पैदा होते हैं। वे उचित दृश्य गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम और सहायता से अपनी पूर्ण क्षमता का विकास कर सकते हैं। जब हम उनके लिए शैक्षणिक कार्यक्रम का चयन करते हैं तो उपलब्ध विकल्पों पर विचार विमर्श करते हैं।

श्रवण बाधित विद्यार्थियों का समावेशन बहुत ही जटिल और विवादित मुद्दा है। श्रवण बाधित समुदाय के वयस्क हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि श्रवण बाधित विद्यार्थियों को विशेष विद्यालय में सांकेतिक भाषा के द्वारा पढ़ाया जाये जिससे वे प्राकृतिक ढंग से सूचना प्राप्त कर सकें।

कोपिनीन 1994 ने बताया कि श्रवण बाधित छात्रों के समावेशन का मूल लक्ष्य उन्हें सामान्य बनाना नहीं है बल्कि उन सभी सम्भावनाओं को उपलब्ध कराना है जिससे वे एक उपयोगी वयस्क के रूप में समुदाय में भागीदार बन सकें।

2.3.6 श्रवणबाधित विद्यार्थियों के समावेशन के लाभ

- i. **श्रवण बाधित छात्रों का बातचीत की दुनिया से सम्बन्ध-** समावेशन में बधिर छात्र दैनिक बातचीत के माध्यम से सामान्य वाणी के लोगों की दुनिया से सम्बन्ध स्थापित करते हैं। समावेशन में बधिर छात्र दैनिक बातचीत के माध्यम से सामान्य वाणी के लोग के साथ वार्तालाप स्थापित करने में कौशल विकसित करते हैं। अतः समावेशन बधिर छात्रों में वार्तामें कौशल विकसित करते हैं। अतः समावेशन बधिर छात्रों में वार्तालाप विकसित करने का एक अच्छा प्रशिक्षण होता है।
- ii. **श्रवण बाधित छात्र बातचीत की दुनियाँ के लोगों से घुलना मिलना-** बधिर समुदाय का अपना एक मजबूत संस्कृति विकसित है लेकिन बातचीत की दुनियाँ के लोगों से वार्तालाप करना सीखना भी बहुत जरूरी है। समावेशन में अन्य सहपाठियों के साथ दैनिक बातचीत होने से उसका सामाजिक कौशल विकसित होता है जो उनके भविष्य के लिए उपयोगी होता है।
- iii. **श्रवण बाधित छात्रों का शैक्षणिक और व्यवसायिक कार्यक्रमों में पहुँच -** समावेशन के द्वारा बधिर छात्र बातचीत की दुनियाँ के लोगों के बीच सहभागिता होने से इनको शैक्षणिक सामाजिक शारीरिक और भावनात्मक क्षेत्रों में वृद्धि होती है। बधिर छात्रों का एक विस्तृत श्रृंखला के संसाधनों तक पहुँच प्राप्त होती है।
- iv. **श्रवण बाधित छात्रों की पारिवारिक निकटता-** सामान्यतः 95 प्रतिशत बधिर छात्रों के परिवारों के बीच सम्प्रेषण का माध्यम मौखिक होता है। विशेष स्कूल में पढ़ने वाले श्रवण बाधित छात्र मौखिक सम्प्रेषण के मध्य सामंजस्य स्थापित करने में कठिनाई महसूस करते हैं। समावेशित विद्यालय में सम्प्रेषण कौशल विकसित होने से ये छात्र आसानी से अपने पारिवारिक माहौल में सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं।

2.4 अध्यापक की भूमिका

समावेशन के क्षेत्र में अध्यापक निम्नलिखित भूमिका निभाते हैं

- i. **श्रवण बाधितार्थ के बारे में सामान्य ज्ञान का विकास और कार्यान्वयन-** श्रवण बाधित विद्यार्थियों के समावेशन में अध्यापक को श्रवण बाधितार्थ की शैक्षिक परिभाषा, पहचान, विशेषताएं, श्रवण अंग की बुनियादी शारीरिक रचना एवं शरीर विज्ञान तथा श्रव्यतामापी परीक्षण के उपायों एवं परिणामों की व्याख्या का ज्ञान होना चाहिए। श्रवण बाधितार्थ की पहचान इसके शुरूआत की उम्र तथा इनके लिए उपलब्ध सेवायें भी महत्वपूर्ण होती हैं। श्रवण बाधितार्थ विद्यार्थियों की शिक्षा से सम्बन्धित विभिन्न सिद्धांतों, दर्शनों एवं शिक्षण सूत्रों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए।

- ii. **सक्रिय समावेशनशास्त्री-** श्रवण बाधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए अध्यापक को मानवाधिकारों, राष्ट्रीय नीतियों, कानूनी नियमों और समावेशी शिक्षा प्रणाली के विकास के बारे में जानकारी होनी चाहिए।
- iii. **प्रत्यक्ष अनुदेश-** समावेशित शिक्षा में श्रवण बाधित विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष अनुदेश प्रदान करने के लिए अध्यापक को उनके द्वारा प्रयोग किये जाने वाले भाषाई एवं गैर भाषाई सम्प्रेषण घटकों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ऐसे विद्यार्थियों के लिए विशेष सामग्री के स्रोत, प्रत्यक्ष अनुदेशन देने के लिए प्रौद्योगिकी, उपलब्ध सम्प्रेषण की प्रणाली तथा अवशिष्ट श्रवण शक्ति के उपयोग का ज्ञान और इनके उचित प्रयोग का कौशल भी अध्यापक में होना चाहिए।
- iv. **सामान्य शिक्षा के पाठ्यक्रम में संशोधन-** अध्यापक द्वारा सामान्य शिक्षा के पाठ्यक्रम में श्रवण बाधित विद्यार्थियों के आवश्यकता अनुसार उसमें संशोधन एवं अनुकूलन किया जाना चाहिए। श्रवण बाधित विद्यार्थियों एवं अध्यापक के मध्य सम्प्रेषण कौशल स्थापित होना बहुत आवश्यक है क्योंकि इसके द्वारा ही विद्यार्थियों में संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक विकास सम्भव है।
- v. **विद्यार्थियों की निगरानी-** समावेशी शिक्षा में सम्मिलित श्रवण बाधित विद्यार्थियों के निष्पक्ष आकलन के सम्बन्ध में नीति नियमों और निर्देशों का ज्ञान होना चाहिए तथा विद्यार्थियों की शक्तियों और सीमाओं की पहचान के लिए उपयुक्त आकलन उपकरण का प्रबन्ध करना चाहिए।
- vi. **परामर्श एवं सहयोग-** श्रवण बाधित विद्यार्थियों के समावेशन में उनके माता-पिता तथा अन्य पेशेवर लोगो की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अतः अध्यापक को उनकी भूमिका और जिम्मेदारियों का ज्ञान होना चाहिए तथा सहायता कर्मियों और माता-पिता का सहयोग प्राप्त करने का कौशल भी होना चाहिए।
- vii. **शिक्षण अधिगम वातावरण का प्रबन्धन-** शिक्षण अधिगम वातावरण का सीधा प्रभाव श्रवण बाधित विद्यार्थी के शैक्षिक प्रदर्शन पर पड़ता है। श्रवण बाधिता के प्रभाव के कारण विद्यार्थी शैक्षिक भाषा को आसानी से समझ नहीं पाते हैं। श्रवण बाधित विद्यार्थियों के शिक्षण के लिए बहु इन्द्रिय उपागमों का प्रयोग करना चाहिए जिससे इन विद्यार्थियों की भाषा और संज्ञानात्मक विकास हो सके।
- viii. **श्रवण उपकरणों की निगरानी-** श्रवण बाधित विद्यार्थियों की शिक्षा में ध्वनि प्रवर्धक उपकरण बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इन ध्वनि प्रवर्धक यंत्रों की सहायकता से ही श्रवण बाधित विद्यार्थियों की अवशिष्ट श्रवण शक्ति को उपयोग में लाया जाता है और ये विद्यार्थी आवाज को सुनने में सक्षम होते हैं। अतः शिक्षक को ध्वनि प्रवर्धक यंत्रों, कार्य, कार्य-विधि और उनके रखरखाव का ज्ञान होना चाहिए तथा उनकी निगरानी तथा उचित प्रयोग का कौशल भी होना चाहिए।
- ix. **वाणी और भाषा प्रशिक्षण का मूल्यांकन-** सामान्य बच्चों की भाषा और विकास की प्रक्रिया का ज्ञान श्रवण बाधित बच्चों को भाषा सिखाने के लिए आधार का कार्य करती है। श्रवण संवेदी निवेश

के नुकसान का भाषा विकास और उसके अनुभूति पर पड़ने वाले प्रभाव का ज्ञान शिक्षक को होना ही जरूरी है।

श्रवण बाधित विद्यार्थियों के सम्प्रेषण, भाषा एवं वाणी का मूल्यांकन और उससे प्राप्त जानकारी की व्याख्या करना तथा उस व्याख्या के आधार पर इन विद्यार्थियों के लिए शिक्षण की स्थिति में संशोधन तथा उद्देश्यों की रूपरेखा तैयार करना एक सफल समावेशन के लिए बहुत ही जरूरी है।

अभ्यास प्रश्न

1. समावेशन से श्रवण बाधित छात्रों में _____ कौशल विकसित करने में सहायता मिलती है।
2. समावेशन श्रवण बाधित बच्चों के _____ मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में वृद्धि होती है।
3. श्रवण बाधित बच्चों के समावेशन में _____ सबसे बड़ी बाधा है।
4. _____ का ज्ञान श्रवण बाधित बच्चों के लिए उद्देश्य को निर्धारित करने में सहायक होता है।

2.5 सारांश

विशेष शिक्षा का आविर्भाव लगभग शताब्दी पहले हो चुका था लेकिन समय के साथ-साथ इसमें बहुत से परिवर्तन आये। सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने हेतु समावेशित शिक्षा का प्रारम्भ हुआ क्योंकि विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को छोड़कर इस लक्ष्य की प्राप्ति सम्भव नहीं थी।

जून 1994 में स्पेन में सलामांका नामक स्थान पर विशेष आवश्यकता पर आधारित शिक्षा पर एक विश्व सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कथन के अनुसार शिक्षा सभी बच्चों का अधिकार होना चाहिए। इसके लिए सभी देशों से यह आग्रह किया गया कि शिक्षण व्यवस्था को समावेशित बनाने में अधिक प्राथमिकता की जाये तथा इसके सिद्धान्तों को अधिनियम अथवा नीति के रूप में स्वीकार किया जाये। समावेशन को सफल बनाने के लिए इसकी आवश्यकता हेतु विभिन्न प्रतिमान बनाये गये जिससे बालक की आवश्यकता तथा विद्यालय की उपलब्ध संसाधनों के आधार पर विद्यार्थियों को शिक्षित किया जा सके।

समावेशित शिक्षा से श्रवण बाधित विद्यार्थी दैनिक बातचीत के माध्यम से सामान्य वाणी के लोगो से सम्बंध स्थापित करने में सफल होते है। ये छात्र बातचीत की दुनिया के लोगों से घुलमिल पाते है तथा शैक्षिक एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों तक अपनी पहुँच बना पाते हैं। लगभग 95 प्रतिशत श्रवण बाधित बच्चें ऐसे परिवारों में होते है जहां सामान्यतः मौखिक भाषा में वार्तालाप किया जाता है। ऐसे में समावेशन इन विद्यार्थियों को इनके परिवार के नजदीक भी लाने का कार्य करता है। शिक्षा पर श्रवण बाधित बच्चों का भी समान अधिकार

है फिर भी श्रवण बाधित बच्चों का समावेशन एक जटिल मुद्दा है। सफल समावेशन के मार्ग में अनेक बाधाएं जैसे- सामाजिक दृष्टिकोण, भौतिक बाधा, पाठ्यचर्या, भाषा एवं सम्प्रेषण, अध्यापक प्रशिक्षण नीतियां तथा सहपाठी तिरस्कार आती है।

समावेशन में अध्यापक की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अध्यापक एक सक्रिय समावेशनशास्त्री के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाहन करता है। अध्यापक श्रवण बाधित विद्यार्थियों द्वारा प्रयोग किये जाने वाले भाषाई एवं सांकेतिक सम्प्रेषण घटकों को समझ कर उनकी सम्प्रेषण की आवश्यकता की पूर्ति करता है। विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम को अनुकूलित कर विषय वस्तु को छात्रों हेतु सुगम बनाता है तथा विद्यार्थियों के लिए आवश्यक श्रवण उपकरणों की निगरानी करता है।

2.6 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. सलामांका
2. सहपाठी
3. सहायक अधिगम
4. रूपान्तरण और सामंजस्य
5. आंशिक समावेशन
6. सम्प्रेषण
7. संज्ञानात्मक
8. सामाजिक दृष्टिकोण
9. शैक्षिक आकलन

2.7 संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. Schwartz, I.S., and Allen, K.E. (1996) The Exceptional Child Inclusion in Early Childhood Education (3rd Edition), Demar Publishers
2. National Sample Survey Organisation, Survey of Disabled Person in India, 1991
3. Hallahan, D.P. and Kauffman, J.M.(2007), Exceptional Learners: Introduction to Special Education (10th Edition) Allyn and Bacon, MA
4. The Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995, Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India.

5. <https://sites.google.com/site/inclusionsecondaryclassroom/collaborative-consultation>
6. <http://corescholar.libraries.wright.edu/ejie>
7. www.ndcs.org.uk
8. <http://www.education.gouv.fr/cid207/la-scolarisation-des-eleves-handicapes.html#loi-relative-aux-personnes-handicapes>
9. <http://medsped.soe.umd.umich.edu/belinda/modelsof.htm>
10. Kumar S. and Kumar, K. (2007), Inclusive Education In India: Electronic Journal for Inclusive Education, Vol. 2, No. 2 [2007], Art. 7

2.8 सहायक उपयोगी पाठ्य सामग्री

1. Julka, A. (2007), Meeting Special Needs in School: a Manual, New Delhi, NCERT
2. Panda, K.C. (2004), Education of exceptional Children. A base text on the rights of the handicapped and the gifted, Vikas Publishing House.
3. Cecil, R.Reynolds (2007), Encyclopedia of special Education, (3rd Ed.). A reference guide for the education of the handicapped and other exceptional children and adults, N.Y. John Wiley & sons.
4. Heward, V.L. & Orlansky, M.D. (1996), Exceptional children, (6th Ed.), Charles E. Meril Publishing Company, Columbus.
5. Hallahan, D.P. and I.M. Kauffman (1991), Exceptional Children: Introduction to Special Education (5th edn.), Boston: Allyn & Bacon.
6. Ysseldyke, J.E., B. Algozzine and M.L. Thuslow (1992), Critical Issues in Special Education (2nd edn), Boston: Houghton Mifflin.
7. Evans, P and Verma, V. (Eds.) (1990) Special Education. Past Present and Future. The Faimer Press.
8. Bench, John, R. (1992). Communication Skills in Hearing Impaired Children, Whurr Publishers Ltd.
9. Kadar, Fatima, Gorawar Pooja and Huddar Asmita (2002). Communication Options Available for the Deaf: The Indian Scenario in The Journal of the Indian Speech and Hearing Association. Vol –16 - 5.

10. Quigley, Stephen P and Kretschmer Robert E. (1982). The Education of the Deaf Children: University Park Press.
11. Vashishta, Madan; Woodward, James and Santis, Susan (1980). In Introduction to Indian Sign Language, All India Federation of the Deaf publication.
12. Ingram, David, (1989). Child Language Acquisition. Cambridge University Press: New York.
13. Parlmer, John M, and Yantis, Philip A. (1990). Survey of Communication Disorders.
14. Williams and Wilkins: London.
15. Sanders, Derek A. (1993). Management of Hearing. New Jersey: Prentice Hall Inc.

2.9 निबन्धात्मक प्रश्न

1. समावेशित शिक्षा के उदय में शामिल राष्ट्रीय , अन्तरराष्ट्रीय नीतियों एवं सन्धियों के योगदान की चर्चा कीजिए?
2. विशेष शिक्षा, एकीकृत शिक्षा और समावेशित शिक्षा में अन्तर स्पष्ट कीजिए?
3. समावेशन के प्रतिमान की चर्चा कीजिए?
4. समावेशित शिक्षा में आने वाली बाधाओं की संक्षेप मे चर्चा कीजिए?
5. श्रवण बाधित बच्चों के समावेशन में अध्यापक की भूमिका की चर्चा कीजिए?
6. भारत जैसे विकसित देश में समावेशन के महत्व को बताइये?

इकाई 3 दृष्टिबाधिता: अर्थ, वर्गीकरण, कारण तथा लक्षण (Visual impairment; Meaning, classification, causes and characteristics)

- 3.1 प्रस्तावना
- 3.2 उद्देश्य
- 3.3 दृष्टिबाधिता का अर्थ
- 3.4 दृष्टिबाधित का वर्गीकरण तथा परिभाषा
 - 3.4.1 आंशिक या अल्पदृष्टि दोष
 - 3.4.2 दृष्टिहीनता/पूर्णतः दृष्टि अभाव/अन्धता
- 3.5 दृष्टिबाधिता के कारण व रोकथाम एवं देखाभाल
- 3.6 दृष्टिबाधिता बच्चों के लक्षण/विशेषताएं
- 3.7 सारांश
- 3.8 शब्दावली
- 3.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 3.10 संदर्भ ग्रन्थ सूची
- 3.11 सहायक/उपयोगी पाठ्यसामग्री
- 3.12 निबन्धात्मक प्रश्न

3.1 प्रस्तावना

हम जानते हैं कि हम अपने आस-पास के परिवेश के बारे में जानकारी अपनी ज्ञानेन्द्रियों के माध्यम से उनके साथ सम्पर्क स्थापित कर करते हैं इसलिये ज्ञानेन्द्रियों को 'ज्ञान का द्वार' भी कहा जाता है मुख्यतः ज्ञानेन्द्रियां पांच प्रकार की होती है। ये पांच ज्ञानेन्द्रियां क्रमशः (i) आँख (ii) कान (iii) नाक (iv) जिह्वा तथा (v) त्वचा है। इन पाँचों इन्द्रियों का अपना महत्व है। परन्तु आंखों का महत्व जीवन में अतिविशेष है क्योंकि सबसे अधिक अनुभव हम आंखों से ही प्राप्त करते हैं। यह एक प्रमाणित तथ्य है कि मनुष्य वातावरण से प्राप्त सभी सूचनाओं का लगभग 80 प्रतिशत आंखों के माध्यम से प्राप्त करता है इसी कारण आंख को मस्तिष्क का बाह्य विस्तार भी कहा जाता है। ऐसे में यदि आंखों की कार्यक्षमता में रूकावट उत्पन्न हो जाए या इसका शरीर में अभाव हो तो मानव दृष्टि जैसे प्राकृतिक उपहार से वंचित हो जाता है। प्रस्तुत इकाई में विस्तार से दृष्टिबाधिता का अर्थ, प्रकार, कारण एवं रोकथाम के साथ है दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लक्षणों सम्बन्धित जानकारियाँ प्रस्तुत हैं।

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप दृष्टि की सामान्य क्रियात्मक में रूकावट अर्थात् दृष्टि विकारता/ दृष्टि विकलांगता सम्प्रत्यय से परिचय प्राप्त कर सकेंगे।

3.2 उद्देश्य(Objectives)

इस इकाई के अध्ययन करने के पश्चात आप-

1. दृष्टिबाधिता को परिभाषित कर सकेंगे।
2. पूर्ण अन्धत्व एवं अल्पदृष्टि दोष में अन्तर कर सकेंगे।
3. दृष्टिबाधिता के कारणों की चर्चा कर सकेंगे।
4. दृष्टिबाधिता के रोकथाम सम्बन्धित जानकारी का व्यवहारिक प्रयोग कर सकेंगे।
5. दृष्टिबाधिता के लक्षणों के अपने शब्दों में व्यक्त कर सकेंगे।

3.3 दृष्टिबाधिता (Visual Impairment) का अर्थ

सामान्य शब्दों में ठीक प्रकार से देख पाने में असमर्थता/दृष्टिबाधिता कहलाती है। दृष्टि की अपनी सामान्य क्रियात्मकता से विचलन की स्थिति दृष्टिबाधिता की श्रेणी में आता है दृष्टिबाधिता का अर्थ है कि दृष्टि में सभी उपचारात्मक प्रयासों एवं सुधारात्मक लेसों के प्रयोग के बावजूद दृष्टिक्षति का मौजूद होना। इस क्षति के कारण व्यक्ति को देखने में परेशानी होती है।

सभी दृष्टिहीन व्यक्तियों में दृष्टि का पूर्ण अभाव नहीं होता। अधिकतर दृष्टिबाधिता की श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों में दृष्टि की कुछ न कुछ अवशिष्ट या शेष दृष्टि होती है। जब व्यक्ति में अवशिष्ट दृष्टि एक स्तर से अधिक या ऊपर होती है तब ऐसी स्थिति कमदृष्टि या अल्पदृष्टि कहलाती है परन्तु अवशिष्ट दृष्टि का एक स्तर से कम होना या दृष्टि का पूर्णतः अभाव होना नेत्रहीनता या दृष्टिहीनता की श्रेणी में आता है। अधिकतर व्यक्ति पूर्ण रूप से नेत्रहीन/दृष्टिहीन न होकर अल्पदृष्टि से ग्रसित होते हैं। दृष्टिबाधिता की परिभाषा जानने से पूर्व निम्न सम्प्रत्ययों को जानना आवश्यक है।

1. **दृष्टितीक्ष्णता (Visual Impairment):**-दृष्टि तीक्ष्णता का अर्थ है आँख की देखने की क्षमता। यह व्यक्ति की निर्धारित दूरी से स्पष्ट देख पाने की योग्यता है। यह दूर व पास दोनों दूरियों के लिए मापी जाती है दृष्टि तीक्ष्णता को मापने के लिए सामान्यतः स्नेलेन आई चार्ट (Snellen Eye Chart)का प्रयोग किया जाता है।
इस भिन्न के रूप में लिखा जाता है। जैसे 20/60 (फीट) दृष्टितीक्ष्णता का अर्थ है कि सामान्य दृष्टि से जिस वस्तु को 60 फीट की दूरी से देखा जा सकता है एक प्रभावित या क्षतिग्रस्त दृष्टि उस वस्तु को 20 फीट की दूरी से देख सकती है अर्थात् यदि कोई वस्तु को 60 फीट की दूरी पर रखी है तो 20/60 दृष्टि तीक्ष्णता वाले व्यक्ति को भली प्रकार से देखने के लिए उस वस्तु को 20 फीट की दूरी पर लाना होगा।
2. **दृष्टि क्षेत्र (Field of Vision):**-दृष्टि क्षेत्र से तात्पर्य है कि व्यक्ति द्वारा सीधे देखने पर उसके द्वारा प्रत्यक्षित कुल क्षेत्र। व्यक्ति ठीक सामने की वस्तु को देख सकने के साथ ही एक निश्चित परिधि में आने वाले सभी वस्तुओं को देख सकता है। दृष्टि को बिल्कुल सीध में रखने पर एक सामान्य

दृष्टिवाला व्यक्ति लगभग 1800 डिग्री तक की परिधि में आने वाली सभी वस्तुओं के देख पाने में सक्षम होता है।

3.4 दृष्टि बाधित का वर्गीकरण एवं परिभाषा

दृष्टिबाधिता दो प्रकार की होती है-

1. आंशिक/अल्पदृष्टि दोष अर्थात कम दिखायी पड़ना
2. पूर्णतः दृष्टि अभाव/दृष्टिहीन

व्यक्ति दृष्टिहीन है या अल्पदृष्टिहीन वाला यह व्यक्ति की अवशिष्ट या शेष दृष्टि पर निर्भर करता है। जब व्यक्ति में अवशिष्ट दृष्टि एक स्तर से अधिक होती है तो वह अल्पदृष्टि की श्रेणी में आता है। एक निर्धारित स्तर से कम अवशिष्ट होने पर या दृष्टि का पूर्णतः अभाव होने पर व्यक्ति दृष्टिहीनता की श्रेणी में आता है।

3.4.1 आंशिक या अल्प दृष्टि दोष

कानूनी परिभाषा के अनुसार सुधारात्मक उपायों के बावजूद अल्प दृष्टि व्यक्ति की दृष्टितीक्ष्णता 20/70 (फीट) से कम या दृष्टि क्षेत्र 20 डिग्री से कम होता है अर्थात सामान्य दृष्टि वाला जिस वस्तु को 70 फीट की दूरी से देख सकता है उसे अल्पदृष्टि दोष वाला व्यक्ति 20 फीट की दूरी से देख पायेगा तथा दृष्टि के बिल्कुल सीध में रखने पर व्यक्ति मात्र 20 डिग्री या कम की परिधि में आने वाली वस्तुओं को देख सकने में सक्षम होगा।

निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 के अनुसार अल्पदृष्टि वाले व्यक्ति से अभिप्राय उन व्यक्तियों से है जिनकी दृष्टि क्रियाशीलता (Visual Functioning) में, उपचार या सर्वोत्तम सुधार के बाद भी दोष होता है किन्तु वे उपयुक्त सहायक उपकरणों के साथ कार्यों को करने या उसकी योजना बनाने के लिए दृष्टि का प्रयोग करते हों या इसकी सम्भावना हो कि वे दृष्टि का प्रयोग कर सकेंगे।

इस अधिनियम में दी गयी परिभाषा में दृष्टि तीक्ष्णता पर जोर ना देकर सहायक उपकरणों की सहायता से दृष्टि के उपयोग की क्षमता को आधार बनाया गया है।

शैक्षणिक परिभाषा के अनुसार अल्पदृष्टि वाले वे व्यक्ति हैं, जो कि छपे हुए अक्षर पढ़ तो सकते हैं परन्तु उनके लिए मोटी छपाई वाली पुस्तकों या लिखे हुए अक्षरों को बड़ा करके दिखाने वाले उपकरणों की आवश्यकता होती है। शैक्षणिक परिभाषा शिक्षकों को बच्चे से सम्बन्धित शैक्षणिक निर्णय लेने में सहायता करती है।

इस प्रकार हमने देखा कि अल्प दृष्टि की श्रेणी में वे बच्चे या व्यक्ति आते हैं जिनमें अवशिष्ट की मात्रा सामान्य दृष्टि वाले तथा पूर्ण अन्धत्व के बीच की होती है। इनको पढ़ने-लिखने, चलने-फिरने अथवा सामान्य काम-काज करने में समस्या का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्तियों के दृष्टिमूलक कार्य प्रभावित हो सकते हैं तथा दृष्टिमूलक कार्य का सम्पादन करने के लिए इन्हें सहायक उपकरणों की सहायता लेनी पड़ती है।

3.4.2 दृष्टिहीनता/पूर्णतः दृष्टिअभाव/अन्धता

वैधानिक रूप से दृष्टिहीनता वह स्थिति है जब किसी व्यक्ति की दृष्टितीक्ष्णता, स्वस्थ/अच्छे नेत्र में, चश्मे या कॉन्टेक्ट लेंस के साथ सर्वोत्तम सम्भव सुधार करने के बाद 20/200 या उससे कम हो अथवा वे व्यक्ति जिनका दृष्टिक्षेत्र 20 डिग्री से कम होता है।

निःशक्त व्यक्ति (सामान्य अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 के अनुसार दृष्टिहीनता अथवा पूर्णतः दृष्टि अभाव उस स्थिति को कहते हैं जब व्यक्ति निम्नलिखित में से किसी भी एक स्थिति से ग्रस्त होता है।

- दृष्टि का पूर्ण अभाव या
- अच्छी आँख में, चश्में या कॉन्टेक्ट लेंस से सर्वोत्तम सुधार के बाद भी दृष्टि तीक्ष्णता 6/60 (मीटर) या 20/200 (फीट) (स्नेलेन) से अधिक न होना या
- 20 डिग्री से अधिक का दृष्टिक्षेत्र न होना।

शैक्षणिक परिभाषा के अनुसार दृष्टिहीन व्यक्ति वे व्यक्ति हैं जिनकी आँखें इतनी गम्भीर रूप से प्रभावित हैं कि उनको शैक्षिक उद्देश्यों के लिए ब्रेल लिपि या श्रवण प्रणाली (श्रव्यटैप और रिकार्ड) का प्रयोग करना पड़ता है।

दृष्टिहीनता के शैक्षणिक परिभाषा जो कि शिक्षकों को यह निर्णय लेने में सहायता करती है कि बच्चे को किस प्रकार से शिक्षित किया जाए।

अभ्यास प्रश्न

1. आँखों कोका वाह्य विस्तार कहते हैं।
2. स्पष्ट देख पाने की योग्यता.....कहलाती है।
3. व्यक्ति द्वारा सीधे देखने पर उसके द्वारा देखे जाने वाला पूरा क्षेत्र.....कहलाता है।
4. सामान्य आँख वाले व्यक्ति का दृष्टि क्षेत्र.....डिग्री होती है।
5.तथा.....दृष्टिबाधिता की श्रेणी में आते हैं।
6. मोटी छपाई वाली पुस्तके.....वाले बच्चों के लिए आवश्यक है।
7. पूर्णतः दृष्टि अभाव वाले व्यक्तियों की दृष्टितीक्ष्णता सर्वोत्तम सुधार के पश्चात्..... या उससे कम होती है।

3.5 दृष्टिबाधिता के कारण व रोकथाम एवं देखभाल

दृष्टिबाधिता के कारण:-दृष्टिबाधिता के कारणों को अनेक प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे जन्म के आधार पर, आनुवंशिक या अर्जित, नेत्र में प्रभावित स्थान इत्यादि अनेकों ऐसे आधार हैं जिस पर कारणों का वर्गीकरण किया जाता है। कुछ आधार का विवरण निम्नवत् है।-

जन्म के आधार पर

- जन्म से पूर्व के कारण (Prenatal Causes)
- जन्म के दौरान के कारण (Perinatal causes)
- जन्म के बाद के कारण (Postnatal causes)

जन्म से पूर्व के कारण (Prenatal Causes)

- परिवार में दृष्टिदोष के इतिहास का होना,
- नजदीकी/खून के रिश्ते में शादी,
- गर्भवती माता का कुपोषित या स्वास्थ्य खराब होना,
- रक्त समूह की जटिलताएं या आर0एच0 असंगति,
- डॉक्टर की सलाह के बिना गर्भवती महिला का एंटीबायोटिक या कोई अन्य दवा लेना, गर्भावस्था के दौरान, विशेष रूप से प्रथम महीनों में किसी संक्रामक रोग या बीमारियों (जैसे सिफलिस) या जर्मन खसरा (रूबैला) का होना,
- गर्भावस्था के दौरान एक्स-रे करवाना,


जन्म के दौरान के कारण (Perinatal causes)

- जन्म के समय शिशु के वजन का कम होना,
- समयपूर्व प्रसव,
- प्रसव के दौरान शिशु को मिलने वाले ऑक्सीजन में कमी,
- प्रसव में प्रयुक्त उपकरणों के गलत प्रयोग के कारण,

जन्म के बाद के कारण (Postnatal causes)

- बाल्यावस्था में संक्रामक रोग का होना,
- आँख में हुए संक्रमण के प्रति लापरवाही,
- नेत्र या मस्तिष्क पर चोट लगना,
- विटामिन ए की कमी,
- नेत्र में ट्यूमर का होना,

दृष्टिवाधिता के कारणों की निम्न प्रकार से भी वर्गीकृत कर सकते हैं-



1. **परावर्तित त्रुटियाँ (Refractive Errors)**- सामान्य आँख में प्रकाश किरणें सीधे रेटिना पर पड़कर स्पष्ट प्रतिबिम्ब का निर्माण करती है आँख की इस सामान्य अवस्था को इम्मिट्रोपिया (Emmetropia) कहते हैं। इस स्थिति से विचलन की स्थिति एमेट्रोपिया कहलाती है। इसमें प्रकाश की समानान्तर किरणें रेटिना पर केन्द्रित नहीं होती परिणामतः रेटिना पर बनने वाली प्रतिबिम्ब धुंधली प्रतीत होती है। इसमें दूरदृष्टिदोष, निकटदृष्टिदोष एवं अबिन्दुकता तथा जरा दूर दर्शिता की अवस्थाएं सम्मिलित हैं।


चित्र-1



इम्मिट्रोपिया

- i. **दूरदृष्टि दोष (Hyperopia or Hypermetropia /Farsightedness)**- इस दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, परन्तु पास की वस्तुएं देखने में कठिनाई होती है ऐसा प्रतिबिम्ब का सीधे रेटिना पर ना बनकर उसके पीछे बनने के कारण होता है नेत्र की इस त्रुटि को उत्तल लेन्स की सहायता से सुधारा जा सकता है।

चित्र-2



दूरदृष्टि दोष

- ii. **निकट दृष्टि दोष(Myopia)**- इस दोष में पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परन्तु दूर की वस्तुएं देखने में कठिनाई होती है ऐसा प्रतिबिम्ब का सीधे रेटिना पर ना बनकर उसके आगे बनने के कारण होता है। इस त्रुटि को अवतल लेन्स की सहायता से सुधारा जा सकता है।


चित्र-3



निकट दृष्टि दोष

- iii. **अबिन्दुता (Astigmatism)** -इस स्थिति में लेंस अथवा कार्निआ के अनियमित होने के कारण स्पष्ट प्रतिबिम्ब का निर्माण नहीं हो पाता। इसे बेलनाकार (Cylindrical) लेंस की सहायता से सुधारा जा सकता है।

चित्र-4



- iv. **जरा दूरदर्शिता (क्षमिण्डलवचपं)**-यह उम्र के साथ आँखों के स्वरूप तथा स्वास्थ्य में प्राकृतिक रूप से गिरावट से सम्बन्धित है। उम्र बढ़ने के साथ लेंस का लचीलापन कम हो जाता है जिससे स्पष्टता के साथ देखने में कठिनाई होती है। इस स्थिति में व्यक्ति को निकट दृष्टिदोष व दूरदृष्टिदोष दोनों एक साथ होता है। इस समस्या से ग्रस्त व्यक्ति द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करते हैं जिसका ऊपरी भाग अवतल लेंस व नीचे का भाग उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है।

2. **रचनात्मक या ढाँचाग्रस्त त्रुटियाँ/क्षति (Structural Impairment)** -इस श्रेणी के अन्तर्गत नेत्र की ऑप्टिकल या माँसपेशीय संरचना के एक या एक से अधिक हिस्सों में क्षति आती है। ये क्षतियाँ/गड़बडियाँ विकासात्मक एवं क्रियात्मक दोनों स्तरों पर हो सकती है। नेत्रों की निम्न स्थितियों को रचानत्मक क्षति के अन्तर्गत रखा जा सकता है।

- i. **मोतिया बिन्द (Cataract)** -नेत्र के लेंस में अपारदर्शिता आने की स्थिति मोतियाबिन्दु कहलाती है। यह एक नेत्र में या दोनों नेत्रों में हो सकती है। इसमें लेंस की अपारदर्शिता प्रकाश को लेंस से गुजरने से रोकती है जिससे वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ती। मोतियाबिन्दु जन्म जात (जन्म के समय) भी हो सकती है इसे जन्मजात मोतियाबिन्दु कहते हैं। इसे ऑपरेशन द्वारा सुधारा जाना ही एक मात्र विकल्प है।
- ii. **कालामोतिया/ग्लूकोमा (Glaucoma)** -यह नेत्रों में आंतरिक दबाव बढ़ने के कारण होता है। नेत्रों में आंतरिक दबाव के कारण आंशिक नर्व (वह तंत्रिका जो नेत्र को मस्तिष्क से जोड़ती है) को क्षति पहुंचती है। इसमें बिना दर्द के धीरे-धीरे परिधीय दृष्टि के नष्ट होने का साथ लगातार बढ़ता जाता है तथा अंत में व्यक्ति मात्र वस्तुओं का केन्द्रीय भाग ही स्पष्ट रूप से देख पाने में समर्थ होता है।
- iii. **वर्ण हीनता (Albinism)** -वर्ण हीनता एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर के सभी या कुछ भागों में मैलानिन (शरीर व बालों को उनका रंग प्रदान करने वाले पिगमेंट/पदार्थ) नहीं होता। इसमें कार्निया में प्रकाश असहनीयता या दूसरे शब्दों में प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता आ जाती है और व्यक्ति की दृष्टि क्षमता कम हो जाती है।
- iv. **डायबेटिक रेटिनोपैथी (Diabetic Retinopathy)** -यदि कोई व्यक्ति लम्बे समय तक मधुमेह से पीड़ित रह जाता है तब उसका दुष्प्रभाव उसकी रेटिना पर पड़ सकता है जिससे उसके आँखों की स्पष्ट देख पाने की क्षमता प्रभावित होती है। आँखों की ऐसी स्थिति डायबेटिक रेटिनोपैथी कहलाती है।
- v. **एनीरिडिया (Aniridia)** -इस स्थिति में आइरिस (आँख की पुतली) पूर्णतः विकसित नहीं होती है।
- vi. **रोहे (Trachoma)** -इस स्थिति में नेत्र बैक्टीरिया द्वारा गम्भीर रूप से संक्रमित हो जाती है। यह संसार में दृष्टिहीनता का प्रमुख कारण है जिसकी रोकथाम की जा सकती है।
- vii. **रेटिनोब्लास्टोमा (Retinoblastoma)** -रेटिना में ट्यूमर के विकसित होने की स्थिति रेटिनोब्लास्टोमा कहलाती है।
- viii. **रेटिनाइटिस पिग्मेंटोसा (Retinitis-Pigmentosa)** -यह एक आनुवांशिक बीमारी है जो कि प्रारंभिक बाल्यावस्था या प्रारम्भिक वयस्क जीवन में प्रकट होना प्रारम्भ हो जाती है तथा धीरे-धीरे बढ़ती जाती है। यह रेटिना की कोशिकाओं का धीरे-धीरे हास होने से होता है तथा जैसे-जैसे बीमारी बढ़ती जाती है व्यक्ति का दृष्टिक्षेत्र संकुचित होता जाता है तथा धीरे-धीरे केवल केन्द्रीय दृष्टिक्षेत्र शेष रह जाता है तथा व्यक्ति को सुरंग से देखने जैसा प्रतीत होता है। जिससे कि व्यक्ति मात्र उन्हीं वस्तुओं को देख पाता है जो उसकी दृष्टि के ठीक सामने होती है। अंततः व्यक्ति दृष्टिहीन हो जाता है।

- ix. **रेटिनल डिटैचमेंट (Retinal-Detachment)** -यह आँख की एक ऐसी विकृति है जिसमें रेटिना जिस परत के ऊपर लगा हुआ होता है वहाँ से उतर जाता है। अर्थात् रेटिना अपने नीचे के सहायक परत से अलग हो जाता है।
- x. **जीरोप्थेलमिया (Xerophthalmia)**-यह विटामिन ए की कमी से बाल्यावस्था में होने वाली दृष्टिहीनता का सबसे सामान्य कारण है। इस स्थिति में कंजक्टिवा और कॉर्निया में शुष्कता आने लगती है।
- xi. **सट्राविसमस (Strabismus)**(भंगापन/विर्यक दृष्टि) -यह माँसपेशीय असंतुलन से सम्बन्धित ऐसा विकार है जिसमें आँखें एक सीधी रेखा में नहीं होती हैं। एक आँख सीधे देखती है तो दूसरी ऊपर, नीचे, आगे या पीछे की ओर घुमी हुई होती है।
- xii. **एम्ब्लियोपिया या सुस्त आँखें (Amblyopia or lazy eye)** -इसमें आँखें सुस्त हो जाती हैं। इसका तात्पर्य है कि आँख की दृष्टितीक्ष्णता उतनी अच्छी नहीं रह जाती जितनी दूसरे आँख की जो कि हमेशा प्रयोग में रहती है। यह भी आँखों की मांसपेशीय असंतुलन के कारण होता है।
- xiii. **निस्टागमस (Nystagmus)** -यह आँखों की अनइच्छित गति की स्थिति है जिसके परिणामस्वरूप दृष्टि क्षमता कम हो जाती है।

3. **कोर्टिकल दृष्टिदोष**-यह एक ऐसा दृष्टिदोष है जिसमें नेत्रों में कोई समस्या नहीं होती है। आँखें पूर्णतः सामान्य होती हैं परन्तु (Optic Nerve) ऑप्टिक तन्त्रिका जो आँखों से सूचनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाती है क्षतिग्रस्त हो जाती है या मस्तिष्क का वह भाग प्रभावित हो जाता है जो देखी गयी सूचनाओं को प्रत्यक्षीकरण (Perception) तथा व्याख्या (Interpret) करने का कार्य करता है।

दृष्टि अक्षमता की रोकथाम एवं आँखों की देखभाल-

जानकारी तथा थोड़ी सावधानी से अधिकतर बच्चों में दृष्टि अक्षमता की रोकथाम की जा सकती है दृष्टिअक्षमता रोकने तथा नेत्रों के उचित देखभाल के लिए निम्नलिखित उपाय किये जा सकते हैं-

- बच्चों को सुरक्षित, स्वच्छ, स्वस्थ रखना और पौष्टिक आहार देना दृष्टिदोष की रोकथाम का सर्वोत्तम उपाय है गर्भवती माताओं एवं बच्चों का आहार विटामिन ए से परिपूरित होना चाहिए।
- गर्भावस्था के दौरान जर्मन मीज़ल्स (खसरा) या किसी अन्य संक्रामक रोग से संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में नहीं आना चाहिए।
- शिशुओं को संक्रामक बीमारियों से बचने के लिए टीकाकृत किया जाना चाहिए।
- जब तक संभव हो बच्चे को माँ का दूध मिलना चाहिए।
- गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को डॉक्टर के परामर्श के बिना कोई दवा नहीं लेनी चाहिए।
- खसरे से पीड़ित बच्चे को विटामिन 'ए' से परिपूरित खाद्य पदार्थ देना चाहिए क्योंकि खसरे के साथ 'शुष्क नेत्र' होने का खतरा बढ़ जाता है।
- नजदीकी रिश्तेदारों में विवाह संबंध न करना बच्चे में दृष्टिबाधिता के रोकथाम का पूर्वोपाय है।

- viii. आँखों की समस्याओं या देखने में कठिनाइयों के प्रारंभिक लक्षणों के लिए जाँच कराया जाना चाहिए।
- ix. गंदे पानी में तैरने या स्नान करने से बच कर नेत्रों के संक्रमण को रोका जा सकता है।
- x. सिर की चोट से बचाव नेत्र की क्षति के खतरे को कम करता है।
- xi. घर व बच्चे को साफ-सुथरा रखा जाना चाहिए।
- xii. रोहे (ट्रायकोमा) वाले व्यक्ति के लक्षण पता चलते ही तुरन्त उपचार किया जाना चाहिए।
- xiii. नोकदार तीर, गोलियों, ज्वलनशील पदार्थ, पटाखों, अम्ल आदि को बच्चों की पहुँच से दूर रखा जाना चाहिए।
- xiv. आँख की चोटें प्रायः बच्चों में दृष्टिहीनता का कारण बन जाती है इसलिए बच्चों को चोटों से बचाकर रखना चाहिए।

अभ्यास प्रश्न

8. प्रकाश की किरणों की रेटिना पर पड़कर स्पष्ट प्रतिविम्ब बनने की अवस्था..... कहलाती है।
9. दूर दृष्टिदोष मेंकी वस्तु स्पष्ट दिखाई देती हैं।
10. निकट दृष्टिदोष कोलेंस की सहायता से सुधारा जा सकता है।
11. लेंस या कार्निया की अनियमित होने की स्थिति..... कहलाती है।
12. उम्र के साथ आँखों की क्षमता का क्षरण.....की स्थिति में होता है।
13. मोतियाबिन्द में लेंस.....हो जाते हैं।
14. ग्लूकोमा में नेत्रों का.....दबाव बढ़ जाता है।

गतिविधि: अपने निवास स्थान के किसी स्थानीय नेत्र चिकित्सक से मिलकर नेत्रों के दोष एवं उनके देखभाल के बारे में चर्चा करें तथा आस-पास के क्षेत्र के लोगों को इसके प्रति जागरूक करें।

3.6 दृष्टिबाधित बच्चों के लक्षण/विशेषताएं

अभी तक आपने यह जाना कि दृष्टिबाधिता किसे कहते हैं तथा इसका कारण एवं रोकथाम क्या है। दृष्टिबाधित बच्चों की विशेषताएं जानने से पहले यह जानना आवश्यक है कि दृष्टिबाधित बच्चों की सामान्य बच्चों से समानता उनके साथ विस्मान्यता से अधिक होती है। यह बच्चे/ व्यक्ति सामान्य बच्चे जैसे ही होते हैं वस इनकी दृष्टि क्षमता सामान्य से भिन्न होती है। वह एक बच्चा या व्यक्ति पहले है। दृष्टिबाधिता उसके साथ की एक स्थिति है।

जैसे सामान्य बच्चों में वैयक्तिक विभिन्नता पायी जाती है वैसे ही दृष्टिबाधित बच्चों में भी होती है। दृष्टिबाधिता समूह में भी काफी विसामान्यताएं पायी जाती हैं दृष्टिबाधित बच्चों अथवा व्यक्तियों के लक्षण अथवा विशेषताएं बहुत सारे कारकों से प्रभावित होती है जैसे दृष्टिबाधिता का प्रकार एवं उसकी गंभीरता, किस उम्र में दृष्टिबाधिता आयी जन्म से या जन्म के बाद किस अवस्था में, अवशिष्ट दृष्टि की मात्रा कितनी है

तथा कितनी कुशलता से उसका प्रयोग किया जा रहा है, संसाधनों तथा उपकरणों की उपलब्धता, उनकी परिवार के सदस्यों द्वारा स्वीकृति सामंजस्य, दृष्टिबाधिता के साथ किसी अन्य विकलांगता की मौजूदगी, दृष्टिबाधिता के प्रति सांस्कृतिक तथा सामाजिक अभिवृत्ति/दृष्टिकोण इत्यादि तथा सबसे महत्वपूर्ण उनके लिए उपलब्ध हस्तक्षेपण तकनीकियों की प्रकृति तथा उनका प्रयोग इन सभी कारकों के बावजूद दृष्टिबाधिता समूह के अन्तर्गत आने वाले बच्चों एवं व्यक्तियों में कुछ सामान्य विशेषताएं/लक्षण पाये जाते हैं जो कि निम्नवत् हैं।

- i. **संज्ञानात्मक विकास तथा सम्प्रत्यय सम्बन्धित विशेषताएं-** सामान्यतः दृष्टिहीन एवं अल्पदृष्टिदोष वाले बच्चे संज्ञानात्मक विकास एवं प्रत्यय निर्माण में दृष्टिवान बच्चों से पीछे रहते हैं परन्तु पर्याप्त प्रशिक्षण, शीघ्र हस्तक्षेप एवं पर्याप्त वास्तविक अनुभव देकर उनको प्रत्यय निर्माण एवं संज्ञानात्मक विकास में सहायता की जा सकती है। दृष्टिबाधित बच्चे बौद्धिक परीक्षणों में प्रश्नों में लगभग दृष्टिवान बच्चों जैसे ही समान वितरण का प्रदर्शन करते हैं। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि सभी दृष्टिबाधित बच्चों में सम्प्रत्यय विकास विलम्ब से नहीं होता है खास कर उन बच्चों में जिसमें दृष्टिक्षय अल्पमात्रा (Mild) में हो या फिर वे बच्चों जिनमें दृष्टिबाधिता से जीवनकाल में बाद में ग्रसित हुए हों दृष्टिबाधिता बच्चों में सम्प्रत्यय विकास में अवशिष्ट दृष्टि बहुत ही सहायक होती है।
- ii. **भाषा विकास सम्बन्धित विशेषताएं-** बच्चे का भाषा विकास जन्म के कुछ माह के पश्चात् ही बच्चे द्वारा वस्तुओं व क्रियाओं के पहचानने तथा खोज की योग्यता तथा अवसर पर निर्भर करती है। यह दृष्टिबाधित बच्चों के लिए कठिन हो जाती है। ये बच्चे स्पर्श या श्रवण पर निर्भर करते हैं जो कि उनके सीखने के अनुभवों को कम करता है। वस्तुओं तथा क्रियाओं के वास्तविक अनुभवों की अनुपलब्धता की वजह से दृष्टिबाधित व्यक्ति बहुत सारे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिनका वे सही-सही, सार्थक एवं सटीक अर्थ नहीं जानते हैं। शब्दों का सार्थक एवं सटीक अर्थ जाने बिना प्रयोग करना मौखिकता कहलाती है। मौखिकता को कम करने के लिए दृष्टिबाधित बच्चों को प्रारम्भ से ही अनुभवों को मूर्त रूप में प्रदान किया जाना चाहिए। इन बच्चों में भाषा के साथ-साथ संवेगों के उतार-चढ़ाव, मुख मुद्राओं के प्रदर्शन इत्यादि का अभाव होता है।
- iii. **सामाजिक विकास सम्बन्धित विशेषताएं-** दृष्टिबाधिता के कारण इन बच्चों को मिलने वाले सामाजिक अनुभव तथा प्रायः अन्तः क्रिया में सहभागिता में कमी की वजह से उचित सामाजिक कौशलों को सीखने में कठिनाई महसूस करते हैं जिससे इन्हें अन्तः व्यक्तिगत रिश्तों को बनाने में कठिनाई होती है। सामाजिक व्यवहारों का अनुभव दृष्ट्य अनुकरण पर अधिक निर्भर करती है। बच्चे बहुत सारे सामाजिक व्यवहार व कौशलों के बारे में दूसरों को देखकर सीख जाते हैं दृष्टिबाधित बच्चों को सांकेतिक भाषाओं शारीरिक भाषाओं, एवं भावभंगिमाओं को समझने में समस्या आती है जिसे दृष्टिवान बच्चे सामान्य आसानी से दूसरों का अनुकरण करके सीख जाते हैं। अतः बहुत सारे दृष्टिबाधित बच्चे अपने हम उम्र बच्चों से सामाजिक अपरिपक्वता, तथा अकेलापन का प्रदर्शन करते हैं। टटल तथा टटल (Tuttle & Tuttle 1996) ने अपने शोध में पाया कि दृष्टिहीन बच्चों के लिए स्व-सम्मान को प्राप्त करना कठिन होता है क्योंकि विद्यालय के सामाजिक पृष्ठभूमि के अन्तर्गत स्व

जानकारी (self awareness) प्रायः सामाजिक अकेलापन, कम अपेक्षाएं तथा अति सुरक्षा से प्रभावित होती है।

दृष्टिबाधित बच्चों का सामाजिक विकास उनके हम उम्र बच्चों से धीमे होता है। इनका सामाजिक विकास इनके माता-पिता तथा अन्य लोगों की इनसे अपेक्षाओं से भी गम्भीरता से प्रभावित होती है इनसे की गयी अपेक्षाएं उचित तथा प्राप्त होने योग्य होनी चाहिए। यह बच्चे के स्व छवि (Self image) तथा आत्म सम्मान (Self esteem) के साथ ही उसकी स्वयं की सामाजिक योग्यता की ओर सकारात्मक दृष्टि को बढ़ायेगा जोकि बच्चे के सामाजिक कौशलों के कुशलता को समृद्ध करेगा। ऐसे बच्चों की सामाजिक उत्सवों में दृष्टिवान बच्चों जैसी ही सहभागिता सुनिश्चित की जानी चाहिए।

- iv. **शैक्षणिक उपलब्धि सम्बन्धित विशेषताएं**- बहुत से शोधों द्वारा यह पाया गया है कि दृष्टिबाधित बच्चे की बौद्धिक क्षमता दृष्टिवान बच्चों जैसी ही होती है परन्तु दृष्टिदोष वाले बच्चों की शैक्षणिक अथवा विद्यालयी उपलब्धि कम होती है। (Pierangelo & Giuliani 2007) के अनुसार “दृष्टि में क्षतिग्रस्तता, सुधार के साथ भी बच्चे को शैक्षणिक प्रदर्शन को विपरीत तरीके (Adversely) से प्रभावित करती है।” इनकी शैक्षणिक उपलब्धि विशेष कर पढ़ना लिखना तथा भाषा प्रमुख क्षेत्र है जिनमें इन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ता है Swensen (1996) ने अपने शोध में पाया कि ‘ये बहुत सी सूचनाएं जैसे पाठ्यभाग (Text)] लिखित/लेखा चित्रिय (Graphics)] चेहरे की भावभंगिमा तथा सांकेतिक सूचनाओं (Gestural cues) को प्राप्त करने, कुशलातापूर्वक प्रयोग करने (Manipulating) तथा प्रदर्शित करने में (Producing) चुनौती का सामना करते हैं। वैकल्पिक माध्यम (ब्रेल, प्रिन्ट की आकार इनके दृष्टिक्षमता के अनुसार, श्रव्य सामाग्रियों का प्रयोग) तथा सहायक तकनीकियों को अपलब्ध करने इनकी शैक्षणिक उपलब्धि सामान्य दृष्टिवाले बच्चों जैसी की जा सकती है।
- v. **गामक तथा चलन (Movement) सम्बन्धित विशेषताएं**- दृष्टिबाधित बच्चे चलिष्णुता, कौशल तथा शामक कौशलों में सामान्य मानक से पीछे रहते हैं इसका कारण दृष्टि उद्दीपनों में कमी दृश्य अनुकरणों के माध्यम से न सीख पाना तथा वातावरणीय कारकों (जैसे माता-पिता द्वारा अतिसुरक्षा प्राप्त होना, गामक गतिविधियों में अवसरों की कमी समाज का नकारात्मक दृष्टिकोण इत्यादि) का होना है। इससे इन्हें गामक समन्वय में समस्या आती है। इनमें दिशाबोध, स्थान विभेद की क्षमता तथा सूक्ष्म शामक कौशलों का विकास विलम्ब से होता है। इनको यह पता लगाना कठिन होता है कि ये कहाँ है तथा वातावरण के सन्दर्भ में इनकी शारीरिक स्थिति सम्बन्धी जानकारी भी कम होती है।
- vi. **दृष्टिक्रियात्मकता सम्बन्धित विशेषताएं** (अल्पदृष्टि वाले बच्चों के लिए)
- वस्तुओं को आँख के बहुत नजदीक लाकर देखते हैं।
 - इन्हें अपने शरीर के सापेक्ष वस्तुओं की दूरियों के सम्बन्ध में निर्णय लेने में कठिनाई महसूस होती है।

- c. अपने आप को प्रकाश स्रोत के पास रखने का प्रयास करते हैं जैसे लैम्प, खिड़की, इत्यादि या कुछ बच्चे प्रकाश से घबराते हैं तथा प्रकाश के प्रति अति संवेदनशील होते हैं।
- d. श्यामपट्ट से लिखते समय साथियों की कापी देखकर लिखवाते हैं।
- e. दूर की वस्तु को देखने के लिए असामान्य रूप से सिर के आगे-पीछे करते हैं।
- vii. **अन्य इन्द्रियों के प्रयोग सम्बन्धित विशेषताएं-** दृष्टिहीन बच्चे दृष्टि के अतिरिक्त अन्य ज्ञानेन्द्रियों का अधिक उपयोग करते हैं दृष्टिहीन बालक अन्य ज्ञानेन्द्रियों यथा आंख के अतिरिक्त कान, नाक, त्वचा तथा जिह्वा का प्रयोग सामान्य दृष्टिवाले से अधिक सजग होकर करते हेक्योंकि वे सूचनाओं तथा वातावरण से सम्पर्क के लिए वे आँख के अतिरिक्त अन्य इन्द्रियों पर निर्भर रहते हैं।

अभ्यास प्रश्न

15. दृष्टिबाधिता समूह में भी.....विभिन्नता पायी जाती है।
16. दृष्टिबाधित बच्चों को अनुभवों को.....रूप में प्रदान किया जाना चाहिए।
17. शब्दों का प्रयोग बिना उसका सटीक अर्थ जाने करना.....कहलाता है।
18. बौद्धिक क्षमता में दृष्टिहीन बच्चे दृष्टिमान बच्चे केहोते हैं।
19. दृष्टिहीन बच्चे.....लिपि का प्रयोग करते हैं।

3.7 सारांश

दृष्टि की सामान्य क्रियात्मकता से विचलन दृष्टिबाधिता कहलाती है।

दृष्टिबाधिता दो प्रकार की होती है

- अल्प दृष्टिदोष/आंशिक दृष्टिदोष
- दृष्टिहीन या पूर्णतः दृष्टि अभाव

□ दृष्टि बाधिता के कारणों को कई प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है एक वर्गीकरण 1.जन्म से पूर्व 2. जन्म के दौरान 3. जन्म के बाद है तथा इसे 1. परावर्तित त्रुटियों

2. संरचनात्मक क्षतियां 3. कार्टिकल दृष्टिबाधिता के अन्तर्गत भी वर्गीकृत किया जा सकता है।

□ सही जानकारी तथा थोड़ी सावधानी से आँखों के देखभाल की जा सकती है तथा दृष्टि अक्षमता को कम किया जा सकता है।

□ दृष्टिबाधित व्यक्तियों के समूह में भी काफी विसमान्यताएं होती हैं तथा दृष्टिबाधित बच्चों में भी सामान्य दृष्टिवाले बच्चों जैसे ही वैयक्तिक विभिन्नताएं होती हैं। दृष्टिबाधित बच्चों अथवा व्यक्तियों के लक्षण अथवा विशेषताएं बहुत सारे कारकों से प्रभावित होती हैं जैसे दृष्टिबाधिता का प्रकार एवं उसकी गंभीरता, किस उम्र में दृष्टिबाधिता आयी जन्म से या जन्म के बाद किस अवस्था में, अवशिष्ट दृष्टि की मात्रा कितनी है तथा कितनी

कुशलता से उसका प्रयोग किया जा रहा है, संसाधनों तथा उपकरणों की उपलब्धता, उनकी परिवार के सदस्यों द्वारा स्वीकृति सामंजस्य, दृष्टिबाधिता के साथ किसी अन्य विकलांगता की मौजूदगी, दृष्टिबाधिता के प्रति सांस्कृतिक तथा सामाजिक अभिवृत्ति/दृष्टिकोण इत्यादि तथा सबसे महत्वपूर्ण उनके लिए उपलब्ध हस्तक्षेपण तकनीकियों की प्रकृति तथा उनका प्रयोग

3.8 शब्दावली

1. क्रियात्मकता-कार्य करने की क्षमता।
2. अवशिष्ट-शेष बची हुई
3. प्रत्यक्षित- देखा जाने वाला/दिखाई पड़ने वाला
4. इम्मिट्रोपिया-रेटिना पर स्पष्ट प्रतिबिम्ब बनाना/आँखों की सामान्य स्थिति
5. संप्रत्यय -वस्तु या घटनाओं का मानसिक प्रतिबिम्ब जो हमारे वातावरण को अर्थ प्रदान करते है।
6. संज्ञानात्मक- ज्ञानार्जन की मानसिक क्रिया या प्रक्रिया तथा ज्ञानेन्द्रियों, अनुभवों तथा विचारों के माध्यम से समझ।

3.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. मस्तिष्क
2. दृष्टितीक्ष्णता
3. दृष्टिक्षेत्र
4. 180.
5. पूर्णतः दृष्टि अभाव/दृष्टिहीनता तथा अल्पदृष्टि दोष
6. अल्पदृष्टिदोष
7. 6/60 मी0 या 20/200 (फीट)
8. इम्मिट्रोपिया
9. दूर
10. अवतल
11. अबिन्दुकता
12. जरा दूरदर्शिता
13. अपारदर्शी
14. आंतरिक
15. वैयक्तिक
16. मूर्त
17. मौखिकता

18. समान

3.10 संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. Tuttle & Tuttle, N (1996) Self Eastern and Adjusting with Blindness (2nd Ed.) Springfield, IL: Charles-C. Thomas.
2. Pierangelo, R. & Giuliani, G. (2007). The Educators Manual of Disabilities and Disorders. San Francisco: John Wiley & Sons.
3. Swenson, A.M. (1999). Beginning with Braille: First hand experiences with a balanced approach to literacy. New York, NY: AFB Press

3.11 सहायक/उपयोगी पाठ्यसामग्री

1. Julka, A. (2007), Meeting Special Needs in School: a Manual, New Delhi, NCERT
2. ऑल इण्डिया कन्फेडरेशन ऑफ दि ब्लाइंट (2004), शिक्षक-प्रशिक्षण लेखामाला (दृष्टिबाधितार्थ शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए उपयोगी पुस्तक), नई दिल्ली।
3. ए.के. मित्तल (2012), दृष्टिबाधा-शिक्षण, दिल्ली, ऑल इण्डिया कन्फेडरेशन ऑफ दि ब्लाइंट
4. Punani, B. & Rawal, N. (2000), Visual Impairment Handbook, Blind People's Association, Vastrapur, Ahmedabad.
5. आहुजा, स्वर्ण (2001), दृष्टिहीन और समाज आधारित पुनर्वासि ऑल इण्डिया कन्फेडरेशन ऑफ दि ब्लाइंट, दिल्ली।
6. N.I.V.H. (1992), Handhook for the Teachers of the Visually Handicapped, Dehradun.
7. Panda, K.C. (2004), Education of exceptional Children. A base text on the rights of the handicapped and the gifted, Vikas Publishing House.
8. Cecil, R.Reynolds (2007), Encyclopedia of special Education, (3rd Ed.). A reference guide for the education of the handicapped and other exceptional children and adults, N.Y. John Wiley & sons.
9. Heward, V.L. & Orlansky, M.D. (1996), Exceptional children, (6th Ed.), Charles E. Meril Publishing Company, Columbus.

3.12 निबंधात्मक प्रश्न

1. दृष्टिबाधिता से क्या तात्पर्य है? यह कितने प्रकार की होती है?सविस्तार वर्णन कीजिए?
(What is visual impairment?Elaborately discuss types of visual impairment?)
2. दृष्टिबाधित के क्या कारण है? इसकी रोकथाम एवं देखभाल पर प्रकाश डालिए?
(Write causes of visual impairment?Highlight measures to prevent visual impairment?)
3. दृष्टिबाधित बच्चों के लक्षणों का उल्लेख कीजिए?
(Discuss characteristics of visually impaired children?)

ईकाई 4 दृष्टिबाधित बच्चों की पहचान, स्थापन, देखरेख एवं प्रशिक्षण

- 4.1 प्रस्तावना
- 4.2 उद्देश्य
- 4.3 दृष्टिबाधित बच्चों की पहचान तथा स्थापन
 - 4.3.1 दृष्टिबाधित बच्चों की पहचान
 - 4.3.2 दृष्टिबाधित बच्चों का शैक्षणिक स्थापन
- 4.4 दृष्टिबाधित बच्चों की देखरेख एवं प्रशिक्षण
 - 4.4.1 दृष्टिबाधित बच्चों हेतु प्रशिक्षण के विविध घटक
 - 4.4.2 दृष्टिबाधित बच्चों की देखरेख एवं प्रशिक्षण में माता-पिता की भूमिका
 - 4.4.3 दृष्टिबाधित बच्चों की देखरेख एवं प्रशिक्षण में समावेशी विद्यालय की भूमिका
- 4.5 सारांश
- 4.6 पारिभाषिक शब्दावली
- 4.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 4.8 संदर्भ ग्रन्थ सूची
- 4.9 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री
- 4.10 निबंधात्मक प्रश्न

4.1 प्रस्तावना

दृष्टिबाधित बच्चों से सम्बंधित यह दूसरी इकाई है इससे पहले की इकाई में आपने जाना कि दृष्टिबाधिता क्या है। इसके कारण एवं रोकथाम के उपाय क्या हैं तथा दृष्टिबाधित बच्चों की विशेषताएं/लक्षण क्या हैं।

दृष्टिबाधिता बच्चों की समाज में मौजूदगी एक स्वाभाविक घटना है दृष्टिबाधित व्यक्ति भी सामान्य व्यक्ति जैसे होते हैं बस उनके नेत्रों की देखने की क्षमता सामान्य से भिन्न होती है। ये बच्चे भी सामान्य बच्चों जैसे हैं अपनी क्षमता का प्रदर्शन करते हैं आवश्यकता है मात्र इन्हें पर्याप्त प्रशिक्षण एवं अवसर की। उचित देखरेख तथा प्रशिक्षण हेतु इनका सही समय पर पहचान एवं शैक्षिक स्थापन आवश्यक है। प्रस्तुत इकाई में विस्तार से दृष्टिबाधित बच्चों की पहचान, स्थापन उनके देखरेख तथा प्रशिक्षण सम्बन्धित जानकारियाँ प्रस्तुत हैं।

इस इकाई के अध्ययन के बाद आप दृष्टिबाधिता के पहचान हेतु संकेतों को तथा इनके शैक्षिक स्थापन को समझा सकेंगे तथा इनके देखरेख तथा प्रशिक्षण के विविध घटकों का सम्यक् विश्लेषण कर सकेंगे।

4.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के बाद आप-

1. दृष्टिबाधित बच्चों की पहचान कर सकेंगे।
2. दृष्टिबाधित बच्चों के शैक्षिक स्थापन हेतु सम्यक् व्यवस्था के चयन की योग्यता विकसित कर सकेंगे।
3. दृष्टिबाधित बच्चों के देखरेख एवं प्रशिक्षण में माता-पिता की भूमिका को बता सकेंगे।
4. दृष्टिबाधित बच्चों के प्रशिक्षण के विविध घटकों का विश्लेषण कर सकेंगे।
5. दृष्टिबाधित बच्चों के प्रशिक्षण में विद्यालय की भूमिका से अवगत हो सकेंगे।

4.3 दृष्टिबाधित बच्चों की पहचान तथा स्थापन

4.3.1 दृष्टिबाधित बच्चों की पहचान

जन्म से दृष्टिहीनता की स्थिति सामान्यतः एक वर्ष की आयु के अन्दर ही पहचाना जा सकता है। यह माता-पिता तथा अन्य परिवार के सदस्यों के लिए स्वाभाविक होता है क्योंकि इस स्थिति में नवजात शिशु उनकी तरफ देखता नहीं है या हिलती हुई वस्तुओं या अन्य वस्तुएं जो बच्चों को आकर्षित करती है उनके लिए वो किसी प्रकार की किसी प्रतिक्रिया का प्रदर्शन नहीं करता। बच्चे में अल्पदृष्टि या आंशिक दृष्टि की पहचान से पूर्णतः दृष्टि अभाव से कठिन होता है। प्रायः इन बच्चों की पहचान तब तक नहीं हो पाती जब तक कि ये विद्यालय जाना प्रारम्भ नहीं करते। कई बार इन बच्चों की दृष्टि सम्बन्धी समस्या की पहचान जब तक ये कक्षा 3 या कक्षा 4 में नहीं जाते, जब छापा के अक्षर तथा चित्र छोटे हो जाते हैं तब तक नहीं हो पाता।

दृष्टिबाधिता के औपचारिक पहचान के लिए नेत्र विशेषज्ञ (Ophthalmologist)की आवश्यकता होती है जो कि विविध परिक्षणों के माध्यम से पहचान करता है। जैसे स्नेलेन चार्ट डेनेवर आई परिक्षण इत्यादि प्रयोग में लाये जाते हैं। जोकि दृष्टितीक्ष्णता का मापन करते हैं। छोटे बच्चों तथा अनपढ़ लोगों के लिए (Snellen Illiterate) का प्रयोग होता है यह लगभग 2 वर्ष की अवस्था से प्रयोग होना प्रारम्भ होता है। (Denver Eye Screen Test) उपकरण और अधिक छोटे बच्चों (6 माह तक की उम्र वाले) के नेत्र परीक्षण के लिए उपयोग में लाया जाता है। छोटे बच्चों की नेत्र क्षमता के आंकलन में प्रमुख समस्या यह आती है कि दृष्टिबाधित बच्चों को यह पता नहीं होता कि देखने का तात्पर्य क्या है? दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि वास्तव में वे नहीं जानते कि जो वह देख रहे है वे ठीक हैं या नहीं है तथा जो दूसरे सामान्य आँख वाले देख रहे हैं उससे भिन्न है या वैसा ही है। माता-पिता तथा प्रारम्भिक विद्यालयी जीवन के अध्यापक की भूमिका इनके शीघ्र पहचान में अति महत्वपूर्ण होती है।

माता-पिता तथा अध्यापक द्वारा अल्पदृष्टि वाले बच्चों या अवशिष्ट दृष्टि वाले बच्चों की पहचान इनके आँखों की वाह्य आकृति, आँखों के प्रयोग के साथ संलग्न शिकायते तथा उनके देखने सम्बन्धी व्यवहारों के अवलोकन के माध्यम से किया जा सकता है। मात्र व्यवहार के आधार पर इनके पहचान सम्बन्धी निर्णय नहीं

लिया जा सकता। व्यवहार के साथ आँखों की बाह्य आकृति तथा उनकी दृष्टि सम्बन्धी शिकायतों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। अवशिष्ट अथवा शेष दृष्टि के साथ विद्यालय जाने वाले बच्चों के पहचान के लिए Jangira, N.K., Ahuja, A., Sharma, I. (1992) ने एक चेकलिस्ट (Chicklist) तैयार किया है जो कि निम्नवत् है-

अवशिष्ट दृष्टि के साथ विद्यालय जाने वाले बच्चों के पहचान के लिए जाँच आख्या

(Check List for Identifying School going children with remaining sight)

आँखों की बाह्य आकृति (Appearance of the eyes)

- | | |
|--|----------|
| 1. आँखों का सीधा नहीं दिखना विशेषकर जब बच्चा थका हुआ हो | हाँ/नहीं |
| 2. आँखों या आँखों की पुतलियों का लाल होना | हाँ/नहीं |
| 3. आँखों में पानी आना | हाँ/नहीं |
| 4. बार-बार बिलनी/गुहेरियों (Sties) का होना | हाँ/नहीं |
| 5. आँखों का स्थिर गति में होना (Eyes in constant motion) | हाँ/नहीं |
| 6. बार-बार आँखों को रगड़ना | हाँ/नहीं |

आँखों के प्रयोग के साथ जुड़ी शिकायतें (Complaints associated with the use of eyes) सिरदर्द

- | | |
|--|----------|
| 1. उल्टी महसूस होना या आने की शिकायत | हाँ/नहीं |
| 2. आँखों में जलन या खुजली | हाँ/नहीं |
| 3. किसी भी सकय धुंधला दिखाई देना | हाँ/नहीं |
| 4. शब्दों या पक्तियों का एक साथ चलना या एक साथ जुड़ना प्रतीत होना। | हाँ/नहीं |
| 5. नजदीक के कार्य के बाद आँखों में दर्द होना | हाँ/नहीं |

दिखाई पडने वाला आचरण (Seeing Behaviour)

- | | |
|--|----------|
| 1. क्या पढ़ते समय बच्चे का शरीर..... है। | हाँ/नहीं |
| 2. क्या बच्चा किताब या मेज के नजदीक सिर रखता है। | |
| i. (अ) लिखते समय | हाँ/नहीं |
| ii. (ब) पढ़ते समय | हाँ/नहीं |
| 3. क्या बच्चा भौहें चढ़ाता (Frown) है | |
| i. (अ) लिखते समय | हाँ/नहीं |
| ii. (ब) पढ़ते समय | हाँ/नहीं |

4. क्या बच्चा अत्यधिक पलकें झपकाता है।
- i. (अ) लिखते समय हाँ/नहीं
- ii. (ब) पढ़ते समय हाँ/नहीं
5. क्या बच्चे का बार-बार मन नहीं लगता (Inattentive) /ध्यान हट जाता है।
- i. (अ) लिखते समय हाँ/नहीं
- ii. (ब) पढ़ते समय हाँ/नहीं
6. क्या बच्चा अपने स्थान से भटक जाता है या लाइन खो जाती है।
- i. (अ) लिखते समय हाँ/नहीं
- ii. (ब) पढ़ते समय हाँ/नहीं
7. क्या बच्चा पढ़ने के दौरान आँखों के बजाय सिर या किताब को घुमाता है।
8. क्या बच्चा थक जाता है।
- i. (अ) लिखने के दौरान हाँ/नहीं
- ii. (ब) पढ़ने के दौरान हाँ/नहीं
9. क्या बच्चा पढ़ते समय अपनी ऊँगली का प्रयोग लाइन के ऊपर आँखों के निर्देश के लिए करता है।
हाँ/नहीं
10. क्या बच्चा पढ़ते समय एक आँख बंद करता है या ढककर देखता है। हाँ/नहीं
11. 'क्या बच्चे को पुस्तक में समान वस्तुओं या आकृतियों को पहचानने में समस्या होती है। हाँ/नहीं
12. 'क्या बच्चे को पुस्तक में पाठ का शीर्षक या मोटी छपाई वाली पंक्तियों को पहचानने में कठिनाई होती है।
हाँ/नहीं
13. क्या बच्चा श्यामपट्ट से सुचनाएं लेने में असमर्थ है यदि अध्यापक लिखते समय बिना बोले लिखते हैं।
हाँ/नहीं
14. क्या बच्चा श्यामपट्ट को स्पष्टता से देखने के लिए अध्यापक से अपने स्थान परिवर्तन के लिए निवेदन करता है। हाँ/नहीं
15. बच्चे का नाम अध्यापक या सहपाठियों द्वारा बुलाये जाने पर, उस दिशा की ओर देखता है।
हाँ/नहीं
16. 'क्या बच्चा क्रक्षा में खिड़की के पास बैठने से बचना चाहता है। हाँ/नहीं
17. 'क्या बच्चों को खेलने के दौरान अपने दोस्तों के स्थान पहचानने में समस्या का सामना करना पड़ता है।
हाँ/नहीं
18. क्या बच्चा चमकीले प्रकाश में घुमने में संकोच करता है। हाँ/नहीं

निर्देश- यदि आप वाहय आकृति तथा आँखों के प्रयोग के साथ जुडी हुई शिकायतों तथा ' चिन्ह लगे हुई ग्यारह व्यवहारों में किसी पाँच को एक साथ 'हाँ' में पाते हैं तो बच्चे को नेत्र विशेषज्ञ द्वारा उसके/उसकी दृष्टि के क्रियात्मक की औपचारिक आँकलन की आवश्यकता है।

(राष्ट्रीय दृष्टिहीनता निवारण समाज द्वारा शंकर (2009) में उद्धृत) (National Society of the Prevention of Blindness) न चक्षुदोष से पीड़ित लोगों की व्यवहारिक पहचान के लिए एक सूची तैयार की है जो निम्नलिखित है-

- i. ये बच्चे धुंधलेपन को दूर करने की कोशिश करते हैं और आँखों को बहुत अधिक रगड़ते हैं। इनकी भौहें चढ़ी रहती हैं।
- ii. ऐसे बच्चों को पढ़ाते समय कठिनाई होती है तथा ऐसे कार्य करते समय इन्हें भी कठिनाई की अनुभूति होती है। इन्हें अच्छी तरह देखने की आवश्यकता होती है।
- iii. ऐसे बच्चे एक आँख को ढक लेते हैं या बन्द कर लेते हैं, तथा नजदीक व दूर की वस्तुओं या पदार्थों को देखते समय या तो वे अपने सिर को झुका लेते हैं या आगे की ओर बढ़ा लेते हैं।
- iv. ये बच्चे आँखों को मुलमुलाते (Blinks) रहते हैं। ये प्रायः चिल्लाते हैं और चिड़चिड़ापन भी रखते हैं, जब भी इन्हें कोई ऐसा कार्य भी करना पड़ता है, जिसमें अच्छी तरह देखने की आवश्यकता पड़ती है।
- v. ये बच्चे अक्सर छोटी वस्तुओं या पदार्थों से ठोकर खाकर लड़खड़ा जाते हैं।
- vi. दृष्टिदोष से पीड़ित बच्चे किताब या छोटे पदार्थों को आँख के बहुत नजदीक लाकर पकड़ते हैं तथा देखने का प्रयास करते हैं।
- vii. ऐसे बच्चे खेल-खेलने या उसमें भाग लेने में असमर्थ रहते हैं, जिन्हें कुछ दूर तक देखने की आवश्यकता होती है।
- viii. दृष्टिदोष से पीड़ित बच्चे तीव्र प्रकाश से घबराते हैं तथा प्रकाश के प्रति तीव्र संवेदशील रहते हैं।
- ix. ऐसे बच्चे की पलके (Eye-Lids) लाल, उभरी हुई मोटी या फूली हुई होती है। इनकी आँखों से अक्सर पानी गिरता रहता है।
- x. ऐसे बच्चे प्रायः यह शिकायत करते रहते हैं कि उन्हें ठीक से देखने में कठिनाई होती है। ये सिर दर्द या चक्कर का भी अनुभव करते हैं। ऐसे बच्चों के नजदीक, जब कोई कार्य करना पड़ता है, तो उन्हें किसी वस्तु के दो चित्र (Bouble Vision) दिखायी देता है।

4.3.2 दृष्टिबाधित बच्चों का शैक्षणिक स्थापन

दृष्टिबाधिता की पहचान के पश्चात् उन्हें उनकी क्षमता, स्तर, अभिरूचि तथा सामंजस्य क्षमता के अनुसार उनके लिए उपलब्ध शैक्षणिक ब्यवस्था में स्थापन किया जाना चाहिए। वर्तमान में उनके लिए निम्न प्रकार शैक्षिक व्यवस्था उपलब्ध है।

1. **विशेष विद्यालय-** इन विद्यालयों में सभी विद्यार्थी दृष्टिबाधिता की श्रेणी वाले होते हैं। साधारणतया ये विद्यालय आवासीय होते हैं। सामान्य शिक्षा व्यवस्था से अलग यह एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था है, जो विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की आवश्यकता की पूर्ति कर सके। विशेष विद्यालयों में किसी एक विशेष वर्ग की आवश्यकतानुरूप संसाधन उपलब्ध होते हैं जिसका उद्देश्य बच्चे की समस्त विशिष्ट शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति सुनिश्चित करना है। इन विद्यालयों में दृष्टिबाधिता के क्षेत्र में प्रशिक्षित अध्यापक तथा इनके अनुरूप सामग्रियाँ उपलब्ध होती हैं। ये विद्यालय दृष्टिबाधित बच्चों को उनके परिवार, समुदाय तथा समाज से दूर रखकर पूरी तरह से देखभाल, शिक्षित तथा प्रशिक्षित तो करती है परन्तु इनका सामाजिकरण समाज के मुख्य धारा से अलग रहकर मात्र दृष्टिबाधित बच्चों के साथ होता है तथा इनका अपने उम्र के सामान्य बच्चों से मेल-जोल न होने के कारण इनका उचित विकास बाधित होता है। जबकि शिक्षा सामाजिकरण की प्रक्रिया है तथा इसका उद्देश्य बच्चे को समाज का अभिन्न अंग बनाना है अतः वर्तमान में विशेष विद्यालयों के प्राचीन शिक्षा के व्यवस्था साथ ही विशेष शिक्षा का अंतिम स्तर माना जाता है। परन्तु भारत के संदर्भ में आज भी ये विद्यालय प्रासंगिक है क्योंकि तमाम प्रयासों के बावजूद अभी विशेष शिक्षा के क्षेत्र में अपेक्षित विकास नहीं हो पाया। विशेष कर दृष्टिबाधिता से गंभीर रूप से प्रभावित बच्चों को प्रारम्भिक प्रशिक्षण इन विद्यालयों में दिया जा सकता है तथा ये संसाधित विद्यालय के रूप में भी अपना कार्य कर विशेष शिक्षा को अपने देश और अधिक सुदृढ़ कर सकते हैं।
2. **एकीकृत विद्यालय (Integrated School)** -इस व्यवस्था में दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को सामान्य विद्यालय में, सामान्य विद्यार्थियों के साथ शिक्षा का अवसर प्रदान किया जाता है एकीकृत का अर्थ है पृथक लोगों को पुनः इकट्ठा करना। विशेष विद्यालय की सबसे बड़ी कमी है कि ये विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समाज से अलग करती है एकीकृत विद्यालय ने दूर करने का प्रयास किया जिसमें अलग किये गये विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों उनके हम उम्र के सामान्य लोगों के निकट लाकर पूर्ण किया गया। एकीकृत शिक्षा व्यवस्था के अनेक प्रारूप विकसित किये गये जिसके माध्यम से दृष्टिबाधित बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इस व्यवस्था के अन्तर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चे सामान्य शिक्षा कार्यक्रमों में सम्मिलित तो किया गया परन्तु उन्हें विशेष शिक्षा के विद्यार्थी के रूप में माना गया और इनका प्रतिदिन कुछ समय या बहुत सारे प्रशिक्षण विशेष शिक्षक की देख-रेख में संसाधन कक्ष में बीतता है व शेष समय सामान्य कक्षाओं में। इस व्यवस्था में छात्र की शैक्षिक उपलब्धता में कमी के कारण विद्यार्थी में कमी को माना जाता है। यह व्यवस्था विशेष विद्यार्थियों को अपने यहाँ स्वीकार तो करती है पर विद्यार्थियों में पायी जाने वाली विविधताओं के अनुरूप विद्यालय के वातावरणीय विशेषताओं का अनुकूलन नहीं करती तथा विद्यालय तथा विद्यालय की गुणवत्ता पर ध्यान दिये बिना विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विद्यालय में प्रवेश देती है। यदि विशेष विद्यार्थी अपने आप को सामान्य शिक्षक तथा विशेष शिक्षक दोनों की सहायता से सामान्य कक्षा में सीखने योग्य हो जाता है तो सीख सकता है। यह व्यवस्था विद्यार्थी स्वयं को विद्यालय तथा समाज के अनुरूप बनाये तथा ढाले इस बात पर अधिक जोर देती

है तथा इस बात पर कम की विद्यालय तथा समाज भी अपने में इन विद्यार्थियों के अनुरूप अनुकूलन लाये। यह विशेष विद्यार्थियों को स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं और उनके उपचार के परिप्रेक्ष्य में देखती है। विशेष बल विद्यार्थियों की उपस्थिति पर होता है। विद्यालय का वातावरण लचीला नहीं होता जिसके कारण बहुत कम विशेष आवश्यकता वाले बच्चे ऐसी गैर-लचीली व्यवस्था की माँगों की पूर्ति कर पाते हैं।

- **समावेशी विद्यालय (Inclusive School)** -यह एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जो शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, सांवेगिक, भाषायी, लिगात्मक या अन्य किसी प्रकार के भेदभाव के बिना सभी बच्चों का स्वागत करती है तथा उन्हें समाज की मुख्यधारा में समाहित करने का प्रयास करती है समावेशी शिक्षा में, सभी प्रकार के बच्चे एक सामान्य विद्यालय की सामान्य कक्षा में सम्मिलित होते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे किसी भी स्थानीय विद्यालय में प्रवेश ले सकते हैं यह उस विद्यालय की जिम्मेदारी है कि उन्हें प्रभावी तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराये तथा विद्यालय के सभी, घटकों, शैक्षिक ढाँचों, प्रणालियों, पाठ्यचर्या तथा पद्धतियों को सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु तैयार करती है इस स्वीकृति के साथ की सभी बच्चे सीख सकते हैं। यदि कोई बच्चा नहीं सीख पा रहा है तो कमी उस बच्चे में नहीं, शिक्षा व्यवस्था के किसी न किसी घटक में है। यह व्यवस्था सभी बच्चों को एक साथ सीखने का अवसर तैयार करती है बच्चों की उनके सीखने की विधियों तथा गतियों में आपसी भिन्नता के बावजूद। रायनडक एवं अल्पर (Ryndak and Alper) (1996) -के अनुसार समावेशी शिक्षा में हिस्सा लेने से विकलांग छात्र जीवनपर्यन्त विविध एकीकृत कार्यक्रमों का हिस्सा बने रहेंगे इस बात की सम्भावना बहुत बढ़ जाती है यह वैयक्तिक भिन्नताओं तथा विविध बौद्धिक क्षमताओं के सम्प्रत्यय पर आधारित है। समावेशी शिक्षा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रभावी अधिगम पर जोर देती है। तथा आज के शिक्षकों के सामने समावेशी शिक्षा व्यवस्था में सफलतापूर्वक कार्य करने (अर्थात् सभी विद्यार्थियों की आवश्यकता की पूर्ति चाहे वो सकलांग हो या विकलांग) के लिए तैयार करने की चुनौति खड़ी करती है। झा (Jha) (2002) के अनुसार “समावेशी शिक्षा विद्यालय को इस बात के लिए सही प्रकार से तैयार करती है ताकि वह निकट के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर समुचित ध्यान दे सके। यह स्कूल को समाज के अधिक निकट जाती है।
- 3. **मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा व्यवस्था**-दृष्टिबाधित या किसी भी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को औपचारिक विद्यालय में शिक्षा न ग्रहण कर पाने के कारणों में 1) विलम्ब से विकलांगता चिन्हित होने कारण देर से विद्यालयी शिक्षा ग्रहण करना। 2) औपचारिक विद्यालय की पाठ्यक्रम तथा व्यवस्था का लचीला न होना। 3) चिकित्सकीय उपचार या शल्य चिकित्सा के फलस्वरूप प्रायः विद्यालय में नियमित रूप से उपस्थित नहीं हो पाने 4) उपयुक्त वातावरण के अभाव के कारण विद्यालयी परिवेश में सामंजस्य न कर पाना इत्यादि प्रमुख है। ऐसी स्थिति में मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा व्यवस्था विशेष विद्यार्थियों के लिए बहुत ही लाभकर है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत विद्यार्थी अपने घर रह कर पत्राचार या अन्य सम्प्रेषण साधनों जैसे रेडियों, टी0वी0 कम्प्यूटर आदि की सहायता से

अध्ययन करते हैं। यह एक ऐसी लचीली व्यवस्था है जिसका उद्देश्य आवश्यकतानुसार पाठ्यक्रमों का विकास कर उन्हें उन लोगों तक पहुँचाना है जो किन्हीं कारणों से सामान्य विद्यालय की नियमित कक्षाओं में अध्ययन नहीं कर सकते। मुक्त विश्वविद्यालयों ने विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर इन विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए पाठ्यक्रमों के आयोजन के साथ विकलांग बच्चों के अभिभावकों अथवा देखभाल करने वाले व्यक्तियों के लिए प्रमाणपत्र कार्यक्रमों का भी आयोजन करता है। विद्यालयी स्तर पर राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान (National Institute of Open Schooling) की भूमिका प्रमुख है यह दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को ब्रेल में अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराता है तथा इन विद्यार्थियों को ऐसे अध्ययन केन्द्रों से जोड़ती है जहाँ इनके लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध हों।

अभ्यास प्रश्न

1. स्नेलेन चार्ट.....का मापन करता है।
2. दृष्टि की औपचारिक जाँच जो विशेषज्ञ करता है उसेकहते हैं।
3. अधिक छोटे बच्चे के नेत्र परीक्षण हेतुउपयोग में लाया जाता है।
4. वाह्य आकृति,तथाके आधार पर दृष्टिबाधित बच्चों की पहचान की जाती है।
5. विशेष विद्यालय..... शिक्षा से अलग शिक्षा व्यवस्था है।
6. एकीकृत विद्यालय में दृष्टिबाधित विद्यार्थी नहीं सीख पाता तो यहकी समस्या है।
7.विद्यालय सभी बच्चों का स्वागत करती है तथा उन्हें समाज की मुख्यधारा में समाहित करती है।
- 8.

4.4 दृष्टिबाधित बच्चों की देखरेख एवं प्रशिक्षण

4.4.1 दृष्टिबाधित बच्चों के प्रशिक्षण के विविध घटक

दृष्टिबाधित बच्चों को सामान्य बच्चों को दिये जाने वाले प्रशिक्षण के साथ कुछ अन्य प्रशिक्षण भी दिया जाता है ये प्रशिक्षण उन्हें समाज में समायोजित करने तथा विद्यालय की सामान्य पाठ्यचर्या तक पहुँच सुनिश्चित करने में सहायक होते हैं। प्रशिक्षण के इन घटकों को 'जमा पाठ्यचर्या' भी कहते हैं। जमा पाठ्यचर्या अतिरिक्त नहीं बल्कि क्षतिपूर्ति करने वाले होते हैं। दृष्टि अभाव के कारण उत्पन्न विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति जमा पाठ्यचर्या के माध्यम से होता है इसके निम्नलिखित घटक हैं-

- ब्रेल
- अनुस्थितिविज्ञान एवं चलिष्णुता

- दैनिक क्रिया-कौशल
 - ज्ञानेन्द्रिय/संवेदन प्रशिक्षण
 - सामाजिक कौशल
 - विशेष उपकरणों का प्रयोग जैसे बेलर अबेकस इत्यादि
- i. **ब्रेल-** दृष्टिबाधित व्यक्ति जिस लिपि का प्रयोग करते हैं उसे ब्रेल लिपि कहते हैं ब्रेल एक स्पर्श से पढ़ी जाने वाली लिपि है जिसे छः बिन्दुओं को अलग-अलग प्रकार से व्यवस्थित कर विश्व की किसी भी भाषा की लिपि का रूपान्तरण किया जा सकता है। इस लिपि के अविष्कारक लुई ब्रेल थे। इस लिपि पर दक्षता हासिल करने के पश्चात दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के सामान्य कक्षाओं में आसानी से शिक्षा दी जा सकती है। अतः इन्हें इस लिपि में प्रशिक्षण आवश्यक है।
 - ii. **अनुस्थितिविज्ञान एवं चलिष्णुता-** वातावरण में स्वयं की स्थिति की जानकारी तथा वातावरण के साथ अर्थपूर्ण सम्पर्क स्थापित करने एवं नियंत्रण की योग्यता अनुस्थिति ज्ञान कहलाती हैं एवं वातावरण में एक स्थान से दूसरे स्थान स्वतंत्रतापूर्वक तथा सफलतापूर्वक आवागमन करने की योग्यता चलिष्णुता कहलाती है। दृष्टिअभाव के कारण वातावरण को समझने, नियंत्रण करने तथा आने-जाने का क्षेत्र कम हो जाता है तथा उसकी यह अक्षमता अन्य कौशलों पर दक्षता को प्रभावित करती है। चलिष्णुता तथा अनुपस्थिति ज्ञान प्रशिक्षण में इसी से सम्बन्धित प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है इसमें दृष्टिवान मार्गदर्शक कौशल, सुरक्षात्मक कौशल, लम्बी छडी प्रयोग कौशल, डॉगगाइड कौशल एवं अनुस्थित एवं चलिष्णुता सम्बन्धित आधुनिक इलेक्ट्रानिक उपकरणों के प्रयोग का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रकार के प्रशिक्षण दृष्टिबाधित बच्चों एवं व्यक्तियों के आत्म विश्वास एवं मनोबल को बढ़ाते हैं एवं उनको आस-पास के वातावरण को समझने एवं नियंत्रण के लिए तैयार करता है। अनुपस्थिति ज्ञान एवं चलिष्णुता प्रशिक्षण इस क्षेत्र में प्रशिक्षित व्यावसायिक द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए।
 - iii. **ज्ञानेन्द्रिय /संवेदीय प्रशिक्षण-**दृष्टि क्षति होने से नेत्र जैसी महत्वपूर्ण इन्द्रिय प्रभावित हो जाती है इस स्थिति में शेष इन्द्रियों तथा अवशिष्ट दृष्टि के प्रयोग द्वारा ही वातावरण से सम्पर्क सम्भव है। ज्ञानेन्द्रियों का सही एवं अधिकाधिक प्रयोग सम्बन्धित प्रशिक्षण ज्ञानेन्द्रिय या संवेदीय प्रशिक्षण कहलाता है इस प्रशिक्षण में उसकी शेष इन्द्रियों तथा अवशिष्ट दृष्टि का सर्वाधिक तथा सर्वोत्तम प्रयोग करना सिखाया जाता है जिससे की वह आस-पास के वातावरण की उचित जानकारी तथा अनुभव प्राप्त कर सके। दृष्टिहीन बच्चे को ज्ञानेन्द्रिय प्रशिक्षण में -1. श्रवण 2. स्पर्श, 3.घ्राण, 4. स्वाद, 5. बची हुई या अवशिष्ट दृष्टि का अधिकतम, उचित एवं सम्यक् उपयोग के कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है।
 - iv. **दैनिक क्रिया-कौशल सम्बन्धित प्रशिक्षण-** दैनिक क्रिया कौशल के अन्तर्गत वे कौशल आते हैं जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को रोजमर्रा की जिन्दगी की क्रियाओं को बिना की सहायता

या न्यूनतम सहायता से करने की योग्यता प्रदान करती है यह बच्चे के समाज में स्वतंत्र एवं बेहतर सामाजिक जीवन व्यतीत करने में सहायता करती है। दृष्टि क्षय दैनिक क्रिया कौशलों को प्राभावित करती है दृष्टिवान बच्चे बहुत सारी इन क्रियाओं को अनुकरण के माध्यम से सीख लेते हैं। परन्तु दृष्टिबाधित बच्चों को इन कौशलों को सुव्यवस्थित ढंग से प्रशिक्षित करने की आवश्यकता होती है इस प्रशिक्षण के खाना खाने कपड़े पहनने, शारीरिक स्वच्छता, खरीदारी करना, व्यक्तिगत वस्तुओं एवं दस्तावेजों को व्यवस्थित रखना, दैनिक क्रिया, जैसे की पहचान व प्रबन्धन इत्यादि कौशलों का प्रशिक्षण दिया जाता है।

- v. **सामाजिक कौशल**-एक दृष्टिवान बच्चा बहुत सारे सामाजिक कौशलों के आसानी से दूसरों का अनुकरण करके सीख जाते हैं जबकि वे दृष्टिबाधित बच्चे इन अवसरों से वंचित रह जाते हैं। अतः इन बच्चों को सामाजिक कौशलों में दक्षता हेतु प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। उचित सामाजिक कौशलों से इनकी अपने उम्र के सामाजिक समूहों में स्वीकृति बढ़ेगी एवं समाज की मुख्य धारा में ये सरलातापूर्वक सम्मिलित हो सकेगें। इनकी विद्यालय के सभी प्रकार की गतिविधियों तथा सामाजिक उत्सवों में सहभागिता सुनिश्चित की जानी चाहिए जिससे इनके में सामाजिक कौशलों का स्वाभाविक विकास हो सके।
- vi. **विशेष उपकरणों के तथा तकनीकियों प्रयोग में प्रशिक्षण** -उपकरणों तथा तकनीकियों का प्रयोग दृष्टिबाधित बच्चों की कार्य कुशलता को बढ़ाती है। विज्ञान ने विविध प्रकार की तकनीकियों एवं उपकरणों का विकास किया है जो इन बच्चों की विविध प्रकार से सहायता करती है दृष्ट्य माध्यम की सूचना को दृष्टिबाधिता व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए उसे श्रव्य या स्पर्श माध्यम में परिवर्तित करना पड़ता है। दृष्टिबाधित व्यक्तियों का दूसरे दृष्टिवान व्यक्तियों पर निर्भरता को कम करने के लिए तमाम उपकरण तथा तकनीकियों विकसित है इन उपकरणों को मुख्यतः दो भागों में बांट सकते हैं। 1. परम्परागत उपकरण 2. आधुनिक उपकरण। इन उपकरणों का उपयोग कर अपने जीवन को यथा सम्भव सामान्य बना सकें इसके लिए ये इन्हें इनके लिए उपलब्ध विशेष उपकरणों तथा तकनीकियों में प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए।

दृष्टिबाधित बच्चों को प्रशिक्षण देते समय ध्यान रखने योग्य बातें-

- i. दृष्टिबाधित बच्चों की क्षमता प्रति सोच सकारात्मक होनी चाहिए।
- ii. प्रशिक्षण बच्चे की शारीरिक क्षमता तथा उसकी आवश्यकता, पृष्ठभूमि इत्यादि के अनुरूप होनी चाहिए अर्थात् बच्चे की वैयक्तिक विभिन्नता को ध्यान में रखकर प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
- iii. प्रशिक्षण में आवश्यक सभी विशेषज्ञों को शामिल किया जाना चाहिए।
- iv. प्रशिक्षण के पूर्व सभी आवश्यक सामग्रियों तथा उपकरणों को एकत्रित कर लेना चाहिए।
- v. प्रशिक्षण के दौरान कौशल को छोट-छोटे भागों में विभक्त करके सीखाना चाहिए।
- vi. कार्य को सरल प्रक्रिया से सिखाया जाना चाहिए।
- vii. कौशल का बार-बार अभ्यास कराया जाना चाहिए।

- viii. प्रशिक्षण देते समय विद्यार्थियों की सुरक्षा को भी ध्यान में रखना चाहिए।
- ix. प्रशिक्षण के दौरान तथा उपरान्त सतत मूल्यांकन का प्रावधान होना चाहिए।
- x. विद्यार्थियों के सही प्रयास पर पुनर्बलन की भी व्यवस्था होनी चाहिए।
- xi. बच्चे के लिए प्रशिक्षण सुखद, सहज व स्वाभाविक होनी चाहिए जो कि निरन्तरता एवं पूर्णता पर आधारित हो इससे अधिगम सरल व स्वाभाविक होगा।

4.4.2 दृष्टिबाधित बच्चों के देखरेख एवं प्रशिक्षण में माता-पिता की भूमिका

किसी भी बच्चे के जीवन में सामान्य बच्चे जैसे ही होती है। दृष्टिबाधित बच्चे के देखरेख एवं प्रशिक्षण में उसका परिवार विशेषकर माता-पिता सबसे स्थायी तथा प्रभावी निकाय है दृष्टिबाधित बच्चे के देखरेख व प्रशिक्षण में उनकी भूमिका निम्नलिखित है-

1. माता-पिता द्वारा सबसे अपेक्षित एवं महत्वपूर्ण व्यवहार उनके द्वारा बच्चे की स्वीकार करना है। उनके द्वारा दृष्टिबाधित बच्चे का स्वीकार किया जाना संसार में समानता के अवसर प्राप्त करने का पहला कदम है। कोई भी अधिनियम प्रावधान तथा योजना इनका पुनर्वास नहीं कर सकती यदि विशेष आवश्यकता वाला व्यक्ति को अपने घर में समान अवसर नहीं प्राप्त है। अतः माता-पिता द्वारा बच्चे का स्वीकार किया जाना तथा बच्चे एवं स्वयं के मनः स्थिति को सकारात्मकता प्रदान करना उनका प्रथम तथा सबसे महत्वपूर्ण कार्य है।
2. घर के वातावरण को दृष्टिबाधित बच्चे के अनुकूल अर्थात् बाधरहित बनाना जिससे कि चलिष्णुता का अवसर उन्हें अपने घर से ही मिलना प्रारम्भ हो जाए।
3. इन बच्चों के अनुरूप खिलौनों तथा उपकरणों को इनके लिए उपलब्ध कराना। परिवार के सदस्य दैनिक क्रिया कौशल में प्रशिक्षण देने के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है।
4. माता-पिता की बच्चे के शिक्षण-प्रशिक्षण में विद्यालय तथा अध्यापकों का सहयोग करना चाहिए।
5. माता-पिता को दृष्टिबाधित तथा दृष्टवान दोनों बच्चों के साथ एक समान व्यवहार करना चाहिए। दृष्टिबाधित बच्चों को अतिसंरक्षण न दें यह बच्चों को आत्मनिर्भर बनने में कठिनाई उत्पन्न करेगा तथा उसके दृष्टवान भाई-बहन भ्रष्टी उसे असहाय व अनुपयोगी मानने लगेंगे।
6. दृष्टिबाधित बच्चे को प्रारम्भ से ही वास्तविक अनुभव देने का प्रायास करें तथा उन्हें सार्वजनिक स्थानों जैसे संग्रहालय, डाकघर, उद्यान, दुकान इत्यादि ले जाना चाहिए इससे उनमें सही प्रत्यय के साथ भाषा के विकास में भी सहायता मिलेगी।
7. दृष्टिबाधित बच्चों को सरकार द्वारा प्रदत्त सभी रिआयतों, प्रावधानों, तथा अधिकारों की जानकारी रखें, उनके प्रति सजग रहें परन्तु सारी जिम्मेदारी सरकार की है तथा सब कुछ निःशुल्क हो इसकी अपेक्षा न करें।
8. बच्चे के अन्दर सकारात्मक आत्मप्रत्यय और सामाजिक प्रत्यय कर-कर उसे स्वयं वो जैसे है वैसा स्वीकार करने के लिए उत्साहित करें।

9. बच्चे से माता-पिता की अपेक्षाएं एवं उम्मीदें वास्तविक होनी चाहिए। ना ही उनकी क्षमता से अधिक की अपेक्षा रखें ना तो कम की।
10. वर्तमान में दृष्टिबाधित बच्चों की देखरेख एवं प्रशिक्षण हेतु बहुत सारे केन्द्रों तथा विश्वविद्यालयों द्वारा अभिभावकों तथा देख रेख करने वालों (Caregivers) के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम कार्यक्रम का आयोजन होता है। इस प्रकार के पूरा पाठ्यक्रमों को करने के पश्चात् अधिक दक्षता तथा व्यवस्थित ढंग से उनकी देखरेख की जा सकती है।
11. अभिभावक-शिक्षक संघ में सक्रिय सहयोग प्रदान करना चाहिए।
12. दृष्टिबाधित बच्चों के देखरेख एवं प्रशिक्षण में समावेशी विद्यालय की भूमिका-

वर्तमान में समावेशी विद्यालय को सभी को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान करने में सक्षम व्यवस्था के रूप में देखा जा रहा है शिक्षा से वंचित वर्ग को भी शिक्षा व्यवस्था में शामिल करने का एक मात्र उपाय समावेशी शिक्षा है। इस व्यवस्था को विद्यालय स्तर पर सफल बनाने में विद्यालय की प्रमुख भूमिका है। दृष्टिबाधिता के प्रति व्याप्त नकारात्मक अभिवृत्तियों के कारण प्रधानाचार्य को इन विद्यार्थियों को विद्यालयों में प्रवेश देने से मना नहीं करना चाहिए। इनकी क्षमताओं से परिचित होकर या ऑकलन कर इन बच्चों की विशेष आवश्यकताओं के आधार पर विद्यालय में अनुकूलन कर परिवर्तन लाते हुए शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। विद्यालय प्रशासन का सहयोग इनके अधिगम को सुचारू बनाएगा। समावेशित शिक्षा को विद्यालय में लागू करने हेतु निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखना चाहिए।

- i. विद्यालयी परिवेश में अनुकूलन-परिवेश में इन विद्यार्थियों के अनुरूप अनुकूलन में भौतिक मनोसामाजिक के साथ सांगवेगिक परिवेश के अनुकूलन को भी उचित स्थान मिलना चाहिए जिसका विवरण निम्नवत् है।

भौतिक परिवेश का अनुकूलन-

- वातावरण में एक स्थान से दूसरे स्थान को जोड़ने के लिए रस्सी या रेलिंग का प्रयोग करें जिससे की इनके आवागमन को आसान किया जा सके, तथा शारीरिक शिक्षा या सृजनात्मक गतिविधियों हेतु अन्य वातावरणीय अनुकूलन जैसे खेल के मैदान की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। अल्पदृष्टि वाले बच्चों की सुविधा के लिए सीढ़ियों तथा रेलिंग के आरम्भ व अन्त में रंग विभेद किया जा सकता है।
- कक्षा-कक्ष तथा विद्यालय के अन्य स्थानों पर सूचनाओं को ब्रेल में या बोलते हुए उपकरणों द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए।
- विद्यालय परिसर में स्थान भेद के लिए विविध प्रकार के फर्श/टाइल्स का प्रयोग किया जाना चाहिए।

- विद्यालय का वातावरण बाधा रहित तथा सम्भावित दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए निरन्तर सचेत रहना चाहिए।

मनो सामाजिक एवं सांवेगिक परिवेश का अनुकूलन -

- सभी योजनाओं में दृष्टिबाधित बच्चों को शामिल किया जाना चाहिए।
 - जहाँ तक सम्भव हो दृष्टिबाधित बच्चों को स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य करने के लिए उत्साहित किया जाना चाहिए।
 - बच्चों को उनकी क्षमता को पहचानने में सहायता की जानी चाहिए तथा सकारात्मक पक्ष के साथ ही सीमाओं को भी स्वीकार करना सीखाया जाना चाहिए।
 - बच्चे तनाव मुक्त रहें इसके लिए विविध क्रियाओं जैसे व्यायाम, योग, ध्यान, संगीत इत्यादि की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए।
 - सर्वप्रथम दृष्टिबाधित बच्चे को एक सामान्य विद्यार्थी के रूप में स्वीकार करें जिसमें क्षमताएं तथा अक्षमताएं दोनों हैं। सामान्य विद्यार्थियों के लिए उन बच्चों को सवीकार करने में प्रतिमान होगा।
 - विद्यार्थी में उनकी अभिरूचियों को पहचानने तथा उसे विकसित करने में सहायता की जानी चाहिए।
 - विद्यार्थी के प्रयासों के लिए उनकी सराहना की जानी चाहिए।
 - स्वस्थ स्व-प्रत्यय विकास में विद्यार्थी की सहायता की जानी चाहिए।
 - सामाजिक कौशलों के विकास की उचित व्यवस्था किया जाना चाहिए।
 - विद्यार्थियों को स्वतन्त्र शिक्षार्थी बनने के लिए उत्साहित किया जाना चाहिए।
 - दृष्टिबाधित विद्यार्थियों का परिचय किसी अन्य विद्यार्थी जैसे ही कराएं?
 - सभी विद्यार्थियों के लिए एक जैसी अनुशासन व्यवस्था होनी चाहिए।
 - दृष्टिक्षम से सम्बन्धित विषयों पर दृष्टिबाधित विद्यार्थियों एवं सामान्य विद्यार्थियों के बीच चर्चा करने तथा सीखने की आज्ञा दी जानी चाहिए।
- ii. दृष्टिबाधित बच्चों हेतु कक्षा व्यवस्थापन अनुकूलन-कुछ कक्षा Accommodations दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए कार्यक्रमों की गुणवत्ता को बढ़ाया जाना चाहिए। जैसे-
- कक्षा की भौतिक (Layout) तथा दूसरी distinguishing features इन विद्यार्थियों को समावेशित शैक्षिक अवसर प्रदान करने हेतु आवश्यक है।

- कक्षा में उनके बैठने का स्थान ऐसी जगह हों जहाँ से वह अपनी अवशिष्ट दृष्टि तथा श्रवण क्षमता का पूरा प्रयोग कर सके प्रायः इन्हें कक्षा केन्द्र में आगे की सीट के बैठाना इनके लिए लाभकारी होता है।
- पर्याप्त प्रकाश की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- भली-भांति सुनने में विक्षोभों को कम करने का प्रयास किया जाना चाहिए।
- कुर्सी मेजों (Furniture) उपकरणों तथा अनुदेशनात्मक सामग्रियों के निर्धारित रखने का स्थान सुनिश्चित करने सभी खतरनाक तथा चोट पहुँचाने वाली वस्तुओं को बच्चों के सम्पर्क से दूर रखना चाहिये।
- अपरिचित मेजों, कुर्सियों तथा दूसरे फर्नीचर के इस्तेमाल करते समय सहायता की जानी चाहिए।
- कक्षा में दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त स्थान की व्यवस्था करें जिससे उनके द्वारा प्रयोगित उपकरणों जैसे-ब्रेलर, कम्प्यूटर, टेप रिकार्डर, बड़े छापे के अक्षर की पुस्तकें इत्यादि रखी जानी चाहिए।
- विद्यार्थियों को इन्हें ऐसे स्थान पर बैठाये जिससे प्रकाश का स्रोत सीधे इनकी आँखों पर ना पड़े या परावर्तित प्रकाश की चमक से उन्हें कोई असुविधा ना हो।
- कक्षा-कक्ष का रंग सफेद अथवा बहुत हल्के रंग का होना चाहिए। अलमारी दरवाजे या खिडकियों इत्यादि से प्रकाश टकराकर चमक उत्पन्न न करे इसके लिए इन पर रंगीन कागज लगाया जाना चाहिए।

iii. अनुदेशनात्मक तथा पाठ्यचर्यात्मक अनुकूलन-

- विद्यार्थियों के प्रति सकारात्मक रवैया रखना चाहिए।
- विद्यार्थियों को उनके नाम से बुलाया जाना चाहिए।
- श्यामपट्ट पर जो भी लिखते हैं शिक्षक को उसे पढ़कर बताना चाहिए।
- पाठ्यचर्या तथा शिक्षण विधियों में अपेक्षित अनुकूलन करना चाहिए।
- नियमित अन्तराल पर विश्राम (Breaks) लें दृष्टिबाधित बच्चे चूँकि नोट लेने में या अवशिष्ट दृष्टि के प्रयोग में अधिक थकते हैं।
- वर्णात्मक मौखिक अनुदेशनों का प्रयोग किया जाना चाहिए।
- मूल्यांकन प्रक्रिया का उचित अनुकूलन होना चाहिए। प्रश्नों के उत्तर देने हेतु बहु-विधि व्यवस्था, जैसे टेपरिकार्डर, टाइपराइटर, ब्रेलर/बेलस्लेट, श्रुतिलेखक इत्यादि विकल्पों की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे दृष्टिबाधित विद्यार्थी अपने लिए उपयुक्त तरीके का चुनाव कर सकें। नियमानुसार

अतिरिक्त समय प्रदान किया जाना चाहिए। अल्पदृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए मोटे/बड़े छापे के अक्षरों वाले प्रश्नपत्र की व्यवस्था होनी चाहिए।

- व्याख्यात्मक शब्द जैसे आगे, पीछे, सीधे इत्यादि का प्रयोग इन बच्चों के शरीर के परिप्रेक्ष्य में होना चाहिए।
- अधिगम कराते समय विभिन्न अनुदेशों को मौखिक तथा स्पर्शीय माध्यम में परिवर्तित करना चाहिए एवं दृष्टि की अवशेष मात्रा को भी दृष्टिगत रखना चाहिए।
- दृष्टिवान बच्चों को उत्साहित किया जाना चाहिए कि वे बच्चों की विभिन्न क्रियाकलापों में सहायता करें।
- अधिगम कराते समय शुरूआत सरल से करें और धीरे-धीरे जटिलता की ओर जाना चाहिए।
- दृष्टिबाधित बच्चे के लिए अनुकूलित शारीरिक शिक्षा व खेल प्रशिक्षण की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए।
- स्पर्शीय अधिगम के लिए विविध अवसरों का सृजन किया जाना चाहिए।
- देखों (See, Look and Watch) जैसे शब्दों का प्रयोग स्वाभाविक रूप से किया जा सकता है।
- कक्षा में प्रवेश करते तथा छोड़ते समय या दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के पास जाते समय हमेशा सूचित करना/बताना चाहिए।
- कक्षा में होने वाली सभी गतिविधियों में बच्चों को शामिल करना चाहिए।
- शिक्षण में वैयक्तिकरण, स्थूलता एवं अनुभवों की एकरूपता के सिद्धान्तों का प्रयोग किया जाना चाहिए।

अभ्यास प्रश्न

9. विशेष विद्यालय सामान्यतः _____ प्रकृति के होते हैं।
10. _____ विश्वविद्यालय उन विद्यार्थियों के लिए लाभकारी हो जो किन्हीं कारणों से नियमित कक्षाओं में नहीं आ सकते।
11. _____ विद्यालय में व्यवस्था को समस्या के रूप में देखा जाता है न की बालक को
12. दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए _____ शारीरिक शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए।
13. एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की योग्यता _____ कहलाती है।
14. वातावरण में स्वयं की स्थिति की जानकारी तथा नियंत्रण की योग्यता _____ ज्ञान कहलाती है।
15. ब्रेल लिपि में _____ बिन्दुओं को अलग-अलग प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है।

16. _____ प्रशिक्षण में अवशिष्ट दृष्टि तथा शेष इंद्रियों का सर्वाधिक प्रयोग करना सिखाया जाता है
17. दृष्टिबाधित बच्चों के साथ _____ अनुदेशनों का प्रयोग किया जाना चाहिए
18. दृष्टिबाधित बच्चों के लिए अनुभवों को _____ माध्यम से प्रदान किया जाना चाहिए

4.5 सारांश

औपचारिक आंकलन के अतिरिक्त दृष्टिबाधित बच्चों की प्रारम्भिक पहचान उनके माता-पिता तथा अध्यापकों द्वारा भी की जा सकती है।

- दृष्टिबाधित विद्यार्थियों का स्थापन विशेष विद्यालयों, एकीकृत विद्यालयों, समावेशी विद्यालयों तथा मुक्त विद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में की जा सकती है।
- ब्रेल, अनुस्थिज्ञान एवं चलिष्णुता, संवेदन/ज्ञानेन्द्रिय प्रशिक्षण दैनिक क्रिया-कौशल, सामाजिक कौशल एवं विशेष उपकरणों के प्रयोग इत्यादि अनकों प्रशिक्षण के घटक हैं जिसमें प्रशिक्षण की व्यवस्था कर इनका जीवन सामान्य के निकट किया जा सकता है।
- प्रशिक्षण में माता-पिता तथा विद्यालय महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

4.6 शब्दावली

1. **शैक्षिक स्थापन** - उपलब्ध विकल्पों का सही चुनाव कर उन्हें उस शिक्षा व्यवस्था से लाभान्वित करना
2. **अधिगम** - सीखनाध्व्यवहार में स्थायी परिवर्तन
3. **पाठचर्या** - कक्षा के अंदर तथा बाहर सभी प्रकार के प्राप्त होने वाली अनुभव
4. **स्व.प्रत्यय** - प्रतिविम्ब जो हम स्वयं के बारे में रखते हैं अर्थात् अपनी योग्यताओं तथा अद्वितीयता से सम्बन्धित स्वयं का मानसिक प्रतिविम्ब
5. **सतत** - लगातार

4.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. दृष्टि तीक्ष्णता
2. नेत्र विशेषज्ञ
3. डेनवर आई स्क्रीन टेस्ट
4. शिकायतें ए आचरण

5. सामान्य
6. विद्यार्थी
7. समावेशी
8. आवासीय
9. मुक्त
10. समावेशी
11. अनुकूलित
12. चलिष्णुता
13. अनुस्थिति
14. छः
15. संवेदीए
16. वर्णात्माक मौखिक
17. स्पर्शीय

4.8 संदर्भ ग्रंथ सूची

1. Jangira, N.K., Ahuja, A., Sharma, I. (1992), Education of Children With Seeing Problems Focus on Remaining Sight, Central Resource Centre (PIED), New Delhi, NCERT
2. Jha, M.M. (2002), School without Walls: Inclusive Education for all. Oxford. Heirimann.
3. Ryndak, O.L. & Alpes, S.K. (1996) Curriculum content for students with moder and severe. Disabilities in inclusive settings. Boston Allyar & Bacon.
4. शंकर, प्रेम (2009) विशिष्ट बालक, लखनऊ आलोक प्रकाशन।

4.9 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

1. Julka, A. (2007), Meeting Special Needs in School: a Manual, New Delhi, NCERT
2. Punani, B. & Rawal, N. (2000), Visual Impairment Handbook, Blind People's Association, Vastrapur, Ahmedabad.
3. N.I.V.H. (1992), Handhook for the Teachers of the Visually Handicapped, Dehradun.
4. Panda, K.C. (2004), Education of exceptional Children. A base text on the rights of the handicapped and the gifted, Vikas Publishing House.

5. Cecil, R.Reynolds (2007), Encyclopedia of special Education, (3rd Ed.). A reference guide for the education of the handicapped and other exceptional children and adults, N.Y. John Wiley & sons.
6. Heward, V.L. & Orlansky, M.D. (1996), Exceptional Children, (6th Ed.), Charles E. Meril Publishing Company, Columbus.
7. Yesseldyke, J. E., Algozzine, & Thurlow, M. L. (1998). Critical Issues in Special Education New Delhi: Kanishka Publishers
8. ऑल इण्डिया कन्फेडरेशन ऑफ दि ब्लाइंड (2004), शिक्षक-प्रशिक्षण लेखामाला (दृष्टिबाधितार्थ शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए उपयोगी पुस्तक), नई दिल्ली।
9. ए.के. मित्तल (2012), दृष्टिबाधा-शिक्षण, दिल्ली, ऑल इण्डिया कन्फेडरेशन ऑफ दि ब्लाइंड
10. आहुजा, स्वर्ण (2001), दृष्टिहीन और समाज आधारित पुनर्वासा ऑल इण्डिया कन्फेडरेशन ऑफ दि ब्लाइंड, दिल्ली।s

4.10 निबंधात्मक प्रश्न

1. दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की पहचान कैसे करेंगे। सविस्तार चर्चा करें।
2. दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के स्थापन हेतु शैक्षिक विकल्पों का विवरण दें।
3. “विविध विशेष घटकों में प्रशिक्षण देकर दृष्टिबाधित व्यक्तियों का जीवन सामान्य बनाया जा सकता है” सिद्ध करें।
4. दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की शिक्षा एवं प्रशिक्षण में माता-पिता तथा विद्यालय की भूमिका का वर्णन करें।

ईकाई 5 : दृष्टिबाधित बालकों हेतु समावेशी शिक्षा एवं शिक्षकों की भूमिका

- 5.1 प्रस्तावना
- 5.2 उद्देश्य
- 5.3 समावेशी शिक्षा: अर्थ एवं परिभाषा
- 5.4 दृष्टिबाधित बालकों का समावेशन
 - 5.4.1 समावेशन को निर्धारित करने वाले कारक
 - 5.4.2 भारत में किया गया प्रयास
 - 5.5 समावेशित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका
- 5.6 कक्षाध्यापक की भूमिका
- 5.7 विशेष शिक्षक की भूमिका
- 5.8 सारांश
- 5.9 शब्दावली
- 5.10 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 5.11 संदर्भ ग्रन्थ सूची
- 5.12 सहायक उपयोगी पाठ्य सामग्री
- 5.13 निबन्धात्मक प्रश्न

5.1 प्रस्तावना

दृष्टिबाधित बालकों के शिक्षा एवं पूनर्वास की शुरुवात विशेष विद्यालयों से की गयी। ऐसा माना जाता है कि शिक्षा की यह पृथक व्यवस्था दृष्टिबाधित बालकों एवं समाज के बीच एक दूरी का निर्माण करती रही है। समावेशन प्रत्यय का विकास इसी दूरी को कम करने वाले विचारधारा के रूप में विकसित हुआ। समावेशन की विचारधारा अलग-अलग नामों से जानी जाती रही है। लेकिन सबमें 'समावेशी शिक्षा' एवं 'समावेशन' नवीन एवं समकालीन है। दृष्टिबाधित बालकों से सम्बन्धित यह तीसरी ईकाई है। इसके पहले की ईकाईयों के अध्ययन के बाद आप दृष्टिबाधा के कारणों एवं विशेषताओं से अवगत हो चुके हैं। निःशक्त जन अधिनियम, 1995 के प्रावधानों के अनुसार दृष्टिबाधित बालकों की शिक्षा यथासम्भव सामान्य विद्यालयों में ही कराये जाने का प्रावधान है। विभिन्न सरकारी निकायों द्वारा भी समावेशित शिक्षा के प्रोत्साहन पर बल दिया जाता रहा है।

प्रस्तुत ईकाई दृष्टिबाधित बालको के समावेशित शिक्षा से सम्बन्धित है। इस ईकाई में आप समावेशी शिक्षा के अर्थ को समझते हुए भारत में इससे सम्बन्धित प्रयासों को जानेंगे। समावेशन की विचारधारा को प्रभावकारी बनाने में शिक्षक का योगदान सर्वोपरि होता है। कक्षाध्यापक एवं विशेष शिक्षक समावेशी शिक्षा में दृष्टिबाधित बालको के उचित अनुदेशन एवं प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित करते हैं। इस ईकाई के अध्ययन के

बाद आप समावेशी शिक्षा के प्रत्यय को समझ सकेंगे तथा समावेशी शिक्षा में कक्षाध्यापक तथा विशेष शिक्षक के महत्व को जान पाएंगे।

5.2 उद्देश्य

प्रस्तुत ईकाई के अध्ययन के पश्चात आप:

1. जान सकेंगे कि समावेशी शिक्षा व्यवस्था क्या है?
2. बता सकेंगे कि किस प्रकार भारत में समावेशी शिक्षा का विकास एवं प्रसार हुआ है।
3. समावेशी शिक्षा के अन्तर्गत कक्षाध्यापक एवं विशेष शिक्षक की भूमिका को सूचीबद्ध कर सकेंगे।

5.3 समावेशी शिक्षा: अर्थ एवं परिभाषा

दृष्टिबाधित एवं अन्य विकलांग बालकों के शिक्षण प्रशिक्षण की शुरुआत विशिष्ट विद्यालयों के पृथक वातावरण में हुई। समावेशी शिक्षा, शिक्षण की ऐसी प्रणाली के रूप में आई, जिसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ मुख्य धारा के स्कूलों में पठन-पाठन और आत्मनिर्भर बनने का मौका मिले, ताकि वे समाज की मुख्यधारा में शामिल हो सकें। भारतीय संविधान सशक्त लोकतांत्रिक समाज की स्थापना कर इस प्रकार विद्यालय हेतु दिशानिर्देशन प्रदान करता है जो बालकों को सामाजिक, जातिगत, आर्थिक, वर्गीय, लैंगिक, शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से भिन्न देखे जाने के बजाय एक स्वतंत्र अधिगमकर्ता के रूप में देखे। समावेशित शिक्षा एक ऐसी ही शिक्षा प्रणाली की ओर संकेत करती है, जो शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, सांवेगिक, भाषायी या अन्य स्थितियों के भेद-भाव के बिना सभी बच्चों को समाहित करे। अन्तराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में समावेशी शब्द का प्रचलन 1990 के दशक के मध्य से बढ़ा। 1994 में सलामांका में यूनेस्को द्वारा विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं पर विशेष विश्व सम्मेलन सुलभता और समता का आयोजन हुआ। इसमें शिक्षा को सभी बालकों का मौलिक अधिकार बताया गया।

सभी बच्चों को सीखने की विधियों और गति में आपसी भिन्नता के बाद भी समावेशित शिक्षा सीखने के एक समान अवसर प्रदान करने पर बल देती है। यह विविधताओं और सभी बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु परम्परागत स्कूल व्यवस्था में परिवर्तन लाने का स्वागत करती है। इस प्रकार समावेशन को मुख्य धारा की शिक्षा व्यवस्था में सभी शिक्षार्थियों की स्विकृति के रूप में भी स्पष्ट किया जाता है, जहाँ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ, सामान्य बच्चों को एक ही परिवेश में शिक्षा प्रदान किया जाए और उनकी शिक्षा के लिए सभी शिक्षकों की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाए।

एन.सी.एफ., 2005 के अनुसार समावेशन की प्रक्रिया में बच्चे को न केवल लोकतंत्र की भागीदारी के लिए सक्षम बनाया जा सकता है, बल्कि यह सीखने एवं विश्वास करने के लिए भी सक्षम बनाया जा सकता है कि लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए दूसरों के साथ रिश्ते बनाना, अन्तःक्रिया करना भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। (एन.सी.ई.र.टी., 2005)

मित्तल (2006) के अनुसार समावेशित शिक्षा “बालकों में विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं एवं योग्यताओं (सीखने की गति एवं विधि में अन्तर को ध्यान में रखते हुए) की पहचान करती है तथा उनकी ओर जबाबदेही सुनिश्चित करती है”।

स्मिथ, पॉवेल, पैटॉन तथा डॉवडी, 2011 के अनुसार “समावेशी शिक्षा एक ऐसी शैक्षिक व्यवस्था एवं अभ्यास से सम्बन्धित है, जो सभी बालकों (उनकी क्षमता स्तर से हटकर) को समान शैक्षिक एवं सामाजिक अवसर प्रदान करने के लिए स्वतः प्रयास करती है”।

समावेशन एक शैक्षिक अभ्यास के साथ-साथ एक दर्शन भी है। समावेशन शब्द का अपने आप में कुछ खास अर्थ नहीं होता है। समावेशन के चारों तरफ जो वैचारिक, दार्शनिक, शैक्षिक ढाँचा होता है वही समावेशन को परिभाषित करता है। (एन.सी.ई.र.टी., 2005)। समावेशन के दर्शन का आधार प्रत्येक बच्चों का गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, जो उसके क्षमताओं पर आधारित न हो। अनेक शोध के द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि सभी व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होते हैं और कोई दो व्यक्ति एक सा समान नहीं हो सकता है, भले ही उनका पालन-पोषण समान परिवेश में हो। अतः बच्चों के शिक्षा के लिए क्षमतागत विभेदीकरण तर्कसंगत नहीं है। समावेशी शिक्षा विविध बौद्धिक क्षमताओं और वैयक्तिक भिन्नताओं के प्रत्यय पर आधारित है।

पीटर (2007) (स्मिथ, पॉवेल, पैटॉन तथा डॉवडी, 2011 में उल्लेखित) ने समावेशित शिक्षा के पक्ष को निर्धारित करने वाली चार मान्यताओं का प्रतिपादन किया है-

- विद्यालय में आने वाले प्रत्येक बच्चों की आवश्यकताएँ भिन्न-भिन्न होती हैं।
- यह सामान्य विद्यालय प्रणाली कि जबाबदेही होती है कि वह प्रत्येक बच्चे के प्रति उत्तरदायी बने।
- एक उत्तरदायी विद्यालयी प्रणाली में सभी प्रकार के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले शिक्षक, सुलभ वातावरण, लचीला व गुणवत्तापूर्ण पाठ्यक्रम तथा प्रासंगिक अनुदेशन से परिपूर्ण होता है।
- सामान्य विद्यालयी प्रणाली की प्रगति इस बात पर निर्भर करती है कि विद्यालय तथा समुदाय किस प्रकार एक समायोजित समाज के लिए नागरिक तैयार करने में मिलकर प्रयासरत है।

समावेशी शिक्षा समाज को उपयुक्त दिशा में बढ़ने के लिए एक व्यापक रणनीति का हिस्सा बनती है। यह एक ऐसी सशक्त अवधारणा है, जो निरन्तर गत्यात्मक विकास को प्रोत्साहित करती है। समावेशी शिक्षा व्यवस्था निम्न मान्यताओं को स्वीकार करती है:

- सभी बच्चे सीख सकते हैं, अतः सभी को सीखने का समान अवसर प्रदान करती है
- शैक्षिक ढाँचों, प्रणालियों और पद्धतियों में बदलाव लाकर सभी बच्चों की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाती है
- भौतिक तत्वों, पाठ्यक्रम सम्बन्धी पक्षों व शिक्षण अपेक्षाओं को बच्चों की आवश्यकता के अनुरूप बनाती है

- वर्तमान परिवेश में परिवर्तन हेतु प्रोत्साहित करती है
- शिक्षण सम्बन्धी समस्याओं का कारण अनुपयुक्त छात्र परिवेश तथा अन्तः क्रिया में कमी को निर्धारित करती है (न कि छात्र की अपनी कमियों को)
- बालकों में निरन्तर होने वाली आवश्यकताओं और क्षमताओं को पहचानते हुए सकारात्मक परिवेश तैयार करती है
- वैयक्तिक शिक्षण पद्धतियों तथा सहायक विषय-वस्तु से युक्त लचीले पाठ्यक्रम को सम्मिलित करती है
- प्रत्येक छात्र की आवश्यकता को समझने और उनकी पूर्ति हेतु विद्यालय की क्षमताओं के विकास करने पर बल देती है
- सामान्य और विशेष शिक्षकों से सभी छात्रों के प्रति उपयुक्त आचरण की अपेक्षा करती है
- विशेष बालकों को सही प्रतिमान प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है
- सामाजिक अन्तःक्रिया के अनेक ऐसे अनेक अवसर प्रदान करती है, जो पृथक शिक्षा में नहीं मिल सकते हैं
- सामाजिक स्वीकारोक्ति की भावना को बल देती है
- अन्य बालकों को दृष्टिबाधित बालकों की आवश्यकताओं से परिचित कराती है

अभ्यास प्रश्न

1. दृष्टिबाधित बालको की शिक्षा की शुरुआत विद्यालयों से हुई।
2. समावेशन एक शैक्षिक अभ्यास के साथ-साथ एक भी है।
3. समावेशी शिक्षा..... छात्रों की आवश्यकता को समझने और उनकी पूर्ति हेतु विद्यालय की क्षमताओं के विकास करने पर बल देती है।

5.4 दृष्टिबाधित बालकों का समावेशन

आप इस बात से परिचित हैं कि समावेशन शब्द से संबंध भेद-भाव के बिना सभी बच्चों को समाहित कर एक शुरुआत पृथक साथ शिक्षा प्रदान करने से है। दृष्टिबाधित एवं अन्य विकलांग बालको के शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था में विशिष्ट विद्यालयों में शुरु हुई। भारत में समावेशन प्रत्यय का आरम्भ एकीकृत शिक्षा के रूप में हुआ। 70 के दशक से इस बात पर ध्यान दिया जाने लगा कि जहाँ तक हो सके सभी विकलांग बालकों की शिक्षा सामान्य कक्षा व्यवस्था में ही सम्पन्न कराई जाए। एकीकृत शिक्षा के माध्यम से दृष्टिबाधित बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ, पास के सामान्य विद्यालय में ही शिक्षा देने की योजना के साथ हुई। एकीकृत शिक्षा के कई प्रारूप देखने को मिले हैं:

- **संसाधन कक्ष प्रारूप-** एक विद्यालय में संसाधन अध्यापक, संसाधन कक्ष में अलग-अलग समय में, अलग-अलग कक्षा के दृष्टिबाधित बालकों की आवश्यकता के अनुरूप उन्हें समुचित प्रशिक्षण देने का कार्य करता है।
- **परिभ्रामी अध्यापक प्रारूप-** एक विशिष्ट अध्यापक (परिभ्रामी शिक्षक) एक से अधिक विद्यालयों अलग-अलग समय में जाकर के दृष्टिबाधित बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है।
- **संयुक्त प्रारूप-** इसमें एक विशेष अध्यापक संसाधन अध्यापक के साथ-साथ के साथ-साथ परिभ्रामी अध्यापक की भूमिका निभाता है।
- **गुच्छित अथवा समूह प्रारूप-** यह पहाड़ी एवं दुर्गम स्थानों के लिए उपयुक्त प्रारूप है, जिसमें संसाधन सेवाओं का विकेन्द्रीकरण किया जाता है।
- **सहयोगी प्रारूप-** विशेष विद्यालयों के छात्रों को एकीकृत शिक्षा के लिए सामान्य विद्यालयों में अनुदेशन की व्यवस्था की जाती है।
- **द्विशिक्षण प्रारूप-** सामान्य विद्यालय के सामान्य शिक्षक को अल्पकालिक विशेष प्रशिक्षण देकर सामान्य बालकों के साथ-साथ दृष्टिबाधित बालकों की भी अत्यधिक जिम्मेदारी सौंपी जाती है। इस प्रकार वह शिक्षक दोहरी भूमिका का निर्वहन करता है।
- **बहुकौशल शिक्षण योजना प्रारूप-** इस प्रारूप में विशेष शिक्षक को दृष्टि बाधित बच्चों के साथ-साथ अन्य प्रकार के विकलांग बच्चों को सेवा प्रदान हेतु दक्ष बनाया जाता है।

समकालीन विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में समावेशन एक मुख्य मुद्दा के रूप में उभर कर आया है। पूर्व में एकीकृत शिक्षा के अन्तर्गत दृष्टिबाधित बालकों के पठन-पाठन के प्रति विशेष अध्यापक को ही जिम्मेवार माना जाता था, इसीलिए समावेशित शिक्षा शब्द का प्रार्दुभाव इन्हीं प्रारूपों के विकसित रूप में हुआ। समावेशी शिक्षा विशेष शिक्षक को नहीं वरन विद्यालय की जबावदेही दृष्टिबाधित बालकों के प्रति सुनिश्चित करता है। चूँकि दृष्टिबाधित बालक तथा अन्य बालक एक ही समाज के सदस्य है, अतः समावेशी शिक्षा द्वारा दृष्टिबाधित बालकों का सामान्य बालकों के साथ समायोजन एक अच्छे भविष्य का संकेत भी देता है।

5.4.1 समावेशन को निर्धारित करने वाले कारक

समावेशन एक वृहद् प्रक्रिया है तथा इसे निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं:

- **सामाजिक स्वीकृति की भावना** - एक स्वस्थ समावेशन की परिकल्पना तब तक नहीं की जा सकती है, जब तक कि समावेशी विचारधारा को सामाजिक स्वीकृति की प्राप्ति न हो।
- **बालक भिन्नता का सम्मान** - दृष्टिबाधित बालकों सहित सभी बालकों के आवश्यकता एवं भिन्नता का सम्मान करना ही समावेशी शिक्षा का आधार है। अतः प्रभावकारी समावेशन के लिए यह आवश्यक है कि विद्यालय तथा सम्बन्धित कर्मी इन भिन्नताओं का सम्मान करें।

- **पाठ्यक्रम अनुकूलन** - दृष्टिबाधित बालकों के आवश्यकतानुसार पाठ्यक्रम का अनुकूलन आवश्यक है। पाठ्यक्रम अनुकूलन के अन्तर्गत विषयवस्तु का प्रतिस्थापन, रूपान्तरण तथा द्विगुणन किया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर विषयवस्तु को हटाया भी जाता है।
- **प्रभावकारी अनुदेशन** - समावेशित कक्षा में दृष्टिबाधित बालकों हेतु अनुदेशन को प्रभावकारी बनाने के लिए आवश्यक है कि दृश्य सम्बन्धित शिक्षण सामग्री को रूपान्तरित कर स्पर्शी तथा अन्य अनुकूलित सामग्री के रूप में प्रस्तुत किया जाए।
- **विशेषकर्मियों की सहभागिता** - विद्यालय में सभी कर्मियों की व्यापक सहभागिता समावेशी शिक्षा को सबसे अधिक प्रभावित करती है। रिप्ले(1997) ने नियोजन से निष्पादन तक प्रत्येक स्तर पर सभी शिक्षकों एवं विशेष शिक्षक की पारस्परिक सहभागिता को समावेशन के सफलता हेतु अत्यन्त महत्वपूर्ण माना है।
- **कानून, योजनाएँ एवं नीतियाँ** - यह नितान्त आवश्यक है कि समावेशन के समुचित विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कानून तथा योजनाएँ बनें। साथ ही साथ प्रत्येक स्तर पर क्रियान्वयन हेतु समुचित नीति तथा कार्ययोजना भी होनी चाहिए।
- **बाधामुक्त वातावरण** - समावेशी शिक्षा में दृष्टिबाधित बालकों द्वारा सभी सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए बाधाओं की पहचान तथा बाधामुक्त वातावरण का होना बहुत आवश्यक है।

5.4.2 भारत में किया गया प्रयास

दृष्टिबाधित बालकों के समावेशन का प्रथम प्रयास दादर स्कूल द्वारा 1940 में माना जाता है। इसके द्वारा तीव्र बुद्धि वाले दृष्टिबाधित बालकों को एक सामान्य विद्यालय में प्रवेश दिलाया गया। सरकार के सहयोग वर्ष 1960 में रॉयल कॉमन वेल्थ सोसाइटी फॉर द ब्लाइन्ड (अब साइटसेवर्स इंटरनेशनल) ने बम्बई में भी समावेशन के प्रयास किए (मित्तल, 2006)। पुनः 1963 में पालनपुर में भी दृष्टिबाधित बालकों को सामान्य कक्षा में शिक्षा देने का प्रयास किया गया। परिभ्रामी शिक्षकों के द्वारा दृष्टिबाधित बालकों को सामान्य विद्यालय में शिक्षित करने का प्रथम प्रयास भी 1981 में विश नगर (गुजरात) में माना जाता है। भारत सरकार द्वारा विशेष बालकों के लिए समेकित शिक्षा व्यवस्था योजना (आइ.ई.डी.सी.) 1974 में आरम्भ की गयी। इसके अन्तर्गत चयनित स्कूलों में विशेष छात्र-छात्राओं को सामान्य बच्चों के शिक्षा प्रदान करने की बात कही गयी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) तथा कार्ययोजना 1992 में विशेष आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षा पर मुख्य रूप से ध्यान दिया गया। विशेष बच्चों को सामान्य समुदाय के साथ समन्वित करने की बात कही गयी ताकि वे भी गरिमा एवं आत्मविश्वास के साथ जीवन जी सकें। केन्द्र सरकार ने प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के उद्देश्य से 1994 में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के रूप में एक योजना लागू की। इस योजना का उद्देश्य सभी बालकों को स्कूल में बनाये रखना, शिक्षा के स्तर में सुधार करना तथा समाज के विभिन्न वर्गों में असमानता को कम करके सभी के लिए शिक्षा सुनिश्चित करना था। 1998 में इस योजना को 18 राज्यों में लागू कर दिया गया। बाद में यह कार्यक्रम सर्व शिक्षा अभियान के साथ मिला दिया गया।

विकलांगता के क्षेत्र में एक व्यापक कानून के रूप में वर्ष 1996 में निःशक्त जन (समान अवसर, अधिकार संरक्षण, और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (पी.डब्ल्यू.डी. एक्ट, 1995) सरकार द्वारा अस्तित्व में लाया गया। इस अधिनियम का अध्याय पाँच निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए समुचित व्यवस्था का प्रावधान करता है। प्रत्येक निःशक्त बालक को 18 वर्ष तक की आयु तक उचित वातावरण में निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था उनसे से एक है। इस अधिनियम में इस बात पर विशेष बल दिया गया है कि विशेष आवश्यकता वाले सभी बालकों को सामान्य स्कूलों में एकीकृत एवं समावेशी शिक्षा प्रदान की जाए। साथ ही साथ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा हेतु बहुविधि दृष्टिकोणों, विकल्पों और कार्यनीतियों का समर्थन किया जाए। इसमें मुक्त शिक्षण पद्धति, गैर औपचारिक वैकल्पिक स्कूली शिक्षा, गृह आधारित शिक्षा, मॉडल उपचारात्मक शिक्षण, अंशकालीन कक्षाएँ तथा व्यावसायिक शिक्षा शामिल हैं। जिन्हें विशेष शिक्षा की ही आवश्यकता है, उनके लिए देश के प्रत्येक भाग में विशेष विद्यालयों की व्यवस्था के लिए सरकार को निर्देशित किया गया है (भारत सरकार, 1996)। साथ ही निःशक्त बालकों के लिए विशेष विद्यालयों में व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधा मुहैया कराने के प्रयास का उपबन्ध है। सहायक शिक्षण सामग्रियों के निर्माण तथा विकास हेतु अनुसंधान और साथ ही पर्याप्त संख्या में शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाएँ स्थापित करने की बात भी कही गयी है। जिससे नेत्रहीन या अल्पदृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए समुचित संख्या में शिक्षकों की व्यवस्था की जा सके।

सबके लिए शिक्षा के लक्ष्य प्राप्ति हेतु वर्ष 2002 में सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) लाया गया। केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित यह योजना राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में पूरे देश में चलाया जा रहा है। स्त्री-पुरुष असमानता तथा सामाजिक विभेद को समाप्त कर के शिक्षा को लोक आधारित बनाना ही इस कार्यक्रम का मिशन है। इसके अन्तर्गत 6-14 आयुवर्ग के सभी बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा मुफ्त उपलब्ध कराने की व्यवस्था, सभी बस्तियों को स्कूली सुविधा, शत-प्रतिशत नामांकन, ठहराव एवं संतोषप्रद उपलब्धि स्तर को सुनिश्चित करना है। इस कार्यक्रम में विशेष बच्चों को सामान्य स्कूली शिक्षा में शामिल करने के लिए प्रति बालक की दर से सलाना 1200 रु तक की राशि खर्च किए जाने का प्रावधान है। साथ ही संसाधनों की भागीदारी तथा शिक्षक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन करने का भी प्रावधान है।

माध्यमिक स्तर पर समावेशी शिक्षा योजना वर्ष 2009 में लाई गई, जिसका विशेष उद्देश्य दृष्टिबाधित बालकों सहित सभी विकलांग बालकों की पहचान कर माध्यमिक स्तर की शिक्षा सुनिश्चित करना तथा उन्हें सहायता प्रदान करना है। यह योजना केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित है, जिसमें राज्यों को शत-प्रतिशत सहायता देने का प्रावधान है। इस योजना के तहत माध्यमिक स्तर दृष्टिबाधित बालकों की पहचान, उपयुक्त अनुदेशन, सहायक उपकरण आदि का प्रावधान है। वर्ष 2009 में ही राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान भी लागू किया गया। यह राष्ट्रीय अभियान सर्व शिक्षा अभियान के तर्ज पर माध्यमिक शिक्षा के लिए तैयार किया गया। इस अभियान का उद्देश्य समाज में अर्थिक, शैक्षिक रूप से पिछड़े एवं विकलांग बालकों तक माध्यमिक स्तर की शिक्षा की पहुँच सुनिश्चित करना है।

अभ्यास प्रश्न

4. दृष्टिबाधित बालकों के लिए समावेशी शिक्षा का प्रथम प्रयास (स्थान) में किया गया।
5. आई.ई.डी.सी. योजना वर्ष में आरम्भ की गयी।
6. राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ सस्थान (स्थान) में स्थित है।
7. भारतवर्ष में विकलांगता के क्षेत्र में एक व्यापक कानून है।
8. परिभ्रामी अध्यापक शिक्षा का एक प्रारूप है।

समावेशित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका

किसी शिक्षण अधिगम व्यवस्था को प्रभावकारी बनाने के लिए शिक्षक की भूमिका सर्वोपरि होती है। समावेशी शिक्षा में भी शिक्षकों तथा अन्य विशेषज्ञों की भूमिका अहम मानी जाती है। चूकि समावेशन की प्रक्रिया में सामान्य कक्षाध्यापक तथा विशेष आवश्यकताओं की पूति हेतु विशेष अध्यापक की व्यवस्था होती है। अतः हमलोग दोनों की भूमिका को बारी.बारी से जानेंगे:

5.5.1 कक्षाध्यापक की भूमिका

समावेशी शिक्षा को प्रभावकारी बनाने के लिए कक्षाध्यापक की दृष्टिबाधित बालकों के प्रति अभिवृत्ति गहरा प्रभाव डालती है। स्मिथ पॉवेल, पैटॉन तथा डॉवडी (2011) ने कक्षाध्यापक की समावेशी शिक्षा में निम्नलिखित क्षेत्रों में भूमिका बतायी है:




हॉक्स तथा वेशलिंग (1998) (स्मिथ पॉवेल, पैटॉन तथा डॉवडी, 2011 द्वारा उल्लेखित) समावेशित शिक्षा को प्रभावकारी तथा सफल बनाने में कक्षाध्यापक की भूमिका को सर्वोपरि बताया है, चँकि वे ही सामान्य कक्षा अनुदेशन के लिए उत्तरदायी होते हैं। समावेशित शिक्षा में कक्षाध्यापक की कुछ महत्वपूर्ण भूमिकाएँ निम्नलिखित है :

- कक्षा में दृष्टिबाधित बालकों को अन्य बालकों के समतुल्य स्वीकार करना
- दृष्टिबाधित बालकों हेतु मूल्यांकन तथा वैयक्तिक शैक्षिक योजना निर्माण सम्बन्धी विशेष दल का हिस्सा बनना
- दृष्टिबाधित बाधित बालकों के अधिकारों की रक्षा के लिए तत्पर रहना
- बालक के माता-पिता से समय-समय पर सम्पर्क स्थापित करना उनका मार्गदर्शन करना
- वैयक्तिक बाधाओं को ध्यान में रखते हुए अनुदेशन में आवश्यक बदलाव करना
- विकलांगता सम्बन्धी सरकारी योजनाओं, अधिनियमों की समझ रखना, तथा उनके लाभ को दृष्टिबाधित तक पहुचाने में मदद करना
- कक्षा में सभी छात्रों को समान अवसर प्रदान करना
- विशेष आवश्यकता होने पर विशेष शिक्षक की सेवा प्राप्त करना
- अनुदेशन के प्रभावकारी बनाने के लिए विशेष उपकरणों का उपयोग करना

- अन्य बालकों को सहयोग देने तथा सहयोग प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना

5.5.2 विशेष शिक्षक की भूमिका :

दृष्टिबाधित बालकों की विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं के समुचित निष्पादन के लिए विशेष शिक्षक की व्यवस्था होती है। विशेष शिक्षक दृष्टिबाधित बालकों की शिक्षा तथा पुनर्वास के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित होते हैं। इनकी भूमिका विशिष्ट होने के साथ-साथ विस्तृत भी होती है। विशेष शिक्षकों की भूमिका को आप निम्न चित्र द्वारा समझ सकते हैं:



उपरोक्त चित्र में प्रदर्शित विशेष शिक्षक की भूमिका को समझने के लिए हम क्रमवार रूप से चर्चा करेंगे :

5.5.3 ब्रेल प्रशिक्षण

बालकों के लिए ब्रेल शिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। दृष्टिबाधित बालक पठन व लेखन का कार्य स्पर्श रूप में करता है। ब्रेल छः उभरी बिन्दुओं पर आधारित एक स्पर्शीय लिपि है। ब्रेल लेखन कार्य दाएँ से बाएँ ओर

होता है जबकि पठन बाएँ से दाएँ ओर होता है। ब्रेल प्रशिक्षण के द्वारा दृष्टिबाधित बालकों को पढ़ने-लिखने में सहायता मिलती है।

समावेशित परिवेश में विशेष शिक्षक की अपेक्षित भूमिकाएँ -

- दृष्टिबाधित बालकों के ब्रेल पठन और लेखन सीखाना
- ब्रेल प्रशिक्षण, ब्रेल-पूर्व तत्परता कार्यक्रम तय करना
- ब्रेल लेखन हेतु विभिन्न उपकरणों से अवगत कराना
- संकोच ब्रेल तथा नेमेथ कोड (गणित के लिए कोड) से अवगत कराना

5.5.4 पहचान और शीघ्र हस्तक्षेप

दृष्टिबाधित बालक की यथाशीघ्र पहचान अत्यन्त आवश्यक है। किसी भी दृष्टिबाधित बालक हेतु समुचित कार्यक्रम का निर्धारण तब-तक नहीं किया जा सकता है जब तक दृष्टिबाधिता की पहचान एवं मूल्यांकन न कर ली जाय। पहचानोपरान्त नैदानिक मूल्यांकन एवं चिकित्सकीय परामर्श हेतु नेत्र विशेषज्ञ के पास भेजना चाहिए। यदि दृष्टि क्षति में चिकित्सकीय सुधार सम्भव नहीं है तो उनके लिए उपयुक्त हस्तक्षेप तैयार करना चाहिए। यदि कार्यकारी दृष्टि शेष है तो विशिष्ट शिक्षक की भूमिका कार्यकारी दृष्टि का मूल्यांकन तथा दृष्टि क्षमता विकास करना भी है।

यदि माता-पिता बच्चे से अरुचि रखते हैं अथवा निराश हैं, तो हस्तक्षेप कर उनमें उत्साह भरना चाहिए। उनको संतुष्ट करना चाहिए कि इस प्रकार की अक्षमता तथा इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। परिवार के दृष्टिकोण में भी परिवर्तन लाने का प्रयास करना चाहिए।

समावेशित परिवेश में विशेष शिक्षक की अपेक्षित भूमिकाएँ-

- कक्षा तथा अन्य स्थान पर दृष्टिबाधित बालको को विशिष्ट लक्षणों के आधार पर पहचान करना
- लेखन-पठन हेतु उचित माध्यम (ब्रेल एवं प्रिंट) के उचित चुनाव में मदद करना
- चिन्हित छात्रों के लिए शीघ्र आवश्यक शैक्षिक पुर्नवास कार्यक्रम की व्यवस्था करना
- चिन्हित छात्रों के लिए विशेष विशेषज्ञों (चिकित्सक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कार्यकर्ता) की सलाह लेना
- माता-पिता को उचित परामर्श देना एवं उनकी उपयुक्त सहायता प्राप्त करना

5.5.5 संवेदी प्रशिक्षण

मनुष्य की ज्ञानेन्द्रियाँ उसे अपने वातावरण को स्पष्ट रूप से जानने, समझने और अन्तः क्रिया में सहायक होती हैं। इन्हीं ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा मनुष्य सम्पूर्ण सूचनाओं और अनुभवों को प्राप्त करता है, इसलिए इसे सूचना का द्वार भी कहते हैं। ज्ञानेन्द्रियों में नेत्र का और सम्वेदनाओं में दृष्टि का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। विभिन्न शोधों द्वारा इस तथ्य की पुष्टि हुई है कि मनुष्य की सूचनाओं और अनुभव का दो-तिहाई से ज्यादा भाग दृष्टि द्वारा अर्जित होती है। अतः शिक्षक की यह स्वतः भूमिका है कि वह दृष्टिबाधित बालकों में अनुभवों के इस अन्तर को कम करने के लिए सभी बची हुई संवेदनाओं (अवशिष्ट दृष्टि सहित) का महत्तम एवं एकीकृत उपयोग हेतु बालकों को उत्प्रेरित तथा मार्गदर्शित करें।

समावेशित परिवेश में विशेष शिक्षक की अपेक्षित भूमिकाएँ -

- स्पर्शी क्षमता को अधिकाधिक विकसित करना
- किसी भी प्रकार की आवाज को स्पष्टता और तत्परता के साथ सुनने का प्रशिक्षण देना
- गंध और स्वाद के माध्यम से वस्तुओं के ज्ञान का प्रशिक्षण देना
- बची हुई दृष्टि के उपयोग का प्रशिक्षण देना
- स्पर्श के माध्यम से छोटा-बड़ा, सख्त मुलायम, ठंडा या गरम, लम्बा-चौड़ा आदि की संकल्पना का निर्माण करना
- पेड़-पौधों, फूल, पत्ते, घास, सब्जी, फल आदि में अन्तर करने और समझने का प्रशिक्षण देना

5.5.6 अनुस्थिति और चलिष्णुता

अनुस्थिति ज्ञान और चलिष्णुता से तात्पर्य उस कौशल से है जिससे दृष्टिबाधित व्यक्ति को अपने वातावरण को पहचानते हुए, स्वतंत्र रूप से तथा स्वेच्छापूर्वक, एक स्थान से दूसरे इच्छित स्थान तक तक निर्बाध रूप से आने-जाने में सक्षम हो सके। दृष्टि के अभाव में गामकता की क्षतिपूर्ति के लिए दृष्टिबाधित बालकों को अनुस्थिति और चलिष्णुता कौशल का सुव्यवस्थित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। फलस्वरूप वे चलने-फिरने में स्वतंत्रता का पर्याप्त अनुभव करते हुए निर्भयतापूर्वक एवं स्वयं को सुरक्षित रखते हुए इच्छित स्थान तक जा सकेगें। यदि उपयुक्त प्रशिक्षण प्राप्त हो जाए तो दृष्टिबाधित बालक के उत्साह तथा आत्मविश्वास में भी अत्यन्त वृद्धि होती है। इसलिए शिक्षक के लिए यह आवश्यक है कि वह दृष्टिबाधित बालकों हेतु उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था करें।

समावेशित परिवेश में विशेष शिक्षक की अपेक्षित भूमिकाएँ-

- मानसिक मानचित्र के लिए दृष्टिबाधित बालकों को प्रोत्साहित करना
- पहचान चिह्न एवं संकेत का उपयोग करते हुए चलिष्णुता को प्रभावी बनाना
- दृष्टिवान साथी की सहायता से चलने-फिरने का प्रशिक्षण
- अन्य बालकों को दृष्टिवान साथी की भूमिका के लिए जागरूक तथा प्रशिक्षित करना

- छड़ी के प्रयोग से स्वतंत्रतापूर्वक चलने का प्रशिक्षण देना
- सुरक्षा सम्बन्धी कौशलों में निपुण बनाना
- वस्तुओं की खोज करने की विधि से अवगत कराना

5.5.7 दैनिक क्रिया कौशल प्रशिक्षण

दैनिक क्रियाओं में दृष्टि की अहम भूमिका होती है। दैनिक क्रिया कौशल प्रशिक्षण से दृष्टिबाधित बालक दूसरों की सहायता के बिना या कम से सहायता के साथ दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों को करने में सक्षम होते हैं। जैसे- स्नान, शौच, भोजन करने, बाजार से वस्तुओं को खरीदने तथा रख-रखाव का प्रशिक्षण।

समावेशित परिवेश में विशेष शिक्षक अपेक्षित की भूमिकाएँ -

- दैनिक क्रिया प्रशिक्षण के क्षेत्र का निर्धारण करना
- न्यूनतम बाहरी सहायता देते हुए और सुरक्षापूर्वक अपनी दैनिक गतिविधियों को निष्पादित करने योग्य बनाने का प्रशिक्षण देना

5.5.8 मनोसामाजिक समायोजन

अपने आस-पास के समाज में अपने को पूर्णतः व्यवस्थित कर लेना ही समायोजन है। दृष्टिबाधित बालक को लगता है कि उसे अन्य लोगों से अलग समझा जाता है, क्योंकि वह सभी क्रियाओं में समान रूप से भाग नहीं ले पाता है। कई बार अपने आप को वह अधूरा समझता है। शिक्षक की स्पष्ट भूमिका है कि वह समाज माता-पिता, बालकों एवं बच्चों के अन्दर एक सकारात्मक नजरिए का विकास करे ताकि एक पारस्परिक सहयोगी समाज का निर्माण हो सके।

समावेशित परिवेश में विशेष शिक्षक की अपेक्षित भूमिकाएँ-

- छात्रों एवं विद्यालय के कर्मचारियों में दृष्टिबाधा और अन्य विकलांगता के प्रति नकारात्मकता को कम करने पर बल देना
- आस-पास के लोगों को दृष्टिबाधा एवं इनके अनुप्रयोगों से परिचित करना।
- विद्यालय प्रबन्धन, छात्राविभावक एवं अन्य छात्रों को दृष्टिबाधा एवं इसके के प्रति जागरूक करना तथा सहयोगी भावना का विकास करना
- दृष्टिबाधित बालकों तथा अविभावकों में आस-पास की क्रियाओं में भाग लेने की प्रवृत्ति का विकास करना
- दृष्टिबाधित बालकों हेतु अनुकूलित खेलों से बालकों से अवगत कराना तथा उन्हें एक साथ समय बीताने के लिए प्रोत्साहित करना

18.5.2.7 बाधामुक्त वातावरण के निर्माण में सहायता

घर तथा विद्यालयी वातावरण का बाधामुक्त होना अत्यंत आवश्यक है ताकि दृष्टिबाधित बालक आस-पास के वातावरण का सुगमता से उपयोग कर सकें। बाधामुक्त वातावरण द्वारा ही दृष्टिबाधित बालक कक्षा तथा अन्य सेवाओं तक अपनी पहुँच सुनिश्चित कर उनका उपयोग कर सकेंगे।

समावेशित परिवेश में विशेष शिक्षक की अपेक्षित भूमिकाएँ -

- कक्षा, कार्यालय, शौचालय तथा अन्य विद्यालयी संरचनाओं में बाधा की पहचान करना
- चिन्हित बाधाओं को दूर करने के उपायों से विद्यालय प्रबन्धन को अवगत कराना
- कक्षा वातावरण को दृष्टिबाधित एवं अन्य बालकों के अनुरूप तैयार करने का प्रयास करना

18.5.2.8 संसाधन कक्ष प्रबन्धन

समावेशी शिक्षा में संसाधन कक्ष बहुत महत्वपूर्ण होता है। संसाधन कक्ष में शैक्षिक प्रशिक्षण के लिए उचित तथा आवश्यकता अनुसार शिक्षण-अधिगम सामग्री रखी होती हैं, जिसकी जिम्मेदारी विशेष शिक्षक पर ही होती है।

समावेशित परिवेश में विशेष शिक्षक की अपेक्षित भूमिकाएँ-

- शिक्षण-अधिगम सामग्री तथा उपकरणों का अभिलेख तैयार करना,
- दृष्टिबाधित बालकों को संसाधन कक्ष में सुगमतापूर्वक प्रशिक्षण उपलब्ध कराना,
- उन्हें आवश्यकतानुसार उपकरणों का प्रशिक्षण देना,
- अल्प दृष्टि बालकों के लिए भी उचित प्रकाशीय तथा अप्रकाशीय उपकरण की वयवस्था एवं प्रशिक्षण प्रदान करना।

अभ्यास प्रश्न

9. ब्रेल उभरी हुई बिन्दुओं पर आधारित एक स्पर्शीय लिपि है।
10. प्रशिक्षण में गन्ध से सम्बन्धी अन्तर को समझाया जाता है।
11. संकेत एवं पहचान चिन्ह की सहायता से को प्रभावी बनाया जाता है।
12. कक्षा में पाठ्यक्रम अनुदेशन के लिए उत्तरदायी होते हैं।
13. दृष्टिबाधित बालक को की सहायता से स्वतंत्र रूप में चलना सीखाया जा सकता है।

5.6 सारांश

प्रस्तुत ईकाई के अध्ययन के बाद आप समझ चुके हैं कि समावेशी शिक्षा का सम्बन्ध एक ऐसी शिक्षण व्यवस्था से है, जो विशेष आवश्यकता वाले बालकों को सामान्य बालकों के साथ विद्यालय में पठन-पाठन तथा आत्मनिर्भर बनने का अवसर प्रदान करती है। समावेशी शिक्षा के माध्यम से विशेष आवश्यकता वाले बालकों को सामान्य परिवेश में समायोजित किया जा सकता है। समावेशन का प्रयास भारत में आजादी के पूर्व ही किया जा चुका था, परन्तु व्यवस्थित रूप से समायोजन का प्रयास सरकार द्वारा 1974 में आई.ई.डी.सी. योजना से हुआ।

समावेशी शिक्षा की सफलता एवं प्रभाविकता कक्षाध्यापक, विशेष शिक्षक, अन्य विशेषज्ञों तथा इनके पारस्परिक सहयोग पर निर्भर करती है। एक तरफ कक्षाध्यापक दृष्टिबाधित बालकों के पाठ्यक्रम अनुदेशन के लिए उत्तरदायी होता है, तो वहीं दूसरी तरफ विशेष शिक्षक की भूमिका दृष्टिबाधित बालकों की विशेष आवश्यकताओं पर आधारित प्रशिक्षण से सम्बन्धित होता है। दृष्टिबाधित बालकों की विशेष आवश्यकताओं पर आधारित प्रशिक्षण में ब्रेल शिक्षण, अनुस्थिति तथा चलिष्णुता ज्ञान तथा संवेदी प्रशिक्षण, दैनिक क्रिया प्रशिक्षण आदि आते हैं।

5.7 शब्दावली

1. **समावेशी शिक्षा** - शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक या अन्य स्थितियों के भेद-भाव के बिना सभी बच्चों को साथ-साथ शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था।
2. **आई.ई.डी.सी.** - विकलांग बालकों हेतु सामेकित शिक्षा योजना
3. **आई.ई.डी.एस.एस.-केन्द्र** (भारत सरकार) द्वारा प्रायोजित माध्यमिक स्तर पर समावेशी शिक्षा योजना
4. **पी.डब्ल्यू.डी. अधिनियम** - निःशक्त जन अधिनियम (समान अवसर, अधिकार संरक्षण, और पूर्ण भागीदारी), 1995 - भारत वर्ष में विकलांगता से सम्बन्धित विस्तृत अधिनियम।

5.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. विशिष्ट
2. दर्शन
3. प्रत्येक (सभी)
4. दादर
5. 1974
6. देहरादून
7. निःशक्त जन अधिनियम
8. एकीकृत शिक्षा

9. 6
10. संवेदी
11. चलिष्णुता
12. कक्षाध्यापक
13. छड़ी

5.9 संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. Govt. of India (1996). Persons with disabilities (equal opportunities, protection of rights and full participation) Act, 1995. New Delhi: Ministry of Law, Justice and Company Affairs.
2. Mittal, S. R. (2006). Integrated and inclusive education. New Delhi: Rehabilitation Council of India
3. NCERT (2005). National Curriculum Framework,. New Delhi: National Council of Educational Research and Training.
4. Ripley, S.(1997). Collaboration between General and Special Education Teachers, ERIC EC Digest #ED409317.
5. Smith, T. E. C., Pollway, E.A., Patton, J.R. & Dowdy, C.A. (2011). Teaching students with disabilities special needs in inclusive needs in inclusive settings. New Delhi: PHI Learning Private Limited

5.10 सहायक उपयोगी पाठ्य सामग्री

1. AICB (2004). शिक्षक प्रशिक्षण लेखमाला. Delhi: All India Confederation of Blind
2. Mani, M.N.G. (1992). Techniques of teaching blind children. New Delhi: SterlingPublishers Pvt Limited.
3. NIVH (1992). Handbook for the teachers of the visually handicapped. Dehradun: National Institute for the Visually Handicapped.
4. Punani, B. & Rawal, N. (2002). Visual Impairment: Handbook. Ahmedabad: Blind People's Association.

5.11 निबन्धात्मक प्रश्न

1. समावेशी शिक्षा को परिभाषित करते हुए, इसके महत्व पर प्रकाश डालिए ?
2. समावेशी शिक्षा के अन्तर्गत एक विशेष शिक्षक की क्या भूमिका होती है? वर्णन करें?
3. भारत वर्ष में समावेशी शिक्षा के लिए किए गये प्रयासों का विश्लेषण करें?
4. “कक्षाध्यापक के व्यापक सहयोग के बिना समावेशी शिक्षा पूर्णतः सफल नहीं हो सकती है।” विवेचन किजिए?

इकाई: 6 मानसिक मंदता की अवधारणा, परिभाषा, वर्गीकरण एवं विशेषताएँ

6.1 प्रस्तावना

6.2 पाठ के उद्देश्य

6.3 मानसिक मंदता: अवधारणा

6.3.1 संक्षिप्त ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

6.3.2 मानसिक मंदता को परिभाषित करने वाली अग्रणी संस्थाएँ AAMR, DSM, ICD-WHO

6.3.3 मानसिक मंदता की परिभाषा AAMR 1983, 1992, 2002 और उनका तुलनात्मक विश्लेषण

6.4 मानसिक मंदता की परिभाषा भारतीय परिप्रेक्ष्य

6.5 मानसिक मंदता और मानसिक रूग्णता

6.5.1 मानसिक मंदता और मानसिक रूग्णता में अंतर

6.5.2 सामान्य अंधविश्वास और सच्चाई

6.6 मानसिक मंद बालकों का वर्गीकरण और विशेषताएँ

6.5.1 मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण

6.5.2 शैक्षिक-वर्गीकरण

6.5.3 आवश्यक विशिष्ट सहायता के आधार पर वर्गीकरण

6.5.4 विशेषताएँ

6.6 सारांश

6.7 शब्दावली

6.8 संदर्भ ग्रंथ/ अन्य अध्ययन

6.9 अभ्यास प्रश्न

6.1 प्रस्तावना

इस इकाई में आप मानसिक मंदता की आधारभूत संकल्पनाओं से परिचित होंगे। पाठ का मुख्य केंद्र है मानसिक मंदता, का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य (पाश्चात्य एवं भारतीय) मानसिक मंदता की परिभाषा में आ रहे क्रमिक परिवर्तन, परिभाषा के पीछे की जटिलता, एवं मान्यताएं आदि। इस इकाई में आप यह भी पढ़ेंगे कि हमारे समाज में किस प्रकार की भ्रांतियाँ मानसिक मंदता के प्रति व्याप्त हैं और मानसिक मंदता किस प्रकार मानसिक रोगों से भिन्न है। इकाई के अंत में हम मानसिक मंदता के विभिन्न वर्गीकरण प्रणालियों एवं उनकी समतुल्यता पर चर्चा करेंगे। पाठ में आंतरालिक रूप से कुछ वस्तुविष्ट प्रश्न दिए गए हैं, जिससे आपको अपनी प्रगति की जाँच करने में मदद मिलेगी, साथ ही, किसी भी प्रकार की अस्पष्टता को दूर करने के लिए तकनीकी शब्दों के अंग्रेजी समानार्थी शब्द भी दिए गए हैं। पाठ के अंत में त्वरित पुनरीक्षण के लिए इकाई सारांश एवं महत्वपूर्ण पद/शब्दों संक्षेपों की व्याख्या दी गई है जो आपको इस इकाई को समझने में मददगार होगी साथ ही आखिरी पृष्ठों पर आपको संदर्भ ग्रंथों की सूची प्राप्त होगी जिसका प्रयोग करके मानसिक मंदता से संबंधित और अधिक जानकारीयाँ एकत्र कर सकते हैं। लेखक की आशा है कि प्रस्तुत पाठ आपके लिए ज्ञानवर्द्धक एवं रुचिकर साबित होगा।

6.2 उद्देश्य

इकाई का अध्ययन करने के पश्चात आप-

1. मानसिक मंदता का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य (पाश्चात्य /भारतीय) बता पाने में सक्षम होंगे।
2. प्रचलित आधार पर मानसिक मंदता को परिभाषित कर सकेंगे।
3. मानसिक मंदता को परिभाषित करने में अग्रणी संस्थाओं के बारे में बता सकेंगे।
4. मानसिक मंदता की परिभाषा और उसके नैदानिक मानदण्डों की व्याख्या कर सकेंगे।
5. विभिन्न संस्थाओं द्वारा दी गयी मानसिक मंदता की परिभाषा का तुलनात्मक/ विश्लेषण कर सकेंगे।
6. भारतीय परिप्रेक्ष्य में मानसिक मंदता की परिभाषा और नैदानिक मानदण्ड की व्याख्या कर सकेंगे।
7. मानसिक मंदता और मानसिक रूग्णता के अंतर को स्पष्ट कर सकेंगे।
8. मानसिक मंदता के बारे में प्रचलित सामान्य अंधविश्वास और उनके सच की व्याख्या कर सकेंगे।
9. मानसिक मंदता युक्त बालको के विभिन्न वर्गीकरण की व्याख्या कर सकेंगे।
10. मानसिक मंद बालकों के विभिन्न वर्गीकरण की तुलनात्मक रूपरेखा प्रस्तुत कर सकेंगे।

6.3 संक्षिप्त ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

6.3.1 पाश्चात्य ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

विकलांगता का पुराना इतिहास अस्पष्ट है। सामाजिक जागरूकता न होने की वजह से इतिहासकारों ने विकलांगता/अक्षमता के इतिहास को तरजीह नहीं दी है। तत्कालीन साहित्य का अध्ययन करने पर हमें,

विकलांगता ग्रस्त, व्यक्तियों के जीवन की थोड़ी जानकारी अवश्य मिलती है। प्राचीन ग्रीस में राज्य परिषद के अधिकारी नवजात शिशुओं की जांच करते थे और यदि वे 'दोषपूर्ण' पाये जाते तो उन्हें समाप्त कर दिया जाता था। अक्षमताग्रस्त शिशुओं के संदर्भ में शिशु हत्या प्रचलित थी। दूसरी शताब्दी में रोम-साम्राज्य में मनोरंजन के उद्देश्य से, अक्षमताग्रस्त बालकों एवं व्यक्तियों को बेचे जाने के प्रमाण मिलते हैं। पांचवी से पंद्रहवी शताब्दी के मध्य शिशु हत्या और विक्रय में थोड़ी कमी आयी और अक्षमता युक्त व्यक्तियों/बालकों के साथ मानवीय व्यवहार का आरंभ हुआ। 12वीं शताब्दी में इंग्लैंड के राजा हेनरी द्वितीय ने कानून बनाकर मानसिक मंदता युक्त व्यक्तियों के साथ अमानवीय व्यवहारों पर रोक लगाने की कोषिष की।

1690 में जॉन लॉक द्वारा प्रतिपादित धारणा कि नवजात का मस्तिष्क 'टेबुला रसा' (खाली स्लेट) के समान होता है, ने मानसिक मंदता युक्त बालकों के प्रशिक्षण एवं जीवन शैली को बहुत प्रभावित किया। जॉन लॉक ने सर्वप्रथम मानसिक मंदता को मानसिक रोग से अलग बताया।

अठारहवीं शताब्दी के आरंभ में विशेष शिक्षा को शिक्षा की एक शाखा के रूप में स्वीकार किया जाने लगा। हालांकि यह विकलांग बालकों के अधिकार पर आधारित शिक्षा की बजाय उनके प्रति दयाभाव ¼Charity½ अधिक था।

यह वह समय था जब कई समाज सेवा करने वाली संस्थाएं और राज्य समर्थित विशेष विद्यालय खोले गए। विशेष शिक्षा की औपचारिक शुरुआत में फ्रांस के मनो चिकित्सक जीन मार्क गैस्पर्ड इटार्ड का नाम अग्रणी है, जिन्हें प्रायः विशेष शिक्षा के जनक के रूप में संबोधित किया जाता है। 1799 ई. में इटार्ड को फ्रांस के जंगलों में एक बच्चा मिला जिसे 'एवरॉन का जंगली' बालक के नाम से संबोधित किया जाता है। बाद में उसका नाम 'विक्टर' रखा गया। 12 वर्ष के विक्टर को जिसके सभी व्यवहार 'आदि मानव' के समान थे, को शिक्षित करने की जिम्मेदारी इटार्ड को दी गई। पांच वर्ष के लगातार प्रयासों के बाद इटार्ड, विक्टर को सामान्य संप्रेषण कौशल एवं सामान्य सामाजिक व्यवहार सिखा पाने सक्षम हो सके परंतु श्रम के अनुपात में सफलता नहीं मिल पायी। इटार्ड के इन प्रयासों ने पूरे यूरोप को मानसिक मंद बालकों के शिक्षण के प्रति उद्वेलित कर दिया। इटार्ड के शिष्य सेंगुइन ने मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता युक्त बालकों को शिक्षा के प्रति स्वयं को समर्पित कर दिया और विशेष शिक्षा की जड़ों को मजबूत बनाने में अपना योगदान दिया। सेंगुइन द्वारा विकसित 'सेंगुइन फार्म बोर्ड' ¼SFB½ आज भी छोटे बच्चों की बौद्धिक क्षमता के आकलन में प्रयुक्त होता है।

सेंगुइन ने मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता युक्त बालकों की शिक्षा के लिए एक विस्तृत विधि का विकास किया जिसे उन्होंने शरीर क्रियात्मक विधि ¼Physiological Method½ का नाम दिया। सेंगुइन के द्वारा विकसित विशेष शिक्षा की इस विधि में संवेदी प्रशिक्षण (दृष्टि/श्रवण/आंखों और हाथों का समन्वय) आदि शामिल थे। सन् 1850 में सेंगुइन यू.एस.ए. चले गए और वहां मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता युक्त बालकों की शिक्षा में अपना योगदान दिया। सन् 1876 में सेंगुइन ने असोसिएशन ऑफ मेडिकल ऑफिसर्स ऑफ अमेरिकन इंस्टीच्यूसंस फॉर इडिओटिक एण्ड फीबल माइंडेड पर्सनल ¼Association of Medical

Officers of American Institution for Idiotic & Feeble Minded Persons-AMOIIFMP^{1/2} की स्थापना की। बाद में यह संस्था मानसिक मंदता में काम करने वाली विश्व की अग्रणी संस्था बन गई और अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल डेफिसिएंसी ^{1/4}American Association of Mental Deficiency-AAMD^{1/2} अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन ^{1/4}American Association of Mental Retardation-AAMR^{1/2} जैसे परिवर्तित नामों का सफर तय करते हुए अब अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ इंटेलेक्चुअल एण्ड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज के नाम से जानी जाती है।

19वीं सदी का प्रारंभिक भाग मानसिक मंदता के क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण है। सन् 1905 में विश्व का पहला बौद्धिक परीक्षण बिने एवं साइमन ने विकसित कर के, मानसिक मंदता की पहचान में क्रांति की शुरुआत कर दी। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पूरा विश्व अस्थिर हो गया फलतः राज्यों की ओर से विकलांगता में काम कर रहे संस्थाओं के अनुदान में एक तरफ कटौती की गई और दूसरी तरफ युद्ध के परिणाम स्वरूप लाखों व्यक्ति विकलांग होकर घर लौटे। इन कारणों की वजह से, 19वीं सदी के पूर्वार्द्ध में बड़े-बड़े संस्थानों की स्थापना की गई और विकलांग व्यक्तियों को बड़ी-बड़ी (5000-6000 व्यक्ति) संस्थाओं में एक साथ रखे जाने लगे जहां बुनियादी सुविधाओं की भी पर्याप्त कमी थी। सन् 1962 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ. केनेडी ने प्रेसीडेंट कमिटी ऑफ मेंटल रिटार्डेशन गठित किया जिसका उद्देश्य था मानसिक मंदता युक्त व्यक्तियों के जीवन स्तर की समीक्षा करना। इस दौरान, कुछ लोग डेनमार्क, स्वीडन आदि देशों में बड़ी-बड़ी संस्थाओं में हो रहे मानवाधिकारों के हनन के विरुद्ध सामने आए और इन सभी के संयुक्त प्रयासों ने विसंस्थानीकरण ^{1/4}Deinstitutionalization^{1/2} की नींव रखी। विसंस्थानीकरण एवं समुदाय आधारित आंदोलन के प्रमुख अग्रणी नेताओं में नील्स एरिक बैक माइकेल्सन, वुल्फ वुल्फेन्सवर्गर, बेन्जट नीरजी आदि प्रमुख हैं। बैक मिकेल्सन को सामान्यीकरण की अवधारणा का जनक माना जाता है। इसके पश्चात् सन् 1975 में विकलांग व्यक्तियों के वैश्विक अधिकारों की घोषणा की गई और अमेरिका में सभी विकलांग बालकों के लिए शिक्षा (Education for all Handicapped Children Act 1975^{1/2}) पारित किया गया और तदुसार, सामान्य विद्यालयों के दरवाजे विकलांग बालकों के लिए भी खोल दिए गए। तत्पश्चात् आए कानूननों (जिनका अध्ययन हम अगली इकाइयों में करेंगे) यथा: विकलांग बालकों के अधिकार से संबंधित सलमांका केन्फ्रेंस और अद्यतनल यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सनस विथ डिसेबिलिटीज ^{1/4}UNCRPD^{1/2} ने सभी अक्षमता युक्त बालकों की शिक्षा में वैश्विक क्रांति ला दी है।

6.3.2 भारतीय ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

बौद्धिक अक्षमता/मानसिक मंदता का भारतीय इतिहास उतना ही पुराना है जितनी मानव सभ्यता। भारतीय धार्मिक ग्रंथों में विकलांगता/मानसिक मंदता के साक्ष्य उपलब्ध हैं। लगभग 5000 ई. पू. रामायण काल में रानी कैकेयी की दासी मंथरा 'मानसिक मंदता' की उदाहरण है, जो अपनी अल्प बौद्धिक क्षमता के कारण इधर-उधर की बातों से जल्दी प्रभावित हो जाती थी।

रामायण काल के बाद महाभारत काल में भी मानसिक मंदता/विकलांगता का विवरण उपलब्ध है। महाभारत कालीन युग में कृष्ण की दासी 'कुब्जा' और विद्वान 'अष्टावक्र' दोनों ही अस्थि विकलांगता के उदाहरण माने जा सकते हैं। चौथी शताब्दी ई.पू. महान भारतीय अर्थशास्त्री चाणक्य ने अक्षमताग्रस्त व्यक्तियों के लिए अपमान जनक शब्दों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था और इसके लिए सजा का प्रावधान भी किया था। लगभग पहली शताब्दी ई.पू. भारतीय राजा अमरषक्ति के तीनों बच्चों वासुषक्ति, उग्रषक्ति और अनेकशक्ति मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता युक्त माने जा सकते हैं, जो सामान्य शिक्षण विधियों से सीख नहीं पाये, फलतः राजा के दरबारी पंडित विष्णु शर्मा उन्हें राजनीति का ज्ञान कराने के लिए 'पंचतंत्र' की रचना की जो विश्व की प्रथम विशेष शिक्षा की किताब मानी जाती है।

बौद्धिक धार्मिक ग्रंथों में विकलांगता/मानसिक मंदता को पिछले जन्म के पापों का परिणाम बताया गया है। प्राचीन ग्रंथ मनुस्मृति में मनु ने भी उद्धृत किया है कि पूर्व जन्म में किए गए अपराधों के फलस्वरूप आदमी 'विकलांगताओं' को भोगता है और उसका प्रायश्चित्त करता है।

प्राचीन काल में विकलांग बालकों को जीने का अधिकार प्राप्त नहीं था इसके प्रमाण मिलते हैं कि प्रायः विकलांगता ग्रस्त शिशुओं की हत्या $\frac{1}{4}$ Infanticide $\frac{1}{2}$ कर दी जाती थी। यदि विकलांग व्यक्ति जीवित रह जाते थे तो भी उनकी शिक्षा एवं अन्य जरूरतों का ध्यान नहीं रखा जाता था और ऐसे सभी विकलांग व्यक्तियों को 'पागल' की श्रेणी में माना जाता था। यदि मानसिक मंदता/विकलांगता के अद्यतन वैज्ञानिक भारतीय इतिहास की बात की जाय तो यह अत्यंत संक्षिप्त है। विकलांगता/अक्षमता से संबंध पहला भारतीय कानून इंडियन लूनासी ऐक्ट (1912) पारित किया गया और अक्षमता ग्रस्त व्यक्तियों के लिए पहला कानून अस्तित्व में आया। इंडियन लूनासी ऐक्ट (1912) ने मानसिक मंदता और मनोरोगों को समान मानते हुए, उनके लिए समान मानक एवं समान मानदण्ड तय किये। इसके बाद, एक लंबे अंतराल के बाद मानसिक स्वास्थ्य कानून (1987) मेंटल हेल्थ ऐक्ट 1987 आया जिसमें मानसिक रोग और मानसिक मंदता को अलग तो मान लिया गया परंतु मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता के लिए कोई प्रावधान नहीं दिया गया। इससे पूर्व कोठारी आयोग की अनुषंसा पर 1974 में समेकित शिक्षा कार्यक्रम (Integrated Education for Disabled Children-IEDC) आरंभ हो चुका था, 1984 में राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान (NIMH) की स्थापना सिकंदराबाद में की चुकी थी।

इसके बाद NPE -1986, भारतीय पुनर्वास परिषद कानून 1992, विकलांग जन (समान अवसर, पूर्ण भागीदारी और अधिकारों की रक्षा) कानून 1995, राष्ट्रीय न्याय अधिनियम 1999, शिक्षा का अधिकार (RTE, 2009) कानून आदि बनाए गए और अक्षमता युक्त बालकों की शिक्षा पर ध्यान दिया जाने लगा है।

अभ्यास प्रश्न

1. इटार्ड को विशेष शिक्षा का जनक माना है। (सत्य/ असत्य)
2. भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1980 में लागू की गई। (सत्य/ असत्य)
3. विकलांग जन कानून 1995 में पारित हुआ। (सत्य/ असत्य)

4. छप्डभू की स्थापना दिल्ली में की गई। (सत्य/ असत्य)
5. रामायण काल में मानसिक मंदता के प्रमाण मिलते हैं। (सत्य/ असत्य)
6. सुमेलित करें:

1. विशेष शिक्षा की पहली पुस्तक	A. 1975
2. भारतीय पुनर्वास	B. पंचतंत्र
3. AAMR के संस्थापक	C. 1992
4. शिक्षा का अधिकार कानून	D. सेंगुइन
5. EAHCA	E. 2009

6.3.3 मानसिक मंदता को परिभाषित करने वाली अग्रणी संस्थाये AAMR, DSM, ICD-WHO

अमेरिकन असोसिएशन ऑफ इंटेलेक्चुअल एवं डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, विश्व का सबसे पुराना और सबसे बड़ा व्यावसायिक संगठन है जो मानसिक मंद बालकों के लिये कार्य करने में अग्रणी माना जाता है। इसकी स्थापना 1876 ई में मानसिक मंदता के कल्याणार्थ की गयी थी। इसकी स्थापना 1876 में सेंगुइन ने की थी। सेंगुइन ने असोसिएशन ऑफ मेडिकल ऑफिसर्स ऑफ अमेरिकन इंस्टीच्यूसंस फॉर इडिओटिक एण्ड फीबल माइंडेड पर्सनल $\frac{1}{4}$ Association of Medical Officers of American Institution for Idiotic & Feeble Minded Persons-AMOAIFMP $\frac{1}{2}$ की स्थापना की। बाद में यह संस्था मानसिक मंदता में काम करने वाली विश्व की अग्रणी संस्था बन गई और अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल डेफिसिएंसी $\frac{1}{4}$ American Association of Mental Deficiency-AAMD $\frac{1}{2}$ अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन $\frac{1}{4}$ American Association of Mental Retardation-AAMR $\frac{1}{2}$ जैसे परिवर्तित नामों का सफर तय करते हुए सन् 2007 में जब एक मत से मानसिक मंदता का नाम बदलकर 'बौद्धिक अक्षमता' कर दिया गया और तदुसार अमेरिकन असोसिएशन ऑफ रिटार्डेशन का नाम बदल कर अमेरिकन असोसिएशन ऑफ इंटेलेक्चुअल एण्ड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज $\frac{1}{4}$ American Association of Intellectual & Developmental Disabilities-AAIDD $\frac{1}{2}$ कर दिया गया है। ए.ए.आई.डी.डी. ने मानसिक मंदता की परिभाषा और उसे नैदानिक मानदण्ड आदि के क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया है और मानसिक मंदता की संकल्पना को समयानुकूल, सकारात्मक करने का प्रयास करती रही है।

ए.ए.आई.डी.डी. मूलतः निम्नांकित सिद्धांतों पर आधारित कार्य करती है:

1. बौद्धिक एवं विकासात्मक अक्षमता युक्त बालकों का पूर्ण सामाजिक समावेश एवं भागीदारी।
2. समानता, व्यक्तिगत सम्मान एवं मानवधिकारों की वकालत।
3. व्यक्तिगत इच्छाओं को व्यक्त करने एवं आत्म निर्णय की क्षमता का प्रोत्साहन।
4. बौद्धिक अक्षमता युक्त व्यक्तियों के योगदान को प्राप्साहित कर उनके प्रति जागरूकता एवं सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना।

5. जीवन के सभी पक्षों में बौद्धिक विकलांग व्यक्तियों की भागीदारी को प्राप्साहित करना।

डी.एस.एम. (DSM) डायनोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल

डी.एस.एम. (DSM) का पूरा नाम डायनोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसांडर है। यह अमेरिकन साइकियाट्रिक असोसिएशन (American Psychiatric Association)के द्वारा प्रकाशित किया जाता है एवं मनोविकारों के वर्गीकरण एवं निदान के वैश्विक मानक प्रस्तुत करता है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका में सैनिकों के चयन, परीक्षण और उपचार में बड़ी संख्या में मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सकों ने भाग लिया। 1949 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ICD (International Clarification of Disease) का छठा भाग प्रकाशित किया जिसमें उन्होंने पहली बार उसके एक भाग के रूप में मानसिक विकृतियों को शामिल किया। ICD के समानांतर अमेरिकन मनोचिकित्सक संगठन (APA)को विशेष रूप से अमेरिका में प्रयोग किए जाने हेतु, मानसिक विकारों के लक्षण एवं निदान के मानक निर्धारित करने का कार्य सौंपा गया और उसके फलस्वरूप डायनोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल का प्रथम अंक (DSM-1)1952 में प्रकाशित किया गया जिसमें 130 पृष्ठों में 106 मानसिक विकृतियों के लक्षण एवं निदान प्रस्तुत किया गया।

इस दौरान मनोचिकित्सक विलियम सी. मैनिनजर की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने 1943 में अमेरिकी सेना द्वारा प्रयोग किए जाने हेतु मानसिक विकारों का वर्गीकरण मेडिकल 203 के नाम से प्रस्तुत किया।

DSM-I इसी मेडिकल 203 का संशोधित रूप था बाद में समयानुसार आवधिक रूप में डी.एस.एम. को संशोधित किया जाता है। वर्तमान में डी.एस.एम. 5, डी.एस.एम. का अद्यतन संशोधित रूप है जो 18 मई 2013 को प्रकाशित किया गया है। डी.एस.एम. की शुरुआत से लेकर अब तक के उसके महत्वपूर्ण संशोधन निम्नांकित है।

क्र.सं.	DSN संशोधन वर्ष	संशोधित अंक/भाग
1	1952	DSM-I
2	1968	DSM-II
3	1980	DSM-III
4	1987	DSM-III R
5	1994	DSM-IV
6	2000	DSM-IV TR
7	2013	DSM V

डी.एस.एम. मनोविकारों के वर्गीकरण की समसामयिक एवं वृहत मानक प्रस्तुत करता है और वैश्विक स्तर पर स्वीकाग्र है।

व्याधियों का अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण (**International Clarification of Disease**) आई.सी.डी. (ICD)

आई.सी.डी. (ICD) का पूरा नाम है व्याधियों का अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण (**International Clarification of Disease**) जो कि विभिन्न बीमारियों के निदान का एक मानक टूल है जिसका प्रमुख उद्देश्य है विभिन्न बीमारियों के अभिलक्षण, निदान एवं स्वास्थ्य प्रबंधन के मानक तय करना। 1994 से अब तक ICD -10 प्रयोग किया जा रहा है और इसका अगला संशोधन ICD-11 2015 में प्रस्तावित है।

सन् 1893 में फ्रांसीसी चिकित्सक जैकस बर्टिलीन ने बटिलोन क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलेज ऑफ डेथ (Bartillon Clarification of Causes of Death) अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थान, शिकागो में प्रस्तुत किया जिसे कई राष्ट्रों द्वारा स्वीकार किया गया बाद में अमेरिकन जन स्वास्थ्य संगठन ने प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर इसके संशोधन की अनुसंधान और तदुसार एक कमिटी के द्वारा इसका संशोधन किया जाता रहा। इसके छोटे संशोधन से पहले तक इसमें कुछ बड़ा परिवर्तन नहीं आया। 1948 से, इसके 10 वर्षों के अंतराल पर संशोधन का कार्य WHO को सौंप दिया गया और इस प्रकार WHO के द्वारा पहली बार ICD-6 1949 में प्रकाशित किया गया। समय के साथ यह महसूस किया गया कि संशोधन हेतु 10 वर्ष का अंतराल कम है फलतः इस निर्धारित समयावधि को 'आवश्यक तानुसार' कर दिया गया।

ICIDH (International Clarification of Impairment Disability & Handicap)- विश्व स्वास्थ्य संगठन के विभिन्न वर्गीकरणों में से एक है जो ICD का एक भाग है। यह सर्वप्रथम डब्ल्यू.एच.ओ. द्वारा 1980 में प्रकाशित किया गया जिसका उद्देश्य था विभिन्न बीमारियों के परिणामों की व्याख्या एवं अक्षमता से संबंधित विभिन्न लक्षणों की मानकीकृत व्याख्या करना। इसे ICD का पूरक माना जा सकता है। बाद में 2001 में इसे संशोधित किया गया है और इसका नाम (International Clarification of Functioning, Disability and Health) रखा गया है जिसका मुख्य उद्देश्य है स्वास्थ्य के विभिन्न घटक और अक्षमता का एक मानकीकृत वर्गीकरण करना। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण परिवार का एक भाग है जो विभिन्न प्रकार की अक्षमताओं और स्वास्थ्य संबंधी वर्गीकरण का कार्य करता है।

उपरोक्त तीनों संस्थाएं समानांतर स्वतंत्र रूप से, मानसिक विकारों, और मानसिक अक्षमताओं के मानक और कोड निर्धारित करती हैं हालांकि उपरोक्त तीनों संस्थाओं द्वारा दिए गए बौद्धिक अक्षमता की परिभाषा का तुलनात्मक अध्ययन दिलचस्प होगा परंतु यह हमारे अध्ययन क्षेत्र में नहीं है। वर्तमान संदर्भ में हम, मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता की ए.ए.आई.डी.डी. नवीन परिभाषाओं तक हम अपने अध्ययन को सीमित रखेंगे।

अभ्यास प्रश्न

निम्नांकित पदों पर विस्तार कीजिए:

1. AAIDD
2. ACIDH

3. DSM
4. ICFDH
5. AAMR
6. AAIDD की स्थापना इटार्ड ने की थी। (सत्य/असत्य)
7. WHO पहली बार ICD-6, 1960 में प्रकाशित किया गया। (सत्य/असत्य)
8. ICD -11, 2020 में प्रस्तावित है। (सत्य/असत्य)
9. DSM का प्रकाशन APA करती है। (सत्य/असत्य)
10. DSM-5, 2010 में प्रकाशित किया गया। (सत्य/असत्य)

6.3.4 मानसिक मंदता की परिभाषा AAMR 1983, 1992, 2002 और उनका तुलनात्मक विश्लेषण

मानसिक मंदता के क्षेत्र में काम करने वाली अग्रणी संस्था अमेरिकन असोसिएशन ऑफ इंटेलिक्चुअल एवं डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी ए.ए.आई.डी.डी. ने 1908 से लेकर अब तक 11 बार मानसिक मंदता की परिभाषा, उसके नैदानिक मानदण्ड आदि को संशोधित किया पर हम यहाँ पर 1980 के बाद की मानसिक मंदता की परिभाषा का अध्ययन करेंगे।

अमेरिकन असोसिएशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन (ए.ए.एम.आर.) की ओर से ग्रासमैन (1983) ने मानसिक मंदता की परिभाषा दी है जिसके अनुसार मानसिक मन्दता का तात्पर्य तात्त्विक रूप से औसत से कम ऐसी बौद्धिक प्रक्रिया है जिसके परिणामस्वरूप अनुकूली ब्रूवहार में संगामी असामान्यता आ जाती है या जो संगामी अपसामान्यता से जुड़ी होती है और जो विकासात्मक अवधि के दौरान अभिव्यक्त होती है।

“सामान्य बौद्धिक प्रक्रिया” इस प्रयोजन के लिए विकसित और क्षेत्र/देश विशेष की परिस्थितियों के अनुकूल बनाए गए मानकी कृत सामान्य बौद्धिक परीक्षण किये जाने पर प्राप्त होने वाले परिणामों को सामान्य बौद्धिक प्रक्रिया कहा जाता है।

“स्पष्ट रूप से औसत से कम” से अभिप्राय है बुद्धि के व्यक्तिगत रूप से प्रशासित (दो मानक विचलन कम) मानकीकृत माप पर 70 या उससे कम बुद्धिलब्धि।

“अनुकूली (अडेप्टिव) व्यवहार” वह स्तर है जिस पर कोई व्यक्ति विशेष आत्म-निर्भरता और सामाजिक उत्तरदायित्व के उन मानकों को पूरा करता है जिसकी उस आयु और सांस्कृतिक समूह के व्यक्तियों से अपेक्षा की जाती है।

ग्रॉसमैन की इस परिभाषा के अनुसार मानसिक मंदता के नैदानिक मानदण्ड निम्नांकित था:

- IQ 70 या उससे कम।
- अनुकूलनीय व्यवहार में महत्वपूर्ण कमी।
- 18 वर्ष की आयु तक इसका आरंभ।

मानसिक मंदता का नैदानिक मानदण्ड

	कम	ज्यादा	
	→		
बौद्धिक क्षमता	मानसिक मंदता नहीं	मानसिक मंदता नहीं	↑ ज्यादा
	1	2	
	उच्च मंदता हाँ	मानसिक मंदता नहीं	↓ कम
	3	4	

अनुकूलनीय व्यवहार

अगर हम उरोक्त टेबल का विश्लेषण करें तो निम्नांकित चार परिस्थितियाँ सामने आती हैं:

परिस्थितियाँ		मानसिक मंदता
1	उच्च बौद्धिक क्षमता + सीमित अनुकूलनीय व्यवहार	नहीं
2	उच्च बौद्धिक क्षमता + उच्च अनुकूलनीय व्यवहार	नहीं
3	सीमित बौद्धिक क्षमता + उच्च अनुकूलनीय व्यवहार	नहीं
4	सीमित बौद्धिक क्षमता + सीमित अनुकूलनीय व्यवहार	हाँ

मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता की परिभाषा पर अगर गौर करें तो उपरोक्त में परिस्थिति (4) है, जो मानसिक मंदता को इंगित करती है बशर्ते कि इसका आरंभ 18 वर्ष से पूर्व हुआ हो। इस परिस्थिति (4) में भी अगर, इसका आरंभ 18 वर्ष की आयु के बाद हुआ हो तो वह मानसिक रोग की श्रेणी में आयेगा।

ग्रॉसमैन द्वारा दी गयी यह परिभाषा काफी महत्वपूर्ण और समसामयिक है। हालांकि इस परिभाषा के बाद भी कई संशोधन हुए हैं परन्तु उन सभी में उपरोक्त वर्णित परिभाषा में वस्तुनिष्ठता, और सकारात्मकता लाने का प्रयास किया गया है पर नैदानिक मानदण्ड मूलतः समान रखे गये हैं।

1992 में ल्यूकेसॉन ने उरोक्त परिभाषा को संशोधित किया और उसमें स्पष्टता और वस्तुनिष्ठता लाने का प्रयास किया। AAMR की ओर से ल्यूकेसॉन 1992 के द्वारा मानसिक मंदता की संशोधित परिभाषा 1992 में दी गई जिसके अनुसार-

मानसिक मंदता का अर्थ व्यक्ति की वर्तमान क्रियाशीलता में महत्वपूर्ण कमी से है। जिसमें महत्वपूर्ण रूप से कम अधोऔसत बौद्धिक क्रियाशीलता के साथ निम्नलिखित क्षेत्रों में से दो या अधिक क्षेत्रों में संबद्ध कमी पाई जाती है

स्व-सहायता, दैनिक कार्य, सामाजिक कौशल, सामुदायिक कौशल, स्व-निर्देश स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, कार्यात्मक शिक्षा/ज्ञान, मनोसंरचात्मक एवं कार्य।

मानसिक मंदता 18 वर्ष से पूर्व प्रकट होती है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि ल्यूकेसॉन ने 1992 में, ग्रॉसमैन (1983) द्वारा दी गई मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता की परिभाषा को वस्तुनिष्ठ ½objective½ बनाने का प्रयास किया है। ल्यूकेसॉन के इस प्रयास को आगे बढ़ाते हुए श्लेलाक ½shlallok½ ने 2002 में, और वस्तुनिष्ठता लाने का प्रयास किया है।

AAMR (अमेरिकन असोसियेशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन) 2002, श्लेलाक एवं अन्य के अनुसार

मानसिक मंदता एक अक्षमता है जिसमें व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता और अनुकूलनीय व्यवहार में महत्वपूर्ण कमी पायी जाती है और यह कमी उसके सांकल्पनिक, सामाजिक और प्रायोगिक कौशलों में परिलक्षित होती है। इस अक्षमता का आरंभ 18 वर्ष से पूर्व होता है।

अमेरिकन असोसिएशन ऑफ इंटेलेक्चुअल एण्ड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज American Association of Intellectual & Developmental Disabilities-AAIDD½ 2012 श्लेलाक एवं अन्य के अनुसार

‘बौद्धिक अक्षमता’ एक अक्षमता है जिसमें व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता और अनुकूलनीय व्यवहार में महत्वपूर्ण कमी पायी जाती है और यह कमी उसके सांकल्पनिक, सामाजिक और प्रायोगिक कौशलों में परिलक्षित होती है। इस अक्षमता का आरंभ 18 वर्ष से पूर्व होता है।

उपरोक्त परिभाषा का विश्लेषण करने पर आपको निम्नलिखित विशेषताएँ प्राप्त होंगी।

- i. कमानसिक मंदता एक अक्षमता है।

- ii. इस अक्षमता में व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता और अनुकूलनीय व्यवहार में 'महत्वपूर्ण कमी' पायी जाती है।
- iii. व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता और अनुकूलनीय व्यवहार में कमी उसके सांकल्पनिक, सामाजिक और प्रायोगिक कौशलों में दिखायी देती हैं।
- iv. इस अक्षमता की शुरुआत 18 वर्ष से पूर्व होती है।

अब जरा परिभाषा के चारों उपभागों का थोड़ी गहराई से विश्लेषण करें।

क. मानसिक मंदता एक अक्षमता है। $\frac{1}{4}$ Disability $\frac{1}{2}$

सामान्य भाषा में 'अक्षमता' का तात्पर्य है किसी व्यक्ति के शारीरिक भाग/भागों में ऐसी विचलन जिससे उसकी दैनिक कार्य क्षमता सामान्य व्यक्ति के सापेक्ष कम हो जाती है। उदाहरण के लिये यदि किसी व्यक्ति का दुर्घटना में एक पैर कट जाये तो उसके पैर की कार्यक्षमता एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में कम हो जाती है। ठीक इसी प्रकार मानसिक मंदता एक अक्षमता है क्योंकि इससे प्रभावित व्यक्ति का मस्तिष्क सामान्य की तुलना में कम काम करने की वजह से उसकी दैनिक कार्यक्षमता सीमित हो जाती है।

ख. इस अक्षमता में व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता और अनुकूलनीय व्यवहार में 'महत्वपूर्ण कमी' पायी जाती है।

मानसिक मंदता में व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता और अनुकूलनीय व्यवहार दोनों में सामान्य अर्थों से महत्वपूर्ण कमी पायी जाती है।

अनुकूलनीय व्यवहार से हमारा तात्पर्य उन दैनिक क्रियाओं से है जिसके द्वारा हम वातावरण को अपने अनुकूल बनाने के लिये करते हैं। उदाहरण के लिये हमें ठंड लगती है तो हम चादर आढ़ते हैं या गर्म कपड़े पहनते हैं।

ग. व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता और अनुकूलनीय व्यवहार में कमी उसके सांकल्पनिक, सामाजिक और प्रायोगिक कौशलों में दिखायी देती हैं।

अवधारणात्मक (Conceptual) कौशल

- भाषा (अभिव्यक्ति/ग्राह्य)
- पढ़ना, लिखना
- धन संबंधी संकल्पना
- स्व-निर्देश आदि

समाजिक (Social) कौशल

- जिम्मेदारी

- अंतवैयक्तिक संबंध
- आत्म सम्मान
- सरलता
- नियमों का पालन
- उत्पीड़न में बचाव आदि

प्रायोगिक कौशल


- दैनिक क्रियाएं/स्व सहायता कौशल यथा: नहाना, कपड़े पहनना, सजना आदि
- दैनिक नियमित कार्य: धरेलू काम, दवाई, दवाई लेना, फोन का प्रयोग, रूपए पैसे का हिसाब, आवागमन आदि
- स्वास्थ्य संबंधी क्रियाएं
- व्यावसायिक कौशल
- सुरक्षित वातावरण संबंधी कौशल
- सुरक्षित वातावरण संबंधी कौशल

इस अक्षमता की शुरुआत 18 वर्ष से पूर्व होती है। मानसिक मंदता की परिभाषा का एक महत्वपूर्ण पहलू है परिभाषा के पीछे ली गयी मान्यतायें या पूर्वानुमान। ए.ए.एम.आर. द्वारा दी गयी मानसिक मंदता की परिभाषा पाँच मान्यताओं पर आधारित हैं:

- i. व्यक्ति की वर्तमान क्रियाशील में कमी पर विचार करते समय व्यक्ति के हम उम्र व्यक्तियों एवं उसकी संस्कृति का ध्यान अवश्य रखा जाना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है जब भी हम मानसिक मंदता का मूल्यांकन कर रहे हों, तब हमें संदर्भित व्यक्ति के हम उम्र और उसके सांस्कृतिक पहलुओं को सदैव ध्यान में रखना होगा। उदाहरण के लिये: एक गाँव का बच्चा प्रायः बड़ी उम्र तक भी हाथ से खाना खाता है चम्मच से नहीं। अब यदि हमने उसके वातावरण को ध्यान में रखे बिना, चूँकि वह चम्मच का प्रयोग करके खाना नहीं खाता, अतः हम उसे 'मानसिक मंदता ग्रस्त' घोषित करें, यह गलत है।
- ii. वैध आकलन में सांस्कृतिक, भाषिक, संप्रेषण, संवेदी, गामक एवं व्यवहारिक वैयक्तिक भिन्नताओं पर अवश्य विचार किया जाना चाहिए।
- iii. एक व्यक्ति के अंदर कमियों के साथ-साथ अच्छाइयाँ भी मौजूद होती हैं। कमियों की व्याख्या का उद्देश्य व्यक्ति के लिये आवश्यक सहायता की पहचान करना होना चाहिए।

- iv. अर्थात् यदि हम किसी व्यक्ति की 'मानसिक मंदता' का आकलन कर रहे हैं तो हमारा उद्देश्य उसके नमारात्मक पहलुओं को उजागर करना नहीं, बल्कि उन विशेष आवश्यकताओं और उपयुक्त सहायता की तलाश होना चाहिए जो उस व्यक्ति की सामान्य जीवन जीने में मदद कर सकें।
- v. एक निश्चित समय तक उपयुक्त व्यक्तिगत सहायता उपलब्ध कराये जाने पर मानसिक मंदता युक्त बालकों/व्यक्तियों को जीवन स्तर में सुधार होगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि 2002 की मानसिक मंदता की परिभाषा मानसिक मंदता का एक बहुआयामी मॉडल है जिसमें किसी व्यक्ति में मानसिक मंदता की उपस्थिति पर विचार करते हुए हमें पाँच पक्षों को ध्यान में रखना चाहिए-
- बौद्धिक क्षमता
 - अनुकूलनीय व्यवहार जिसमें अवधारिक, सामाजिक एवं प्रायोगिक कौशल शामिल हैं।
 - व्यक्ति की समाज में भागीदारी, सामाजिक अंतःक्रिया, और उसकी सामाजिक भूमिकाएँ।
 - व्यक्ति का स्वास्थ्य (शारीरिक और मानसिक दोनों)।
 - परिस्थितियाँ (संदर्भ एवं संस्कृति)।

इसे निम्नांकित आरेख के द्वारा आसानी से समझा जा सकता है।



अभी आपने महसूस किया होगा कि 'मानसिक मंदता' की परिभाषा जितनी सामान्य दिखती है, उससे कहीं ज्यादा जटिल है। शुरुआती दौर में मानसिक मंदता को परिभाषित करने का प्रयास अपनी नकारात्मकता के कारण मानसिक मंद व्यक्तियों को, उनकी कमियाँ बताकर समाज से काटता है, परन्तु धीरे-धीरे मानसिक मंदता की परिभाषा सकारात्मकता की ओर बढ़ा है।

6.3.5 मानसिक मंदता की परिभाषा का भारतीय परिप्रेक्ष्य

भारत में मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता को परिभाषित करने का प्रयास ज्यादा पुराना नहीं है। पहली बार विकलांग जन अधिनियम 1/4PWD Act/2 1995 में मानसिक मंदता को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार "मानसिक मंदता का तात्पर्य मानव मस्तिष्क के अवरुद्ध अथवा अपूर्ण विकास से है जो सामान्यतः अधोसामान्य (Subnormal) बौद्धिक क्षमता के रूप में परिलक्षित होता है।" भारतीय संदर्भ में दी गई मानसिक मंदता की यह परिभाषा अत्यंत पुरानी प्रतीत होती है और अंतरराष्ट्रीय परिभाषाओं से इसकी तुलना करें तो अधूरी प्रतीत होती है क्योंकि इसमें मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता के निदान के लिए 'अनुकूलनीय व्यवहार का सीमित होना' समाहित नहीं है। इसमें 'बौद्धिक क्षमता' को मानसिक मंदता का नैदानिक मानदंड माना गया है जो अपर्याप्त है। सिर्फ सीमित वर्तमान में इस कानून में संशोधन की बात चल रही है।

अभ्यास प्रश्न

11. 'स्पष्ट औसत से कम' बौद्धिक क्षमता प्रयोग सर्व प्रथम ल्यूकेसॉन ने किया (सत्य/असत्य)
12. ग्रॉसमैन के अनुसार बच्चे का विकास काल 16 वर्ष तक माना जाना चाहिए, (सत्य/असत्य)
13. मानसिक मंदता में बौद्धिक क्रियाशीलता के साथ अनुकूलनीय व्यवहार भी सीमित होना चाहिए (सत्य/असत्य)
14. मानसिक मंदता को पाश्चात्य देशों में बौद्धिक अक्षमता कहा जाने लगा है। (सत्य/असत्य)
15. विकलांग जन कानून 1995 के अनुसार मानसिक मंदता का अर्थ अधोसामान्य बुद्धि लब्धि से है। (सत्य/असत्य)

6.4 मानसिक मंदता और मानसिक रूग्णता

6.4.1 सामान्य अंधविश्वास और सच्चाई

यद्यपि कि विगत दशकों में मानसिक मंदता के प्रति लोगों में जागरूकता आयी है, परन्तु अभी भी प्रायः मानसिक मंदता को 'मानसिक रोग' समझा जाता है। मानसिक मंदता और मानसिक रोग दो भिन्न संकल्पनायें/अवस्था है। इस सन्दर्भ में, भारत में कानूनी विकास का अध्ययन बड़ा दिलचस्प होगा। भारत में आजादी से पूर्व इंडियन लूनासी ऐक्ट, 1912 ¼Indian Lunacy Act 1912½ में आया। इस कानून के तहत मानसिक मंदता और मानसिक रोग दोनों को समान माना गया और समान प्रावधान किये गये। यह कानून स्वतंत्रता प्राप्ति के लगभग चार दशकों बाद भी लागू रहा। इस दौरान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे परिवर्तन हुए, मानसिक मंदता को मानसिक रोग से इतर मानकर दोनों के लिये अलग-अलग प्रावधान किये गये परन्तु भारत में 1986 तक दोनों में कोई कानूनी अंतर नहीं किया गया।

1987 में पहली बार मानसिक रोग को मानसिक मंदता से अलग माना गया और मंेटल हेल्थ ऐक्ट 1987 के तहत मानसिक रूग्णता के लिये अलग प्रावधान बनाये गये। यहाँ पर भी, मानसिक मंदता और मानसिक रूग्णता को अलग-अलग मान तो लिये गये पर, प्रावधान बनाया गया सिर्फ मानसिक रोग के लिये। उपरोक्त कानून से मानसिक मंदता को पूरी तरह से अलग रखा गया। मानसिक मंद बालकों को सम्मिलित करते हुए, भारत में पहला कानून बना वह है विकलांग जन कानून, 1995 जिसमें मानसिक मंदता की कानूनी परिभाषा के साथ ही उनके लिए विशिष्ट प्रावधान किये गये।

आज भी भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में मानसिक मंद बच्चों को 'पागल' कहा जाना एवं माना जाना आम है। इसके अलावा भी, मानसिक मंदता के प्रति विभिन्न भ्रांतियाँ मंदता बुरी आत्माओं के प्रभाव की वजह से होता है। मानसिक मंदता झाड़-फूँक से ठीक हो सकती है। शादी कर दिये जाने पर मानसिक मंदता ठीक हो सकती है। मानसिक मंदता एक छुआछूत का रोग है जो साथ, बैठने, साथ खेलने आदि से किसी को भी हो सकता है। मानसिक मंदता माँ-बाप के पिछले जन्म के कर्मों का फल है आदि। आप सहमत होंगे कि इस वैज्ञानिक युग में उपरोक्त मान्यताओं का कोई आधार नहीं। मानसिक मंदता न तो बुरी आत्माओं के प्रभाव से होती है और न ही झाड़-फूँक से उसे खत्म किया जा सकता है। मानसिक मंदता एक मानसिक अवस्था है, कोई छुआछूत का रोग नहीं कि मानसिक मंद व्यक्ति को छूने, साथ खेलने या बैठने से किसी को हो जाये। मानसिक मंदता के बहुत सारे संभावित कारणों का पता लगाया जा चुका है और बच्चों में मानसिक मंदता का माँ-बाप के पिछले जन्म के कर्मों से कोई लेना-देना नहीं है।

इन भ्रांतियों में सबसे सामान्य भ्रांति है मानसिक मंदता को मानसिक रूग्णता मान लेना जो कि न केवल कम पढ़े लिखे लोगों में, बल्कि उन पढ़े लिखे लोगों में भी मौजूद है जिनमें विकलांगता के प्रति जागरूकता नहीं है।

मानसिक मंदता मानसिक रूग्णता से पूर्णतया भिन्न है। जैसे मानसिक मंदता एक अवस्था (State of Mind) है, अतः इसे ठीक नहीं किया जा सकता है, हाँ नियमित प्रशिक्षण के द्वारा उनका सामान्य जीवन अनुकूलतम स्तर तक लाया जा सकता है। 'मानसिक रोग' बीमारी है, जिसे पूर्णतया ठीक किया जा सकता है और व्यक्ति एक सामान्य जीवन यापन कर सकता है मानसिक मंदता में व्यक्ति की बुद्धि-लब्धि (IQ) 70 से कम होनी आवश्यक है, परन्तु मानसिक रोग के लिये ऐसा कोई मापदण्ड नहीं है। मानसिक रोग एक कम बुद्धि-लब्धि

वाले को भी हो सकता है और एक उच्च बुद्धि-लब्धि वाले व्यक्ति को भी। जैसा कि आपने पिछली इकाई में पढ़ा, मानसिक मंद व्यक्तियों में अनुकूलनीय व्यवहार में भी कमी पायी जाती है, परन्तु मानसिक रूग्णता में व्यक्ति का अनुकूलनीय व्यवहार पूर्णतया सामान्य हो सकता है। इसके अतिरिक्त सबसे विशिष्ट बात यह है कि मानसिक मंदता विकासात्मक अवस्था अर्थात् 18 वर्ष से पूर्व ही हो सकती है, जबकि मानसिक रूग्णता किसी भी उम्र में हो सकती है। आगे दिये गये टेबल में मानसिक मंदता और मानसिक रूग्णता में, विभिन्न मानदंडों के आधार पर, अन्तर दर्शाया गया है जो इनके बीच का अन्तर समझने में आपकी मदद करेगा।

6.4.2 मानसिक मंदता और मानसिक रूग्णता में अन्तर

अवधारणा	मानसिक मंदता एक अवस्था है बीमारी नहीं	मानसिक रूग्णता एक रोग है
दवाइयों की प्रभाविकता	मानसिक मंदता पर दवाइयाँ प्रभावी नहीं है।	मानसिक रूग्णता दवाइयों से ठीक हो सकती है।
चिकित्सा	मानसिक मंदता में इलाज के बजाय प्रशिक्षण प्रभावकारी है।	मानसिक रूग्णता इलाज से ठीक हो सकती है
आरंभ होने की आयु	मानसिक मंदता का आरम्भ 18 वर्ष की आयु तक ही होता है।	मानसिक रूग्णता किसी भी उम्र में हो सकती है।
सामाजिक अनुकूलन	मानसिक मंद बालकों का सामाजिक अनुकूल सीमित होता है।	मानसिक रूग्ण व्यक्ति का सामाजिक अनुकूल सामान्य हो सकता है। कभी-कभी संभव है कि वह असामान्य व्यवहार प्रदर्शित करे।
बुद्धि लब्धि	मानसिक मंद बालकों की बौद्धिक कौशल (प्फ) 70 से नीचे माना जाता है।	एक मानसिक रूग्ण व्यक्ति का आई.क्यू उच्च भी हो सकता है और निम्न भी
समानता की संभावना	सामान्य नहीं बनाये जा सकते	सामान्य हो सकते हैं।
वर्गीकरण का आधार	1. बुद्धि लब्धि 2. शैक्षिक 3. आवश्यक सहायता	विभिन्न लक्षणों के आधार पर वृहत् रूप से साइकोसिस, न्यूरोसिस, न्यूरो साइकोसिस

अभ्यास प्रश्न

- | | |
|--|---------------|
| 16. मानसिक मंदता और मानसिक रुग्णता दोनों समान हैं। | (सत्य/असत्य) |
| 17. मानसिक रुग्णता 18 वर्ष से पूर्व ही होती है। | (सत्य/असत्य) |
| 18. मानसिक मंद बालकों की बुद्धि-लब्धि उच्च हो सकती है। | (सत्य/असत्य) |
| 19. मानसिक मंदता माता-पिता के पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम है। | (सत्य/असत्य) |
| 20. मानसिक मंदता एक छुआछूत की बीमारी है। | (सत्य/असत्य) |
| 21. एक मानसिक मंदत बालक को मानसिक रोग हो सकता है। | (सत्य/असत्य) |
| 22. मानसिक मंदता का इलाज संभव है। | (सत्य/असत्य) |
| 23. मानसिक मंदता में अनुकूलनीय व्यवहार सीमित हो यह आवश्यक नहीं। | (सत्य/असत्य) |
| 24. मानसिक रुग्ण व्यक्ति की बुद्धिलब्धि 70 से कम होती है। | (सत्य/असत्य) |
| 25. मानसिक मंदता किसी भी उम्र में हो सकती है। | (सत्य/असत्य) |

6.5 मानसिक मंद बालकों का वर्गीकरण और विशेषताएं

मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता एवं 'सापेक्ष' एक जटिल संकल्पना है जो 'बौद्धिक क्षमता' 'अनुकूलनीय व्यवहार' और 'विकासात्मक अवधि' (Developmental Period) की अवधारणा पर आधारित है। चूंकि समय के साथ उपरोक्त तीनों की परिभाषा और मान्यताएँ बदलती रही हैं, अतः तदनुसार मानसिक मंदता बौद्धिक अक्षमता की संकल्पना में भी परिवर्तन होते रहे हैं जैसा कि आपने पिछली इकाई 19 में देखा है। मानसिक मंदता, बौद्धिक अक्षमता की परिभाषा में शामिल संकल्पनाओं के परिवर्तनशील प्रवृत्तियों की वजह से, इसका वर्गीकरण अत्यंत दुष्कर कार्य है। इसके अलावा किसी बालक पर मानसिक मंदता, विकलांगता की किसी श्रेणी का 'लेवल' लगाने से उसके संपूर्ण जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है, इन वजहों से, मानसिक मंदता, बौद्धिक अक्षमता का वर्गीकरण भी उसकी परिभाषा के साथ-साथ परिवर्तित होता रहा है।

जैसा कि ल्यूकेसॉन एवं टीव ने चिन्हित किया है:

वर्गीकरण एक जटिल विषयवस्तु है जिसमें वैज्ञानिक, वित्तीय एवं शैक्षणिक हितों के अलावा, भावनात्मक, राजनैतिक एवं नैतिक सरोकारों भी सम्मिलित हैं। (ल्यूकेसॉन एवं रीव, 2001)

किसी भी संकल्पना का विभिन्न मानदण्डों के आधार पर वर्गीकरण करने का उद्देश्य होता है उसका विश्लेषण। मानसिक मंदता का वर्गीकरण भी अलग-अलग मानदण्डों एवं उद्देश्यों के आधार पर किया गया है परन्तु यहाँ हम तीन वर्गीकरणों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे:

1. विशिष्ट सहायता पर आधारित वर्गीकरण
2. मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण

3. शैक्षिक वर्गीकरण

6.5.1 विशिष्ट आवश्यक सहायता के आधार पर मानसिक मंदता का वर्गीकरण (Classification of Mental Retardation/ Intellectual Disability based on needed support)

यह मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता का नवतीनतम वर्गीकरण है। जैसा कि आपने अभी तक पढ़ा, मानसिक मंदता/बौद्धिक असमता एक सापेक्ष संकल्पना है, जो मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई 'बुद्धि लब्धि' की मान्यता पर आधारित है। 'बुद्धिलब्धि' एक असपष्ट पद है, जिसकी अभी तक कोई सर्वमान्य परिभाषा उपलब्ध नहीं है। इन सबके अतिरिक्त 'बौद्धिक क्षमता' और 'अनुकूलनीय व्यवहारों' को पूर्णतया अलग करना कठिन है, कई परिस्थितियों में दोनों समान प्रतीत होते हैं।

इस संदर्भ में, अधिकांश मनोवैज्ञानिकों द्वारा स्वीकृत वेशलर (Weschler) की बौद्धिक क्षमता की परिभाषा के अनुसार 'बौद्धिक क्षमता किसी व्यक्ति की उद्देश्य पूर्ण कार्य करने की, तर्कपूर्ण चिंतन की, एवं अपने वातावरण से प्रभावी समायोजन की संपूर्ण/सार्वभौम क्षमता है। 'यदि बौद्धिक क्षमता की इस परिभाषा से तुलना करें तो, व्यक्ति का अपने वातावरण के साथ समायोजन अर्थात् उसका अनुकूलनीय व्यवहार उसकी बौद्धिक क्षमता का अभिन्न अंग है। उपरोक्त कारणों एवं मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता युक्त व्यक्तियों के प्रति परिवर्तित सकारात्मक सामाजिक दृष्टिकोण के कारण, मनोवैज्ञानिक और शैक्षिक वर्गीकरण से इतर, वर्गीकरण इस क्षेत्र की अग्रणी संस्था ए.ए.आई.डी.डी. द्वारा सुझाया गया है जिसके अनुसार, मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता युक्त बालक निम्नांकित श्रेणियों में रखे जा सकते हैं-

क्रम सं.	शब्दावली	आवश्यक सहायता
1.	सविराम (असतत) सहायता (Intermittent)	अल्प अवधि की सहायता, जब आवश्यक हो अर्थात् हमेशा नहीं, धीरे धीरे सहायता में कमी, केवल कुछ क्षेत्रों में कभी कभी सहायता आवश्यक, तत्पश्चात्, स्वतंत्र जीवन के योग्य।
2.	सीमित सहायता (Limited)	स्विराम श्रेणी से कुछ अधिक समय तक कुछ अधिक क्षेत्रों में, अधिक गहन, सहायता, परन्तु सतत् सहायता नहीं, अल्प सहायता के साथ जीवनयापन करने में सक्षम।
3.	विस्तृत सहायता (Extensive)	अधिक गहन सहायता, जो कुछ क्षेत्रों में सतत् (Continuous) भी हो सकती है; आवश्यक सहायता की समय सीमा, तीव्रता और क्षेत्र ज्यादा गहन, सभी में नहीं परन्तु कुछ क्षेत्रों में आजीवन सहायता आवश्यक।
4.	अति विस्तृत/व्यापक सहायता (Pervasive)	अधिकांश क्षेत्रों में जीवनपर्यन्त सतत सहायता आवश्यक सहायता की गहनता (Intensity) अत्यधिका

*मानसिक मंदता: परिभाषा, वर्गीकरण और सहयोग प्रणाली, 2002 10 वाँ मैनुअल, AAMR से साभार

6.5.2 मानसिक मंदता का मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण: (Psychological Classification of MR/ID)

यह मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता का सबसे प्राचीन वर्गीकरण है जिसका मुख्य आधार है बौद्धिक परीक्षण पर प्राप्त अंक 'बुद्धि-लब्धि'। वर्तमान समय में, दो प्रमुख कारणों से इस वर्गीकरण का प्रचलन काफी कम होता जा रहा है। पहला कारण है: मानसिक मंदता स्पष्ट करने में बौद्धिक क्षमता के साथ साथ अनुकूलनीय व्यवहार पर बढ़ता जोर, और दूसरा कारण है वर्गीकरण के पीछे की नकारात्मकता जो यह बताता है कि बच्चे की बुद्धि बस इतनी ही है, जिसका प्रयोग कर के वह कुछ सीमित कार्यों में सक्षम है।

मनोवैज्ञानिक प्रणाली के अनुसार, बुद्धिलब्धि के अनुसार, मानसिक मंदता के निम्नांकित चार वर्ग हैं:

1. सौम्य मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता
2. मध्यम मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता
3. गंभीर मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता
4. अतिगंभीर मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता

क्र. सं.	शब्दावली	बुद्धिलब्धि
1.	सौम्य मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता	50-70
2.	मध्यम मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता	35-49
3.	गंभीर मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता	20-35
4.	अतिगंभीर मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता	20 से नीचे

यहाँ ध्यातव्य है कि:

- i. चौथी श्रेणी में 20 से नीचे आई. क्यू. लिया गया है, 0-20 नहीं। इसका कारण है कि प्रायः यह माना जाता है कि बच्चे जन्मजात बुद्धि होती है अतः बुद्धि कम हो सकती है, शून्य नहीं।
- ii. मानसिक मंदता सुनिश्चित करने में सिर्फ बुद्धिलब्धि ही नहीं बल्कि बालक के अनुकूलनीय व्यवहार को भी बराबर महत्व दिया जाना चाहिए।

6.5.3 मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता का शैक्षणिक वर्गीकरण (Educational Classification of ID)

सर्वप्रथम आपने मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता का मनोवैज्ञानिक, वर्गीकरण देखा जिसमें मानसिक मंदता बौद्धिक अक्षमता को चार वर्गों सौम्य, मध्यम, गम्भीर और अतिगम्भीर में बांटा गया है। आगे के पृष्ठों में हम प्रचलित शैक्षिक वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे जिसका मानदंड शैक्षिक उपलिब्धियों की पूर्वापेक्षा है। हालांकि मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता के प्रति समाज के बदलते दृष्टिकोण के कारण शैक्षणिक वर्गीकरण का प्रचलन भी धीरे-धीरे समाप्त होता जा रहा है।

शैक्षिक पूर्वापेक्षा के आधार पर- विद्वानों ने मानसिक मंदता को तीन श्रेणियों में विभाजित किया जिनका विवरण निम्नांकित है:

क्र. सं.	प्रयुक्त शब्दावली	अनुमानित IQ	शैक्षणिक अपेक्षाएँ
1.	शिक्षणीय मानसिकता मंदता (Educable Mental Retardation)	50 से 75-80 तक	1. विद्यालय में छठी कक्षा तक पढ़ाई करने में सक्षम 2. सामाजिक समायोजन में सक्षम 3. स्वतंत्र व्यवसाय में सक्षम कुछ क्षेत्रों में आंशिक सहायता की आवश्यकता हो सकती है। 4. अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में कठिनाई
2.	प्रशिक्षण मानसिक मंदता (Trainable Mental Retardation).	20 से 50-55 तक	स्वसहायता कौशल में प्रशिक्षणोपरांत सक्षम अल्प शैक्षणिक उपलिब्धि प्रायः तीसरी चौथी कक्षा तक, सामाजिक समायोजन घर एवं पड़ोसियों तक सीमित, व्यावसायिक दृष्टिकोण से आश्रय कार्यशाला (Sheltered Workshop) तक उपयुक्त
3.	संरक्षणीय मानसिक मंदता (Custodial Mental Retardation)	आई.क्यू 20 से कम	अत्यधिक देखरेख की आवश्यकता सामान्यतः अपनी दैनिक क्रियाकलापों को पूरा करने में सक्षम नहीं होते।

कुछ लेखकों ने, मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण की तरह ही धीमी गति से सीखने वाले बालक (Slow learners) IQ 70-75-90 तक को भी शैक्षणिक वर्गीकरण में शामिल किया है परंतु वर्तमान लेखक के दृष्टिकोण से यह उपयुक्त प्रतीत नहीं होता क्योंकि मानसिक मंदता की प्रथम शर्त है: आई. क्यू 70 से कमा फिर इससे अधिक आई. क्यू वाले बालकों को मानसिक मंदता की श्रेणी में कैसे रखा जा सकता है ?

मानसिक मंदता के विभिन्न वर्गीकरणों की समतुल्यता

आपने तीन प्रमुख मानदण्डों: आई. क्यू, शैक्षणिक पूर्वापेक्षा और आवश्यक सहयोग के आधार पर मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता का वर्गीकरण देखा। आपके मन में ये प्रश्न उठ रहे होंगे क्या ये सभी अलग-अलग हैं? उत्तर है- नहीं। तीनों वर्गीकरण समतुल्य है सिर्फ अंतर है लिए गए मानदण्डों का, जो मानसिक मंदता की पहचान के उद्देश्य पर निर्भर करता है। वर्तमान समय में मनोवैज्ञानिक और शैक्षणिक वर्गीकरण (अपने नकारात्मक दृष्टिकोण के कारण) प्रचलन से बाहर हो रहे हैं और 'आवश्यक सहायता' पर आधारित वर्गीकरण पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। आइये हम मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता के तीनों महत्वपूर्ण वर्गीकरणों की समतुल्यता पर विचार करें।

क्र. सं.	आई. क्यू.	आवश्यक सहायता के आधार पर वर्गीकरण	मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण	शैक्षणिक वर्गीकरण
1.	50-70	सविराम (असतत) (Intermittent)	सौम्य मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता (Mild)	शिक्षणीय मानसिक मंदता (EMR)
2.	35-49	सीमित सहायता (Limited)	मध्यम मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता (Moderate)	प्रशिक्षणीय मानसिक मंदता (TMR)
3.	20-34	विस्तृत सहायता (Extensive)	गंभीर मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता (Severe)	
4.	20 से कम	अति विस्तृत/व्यापक सहायता (Pervasive)	अतिगंभीर मानसिक मंदता/अक्षमता (Profound)	संरक्षणीय मानसिक मंदता

6.5.4 मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता युक्त बालकों की विशेषताएँ

मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता का तात्पर्य आयु के सापेक्ष बौद्धिक क्षमता एवं अनुकूलनीय व्यवहार में महत्वपूर्ण कमी से है जो बालक में जीवन पर्यंत पाया जाता है। हालांकि उपयुक्त प्रशिक्षण के द्वारा मानसिक मंदता युक्त बालकों के अनुकूलनीय व्यवहार को उन्नत किया जा सकता है परंतु अधिकांश बालक आजीवन इससे प्रभावित रहते हैं। सौम्य (Mild) मानसिक मंदता वाले अधिकांश बालकों की प्रायः तब तक वह पहचान नहीं हो पाती जब तक के स्कूल जाने नहीं लगते। सर्वाधिक मानसिक मंदता युक्त बालक (लगभग 85%) सौम्य मानसिक मंदता से ग्रसित पाए जाते हैं। इन्हें प्रायः संप्रेषण कौशल, स्व-सहायता कौशल अथवा छठी-सातवीं कक्षा तक के शैक्षणिक व्यवहार में ज्यादा समस्या नहीं आती। मध्य श्रेणी (Moderate) की मानसिक मंदता वाले बालक प्रायः विकासात्मक मील के पत्थर (Developments Mile Stores) को देर से प्राप्त कर पाते हैं साथ ही उनमें प्री-स्कूल के समय में भी उम्र के उपयुक्त व्यवहारों का देर से विकास होता है। ये जैसे-जैसे बड़े होते जाते हैं इनकी आयु और उपयुक्त व्यवहारों के मध्य अंतर बढ़ता जाता है और कई बार स्वास्थ्य एवं व्यवहार संबंधी समस्याएं भी दृष्टिगोचर होती हैं। गंभीर और अति गंभीर मानसिक मंदता युक्त बालकों की पहचान प्रायः जन्म से ही या उसके कुछ दिनों बाद हो जाया करती है। इनमें से अधिकांश बालकों में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र (Central Nervous System) की गंभीर विकृति पाई जाती है। हालांकि बुद्धि लब्धि के आधार पर गंभीर एवं अति गंभीर बालकों की पहचान की जा सकती है परंतु विभिन्न कार्यात्मक (Functional) कौशलों की कमी भी स्पष्ट होती है।

सामान्यतः मानसिक मंदता युक्त बालक निम्नलिखित विशेषताएं प्रदर्शित करते हैं:

1. शारीरिक विशेषताएं

- i. अधो-सामान्य शारीरिक विकास।
- ii. शारीरिक विकृतियां।
- iii. स्थूल गामक (Gross Motor) और सूक्ष्म गामक कौशल (Fine Motor) आयु के अनुपयुक्त।
- iv. आँखों और हाथों में समन्वय का अभाव।

2. मानसिक विशेषताएं

- i. अधो औसत बुद्धि लब्धि (70 से कम)।
- ii. किसी कार्य में रुचि का अभाव।
- iii. कभी-कभी आक्रामकता एवं अकेले रहना।
- iv. अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में कठिनाई।
- v. सोचने की सीमित क्षमता।
- vi. कमजोर स्मृति।
- vii. कमजोर ध्यान केंद्रित क्षमता।
- viii. कमजोर आत्मविश्वास एवं आत्म सम्मान।

- ix. सीमित सामाजिक समायोजन क्षमता।
- x. सीखे गए कौशलों के सामान्यीकरण में कठिनाई।
- xi. रूपएँ पैसे के लेन-देन में समस्या।
- xii. भाषा (अभिव्यक्ति एवं ग्राह्य) संबंधी समस्या।

3. मनसिक मंदता ग्रस्त बालकों की सामाजिक विशेषताएं:

- i. सामाजिक समायोजन क्षमता अनुपयुक्त
- ii. सहपाठियों एवं शिक्षकों से अंतर्संबंध बनाने में कठिनाई
- iii. कभी-कभी दूसरों एवं स्वयं को नुकसान पहुँचाने वाले व्यवहार
- iv. सामाजिक अवसरों पर उपयुक्त व्यवहार का अभाव
- v. शोषण से बचाव संबंधी कौशलों का अभाव
- vi. अपनी इच्छाएं अभिव्यक्त अभिव्यक्त करने में उपयुक्त कौशलों का अभाव

4. भावात्मक विशेषताएं

- i. भावात्मक असंतुलन एवं अस्थिरता।
- ii. पूर्व या देर से प्रतिक्रिया की अभिव्यक्ति।
- iii. भावनात्मक संबंधों को समझने में कठिनाई।
- iv. कई बार मानसिक मंदता से जुड़ी अन्य मानसिक एवं शारीरिक बीमारियां यथा फिट्स, अवसाद आदि।

अभ्यास प्रश्न

26. शिक्षणीय मानसिकता मंदता (Educable Mental Retardation) की बुद्धि लब्धि 50 से 70 के बीच होती है (सत्य/असत्य)
27. मानसिक मंदता का नवीनतम वर्गीकरण आवश्यक सहायता पर आधारित है (सत्य/असत्य)
28. अति गंभीर मानसिक मंदता की बुद्धि लब्धि 20 से कम होती है (सत्य/असत्य)
29. प्रशिक्षणीय मानसिक मंदता की बुद्धि लब्धि 35 से 49 के बीच होती है (सत्य/असत्य)
30. मानसिक मंदता का शैक्षणिक वर्गीकरण शैक्षणिक पूर्वापेक्षा पर आधारित है (सत्य/असत्य)
31. गंभीर मानसिक मंदता की बुद्धि लब्धि 20 से 35 होती है (सत्य/असत्य)
32. देर से प्रतिक्रिया मानसिक मंदता का एक प्रमुख लक्षण है (सत्य/असत्य)
33. मानसिक मंदता युक्त बालकों में कमजोर स्मृति की कोई समस्या नहीं होती शिक्षणीय
34. मानसिक मंदता युक्त बालकों की तार्किक क्षमता कम होती है (सत्य/असत्य)
35. मानसिक मंदता वाले बालकों का सामाजिक समायोजन अच्छा होता है (सत्य/असत्य)

6.6 सारांश

अभी तक आपने वर्तमान इकाई मानसिक मंदता की अवधारणा, परिभाषा, वर्गीकरण एवं विशेषताओं में मानसिक मंदता का संक्षिप्त वैश्विक एवं भारतीय इतिहास पढ़ा। प्राचीन समय में प्रायः विकलांगता युक्त बालकों का जन्म से पूर्व ही मार दिया जाता था। फ्रांसीसी चिकित्सक इटार्ड (1799) एवं उनके शिष्य सेंगुइन के प्रयासों ने मानसिक मंदता युक्त बालकों की शिक्षा की नींव रखी। बाद में मानवाधिकारों की वैश्विक घोषणा, विकलांग बालकों के अधिकारों की घोषणा, सलमांका, कान्फ्रेंस (1994), यू.एन.सी.आर.वी.डी. (2008), ने विकलांग बालकों के शिक्षा की ओर पूरे विश्व को प्रेरित कर दिया। भारत में भी, 1995 का विकलांग जन कानून, राष्ट्रीय न्याय कानून 1999, भारतीय पुनर्वास परिषद कानून 1992, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, शिक्षा का अधिकार कानून 1992 आदि के तहत, विकलांग युक्त बालकों की शिक्षा से संबंधित प्रावधान बनाए गए।

तत्पश्चात् हमने देखा कि मानसिक विकारों/अक्षमता को वैश्विक स्तर तीन मुख्य संस्थाओं ICD, AAIDD और DSM के द्वारा लगातार परिभाषित एवं परिष्कृत किया जाता रहा है। जिनमें मानसिक मंदता (अब बौद्धिक अक्षमता) में AAIDD अग्रणी है।

मानसिक मंदता एवं बौद्धिक अक्षमता का तात्पर्य प्रायः सीमित (70 से कम) बुद्धि लब्धि, एवं सीमित अनुकूलनीय व्यवहार से है जो दैनिक क्रिया-कलापों में प्रदर्शित होती है। इसका प्रादुर्भाव प्रायः 18 वर्ष की आयु से पूर्व होता है। आपने यह भी पढ़ा कि किसी व्यक्ति को मानसिक मंदता है या नहीं इसे सुनिश्चित करने के पीछे हमारा उद्देश्य उनकी कमियाँ बताने की बजाय सहयोग तंत्र विकसित करना होना चाहिए और इस प्रक्रिया में व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता एवं अनुकूलनीय व्यवहार के साथ ही उसकी संस्कृति, उसका वातावरण और उसकी सामाजिक भागीदारी पर भी वृहद् ध्यान देने की आवश्यकता है। आपने यह भी देखा कि मानसिक मंदता, मानसिक, रूग्णता से कई मानदंडों यथा बुद्धि लब्धि, दवाइयों की प्रभाविता, सामान्य होने की संभावना, वर्गीकरण आदि में पूर्णतया भिन्न है। मुख्यतः मानसिक मंदता एम 'अवस्था' है जिस पर न तो दवाइयाँ प्रभावी है, और न ठीक किया जा सकता है और यह अक्सर 18 वर्ष से पूर्व प्रकट होता है जबकि मनोरोग बीमारी का प्रकार है जिसका रोगी दवाइयों एवं चिकित्सा से पूरी तरह ठीक हो सकता है साथ ही मनोरोग किसी को भी किसी आयु में हो सकता है। आपने मानसिक मंदता के शैक्षिक, आवश्यक सहायता एवं बुद्धि लब्धि पर आधारित वर्गीकरण भी देखे और उनकी समतुल्यता देखी।

आपने पढ़ा कि मनोवैज्ञानिक मानसिक मंदता को IQ के आधार पर चार वर्गों में: सौम्य, मध्यम, गंभीर एवं अतिगंभीर में बाँटते हैं वही शिक्षा विद् शैक्षिक पूर्वापेक्षा के आधार तीन भागों-षिक्षणीय, प्रषिक्षणीय एवं संरक्षणीय भागों में बाँटते हैं। आधुनिक समय में इसे, आवश्यक सहायता के आधार पर, असतत्, सीमित, विस्तृत एवं अतिविस्तृत सहायता के वर्गों में विभाजित किया है। आगे की इकाई में इसकी पहचान, परीक्षण एवं शिक्षण विधियों पर चर्चा करेंगे।

6.7 शब्दावली

1. **मानसिक मंदता** का तात्पर्य महत्वपूर्ण रूप से कम अधो औसत सामान्य बुद्धिमत्ता से है जिसके परिणामस्वरूप/जिसके साथ-साथ अनुकूलनीय व्यवहार में कमी पायी जाती है और इसका प्रारंभ विकासात्मक अवस्था में होता है।
2. **सामान्य बौद्धिक प्रक्रिया** इस प्रयोजन के लिए विकसित और क्षेत्र/देश विशेष की परिस्थितियों के अनुकूल बनाए गए मानकीकृत सामान्य बौद्धिक परीक्षण किये जाने पर प्राप्त होने वाले परिणामों को सामान्य बौद्धिक प्रक्रिया कहा जाता है।
3. **“स्पष्ट रूप से औसत से कम”** से अभिप्राय है बुद्धि के मानकीकृत माप पर 70 या उससे कम बुद्धिलब्धि। बुद्धिलब्धि की अधिकतम सीमा का अभ्यास दिषानिर्देश न देना है, इसे 75 या उससे अधिक भीस बढ़ाया जा सकता है। यह वृद्धि प्रयुक्त बुद्धि परीक्षण की विश्व सनीयता के अनुसार की जा सकती है।
4. **“अनुकूली (अडेटिटव) व्यवहार”** वह स्तर है जिस पर कोई व्यक्ति विशेष आत्म-निर्भरता और सामाजिक उत्तरदायित्व के उन मानकों को पूरा करता है जिसकी उस आयु और सांस्कृतिक समूह के व्यक्तियों से अपेक्षा की जाती है। अनुकूली व्यवहार की अपेक्षाएँ कालानुक्रमिक आयु से भिन्न होती हैं। अनुकूली व्यवहार में होने वाली कमी निम्नलिखित क्षेत्रों में देखने को मिलती है।
5. बौद्धिक क्षमता किसी व्यक्ति की उद्देश्य पूर्ण कार्य करने की, तर्कपूर्ण चिंतन की, एवं अपने वातावरण से प्रभावी समायोजन की संपूर्ण/सार्वभौम क्षमता है।
6. **‘अक्षमता’** का तात्पर्य है किसी व्यक्ति के शारीरिक भाग/भागों में ऐसी विचलन जिससे उसकी दैनिक कार्य क्षमता सामान्य व्यक्ति के सापेक्ष कम हो जाती है।
7. AAIDD: American Association of Intellectual and Developmental Disabilities
8. AAMD: American Association of Mental Deficiency
9. AAMR: American Association of Mental Retardation
10. APA: American Psychiatric Association
11. CMR: Custodial Mental Retardation
12. DSM: Diagnostic and Statistical Manual (of Mental Disorders)
13. EAHCA: Education of All Handicapped Children Act 1975
14. EMR: Educable Mental Retardation
15. ICD: International Classification of Disease
16. ICFDH: International Classification of Functioning, Disability and Health
17. ICIDH: International Classification of Impairment Disability and Handicapped
18. IEDC: Integrated Education for Disabled Children
19. ILA: Indian Lunacy Act

20. MHA: Mental Health Act
21. NIMH: National Institute for the Mentally Handicapped
22. NPE: National Policy on Education 1986
23. PWD Act: Persons With Disabilities (Equal Opportunities, Full participation & Protection of Rights Act 1995)
24. RTE: Right to Education Act, 2009
25. SFB: Senguen Form Board
26. TMR: Trainable Mental Retardation
27. UNCRPD: United Nations Convention on Rights of Persons with Disabilities
28. WHO: World Health Organization

6.8 संदर्भ ग्रंथ/ अन्य अध्ययन

1. हेवार्ड डब्ल्यू.जे., (2006), विशिष्ट काउंसिल ऑफ एक्सेप्सनल चिल्ड्रेन (CEC) से प्रकाशित ।
2. ल्यूकेसान एवं अन्य, (1992), मेंटल रिटार्डेशन, क्लासिफिकेशन एंड सिस्टम ऑफ स्पोर्ट्स (9वीं मैनुअल) AAMR से प्रकाशित ।
3. श्लेलाक एवं अन्य, (2002), मेंटल रिटार्डेशन, क्लासिफिकेशन एंड सिस्टम ऑफ स्पोर्ट्स (9वीं मैनुअल) AAMR से प्रकाशित ।
4. रीता पेषवारिया एवं अन्य, बेसिक एम.आर. शिक्षक मैनुअल, NIMH, सिकंदराबाद से प्रकाशित ।
5. डिसेबिलिटी स्टेटस ऑफ इंडिया ; 2007, भारतीय पुनर्वास परिषद् से प्रकाशित ।
6. यूनेस्को, (2001), अंडरस्टैंडिंग एंड रेस्पॉन्डिंग टू चाइल्ड नीड्स इन इनक्लूसिव क्लासरूम, यूनेस्को से प्रकाशित।
7. मंगल एस.के., (2007), विशिष्ट बालक, प्रेंटिल हॉल ऑफ इंडिया से प्रकाशित ।
8. हालाहन डी.पी. एंड कॉफ मैन जे.एम., (2006), एक्सेप्सनल चिल्ड्रेन इंटरैक्शन टू स्पेशल एजुकेशन, पार्सन एजुकेशन से प्रकाशित ।
9. भारत सरकार, (1995), पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज ऐक्ट, भारत सरकार से प्रकाशित ।
10. यूनेस्को, (2004), इम्ब्रासिंग डायवर्सिटी टूलकिट फॉर क्रिएटिंग इनक्लूसिव लर्निंग फ्रेंडली इनवायरमेंट यूनेस्को की वेबसाइट से लिया गया।
11. एनिसवर्थ पी. एंड बेकर सी.बी. (2004), अंडरस्टैंडिंग मेंटल रिटार्डेशन, यूनिवर्सिटी प्रेस ऑफ मिसिसीपी से प्रकाशित ।
12. रेनाल्डस सी.आर. एंड जानजेन इ.एफ. (Ed), (2007), इनसालक्लोपीडिया ऑफ स्पेशल एजुकेशन, जॉन वाइली एंड संस से प्रकाशित ।

6.9 निबंधात्मक प्रश्न

1. मानसिक मंदता के संक्षिप्त पाश्चात्य इतिहास का विवरण दें?
2. मानसिक मंदता के भारतीय इतिहास पर प्रकाश डालें?
3. मानसिक मंदता परिभाषित करने वाली अग्रणी संस्थाओं AAIDD, DSM और WHO-ICD का परिचय प्रस्तुत करें?
4. मानसिक मंदता की 1983 और 1992 की AAMR की परिभाषा का तुलनात्मक विवरण दें?
5. मानसिक मंदता की 2012 और 2002 की AAMR की परिभाषा की व्याख्या प्रस्तुत करें, साथ ही इसके पीछे ली गई मान्यताओं का विवरण दें?
6. मानसिक मंदता और मानसिक रोग में अंतर स्पष्ट करें साथ ही मानसिक मंदता के प्रति भारतीय समाज में व्याप्त भ्रान्तियों की चर्चा करें?
7. मानसिक मंदता का 'आवश्यक सहायता पर आधारित' वर्गीकरण प्रस्तुत करें। आवश्यक सहायता पर आधारित वर्गीकरण की मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण से तुलना करें?
8. मानसिक मंदता को परिभाषित करें एवे मानसिक मंदता युक्त बालकों की विशेषताओं को लिखें?
9. मानसिक मंदता के मनोवैज्ञानिक और शैक्षणिक वर्गीकरण का विवरण दें एवं दोनों की तुलना करें?
10. मानसिक मंदता के विभिन्न वर्गीकरणों की चर्चा करें और उनकी समतुल्यता पर प्रकाश डालें?

इकाई 7 मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता की स्क्रीनिंग, पहचान, उनका शिक्षण एवं प्राशिक्षण

- 7.1 प्रस्तावना
- 7.2 उद्देश्य
- 7.3 मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता की स्क्रीनिंग एवं पहचान
- 7.4 परीक्षण - उद्देश्य, प्रकार एवं परीक्षण टूल्स
 - 7.4.1 परीक्षण उसके उद्देश्य उसके प्रकार
 - 7.4.2 परीक्षण टूल्स
 - 7.4.3 भारतीय परिप्रेक्ष्य में परीक्षण टूल्स
- 7.5 मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता युक्त बालकों का शिक्षण एवं प्राशिक्षण
 - 7.5.1 शिक्षण के सिद्धांत
- 7.6 शिक्षण के प्रकार; समूह शिक्षण एवं व्यक्तिगत शिक्षण योजनाद्ध
 - 7.6.1 शिक्षण की विशिष्ट तकनीकें
- 7.7 सारांश
- 7.8 शब्दावली एवं शब्द विस्तार
- 7.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 7.10 संदर्भ ग्रंथ सूची
- 7.11 निबंधात्मक प्रश्न

7.1 प्रस्तावना

पिछली इकाई में आपने मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता की परिभाषा, उसका वर्गीकरण, एवं उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा। इस इकाई में हम मानसिक मंदता की स्क्रीनिंग एवं पहचान के बारे में पढ़ेंगे। स्क्रीनिंग और पहचान के अर्थों के साथ ही प्रथम उप इकाई में हम राष्ट्रीय विकास के विभिन्न मील के पत्थर के अतिरिक्त सिकंदराबाद मानसिक विकलांग संस्थान, द्वारा मानसिक मंदता की स्क्रीनिंग एवं पहचान के लिए विकसित अनुसूचियों का अध्ययन करेंगे।

दूसरी उप इकाई में हम मानसिक मंदता के आकलन/परीक्षण (Assessment) के बारे में जानेंगे जिसमें सर्वप्रथम, आकलन/परीक्षण की परिभाषा, उनके लिये प्रयुक्त टूल एवं उसके उद्देश्यों का अध्ययन करेंगे, तत्पश्चात् हम मानसिक मंदता के आकलन/परीक्षण हेतु विभिन्न टूलों के बारे में जानेंगे साथ ही भारत में बहुतापत से प्रयोग दिये जा रहे तीन टूल्स: मदास विकासात्मक कार्यक्रम प्रणाली (MDPS), फंक्शनल

असेसमेंट चेकलिस्ट फॉर प्रोग्रामिंग (FACP) ,और विहैवियर असेसमेंट स्केल फॉर इंडियन चिल्ड्रेल विथ मंटल रिटार्डेशन (BASIC MR) विस्तृत अध्ययन करेंगे।

पाठ की तीसरी उपइकाई में हम मानसिक मंदता युक्त बालकों के शिक्षण के विभिन्न सिद्धांत , उनके शिक्षण के प्रकार और विशिष्ट तकनीकों का संक्षिप्त अध्ययन करेंगे तत्पश्चात् इकाई (21) में मानसिक मंदता युक्त बालकों के शैक्षिक नियोजन के विकल्प, उनके शिक्षण की वर्तमान प्रवृत्तियाँ और मानसिक मंदता युक्त बालकों के समावेशी शिक्षण का अध्ययन करेंगे।

इकाई के अंत में पुनरावृत्ति हेतु इकाई सारांश दिया गया है तथा आपकी सुविधा के लिये पारिभाषिक शब्दों की सूची एवं शब्द संक्षेप एवं उनके विस्तृत रूप भी दिये गये हैं। साथ ही पाठ की समाप्ति पर आगे के भी अपलब्ध है। इस इकाई के अंत में आपकी समझ के विस्तार हेतु तीन परिशिष्ट दिये गये हैं। जिसमें पहले परिशिष्ट में MDPS के एक क्षेत्र का उदाहरण दूसरा परिशिष्ट FACP के एक क्षेत्र का उदाहरण है एवं तीसरा परिशिष्ट मानसिक मंदता युक्त बालकों के शिक्षण योजना का प्रारूप है जिसे आप प्रयोगात्मक ज्ञान हेतु अमल में ला सकते हैं। यथा संभव इकाई की भाषा सामान्य रखी गयी है और लेखक को आशा है कि इकाई आपको सरल, रुचिकर एवं ज्ञान वर्द्धक लगेगा।

7.2 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात आप

1. स्क्रीनिंग एवं पहचान की परिभाषा और उनकी आवश्यकता के बारे में बता सकेंगे।
2. स्क्रीनिंग एवं पहचान (मानसिक मंदता के विशेष संदर्भ में) के विभिन्न टूलों के बारे में बता सकेंगे।
3. विकास के मील के पत्थरों को बता पाने में सक्षम होंगे।
4. मानसिक मंदता के संदर्भ में परीक्षण के उद्देश्य , प्रकार एवं उसकी परिभाषा बता सकेंगे।
5. मानसिक मंदता के परीक्षण हेतु विभिन्न टूलों के बारे में बता सकेंगे।
6. भारत में प्रयोग किये जा रहे तीन टूलों MDPS, FACP और BASIC (MR) की मुख्य विशेषतायें और कमियाँ बता पाने में सक्षम होंगे।
7. उपरोक्त तीनों टूलों का तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत कर सकेंगे।
8. विशेष शिक्षा के सिद्धांतों का वर्णन कर सकेंगे। मानसिक मंदता युक्त बालकों के शिक्षण की प्रमुख विधियों यथा विश्लेषण, चेनिंग, शेपिंग, प्राम्प्टिंग, फेडिंग ,रीइन्फोर्स अदि की व्याख्या कर सकेंगे।

7.3 मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता की स्क्रीनिंग एवं पहचान

मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता अनेकों कारणों से हो सकती है। गर्भाधान से लेकर विकासात्मक अवस्था (18 वर्ष) तक असंख्य ऐसे कारक हैं जो मानसिक मंदता के लिए उत्तरदायी हैं। स्क्रीनिंग का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति/बालक में मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता की संभावना दिखती है और तब उसके निदान हेतु आगे के परीक्षण किए जाते हैं यँ तो मानसिक मंदता की पहचान हेतु बहुत सारे

चिकित्सकीय उपकरण यथा अल्ट्रासोनोग्राफी, अमीनोसिनटेसिस, फीटोस्कोपी, इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम (ECG), इको-कार्डियोग्राम, मैग्नेटिक रेनोनेंस इमेजिंग (MRI) आदि उपलब्ध है, परंतु वर्तमान इकाई में हम सिर्फ उन स्क्रीनिंग टूल का अध्ययन करेंगे जो बच्चे के व्यवहारों का अध्ययन करके मानसिक मंदता की संभावनाओं और उनके निदान में अत्यंत सहयोगी है। पहचान (Identification) स्क्रीनिंग का परिणाम है। भारत में मानसिक मंदता की पहचान के लिए राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान (NIMH) सिकंदराबाद ने कई जाँच सूचियाँ बनाई है जिसके आधार पर मानसिक मंदता का आगे का परीक्षण, उसकी गंभीरता निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है। जन्म के बाद से, पूरी विकासात्मक अवधि के दौरान, एक बालक एक निश्चित समय पर कुछ क्रियाएं आरंभ कर देता है, जिन्हें विकास के मील के पत्थर कहते हैं। मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता निर्धारण के लिए आइए सर्वप्रथम हम देखते हैं कि एक बच्चा विभिन्न मील के पत्थर किस उम्र विशेष में सीख जाता है।

विकास के मील के पत्थर (Developmental Milestones)

विकास के सामान्य मील पत्थर

क्र.सं.	अवस्था	आयु
1.	किसी को देखकर मुस्कुराता है।	4 माह
2.	सिर सीधा रखता है।	4 माह
3.	मुँह में वस्तुएँ डालता है।	4 माह
4.	पेट के बल करवट लेकर आ जाता है।	6 माह
5.	चीजें पकड़ने के लिए पूरी हथेली का इस्तेमाल करता है।	7 माह
6.	अन्ना, अम्मा, दादा बोलता है।	7 माह
7.	सहारे के बिना बैठता है।	8 माह
8.	नाम बोलने पर समझता है।	10 माह
9.	घुटनों के बल खिसकता है।	10 माह
10.	किसी वस्तु को पकड़कर खड़ा होता है।	10 माह
11.	अँगूठे और तर्जनी से वस्तु पकड़ता है।	10 माह
12.	सहारे के बिना खड़ा होता है।	10 माह
13.	अम्मा, अक्का, अत्ता को पहचान कर उन्हें बुलाता है।	15 माह
14.	सहारे के बिना चलता है।	15 माह
15.	अपना नाम बोलता है।	18 माह
16.	ग्लास से स्वयं पीता है।	21 माह
17.	नाम लेने पर शरीर के अंगों के बारे में बताता है।	24 माह
18.	शौचादि की आवश्यकताओं को बताता है।	24 माह

19	छोट-छोटे वाक्य बोलता है।	30 माह
20.	कपड़ों के बटन खोल लेता है।	36 माह
21.	सीधे सादे प्रश्नों के अर्थपूर्ण मौखिक उत्तर देता है।	36 माह
22.	छोटे और बड़े में अन्तर करता है।	36 माह
23.	लड़के या लड़की को पहचानता है।	36 माह
24.	कपड़ों के बटन लगा लेता है।	40 माह
25.	बालों में कंघी कर लेता है।	48 माह

स्क्रीनिंग एवं पहचान टूल्स

मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता निर्धारित करने के लिए व्यापक रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला उपकरण विकासात्मक अनुसूची है। अधोलिखित जांच सूची राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सिकंदराबाद द्वारा विकसित किया गया है जिसका उपयोग मानसिक मंदता के वर्तमान कार्यात्मक स्तर का निर्धारण किया जा सकता है। यह 0 से 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों के निर्धारण के लिए उपयोगी है।

निर्धारण जांच सूची

आयु वर्ग 0-6 माह

1. क्या बच्चा दूसरों को देखकर मुस्काराता है? (हाँ /नहीं)
2. क्या बच्चा अपना सिर सीधे खड़ा रहता है जब पेट के बल लिटाया जा है। (हाँ /नहीं)
3. क्या बच्चा ता-ता-ता, न, न, न जैसी ध्वनियां निकालता है? (हाँ /नहीं)
4. क्या बच्चा पेट के बल लुढ़क सकता है? (हाँ /नहीं)

आयु वर्ग 7-12 माह

5. क्या नाम पुकारने पर बच्चा अनुक्रिया व्यक्त करता है? (हाँ /नहीं)
6. क्या बच्चा बिना सहायता के बैठ सकता है? (हाँ /नहीं)
7. क्या बच्चा पेट के बल रेंगता है? (हाँ /नहीं)
8. क्या बच्चा किसी वस्तु को पकड़ कर खड़ा हो सकता है? (हाँ /नहीं)
9. क्या बच्चा अपने अंगूठे और तर्जनी से किसी वस्तु को उठा सकता है? (हाँ /नहीं)

आयु वर्ग 1-2 वर्ष

10. क्या बच्चा बिना सहायता के खड़ा हो सकता है? (हाँ /नहीं)
11. क्या बच्चा अम्मा, अत्ता, टा-टा बोलता है? (हाँ /नहीं)
12. क्या बच्चा बिना किसी सहायता के चल सकता है? (हाँ /नहीं)

13. क्या बच्चा स्वयं ही किसी गिलास या कप में से पेय पदार्थ पी सकता है? (हाँ/नहीं)
14. क्या बच्चा, जब कहा जाए तब, अपने शरीर के अंग दिखाता है? (हाँ/नहीं)
15. क्या वह याद दिलाए जाने पर अन्य व्यक्तियों का अभिवादन करता है? (हाँ/नहीं)

आयु वर्ग 2-3 वर्ष

16. क्या बच्चा अपने दोनों पैरों से एक साथ कूद सकता है? (हाँ/नहीं)
17. क्या बच्चा सरल प्रश्नों का मौखिक उत्तर दे सकता है? (हाँ/नहीं)
18. क्या बच्चा पेंसिल सही ढंग से पकड़ सकता है? (हाँ/नहीं)
19. क्या बच्चा अपनी शौचादि संबंधी आवश्यकताओं को बता सकता है? (हाँ/नहीं)
20. क्या बच्चा अपना नाम बोल सकता है? (हाँ/नहीं)
21. क्या बच्चा 2-3 शब्दों के सरल वाक्य बोल सकता है? (हाँ/नहीं)
22. क्या बच्चा रंगों की पहचान कर सकता है? (हाँ/नहीं)

आयु वर्ग 3-4 वर्ष

23. क्या बच्चा अपने दांतों पर ब्रश कर सकता है? (हाँ/नहीं)
24. क्या बच्चा अपने पहने हुए कपड़े उतार सकता है? (हाँ/नहीं)
25. क्या बच्चा वस्तुओं के उपयोग के आधार पर वस्तु को इंगित कर सकता है? (हाँ/नहीं)
26. क्या बच्चा स्वयं खाना खा सकता है? (हाँ/नहीं)
27. क्या बच्चा छोटी आकार की वस्तुओं में से बड़ी वस्तुओं की पहचान कर सकता है? (हाँ/नहीं)

आयु वर्ग 4-5 वर्ष

28. क्या बच्चा गोल, सीधी या तिरछी लकीरें नकल करके खींच सकता है? (हाँ/नहीं)
29. क्या बच्चा अपने कपड़ों के बटन बंद कर सकता है? (हाँ/नहीं)
30. क्या बच्चा बिना किसी सहायता के अपने बालों में कंघी कर सकता है? (हाँ/नहीं)
31. क्या बच्चा बिना किसी सहायता के अपने चेहरा धो सकता है? (हाँ/नहीं)
32. क्या बच्चा नियतकालिक कार्य कर सकता है? (हाँ/नहीं)
33. क्या बच्चा 10 तक गिनती बोल सकता है? (हाँ/नहीं)
34. क्या बच्चा वस्तु को दिखाने पर उसका रंग बता सकता है? (हाँ/नहीं)

आयु वर्ग 5-6 वर्ष

35. क्या बच्चा दो असंबंधित अनुदेशों को समझ सकता है? (हाँ/नहीं)
36. क्या बच्चा सप्ताह के दिन के नाम अनुक्रम से बता सकता है? (हाँ/नहीं)
37. क्या बच्चा सरल शब्दों को समझ सकता है? (हाँ/नहीं)

38. क्या बच्चा 10 तक सही गिनती गिन सकता है? (हाँ/नहीं)
 39. क्या बच्चा एक-एक पैर रखकर सीढ़ी चढ़ सकता है? (हाँ/नहीं)

यदि किसी बच्चो में 1-11 तक में दी गई मदों में से किसी एक मद का विलम्ब से होना पाया जाता है और यदि बच्चे को दौरे पड़ते हैं या शारीरिक असमर्थता है तो मानसिक रूप से मंद होने का संदेह हो सकता है।

जांच अनुसूची सं. 1 (3 वर्ष से कम)

क्रम सं.	मद	सामान्य आयु वर्ग	अवस्था में विलम्ब यदि निम्न माह तक अपेक्षित कार्य न कर सके
1	नाम/आवाज लेकर बुलाए जाने पर प्रतिक्रिया दिखाता है।	1-3 माह	चौथे माह
2	किसी को देखकर मुस्कराता है।	1-4 माह	छठे माह
3	धीरे-धीरे सिर को संभालता है।	2-6 माह	छठे माह
4	सहारे के बिना बैठता है।	5-10 माह	बारहवें माह
5	सहारे के बिना खड़ा होता है।	9-18 माह	अठारहवें
6	ठीक से चलता है।	10-20 माह	बीसवें माह
7	2-3 शब्दों के वाक्य बोलता है।	16-30 माह	तीसरे वर्ष
8	स्वयं खाता पीता है।	2-3 वर्ष	चौथे वर्ष
9	अपना नाम बोलता है।	2-3 वर्ष	चौथे वर्ष
10	शौचादि पर नियंत्रण रख सकता है।	3-4 वर्ष	चौथे वर्ष
11	साधारण खतरों से बचता है।	3-4 वर्ष	चौथे वर्ष
12	अन्य कारण दौरे पड़ते हैं।	हाँ	नहीं
13	शारीरिक असमर्थकता होती है।	हाँ	नहीं

जांच सूची सं. 2 (3 से 6 वर्ष)

निम्नलिखित बातों पर ध्यान दें

1. दूसरे बच्चों की तुलना में क्या बच्चे ने बैठना, खड़ा होना या चलना अपेक्षाकृत अत्यधिक देर से शुरू किया? (हाँ/नहीं)
2. क्या बच्चे को सुनने में कोई कठिनाई होती हुई दिखाई पड़ती है? (हाँ/नहीं)
3. क्या बच्चे को देखने में कठिनाई होती है? (हाँ/नहीं)
4. जब आप बच्चे को कुछ करने के लिए कहते तो क्या उसे आपकी बात समझने में परेशानी होती है? (हाँ/नहीं)
5. क्या बच्चे के अंगों में कमजोरी और/या एंठन है और/या अपनी बाजू को घुमाने फिराने में कठिनाई होती है? (हाँ/नहीं)
6. क्या बच्चे को कभी कभार दौरा पड़ता है? उग्र हो जाता है या अचेत हो जाता है? (हाँ/नहीं)
7. क्या बच्चे को अपनी आयु के अन्य बच्चों की तरह कुछ सीखने में कठिनाई आती है? (हाँ/नहीं)
8. क्या बच्चा कुछ भी बोलने में असमर्थ होता है? (शब्दों में स्वयं समझ नहीं सकता/कोई स्पष्ट (सार्थक) शब्दों को बोल नहीं सकता) (हाँ/नहीं)
9. क्या बच्चे के बोलने का ढंग सामान्य बच्चों से किसी रूप में भिन्न है (अपने परिवार के सिवाय लोगों द्वारा कही गई बात को स्पष्ट समझ नहीं पाता है?) (हाँ/नहीं)
10. अपनी आयु के अन्य बच्चों की तुलना में, क्या बच्चा किसी भी तरह से पिछड़ा, उदासीन या मंदबुद्धि पड़ता है? (हाँ/नहीं)

यदि उपर्युक्त मदों में से किसी मद का उत्तर हाँ है तो मानसिक रूप में मंद का अनुमान लगाया जा सकता है।

जांच सूची 3 (7 वर्ष और उससे अधिक)

1. क्या बच्चे ने दूसरे बच्चों की तुलना में बैठना, खड़े होना या चलना अत्यधिक देर से शुरू किया है? (हाँ/नहीं)
2. क्या बच्चा खाने, कपड़े पहनने, नहाने और तैयार होने जैसे अपने काम नहीं कर सकता है? (हाँ/नहीं)
3. क्या बच्चे को समझने में कठिनाई होती है जब आप कहते हैं कि यह करो या वह करो? (हाँ/नहीं)
4. क्या बच्चे की बोली स्पष्ट नहीं है? (हाँ/नहीं)
5. क्या बच्चे को पूछे बिना स्पष्ट करने में कठिनाई होती है जो कुछ भी उसने सुना या देखा हो? (हाँ/नहीं)
6. क्या बच्चे के अंग कमजोर हैं और/या एंठन है और/या अपने बाजू को घुमाने फिराने में कठिनाई होती है? (हाँ/नहीं)

7. क्या बच्चे में कभी कभार दौरे पड़ते हैं, उग्र हो जाता है या अचेत हो जाता है? (हाँ/नहीं)
8. अपनी आयु के अन्य बच्चों की तुलना में, क्या बच्चा किसी भी तरह से पिछड़ा हुआ, उदासीन या मंदबुद्धि दिखाई पड़ता है? (हाँ/नहीं)

यदि उपर्युक्त मदों में से किसी भी एक मद का उत्तर हाँ हो तो मानसिक रूप से मंदन का संदेह करें।

टिप्पणी

जांच अनुसूची सं. 2 और 3 में ऐसे अधिकांश प्रश्न हैं जिनमें अधिक जानकारी शामिल है अर्थात् ऐसे बच्चों की पहचान की जा सकती है जिनमें शारीरिक मंदन न हों केवल श्रवण दोष या शारीरिक विकलांगता या मिरगी हो। इन दो जांच अनुसूचियों से प्रत्येक मानसिक रूप से मंद बच्चे की शीघ्र पहचान सुनिश्चित रूप से की जा सकती है।

अभ्यास प्रश्न

1. बच्चा नाम पुकारे जाने पर 1-3 महीने में प्रतिक्रिया देना आरंभ करता है। (सत्य/असत्य)
2. बच्चा 2-3 वर्ष में अपना नाम बोलना आरंभ कर देता है। (सत्य/असत्य)
3. बच्चा 1-2 वर्ष की आयु में शौचादि पर नियंत्रण करने लगता है। (सत्य/असत्य)
4. बच्चा 1 माह की आयु से सिर को संभालना शुरू कर देता है। (सत्य/असत्य)
5. 4 वर्ष वें एक बच्चे को कही गई बात समझने में कठिनाई होती है। बच्चे में मानसिक मंदता की संभावना है। (सत्य/असत्य)
6. बच्चा अन्य बच्चों की तुलना में पिछड़ा दिखाई देता है। बच्चे में मानसिक मंदता की कोई संभावना नहीं है। (सत्य/असत्य)
7. बच्चा चौथे माह तक भी अपनी आवाज सुनकर प्रतिक्रिया नहीं देना। उसमें मानसिक मंदता हो सकती है। (सत्य/असत्य)
8. बच्चा 18 माह तक बिना सहारे के नहीं बैठ पा रहा है। उसमें मानसिक मंदता की संभावना हो सकती है। (सत्य/असत्य)
9. पांच वर्ष के बच्चे की आवाज स्पष्ट नहीं है और कभी-कभी उग्र हो उठता है। बच्चे में मानसिक मंदता हो सकती है। (सत्य/असत्य)
10. बच्चे ने विकास के मील के पत्थर देर से प्राप्त किए हैं। बच्चे में मानसिक मंदता हो सकती है। (सत्य/असत्य)

7.4 परीक्षण उसके उद्देश्य उसके प्रकार एवं परीक्षण टूल्स

7.4.1 परीक्षण (Assessment) उसके उद्देश्य उसके प्रकार

परीक्षण (Assessment)

साधारण शब्दों में परीक्षण का तात्पर्य है किसी व्यक्ति के बारे में विभिन्न माध्यमों से सूचनायें एकत्रित करके उनका विश्लेषण करना।

वैलेस एवं लारेसन (1982) के अनुसार, 'परीक्षण एक प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति से संबंधित सूचनायें एकत्र करना, उन्हें संग्रहित करना एवं उनका विश्लेषण करना शामिल है ताकि उसके लिए शैक्षिक, निर्देशनात्मक, अथवा प्रशासनिक निर्णय लिये जा सकें।

उपरोक्त परिभाषा का विश्लेषण करने पर परीक्षण से संबंधित निम्नांकित तथ्य सामने आते हैं।

- परीक्षण एक प्रक्रिया है।
- परीक्षण की प्रक्रिया में किसी व्यक्ति के बारे में सूचनायें एकत्र करके, उसे संग्रहित करना और उनका विश्लेषण करना शामिल है।
- सूचनाओं का विश्लेषण करके उन पर आधारित जानकारी का प्रयोग संदर्भित व्यक्ति से संबंधित शैक्षणिक, प्रशासनिक अथवा निर्देशात्मक निर्णय लिया जा सके।

वस्तुतः 'परीक्षण' एक विस्तृत पद है जिसमें विभिन्न प्रकार एवं माध्यमों से किसी व्यक्ति के बारे में सूचनायें एकत्र की जाती हैं। सूचनाएँ संग्रहित एकत्र करने की तकनीकों में निम्नांकित सम्मिलित हैं।

- बच्चे का परोक्ष एवं प्रत्यक्ष जाँच
- बच्चे के शिक्षक/अभिभावकों से साक्षात्कार
- विभिन्न प्रकार की 'प्रक्षेप्य' (Projective) एवं अप्रक्षेप्य परीक्षण

मानसिक मंदता के परीक्षण का उद्देश्य (Purpose of Assessment)

सामान्यता मानसिक मंदता धु बौद्धिक अक्षमता के संदर्भ में परीक्षण के निम्नांकित उद्देश्य हो सकते हैं।

- मानसिक मंदता की प्रारंभिक जाँच एवं पहचान
- शैक्षणिक कार्यक्रम एवं रणनीतियों के पूर्वनिर्धारण हेतु
- मानसिक मंदतायुक्त बालक के वर्तमान निष्पादन स्तर एवं शैक्षणिक आवश्यकता का पूर्व निर्धारण
- वर्गीकरण एवं शैक्षिक नियोजन के निर्धारण के लिए
- व्यक्तिगत शैक्षिक कार्यक्रम के विकास के लिए।
- व्यक्तिगत शैक्षिक कार्यक्रम (IEP) की प्रभाविता का सर्वाधिक मुल्यांकन करने के लिए।

परीक्षण के प्रकार (Types of Assessment)

परीक्षण विभिन्न मानदंडों के आधार पर विभिन्न प्रकार हो सकते हैं यथा मानकीकरण (Standardization) के आधार पर मानकीकृत परीक्षण प्रकार हो सकते हैं। इसी प्रकार, यदि हम परीक्षण के उद्देश्यों की बात करें तो उसके अनुसार परीक्षण के निम्नांकित प्रकार हो सकते हैं।

- i. शैक्षिक परीक्षण
- ii. मनावैज्ञानिक परीक्षण
- iii. चिकित्सकीय परीक्षण
- iv. पाठ्यक्रम आधारित परीक्षण
- v. कार्यात्मक परीक्षण

लेखक आपसे आशा करता है कि आप परीक्षण एवं परीक्षणों के प्रकार के बारे में अन्य इकाइयों में यथास्थान पढ़ चुके होंगे।

भारतीय परिप्रेक्ष्य में बुद्धि परीक्षण:

- i. बिने कीमत परीक्षण इंटलिजेंस डॉ.वी के भाटिया, 1955 इससे पाँच उप टेस्ट:
- ii. ब्लॉक डिजाइन टेस्ट
- iii. एलेक्जेन्डर पास एलाग टेस्ट
- iv. इमिडियेट मेमरी टेस्ट
- v. पिक्चर कंस्ट्रक्शन टेस्ट

भारतीय परिप्रेक्ष्य में

- i. VSMS: विनलैंड सोशल मैचुरिटी स्केल
- ii. ABS: एडेप्टिव विहैविर स्केल

7.4.5 भारतीय परिप्रेक्ष्य में परीक्षण टूल्स

बौद्धिक अक्षमता/मानसिक मंदता युक्त बालकों के परीक्षण एवं उनके लिए कार्यक्रम बनाने के लिए यूनं बहुत सारे टूल्स उपलब्ध हैं परंतु भारतीय परिप्रेक्ष्य में प्रायः निम्नांकित टूल प्रयोग में लाए जा रहे हैं:

- i. MDPS: मद्रास डेवलपमेंटल प्रोग्रामिंग सिस्टम
- ii. FACP: फंक्शनल असेसमेंट चेकलिस्ट फॉर प्रोग्रामिंग
- iii. BASIC MR: विहैविरल असेसमेंट स्केल फॉर इंडियन चिल्ड्रेन विद मेंटल रिटार्डेशन

1. **मद्रास डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग सिस्टम (MDPS)** - मद्रास डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग सिस्टम, प्रो. पी. जयचंद्रन एवं वी. बिमला द्वारा 1968 में विकसित किया गया एक बहुतायत से प्रयोग किया जाने

वाला परीक्षण एवं कार्यक्रम विकास का टूल है। मद्रास डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग सिस्टम में कुल 360 आइटम हैं जो बच्चों के विकास के आरोही क्रम में रखे गए हैं। यह परीक्षण 18 क्षेत्रों (क्वड्रपदे) में बांटा है और प्रत्येक क्षेत्र में 20 आइटम रखे गए हैं प्रत्येक क्षेत्रों में सभी आइटमों को सरल से कठिन क्रियाओं की ओर सजाया गया है। मद्रास डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग सिस्टम के अद्वारह क्षेत्र निम्नलिखित है:

- i. स्थूल गामक कौशल
- ii. सूक्ष्म गामक कौशल , गामक कौशल
- iii. भोजन संबंधित क्रियायें
- iv. कपड़े पहनना
- v. सजना संवरना ,स्व सहायता/व्यक्तिगत कौशल
- vi. शौच क्रिया
- vii. ग्रहणशील भाषा
- viii. अभिव्यक्ति की भाषा, भाषा/संप्रेषण कौशल
- ix. सामाजिक कौशल
- x. कार्यात्मक पठन
- xi. कार्यात्मक लेखन
- xii. संख्या संबंधित कौशल , कार्यात्मक शैक्षणिक क्रियायें
- xiii. पैसा संबद्ध कौशल
- xiv. समय संबद्ध कौशल
- xv. घरेलू व्यवहार
- xvi. समुदायिक संपर्क
- xvii. मनोरंजनात्मक कौशल मनोरंजनात्मक क्रियायें
- xviii. व्यावसायिक कौशल

मद्रास डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग सिस्टम की विशेषतायें

1. निरीक्षणीय एवं मापनीय शब्दों में लिखित।
2. अलग निर्मित 18 क्षेत्र जो बच्चे का वर्तमान स्तर निर्धारित करने में वस्तुनिष्ठता प्रदान करते हैं।
3. सभी आइटम सकारात्मक आकलन करने के लिए सकारात्मक भाषा में लिखे गये हैं अर्थात् सभी आइटम में यह विशेष ध्यान रखा गया है कि बच्चा क्या और किस कठिनाई स्तर तक करता है। बच्चा क्या नहीं कर सकता इसकी चर्चा नहीं की गयी है।
4. प्रत्येक क्षेत्र में समान संख्या में आइटम रखे गये हैं।
5. सभी आइटम सरलता से कठिन के क्रम में सजाये गये हैं।
6. वैज्ञानिक पद्धति से निर्मित अंकन प्रणाली जो बच्चे के क्रमिक विकास का सरल वर्णन करता है।

मद्रास डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग सिस्टम की सीमायें

- यह टूल काफी पुराना हो चुका है, परंतु इसमें समानकूल परिवर्तन नहीं आये हैं
- टूल की अंकन पद्धति सिमित है जो हाँ या ना पर आधारित है।
- टूल का प्रयोग करने में

अंकन प्रारूप (Progress Record)- मद्रास डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग सिस्टम में अंकन का एक प्रारूप होता है जिसमें बच्चे के निष्पादन का अन्तरालिक अंकन होता (1 तिमाही, 2 मिमाही या तिमाही) तथा इसे परिवार को तथा अन्य को बताया जा सकता है जो विद्यार्थी के शिक्षा से जुड़े हुए हैं। परीक्षण पर अगर विद्यार्थी क्रिया का निष्पादन नहीं करता है इसको 'A' अंकित करते हैं। स्केल में रंगीन कोड भरने की व्यवस्था भी है। जिसमें 'A' को नीला तथा 'B' को लाल से भरते हैं। प्रत्येक तिमाही में प्रगति के आधार पर लाल को नीले रंग से ढंका जा सकता है टूल में एक मेनुअल है समूहीकरण तथा कार्यक्रम बनाने में सहायक होता है। यह विशेष शिक्षक के लिए अन्तरालिक परीक्षण तथा IEP कार्य योजना के लिए लाभप्रद है।

2. **फंक्शनल असेसमेंट चेकलिस्ट फॉर प्रोग्रामिंग (FACP)-**फंक्शनल असेसमेंट चेकलिस्ट फॉर प्रोग्रामिंग, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सिंकदराबाद द्वारा विकसित एक कार्यक्रम निर्माण एवं असेसमेंट उपकरण है, जो मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता युक्त बालकों के परीक्षण एवं कार्यक्रम निर्माण हेतु प्रयुक्त किया जाता है। यह चेकलिस्ट सामान्यीकरण के सिद्धांत (Principle of Normalization) पर आधारित है। यह चेकलिस्ट मानसिक मंद बालकों (3-18 वर्ष) के लिए विशेष रूप से, निर्मित है जो उनकी योग्यता और उनकी आयु दोनों को ध्यान में रखते हुए, उनके विभिन्न कक्षाओं में पढ़ाए जाने का विकल्प प्रस्तुत करता है।

एफ.ए.सी.पी. के अनुसार मानसिक मंदता युक्त बालकों वीक्षमता और उनकी उम्र के अनुरूप उनकी कक्षा का चयन: एफ.ए.सी.पी. कुल सात खण्डों में बांटा है प्रत्येक खण्ड बच्चे की आयु और योग्यता के अनुरूप उसे किसी एक कक्षा में नियोजित करने का सुझाव देते हैं। ये सात खण्ड और उनका संक्षिप्त विवरण निम्नांकित है: प्रत्येक खण्डों को जांच क्षेत्रों में बांटा गया है। संदर्भित क्षेत्र हैं:

1. व्यक्तिगत क्रियाएं
2. समाजिक क्रियाएं
3. शैक्षणिक क्रियाएं
4. व्यावसायिक क्रियाएं
5. मनोरंजनात्मक क्रियाएं

जैसा कि आपने ऊपर देखा कि फंक्शनल असेसमेंट चेकलिस्ट फॉर प्रोग्रामिंग के सात खण्ड, निम्नांकित सात कक्षाओं में मानसिक मंद बालकों को उनकी योग्यता एवं आयु के अनुसार उन्हें नियोजित करता है।

- i. पूर्व प्राथमिक: यह बच्चे का प्रवेश स्तर है, जिसमें 3-6 वर्ष के बच्चे रखते जाते हैं। इस चेकलिस्ट पर परीक्षण करके उपरोक्त आयुवर्ग के बच्चों का समूहीकरण किया जाता है।
- ii. प्राथमिक स्तर: प्राथमिक स्तर दो भागों में बंटा है-प्राथमिक 1 एवं प्राथमिक 2

प्राथमिक-1: वे विद्यार्थी जो 80% पूर्व प्राथमिक जांच तालिका में प्राप्त कर लेते हैं उनको प्राथमिक-1 स्तर में उन्नति दी जाती है तथा विद्यार्थी जो इस स्तर में आते हैं उनकी आयु लगभग 7 वर्ष होती है।

कुछ विद्यार्थी पास होने का मापदण्ड प्राप्त करने के लिए एक वर्ष और इस स्तर में रह सकते हैं। (जैसे एक विद्यार्थी 7 वर्ष का है प्राथमिक जांच तालिका में मूल्यांकन करने पर 60% उपलब्धि की है वह उसी कक्षा में अधिक समय के लिए रह सकता है उसके बाद यह देखा जाएगा कि वह होने वाला मानदण्ड प्राप्त करता है या नहीं/सफलता)

प्राथमिक-2: विद्यार्थी जो 8 वर्ष की आयु के बाद भी प्राथमिक स्तर की जांच तालिका में 80% प्राप्त नहीं करते हैं उनको प्राथमिक-2 में विस्थापित कर दिया जाता है। संभवतः ये बच्चे अल्प कार्यात्मक योग्यता वाले होते हैं।

इस समूह में 8-14 आयु वर्ष के बच्चे आते हैं तथा इनको माध्यमिक स्तर में कक्षोन्नति दी जा सकती है यदि वे 14 वर्ष से पहले 80% अंक प्राप्त कर पाते हैं। अगर 15 वर्ष की आयु में भी 80% से कम हासिल करते हैं तब उन्हें पूर्व व्यवसायिक-2 में स्थानांतरित किया जाता है।

माध्यमिक समूह: इस समूह में 11-14 आयु वर्ष के बच्चे आते हैं।

यह मिश्रित समूह है

(जिसमें प्राथमिक-1 तथा 2 दोनों से बच्चे आते हैं) कक्षा में 80% उपलब्धि प्राप्त करने पर विद्यार्थी को पूर्व व्यवसायिक-1 में कक्षोन्नति दी जाती है तथा जो बच्चे 80% कम हासिल करते हैं उन्हें पूर्व व्यवसायिक-2 में विस्थापित कर दिए जाते हैं।

पूर्व व्यवसायिक-1 तथा 2:

दोनों ही समूहों में विद्यार्थी आयु 15-18 वर्ष के बीच होती हैं।

प्रशिक्षण केंद्र बिंदु विद्यार्थियों को मूलभूत कार्य कौशलों तथा धरेलू कार्यों में प्रशिक्षित करना है।

इस प्रकार जांच तालिका में आने वाले मुख्य विषय व्यवसायिक, सामाजिक तथा शैक्षणिक क्षेत्र है।

18 वर्ष आयु के ऊपर के मानसिक मंदता युक्त व्यक्तियों को व्यवसायिक प्रशिक्षण इकाइयों में उनकी संकलित मूल्यांकन रिपोर्टों के साथ आगे की कार्यक्रम योजना के लिए भेज दिया। इस पाठ्यक्रम में जांच तालिका में व्यवसायिक क्षेत्र सम्मिलित नहीं है।

संरक्षित समूह

इस समूह में बहुत ही अल्प बौद्धिक क्षमता वाले वे बच्चे आते हैं (बिस्तर पर पड़े रहने वाले अति गंभीर विकलांग) तथा जांच तालिका के विषय, मूलभूत कौशल जैसे पानी पीना खाना खाना, शौच तथा मूलभूत गामक गतियां और संप्रेषण में प्रशिक्षण आंशिक रूप से निष्पादन में ध्यान केंद्रित करते हैं अगर वे असंचरित बने रहते हैं तो आयु बढ़ने के साथ-साथ अभिभावक/संरक्षक को बच्चे को स्कूल में लाना कठिन हो सकता है। ऐसे में साथ-साथ सीखे गए कौशलों को बनाए रखने के लिए संरक्षक को तैयार करना आवश्यक हो जाता है। यह अच्छा है कि इस समूह के बच्चों को पूर्व व्यवसायिक कक्षा में प्रारंभ करके प्रत्येक कक्षा में बांट देना चाहिए इससे उनको उद्दीपित वातावरण मिलेगा। फिर भी इन्हें संरक्षित समूह की जांच तालिका द्वारा परीक्षण किया जाना चाहिए वह चाहे जिस भी समूह में विस्थापित हो।

विषय सूची

प्रत्येक जांच तालिका में विषय मुख्य क्षेत्रों से, जैसे व्यक्तिगत, सामाजिक शैक्षणिक, व्यवसायिक तथा मनोरंजन क्षेत्र से हैं जैसाकि विभिन्न तथा पर्यावरणीय माहौल से आते हैं प्रत्येक क्षेत्र में विद्यार्थी की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के आधार पर विषयों को जोड़ने तथा हटाने का प्रावधान होता है।

अंकन प्रारूप (Progress Record)

फंक्शनल असेसमेंट चेकलिस्ट फॉर प्रोग्रामिंग (FACP) में अंकन का प्रारूप इस प्रकार से तैयार किया गया है कि कार्यक्रम तैयार करने वाला परीक्षण सूचनाएं (प्रवेश स्तर) दर्ज कर सकता है तथा प्रगति को अंतरालिक (प्रत्येक त्रैमासिक) लगभग 3 वर्ष के लिए दर्ज कर सकता है जैसा कि माना जाता है कि एक दिए गए स्तर पर बच्चा अधिक से अधिक 3 वर्ष तक ठहर सकता है। अंत में मूल्यांकन के बाद सभी क्षेत्रों में दी गई तालिका में बच्चे की प्रगति अंतरालिक रूप से दर्ज कर सकते हैं।

जांच तालिका में विद्यार्थी के निष्पादन को रिकार्ड करने का प्रावधान 3 वर्ष तक होता है। अगर एक विद्यार्थी एक क्रिया का निष्पादन करता है तो उसे '+' अंकित किया जाता है अगर नहीं करता तो '-' अंकित किया जाता है। फिर भी विद्यार्थी के वर्तमान स्तर के परीक्षण में सहायता प्राप्ताहन के रूप में दी जाती है। प्राप्ताहन जैसे कि दृश्य प्राप्ताहन, संकेतिक प्राप्ताहन, मॉडलिंग, शारीरिक प्राप्ताहन, परीक्षण के दौरान यह देखा जा सकता है कि बच्चा किस प्राप्ताहन से निष्पादन करता है। जैसे अगर वह सांकेतिक प्राप्ताहन से एक क्रिया का निष्पादन करता है तो उसे GP उस क्रिया के सामने अंकित किया जाता है।

आइटम जो 'यस' या '+' अंकित होते हैं उन्हें एक अंक के रूप में गिना जाता है जबकि अन्य को जैसे PP VP NE को अंकित तो किया जाता है पर अंक नहीं जोड़े जाते हैं। अन्तोगत्वा इसका उद्देश्य दिए गए क्रिया क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना होता है जिन क्रियाओं में बच्चा स्वतंत्र रूप से बच्च निष्पादन करता है या कभी-कभी इशारे करने पर करता है। ऐसे आइटम्स को परिमाणित करने के लिए विचार किया जा सकता है। ऐसे विषय जिनमें AN अंकित होता है प्रतिशत का गणन करते समय सीख जाने वाले कुल विषयों से हटा दिए जाते हैं। उसी प्रकार अतिरिक्त विशिष्ट विषयों को प्रतिशत का गणना करने के लिए सम्मिलित होने चाहिए। जांच तालिका में 80% उपलब्धि एक स्तर से दूसरे स्तर में पदोन्नति के लिए विचारणीय होगी। जैसे बच्चे जो 80% पूर्व प्राथमिक जांच तालिका में प्राप्त करेंगे उन्हें प्राथमिक स्तर में पदोन्नति कर देंगे। यहाँ पर फिर भी सावधान किया जाता है कि खराब शिक्षण के कारण बच्चे में कमी या सीखने की अयोग्यता नहीं होनी चाहिए।

मनोरंजन के अन्तर्गत दिए गए विषयों को परिमाण के लिए नहीं गिना जाना चाहिए क्योंकि यह विषय रुचिपरक है। दी जाने वाली श्रेणियों में A रुचि लेता है तथा प्रभावशाली ढंग से भाग लेता है B भाग लेता है जब दूसरे प्रारंभ करते हैं C स्वतः को सम्मिलित करता है, लेकिन नियम मालूम नहीं होते हैं D रुचि से अवलोकन करता है E उदासीन रहता है NE कोई अवसर पहले नहीं मिला। जैसा नीचे बताया गया मनोरंजन क्रियाओं के बच्चे के साथ संलग्न होने का वर्णन करती है। ऐसे प्राप्तांक सामान्य स्कूलों के तंत्रों के समानांतर होते हैं। आखिरी पेज पर संकलित प्राप्तांक वह श्रेणी हो सकती है जिसे मनोरंजन विषयों के जांच सबसे अधिक श्रेणी मिलती हैं। अगर एक से अधिक श्रेणियों को बराबर प्राप्तांक मिलते हैं तो शिक्षक को अपने विवके का प्रयोग करके निर्णय लेना पड़ता है।

प्रगति रिपोर्ट लेखन

अंतरालिक मूल्यांकन आंकड़े तथा अंकित करने की सुविधा के प्राविधान के अतिरिक्त विद्यार्थी द्वारा की गयी प्रगति के अंकन का प्रावधान भी है। यह टूल व्यापक है तथा शिक्षकों के प्रयोग के लिए आसान है जैसे इसमें अंतरालिक जांच सुविधा तथा संक्षिप्त कार्यक्रम तैयार करने के लिए लेखन हेतु आसान प्रारूप भी है।

FACP की विशेषताएँ S

- i. कार्यात्मक उपागम पर आधारित
- ii. नये व्यवहारों के अंकन का प्रावधान
- iii. सामान्यीकरण सिद्धांत पर आधारित
- iv. कक्षा नियोजन के स्पष्ट विकल्प का प्रावधान
- v. मानकीकृत (Standardized)
- vi. अंकन प्रारूप उपलब्ध

बच्चे का परीक्षण आसानी से किया जा सकता है।

FACP की सीमायें

- i. नये आइटम जोड़ने की सुविधा फलतः परीक्षण विश्वसनीयता और वैधता प्रभावित हो सकती है।
- ii. छात्र की प्रगति का रिकार्ड रखने हेतु विशेषज्ञ की आवश्यकता अनावश्यक पेपर कार्य
- iii. विशेष शिषा का विकल्प , समावेशी शिक्षा का नहीं। लंबे समय से पुनरावृत्ति नहीं।
- iv. समस्यात्मक व्यवहार के लिये कोई क्षेत्र नहीं।

बेसिक एम.आर.

बेसिक एम.आर. दो भागों में बाँटा गया है: प्रथम भाग में कौशल व्यवहार और द्वितीय भाग में समस्यात्मक व्यवहारों के परीक्षण को प्रावधान है। प्रथम भाग में कुल 280 आइटम है जो सात विभिन्न क्षेत्रों में बँटे हैं। के सात क्षेत्र निम्नांकित है। प्रत्येक क्षेत्र में 40 आइटम संकलित हैं। बेसिक एम.आर.

- i. गामक एवं सहन-सहन से संबंधित क्रियाएं
- ii. भाषा से संबद्ध व्यवहार
- iii. शैक्षणिक/पठन-पाठन से संबद्ध क्रियाएं
- iv. टंक एवं समय का ज्ञान
- v. घरेलू सामाजिक व्यवहार
- vi. पूर्व-व्यवसायिक ज्ञान

बेसिक एम.आर. के दूसरे भाग को 10 अलग-अलग खंडों में बाँटा गया है। जिनमें कुल 75 आइटम हैं। समस्यात्मक व्यवहारों के आकलन हेतु निर्मित इस भाग के 10 क्षेत्र निम्नलिखित है:

- i. उग्र एवं विनाशक व्यवहार
- ii. चिड़चिड़ापन एवं झल्लाहट
- iii. दूसरों के लिए घातक व्यवहार
- iv. स्वयं के लिए घातक व्यवहार
- v. पुनरावृत्ति की आदत
- vi. विचित्र व्यवहार
- vii. अति चंचलता
- viii. विद्रोही व्यवहार
- ix. असामाजिक व्यवहार
- x. भय

प्रत्येक भाग में आइटम की संख्या भिन्न-भिन्न है।

बेसिक एम.आर. की विशेषताएं

- i. समस्यात्मक व्यवहारों के आकलन की सुविधा
- ii. आवधिक आकलन की सुविधा
- iii. मापनीय प्रत्यक्ष व्यवहारों पर आधारित
- iv. विशेष रूप से भारतीय बालकों के लिए निर्मित

अभ्यास प्रश्न

11. MDPS में 20 क्षेत्र हैं। (सत्य/असत्य)
12. MDPS के प्रत्येक क्षेत्र में 20 आइटम रखे गए हैं। (सत्य/असत्य)
13. FACP में नए व्यवहारों को रिकार्ड करने की कोई जगह नहीं है। (सत्य/असत्य)
14. FACP के अनुसार, प्री-वोकेशनल कक्षा के दो भाग हैं। (सत्य/असत्य)
15. FACP में समस्यात्मक व्यवहारों के लिए अलग भाग है। (सत्य/असत्य)
16. BASIC (MR) दो भागों कौशल व्यवहार और समस्यात्मक व्यवहारों में बँटा है। (सत्य/असत्य)
17. FACP, MDPS, BASIC MR तीनों ही का बच्चे की प्रगति रिपोर्ट का प्रावधान है। (सत्य/असत्य)
18. MDPS के आइटम कठिनता के विकासात्मक क्रम में रखे गए हैं। (सत्य/असत्य)
19. MDPS का विकास रीता पेशवरिया ने किया था। (सत्य/असत्य)
20. FACP NIMH द्वारा विकसित टूल है। (सत्य/असत्य)

7.5 मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता युक्त बालकों का शिक्षण एवं प्रशिक्षण

मानसिक मंदता /बौद्धिक अक्षमता युक्त बालकों के शिक्षण के सिद्धांत

व्यवहार लक्ष्य कितना भी विशिष्ट हो, प्रशिक्षण पद्धति कोई भी प्रयोग में लाई जाय, मानसिक मंदता धु बौद्धिक अक्षमता युक्त बालकों के शिक्षण के लिए हमें लक्ष्यों का चयन करते समय निम्नलिखित सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिएरू

1. **सरल से जटिल की ओर (Simple to Complex)**- मनसिक मंद बच्चों को पढ़ाने की योजना में सदा सरल से जटिल की ओर बढ़ना चाहिए। जब सरल चरणों से प्रारम्भ करेंगे तो बच्चे को सफलता अवष्य मिलेगी। सफलता से बच्चा और कठिन कार्य करने के लिए प्रेरित होगा। उदाहरण के लिए- रंगों के नाम बताने से रंगों को जोड़ना आसान होगा। उसी प्रकार पहले सार्थक रूप से गिनना आसान है और बाद में जोड़ना और घटाना आदि जटिल है।
2. **परिचित से अपरिचित की ओर (Known to unknown)**- मनसिक मंद बच्चों को उनके परिचित कार्य सिखाना हमेषा सार्थक होगा। बाद में और धीरे-धीरे अपरिचित कार्यों को सिखाना उचित होगा।

उदाहरण के लिए-ये दो क्रियायें-कमीज पहनने और बटन लगाने में यदि बच्चा कमीज पहनना जानता है तो उसे वही क्रिया करवाएँ और बाद में बटन लगाना सिखाएँ।

3. **मूर्त से अमूर्त की ओर (Concrete to abstract)**- अधिकतर मानसिक मंद बच्चे अमूर्त प्रत्ययों को सीखने में कठिनाई का सामना करते हैं। उनको मूर्त वस्तुओं आसानी से समझ में आ जाती है। उदाहरण के लिए गणित में योग सिखाने के लिए प्रारम्भ में मानसिक मंद बच्चों को मूर्त पदार्थों के सहारे ही सिखाना होगा और बाद में 'मानसिक स्तर' पर गणित में योग सिखाया जा सकता है।
4. **सम्पूर्ण से अंश (सामान्य से विशेष) की ओर (Whole to Part)** - मनसिक मंद बच्चों के सामने कोई भी कार्य उसके सम्पूर्ण रूप में बताये जाने चाहिए और बाद में धीरे-धीरे उनके भागों की अलग-अलग जानकारी देनी चाहिए। जैसे-बच्चों को शरीर के भागों या अवयवों के बारे में बताने के लिए प्रारम्भ से शरीर के भागों जैसे आंख, कान, नाक, आदि का ज्ञान कराये फिर उनको सूक्ष्म भागों की जानकारी दे सकते हैं। जैसे भौह पलक आदि।
5. **मनोवैज्ञानिकता से तार्किकता की ओर (Psychological to logical)**- मानसिक मंदता युक्ता बालकों को पहले कोई भी काम मनोवैज्ञानिक विकास के क्रम से सिखाया जाना चाहिए बाद में उसे विभिन्न तार्किक चीजें सिखाई जा सकती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चे की सिखाते समय उसके मनोवैज्ञानिक विकास के क्रमका ध्यान रखना चाहिए उदाहरण के लिए बच्चा पहले नकल कर के बोलना सीखता है और बाद में अक्षर ज्ञान और लिखना सीखता है अतः कोई भी शब्द पहले बोलना और तब लिखना सिखाया जाना चाहिए।

दीर्घावधि लक्ष्य/ लम्बी अवधि लक्ष्य (Long Term Goals)

पूरे शैक्षिक वर्ष में कार्यान्वित किए जाने वाले पूर्वनियोजित निदेशों को दीर्घावधि लक्ष्य कहा जाता है। दूसरे शब्दों में लम्बी अवधि लक्ष्य बालक विशेष से अपेक्षित उपलब्धियाँ या सफल प्रयत्न को दर्शाते हैं। लम्बी अवधि लक्ष्य को वार्षिक लक्ष्य भी कहते हैं। वर्ष के अंत में मूल्यांकन में यदि यह पाया जाता है कि बच्चे ने वे लक्ष्य प्राप्त कर लिये हैं तो उसके लिए फिर नये लक्ष्य निर्धारित किये जायेंगे। यदि बच्चे की प्रगति उपयुक्त नहीं पायी गयी तो, उसी लक्ष्य को अगली अवधि तक ले जाया जाता है जब तक बच्चा उस पर सफलता न हासिल कर ले।

दीर्घावधि लक्ष्यों का चयन

- i. लम्बी अवधि लक्ष्य के चयन के दौरान निम्नलिखित बातें ध्यान में चाहिए:
- ii. बच्चे द्वारा पिछली उपलब्धियों सफलताओं की जानकारी
- iii. बच्चे की वर्तमान योग्यता, या कर पाने की क्षमता

- iv. चयन किये हुए लम्बी अवधि लक्ष्य को प्राप्त करने की व्यवहारिकता अथवा क्रियात्मकता जो कि, दैनिक जीवन में सहायता करती है।
- v. बच्चे की आवश्यकताएँ और लम्बी अवधि लक्ष्य से उनका साहचर्य।
- vi. आवश्यक समय और साधनों की उपलब्धता जिससे बच्चा लक्ष्य को एक वर्ष में प्राप्त कर पाए।
- vii. बालक के सीखने की गति और निर्धारित लक्ष्यों में सामंजस्य
- viii. बच्चे की मंदता का स्तर और उसके दीर्घावधि लक्ष्यों में सामंजस्य

अल्पावधि लक्ष्य/व्यावहारिक उद्देश्य /विशिष्ट उद्देश्य (Specific/Behavioral Objectives)

अल्पावधि लक्ष्यों को व्यावहारिक उद्देश्य अथवा विशिष्ट उद्देश्य भी कहते हैं। ये दीर्घावधि लक्ष्य के वे छोटे-छोटे भाग हैं जिन्हें अपेक्षाकृत लघु अवधि में प्राप्त किया जा सकता है। स्पष्ट रूप से समझने के लिए, विशिष्ट उद्देश्य, वार्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के रास्ते के 'मील के पत्थर' के समान हैं।

दीर्घावधि लक्ष्यों का प्रायः एक साल बाद पुनर्निरीक्षण किया जाता है और उस समय बच्चे की प्रगति का आकलन करके तदनुसार उसमें परिवर्तन पर विचार किया जाता है। अल्प अवधि लक्ष्यों को आवश्यकता पड़ने पर या दो या तीन महीनों के अंतराल के बार मुल्यांकन किया जाता है और यदि बच्चे की प्रगति संतोषजनक हो तो अगला विशिष्ट उद्देश्य बच्चे के लिए निर्धारित करते हैं।

अल्प अवधि लक्ष्य/व्यवहार उद्देश्यों का चयन

अल्पावधि/विशिष्ट /व्यवहारिक उद्देश्यों का चयन करते समय निम्नलिखित सिद्धान्तों को ध्यान में रखना चाहिए:

- i. व्यवहार उद्देश्य का चयन बच्चे की योग्यता, उम्र, उसकी विशिष्ट आवश्यकताएँ, लिंग उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि और वर्तमान स्तर को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। उदाहरण के लिए-बच्चे को खरीददारी का कौशल तभी सिखाना चाहिए, जब उसे अंको का ज्ञान हो।
- ii. ऐसे व्यवहारिक उद्देश्यों का चयन किया जाना चाहिए जो कि, क्रियात्मक रूप से एक मानविक मंद बालक के दैनिक जीवन में प्रासंगिक और उपयोगी हो।
- iii. व्यावहारिक उद्देश्यों का चयन करते समय समयावधि का ध्यान आवश्यक है। यदि आप ऐसे व्यावहारिक उद्देश्यों का चयन करेंगे जो तय समय सीमा में पूरे नहीं किये जा सके तो आपको एवं आपके साथ साथ बच्चे को भी असफलता की वजह से मानसिक तनाव होगा।
- iv. विकास के क्रम में पहले आने वाले व्यवहारों को पहले और बाद में आने वाले व्यवहारों को बाद में लेना चाहिए।

नीचे का उदाहरण लम्बी अवधि लक्ष्य और अल्प अवधि के बीच के अंतर को स्पष्ट करता है।

सोहनलाल 16 साल बौद्धिक अक्षमता युक्त बालक है। कौन से व्यवहार वह कर पाता है और कौन से नहीं कर पाता, ये जानने के लिए शिक्षक ने बेसिक एम. आर. की सहायता ली और उसके आधार पर उसने नीचे दिए गए वार्षिक उद्देश्य बनाए

- i. स्वयं सेवा कुशलताएँ
- ii. पढ़ने-लिखने की कुशलताएँ

सोहनलाल के लिए उसकी लम्बी अवधि के लक्ष्यों में चुने गए अल्प अवधि लक्ष्य इस प्रकार थेरू

- i. स्वयं सेवा कुशलताएँ
 - (क) चप्पल पहनना
- ii. पढ़ने लिखने की कुशलताएँ
 - (क) वस्तुओं को चित्र के साथ मिलाना
 - (ख) चौकोन का चित्र बनाना

इन लम्बी अवधि या अल्प अवधि लक्ष्यों की संख्या बालक की वर्तमान योग्यता और साथ ही साथ शिक्षक को उपलब्ध साधनों पर निर्भर करती है।

मानसिक मंदता युक्त बालकों को सिखाने के लिए प्रायः स्किनर द्वारा प्रतिपादित क्रिया-प्रसृत अनुबंधनवाद में सुझाई गई विधियाँ यथा चोनिंग शापिंग, पुनर्बलन, विलोपन आदि प्रयुक्त किये जाते हैं लेखक आशा करता है की क्रिया प्रसृत अनुबंधन का स्किनर का सिद्धांत आप सिखने के सिद्धांत खंड में चुके ह

यहाँ पर हम इन विधिओं का वर्णन मानसिक मंदता में विस्तृत रूप से करेंगे

कार्य विश्लेषण (Task Analysis)

कार्य विश्लेषण का सामान्य अर्थ है किसी बड़े, जटिल कार्य को छोटे-छोटे खंडों में बाँटना तथा उसे एक तार्किक क्रम में जोड़ना। मैकार्थी (1987) के अनुसार कार्य विश्लेषण शिक्षण की एक तकनीक है जिसमें किसी कार्य को शिक्षण योग्य खंडों में बाँटकर उसे क्रमबद्ध किया जाता है। जैसे जैसे बच्चा छोटे-छोटे खंडों को सीखना है, वह उस कार्य को स्वतंत्र रूप से कर पाने में सक्षम होता जाता है।

उदाहरण के लिए यदि किसी बौद्धिक असमता युक्त बालक को हमें ब्रश करना सिखाना हो तो उसके लिए 'ब्रश करना' कार्य को निम्नांकित छोटे छोटे भागों में बाँट सकते हैं।

- i. टूथ पेस्ट का ट्यूब बायें हाथ में लेना
- ii. दाये हाथ से ढक्कन खोलना
- iii. बाये हाथ से ब्रश पकड़ना
- iv. टूथ पेस्ट ट्यूब को दबाना
- v. टूथ पेस्ट ट्यूब से आवश्यकतानुसार पेस्ट निकालना

- vi. टूथ पेस्ट ब्रश पर लगाना
- vii. ट्यूब बंद करना उसे यथा-स्थान रखना
- viii. ब्रश दांतों पर बायें से दायें एवं दायें से बायें हल्के दबाव के साथ थोड़ी देर घुमाना
- ix. नल के पास जाना
- x. नल की टोंटी खोलना
- xi. पानी मुँह में लेकर चार पाँच बार कुल्ला करना
- xii. ब्रश को धोना
- xiii. ब्रश को यथा स्थान रखना

यहाँ पर यह ध्यान देने योग्य है कि किसी कार्य को कितने उपखंडों में बांटा जाये यह बच्चे की क्षमता, कार्य की प्रकृति और बच्चे के सीखने की गति पर निर्भर करता है। किसी कार्य के उपखंड को भी बालक की आवश्यक तानुसार पुनः उपखंडों में विभाजित किया जा सकता है।

श्रंखलाबद्धता (चेनिंग)

हमने देखा कि, कई जटिल व्यवहार मानसिक मंद बच्चों को सिखाए जा सकते हैं यदि उन व्यवहारों को सरल और छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँट कर सिखाया जाए। श्रंखलाबद्धता का सामान्य अर्थ है किसी बड़े, जटिल कार्य के छोटे-छोटे खंडों को एक तार्किक क्रम में जोड़ना। श्रंखलाबद्धता पद्धति का प्रयोग दो प्रकार से किया जा सकता है अग्र श्रंखलाबद्धता (**Forward Chaining**) और पश्च श्रंखलाबद्धता (**Backward Chaining**)। अग्र श्रंखलाबद्धता (**Forward Chaining**) में पहला उपकार्य पहले और आखिर का सबसे अंत में सिखाते हैं जबकि पश्च श्रंखलाबद्धता (**Backward Chaining**) में सबसे आखिरी कार्य पहले और सबसे पहला कार्य अंत में सिखाते हैं। सामान्यतः पढ़ने सम्बन्धी कार्यों में अग्र श्रंखलाबद्धता का प्रयोग करते हैं और स्वसहायता कौशल सिखाने में पश्च श्रंखलाबद्धता का। जैसे यदि कोई बच्चा पैट पहनना सीख रहा हो तो पहले हम उसे पैट की जिप बंद करना सिखायेंगे फिर उसे पैट को घुटनों से ऊपर करना सिखायेंगे और सबसे अंत में पैट को पावों में डालना सिखायेंगे पश्च का लाभ यह है कि इस से बच्चे को खुशी मिलती है कि उसने कार्य करना सीख लिया।

श्रंखलाबद्धता के प्रयोग के निर्देश

- i. लक्ष्य व्यवहार तक पहुँचने के लिए जिन छोटे-छोटे चरणों को सीखते हुए आगे बढ़ना है, उनका वर्णन करें।
- ii. यदि एक व्यवहार उद्देश्य पाँच क्रमबद्ध चरणों में बाँटा गया है तब इसके लिए आप पहले चरण को सिखायेंगे, फिर दूसरे को और तब दोनों चरणों में उचित संबन्ध भी दर्शायेंगे। इसी प्रकार जब तीसरा चरण सिखाएंगे तो दूसरे और तीसरे चरण में स्वाभाविक सबन्ध अवष्य दर्शाए। आगे इसी प्रकार

प्रत्येक चरण को आपस में संबन्धित करते हुए दूसरे की कड़ी को मजबूत करते हुए व्यवहार लक्ष्य पूरा किया जा सकता है।

- iii. प्रत्येक चरण पर उचित पुरस्कार दे।
- iv. मानसिक मंद बच्चों को स्वयं सेवा क्रियाओं को सिखाने के लिए बैकवर्ड चेनिंग का प्रयोग करें।
- v. श्रंखला में जिस क्रम में चरण बनाए गए हो उन्ही चरणों में बच्चों को सिखाएँ।
- vi. अगले चरण की ओर तभी बढ़ें जब उसने पहले चरण को सीख लिया हो।

शेपिंग (Shaping)

शेपिंग का सामान्य अर्थ है अकार देना अर्थात् शेपिंग मानसिक मंदता युक्त बालकों के शिक्षण की वह विधि है जिसमें शिक्षक बालक के लक्ष्योन्मुख हर सफल प्रयास को तबतक प्रोत्साहित करता रहता है जब तक की लक्ष्य व्यवहार प्राप्त न कर लिया जाये। शिक्षकों को मानसिक मंद बच्चों को ऐसे कुछ व्यवहार सिखाने पड़ते हैं जिसे बच्चे ने कभी न किये हों। ऐसे व्यवहारों को सिखाने में शेपिंग की विधि अत्यंत प्रभावी सिद्ध हो सकती है। शेपिंग में बच्चे द्वारा दिखाए गए थोड़े परिवर्तन पर भी ध्यान देना और पुरस्कृत करना होगा, जिससे लक्ष्य व्यवहार की ओर बढ़ने में बच्चे को उत्साह मिलता रहे। मानसिक मंद बच्चों के प्रशिक्षण के लिए शेपिंग के प्रयोग से बच्चे और शिक्षक दोनों की निराशा की भावना कम की जा सकती है। शिक्षण आनन्द दायक हो जाता है क्योंकि, बच्चे अपने थोड़े से प्रगति के लिए भी प्रोत्साहन पाते हैं।

उदाहरण के लिए यदि एक बच्चा “पानी” नहीं बोल पाता है, परन्तु उसके निकट कुछ “पा पा” जैसा बोल लेता है तो शेपिंग पद्धति का प्रयोग कर कदम पर कदम उसे “पा पा”-- पाई” कहलाते या बुलाते हुए अन्ततः “पानी” बुलवा सकेंगे।

शेपिंग पद्धति को प्रभावी ढंग से प्रयोग में लाने के निर्देश

- i. व्यवहार प्रशिक्षण के लिए शेपिंग के साथ अन्य पद्धतियों, जैसे प्रोत्साहन, श्रंखलाबद्धता, फेडिंग और मॉडलिंग के साथ करें।
- ii. शेपिंग के कदम या चरण इतने बड़े न हो कि बच्चा उसे पूरा ही न कर सके, और आगे वाले कदम पर न पहुँच पाए साथ ही इतना छोटा न हो कि, अनावश्यक समय बरबाद हो।
- iii. शेपिंग पद्धति के किसी भी समय चरणों के आकार में परिवर्तन के लिए तैयार रहे। यह बच्चे की प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगा।

शेपिंग प्रक्रिया के चरण

- i. लक्ष्य व्यवहार चुने।
- ii. बच्चे के उस प्रारम्भिक व्यवहार को चुने जो लक्ष्य व्यवहार से किसी रूप से मिलता हो।
- iii. प्रभावकारी पुरस्कार का चयन करें।

- iv. प्रारम्भिक व्यवहार को पुरस्कृत तब तक करते रहे जब तक वह बार-बार न आने लगे।
- v. लक्ष्य व्यवहार से मिलता जुलता कोई भी प्रयास पुरस्कृत करते रहे।
- vi. लक्ष्य व्यवहार जब जब आता है, पुरस्कृत करते रहें।
- vii. लक्ष्य व्यवहार को कभी कभी पुरस्कृत करें।

एक गोलाकार आकृति खींचना सीखाने के पद्धति या प्रक्रिया के प्रत्येक कदम को नीचे के उदाहरण में दर्शाया गया है।

शेपिंग प्रक्रिया का उदाहरण

- i. ऐसा व्यवहार चुने जिसे बच्चा पहले से कर रहा हो, और जो लक्ष्य व्यवहार से मिलता हो। यदि आप का लक्ष्य है बच्चे को गोलाकार आकृति बनाना सिखाना, और बच्चा पेन्सिल पकड़ लेता है, कागज पर कुछ लकीरें बना लेता है, तब आप शेपिंग पद्धति का प्रयोग कर सकते हैं।
- ii. बच्चे के साथ, उसके स्तर पर काम करना प्रारम्भ करें, और पुरस्कार दें। इससे बच्चे को मालूम हो जाएगा कि, उसके ऐसा करने से पुरस्कार मिलता है। प्रस्तुत उदाहरण में यदि बच्चा लकीरे घसीटता है तो उसे पुरस्कृत करें।
- iii. अब बच्चे को पहले से परिचित व्यवहार से थोड़ा आगे बढ़ाते हुए कुछ गोलाकार या अर्ध गोलाकार रेखाएँ बनाना सिखाएँ, पुरस्कृत करते रहे।
- iv. अब बच्चे को लकीरे घसीटने पर कोई पुरस्कार न दें। पुरस्कृत तभी करें जब बच्चा गोलाकार जैसी आकृति बनाएँ।

मॉडलिंग या अनुकरणत्मक सीखना

जाने अनजाने हम सभी, बहुत से अपने व्यवहार अनुकरण द्वारा सीखते या अर्जित करते हैं। बच्चे भी अपने अनेक व्यवहार दूसरों को देख-देख कर सीखते रहते हैं। बच्चे उन लोगों को अनुकरण अधिक करते हैं जिन्हें वे अधिक महत्व देते हैं, जैसे, शिक्षक, माँ-बाप, दोस्त, फिल्म या टी.वी. सितारे, आदि। सुप्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक अल्बर्ट बन्दूरा के सामाजिक अधिगम के सिद्धांत के अनुसार बच्चे अधिकांश सामाजिक व्यवहार अनुकरण करके सीख जाते हैं। इसी सिद्धांत का प्रयोग करके मॉडलिंग की विधि द्वारा भी कई व्यवहार मानसिक मंदता युक्त बालकों को सिखाए जा सकते हैं। यदि मॉडलिंग पद्धति का उचित प्रयोग करें, तो यह प्रभावकारी व्यवहार परिवर्तन ला सकता है। इसका कक्षा व स्कूल में बराबर प्रयोग किया जा सकता है।

बच्चों को नए व्यवहार सिखाने के लिए उन्हें दिखायें कि, वह व्यवहार कैसे होता है? कैसे किया जाता है? और यदि बच्चा उसका अनुकरण करे, तो ऐसी विधि को मॉडलिंग कहेंगे। इस विधि का प्रयोग नए व्यवहार को सिखाने और सीखे हुए व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए किया जा सकता है।

सहायता करना अथवा प्रोम्प्टिंग (Prompting)

किसी भी क्रिया या व्यवहार कुशलता को सीखने के लिए प्रायः सभी को निर्देश, सलाह, या मदद की आवश्यकता पड़ती है। मानसिक मंद बच्चे इस प्रकार की मदद अपने उमर के सामान्य लोगों से कहीं अधिक चाहते हैं। प्रॉम्प्ट का सामान्य अर्थ है सहायता करना। कई बार मानसिक मन्दता युक्त बालक किसी क्रिया को कर पाने में कठिनाई महसूस करते हैं ऐसे में उन्हें जरूरत के मुताबिक विभिन्न प्रकार की सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है और बाद में जैसे जैसे बालक उसे करने में स्वतंत्र हो वैसे वैसे हम धीरे धीरे सहायता को कम करते जा सकते हैं ताकि बच्चा उस कार्य को स्वतंत्र रूप से करने में सक्षम हो सके।

सहायता करना अथवा प्रॉम्प्टिंग (Prompting) के प्रकार

किसी भी व्यवहार के संदर्भ में प्रत्येक मानसिक मंद बालक की कार्य कुशलता का स्तर अलग-अलग होगा। कार्य कुशलता के वर्तमान स्तर के आधार पर हम प्रॉम्प्ट को तीन प्रमुख भागों में रख सकते हैं। बच्चे को क्रिया सिखाने के लिए इनमें से उपयुक्त प्रॉम्प्ट को चुन उसका प्रयोग किया जा सकता है।

- शारीरिक सहायता (Physical Prompt or PP)**- कुछ बच्चे किसी काम को पूरा कर पाने के लिए शारीरिक सहायता प्रॉम्प्ट चाहते हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षक को बालक का हाथ पकड़ उसे व्यवहार विशेष को किसी हद तक कर पाने में मदद करनी पड़ती है। जैसे-बटन लगाना, पेन्सिल से लिख पाना या रस्सी से कुदना आदि के लिए बच्चों को हाथ का सहारा देना पड़ सकता है। किसी नए व्यवहार को सिखाने के प्रारम्भिक अवस्था से इस प्रकार के भौतिक प्रॉम्प्ट की अक्सर आवश्यकता होती है। इस पद्धति में शिक्षक बालक के बहुत करीब रहता है जिससे उसे शारीरिक सहायता दे सके।
- शाब्दिक सहायता (Verbal Prompt or VP)**- कुछ बच्चे, अपने व्यवहार को सफलता पूर्वक पूरा करने के लिए केवल शाब्दिक निर्देश ही चाहते हैं, जिसकी सहायता से कार्य पूरा कर पाते हैं। उदाहरण के लिए-यदि शिक्षक, बालक को बटन खोलना सिखाना चाहते हैं तो बच्चे से कहेंगे “बटन को अपनी ऊँगलियों से पकड़ो... दूसरे हाथ से कमीज के काज वाले सिरे को पकड़ो... अब बटन को उसके नीचे वाले छेद से बाहर निकालो...” इस उदाहरण में शिक्षक प्रॉम्प्ट विधि का प्रयोग करते हुए बच्चे को क्रिया के प्रत्येक चरणों में निर्देश देते जा रहे हैं और यह तब तक होता रहेगा जब तक वह क्रिया लक्ष्य व्यवहार को पूरा न कर लें।

सहायता के अन्य प्रकारों में इशारे द्वारा सहायता (Gestural Prompt or GP) और संकेत Occasional Clue or OC) भी शामिल हैं परन्तु हम विभिन्न प्रॉम्प्ट के मिश्रित प्रयोग भी कर सकते हैं।

प्रॉम्प्ट के चुनाव व प्रयोग

- प्रॉम्प्ट उसी हालत में देना है जब बच्चा लक्ष्य व्यवहार को अपेक्षित प्रकार से न कर पा रहा हो।
- प्रॉम्प्ट जितना कम समय का हो उचित व प्रभावकारी होगा।
- प्रॉम्प्ट जितना स्वाभाविक व बच्चे की भाषा में होना चाहिए जिसे वह समझ पाए। जब आप शाब्दिक और सांकेतिक प्रॉम्प्ट का प्रयोग कर रहे हैं तो इसका अधिक ध्यान रखें।

- iv. ऐसे, प्रॉम्प्ट का चयन करे जो शीघ्र ही बच्चे को स्वावलम्बी बना पाए और बालक लक्ष्य व्यवहार अपने आप करने लगे।
- v. सीखने की क्रिया को प्रभावकारी बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रॉम्प्ट का मिश्रित प्रयोगे करें।
- vi. जितनी जल्दी हो प्रॉम्प्ट हो हटाने की कोषिष करें। धीरे-धीरे भौतिक प्रॉम्प्ट को कम करें। जब बच्चा व्यवहार करने लगे, फिर शाब्दिक और फिर सांकेतिक प्रॉम्प्ट देना कम से कम कर दे।

पुनर्बलन (Reinforcement)

पुनर्बलन का सामान्य अर्थ है किसी क्रिया के बाद उस उद्दीपक को प्रस्तुत करना जो क्रिया की दर एवं उसकी आवृत्ति को बढ़ा दे। जो उद्दीपक क्रिया की दर को बढ़ाता है। उसे पुनर्बलक कहते हैं पुर्बलन का प्रयोग यूं तो सभी बालकों के शिक्षण में किया जाना चाहिए परंतु मानसिक मंदता युक्त बालकों के शिक्षण संदर्भ में यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। चूंकि मानसिक मंदतायुक्त बालकों का अभिप्रेरणा स्तर कम होना है। अतः उनकी कार्य में रुचि बनाए रखने हेतु उपयुक्त पुनर्बलन का प्रयोग सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए।

पुनर्बलन के मुख्यतः दो प्रकार हैं:

- i. सकारात्मक पुनर्बलन (Positive Reinforcement)
- ii. नकारात्मक पुनर्बलन (Negative Reinforcement)

सकारात्मक पुनर्बलन का तात्पर्य है किसी 'वांछनीय व्यवहार' के तुरंत बाद कोई सकारात्मक उद्दीपक भेंट करना जिससे प्रतिक्रिया की दर और आवृत्ति बढ़े; जैसे-किसी बालक को वांछनीय व्यवहार के बाद चॉकलेट/बिस्किट देना या 'षाबास' आदि कहना।

नकारात्मक पुनर्बलन का तात्पर्य है किसी वांछनीय व्यवहार के तुरंत बाद कोई नकारात्मक उद्दीपक वातावरण से हटा लेना जिससे वांछनीय व्यवहार की दर और आवृत्ति बढ़े; जैसे-गृहकार्य पूरा कर लेने के बाद किसी बालक को खेलने जाने की इजाजत देना।

अक्सर नकारात्मक पुर्बलन एवं दंड का समान होने का भ्रम होता है परंतु नकारात्मक पुनर्बलन दंड से अलग। 'दंड' की स्थिति में, बच्चे के किसी अवांछनीय व्यवहार के बाद 'नकारात्मक/दुखदायक (Aversive) उद्दीपक भेंट किया जाता है ताकि अवांछनीय व्यवहार में कमी आए; जैसे-किसी बच्चे को देर से आने पर कक्षा से बाहर निकाल देना। पुनर्बलन सकारात्मक हो या नकारात्मक वांछनीय व्यवहार में वृद्धि करता है जबकि दंड अवांछनीय व्यवहार को कम करता है। एक उदाहरण के द्वारा तीनों का अंतर स्पष्ट किया जा सकता है। यदि शिक्षक गृहकार्य पूरा करने पर बालक को खेलने का अतिरिक्त समय देता है तो यह सकारात्मक पुनर्बलन होगा।

यदि गृहकार्य पूरा न करने की स्थिति में शिक्षक छात्र को कहता है कि तुम तभी खेलने जाओगे जब गृहकार्य पूरा कर लोगे। यह नकारात्मक पुनर्बलन है। यदि शिक्षक कहता है कि चूंकि तुमने गृहकार्य नहीं किया है इसलिए तुम आज खेलने नहीं जाओगे यह दंड है।

ध्यान दें उपरोक्त उदाहरण में नकारात्मक पुनर्बलन में बच्चे के पास अपनी गलती सुधारने का अवसर है जबकि दंड में ऐसा नहीं है।

पुनर्बलन के संदर्भ में विस्तृत जानकारी हेतु स्किकनर का ऑपरेट कंडीसनिंग का सिद्धांत देखिए। स्थान की कमी की वजह से यहाँ पुनर्बलन की सिर्फ संक्षिप्त चर्चा की गई है।

अभ्यास प्रश्न

21. प्राम्प्ट का सामान्य अर्थ है 'सहायता'। (सत्य/असत्य)
22. 'चेनिंग' और कार्य विश्लेषण , मानसिक मंदता युक्त बालकों के शिक्षण की तकनीक है। (सत्य/असत्य)
23. मनसिक मंद बालक अमूर्त से मूर्त की ओर सीखते हैं। (सत्य/असत्य)
24. 'मॉडलिंग' की विधि सामाजिक अधिगम के अल्बर्ट बंडूरा के सिद्धांत पर आधारित है। (सत्य/असत्य)
25. विभिन्न प्रकार के प्राम्प्ट्स का धीरे-धीरे विलोपन किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं। (सत्य/असत्य)

7.6 सारांश

इकाई संख्या (20) में आपने मानसिक मंदता के स्क्रीनिंग मंदत के स्क्रीनिंग एवं पहचान के बारे में और उसमें प्रयोग किए जा रहे जांच सूचियों के बारे में पढ़ा। स्क्रीनिंग का तात्पर्य है विभिन्न लक्षणों के आधार पर मानसिक मंदता संभावित व्यक्तियों की पहचान करना ताकि उन्हें मानसिक मंदता से संबद्ध आवश्यक जांच के लिए व्यवहारों के आधार पर राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान ने मानसिक मंदता की प्रारंभिक जांच सूची बनाई है जिसके आधार पर मानसिक मंदता संभावित व्यक्तियों की पहचान की जा सकती है। इसके अतिरिक्त आपने परीक्षण और उसके प्रकार देखें और पढ़ा कि परीक्षण का तात्पर्य किसी व्यक्ति के बारे में सूचनाएं एकत्र करना, उनका विश्लेषण करना एवं रिकार्ड रखना है ताकि व्यक्ति के बारे में प्रशासनिक शैक्षणिक निर्णय लिए जा सकें। इसके अलावा, भारतीय परिप्रेक्ष्य में मानसिक मंदता के परीक्षण के लिए प्रयोग किए जा रहे विभिन्न टूलों FACP, MDPS तथा BASIC (MR)के बारे में विस्तार से पढ़ा। आगे आपने मानसिक मंदता युक्त बालकों के लिए व्यक्तिगत कार्य योजना के अंतर्गत दीर्घवधि लक्ष्य एवं विशिष्ट उद्देश्य का अध्ययन किया साथ ही मानसिक मंदता युक्त बालकों के शिक्षण में प्रयुक्त विभिन्न तकनीको यथा कार्य

विश्लेषण , चेनिंग (फॉरवर्ड एवं बैकवर्ड), प्रॉम्पटिंग, एवं पुनर्बलन (सकारात्मक एवं नकारात्मक) के बारे में पढ़ा।

अगली इकाई संख्या (21) में आप मानसिक मंद बालको की समावेशी, समेकित, एवं विशेष शिक्षा; जैसे- वैक्षणिय नियोजन के विकल्प एवं उनके गुण दोष तथा मानसिक मंदता युक्त बालकों के शिक्षण में विशेषज्ञ एवं सामान्य शिक्षक की विभिन्न भूमिकाओं के बारे में पढ़ेंगे।

7.7 शब्दावली एवं शब्द विस्तार

1. ABS: Adaptive Behaviour Scale
2. BASIC MR: Behavioral Assessment Scale for Indian Children with Mental Retardation
3. CRT: Criterion Reference Test
4. DST: Development Screening Test
5. FACP: Functional Assessment Checklist for Programming
6. IEP: Individualized Education Program
7. GP: Gestural Prompt
8. MDPS: Madras Developmental Programming System
9. NRT: Norm Reference Test
10. OC: Occasional Clues
11. PP: Physical Prompt
12. VP: Verbal prompt
13. VSMS: Vineland Social Maturity Scale
14. WAIS: Weshchler Adult Intelligence Scale
15. WISC: Weshchler Intelligence Scale for Children

7.8 संदर्भ ग्रंथ सूची

1. नारायण, जे. एन्ड कुट्टी, ए.टी.टी. (1989) हेन्डबुक फॉर द ट्रेनरस ऑफ द मेंअली रीडरडेड परसनस सिकन्दराबाद, एनआईएमएच.
2. मडरीडि, वी. एन्ड नारायण, जे. (1998) फंकसनल ऐकेडेमिक्स फोर सूअूटेन्टस विथ मेंअल रीटारडेडन-ए नाईड फोर टीचरस, सिकन्दराबाद, एनआईएमएच.

3. माक्कार्थी, एफ.ई. (1987) टास्क ऐनअलाईसिस. इन सी.आर. रीनोल्डस एन्ड एल. मान (इडस.) ऐनसाइक्लोपीडिया ऑफ स्पेशल एडयूकेन, वोल्यूम. 3. न्यूयॉर्क: डॉनवीले एन्ड सन्स.
4. येस्लडिक, जे.ई. एन्ड सलविया, जे. (1974) डाइग्नोस्टिक प्रीस्क्रिपटिव टीचिंग: टू मॉडल्स एकसैप्शनल चिल्ड्रन 41, 181-185.
5. वल्लेस, जी. एन्ड लारसेन, एस.सी. (1978) एडयूकेशनल असेसमेंट ऑफ लर्निंग प्रोब्लेम्स टेस्टिंग फॉर टीचिंग बोस्टन: ऐलीन एन्ड बैकन.
6. जयचंदन पी. एवं विमला वी., (1968), एम.डी.पी. एस. टीचर्स मैनुअल, विजय ह्यूमन सर्विसेज,।
7. पेशवारिया आर. (2007), वेंकटेशन एस. (2007), बेसिक एम.आर. टीचर्स मैनुअल, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकंदराबाद।
8. टी. माधवन एवं अन्य (1994), मानसिक मंदन: मनोवैज्ञानिकों के लिए नियम पुस्तक, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकंदराबाद।
9. रीता पेशवारिया, एस. वेंकटेशन (1999), मानसिक मंद बच्चों के शिक्षण की व्यावहारिक पद्धति के लिए पुस्तिका, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकंदराबाद।
10. नारायण जे. (1989), नियमित विद्यालय में विशेष कक्षा की व्यवस्था राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सिकंदराबाद।
11. डॉ0पर्सा ए.जे. एवं अन्य (2003), रैपिड 'विकलांगताओं की पहचान के लिए प्रयास एवं प्रोग्रामिंग', राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकंदराबाद।
12. मायरेड्डी वी. (1998), नारायण जे., फंक्शनल ऐकैडमिक्स फॉर द मेंटली हैंडीकैप्ड।
13. मयरेड्डी वी. अन्य (1987), ए गाइड फॉर एजुकेटिंग मेनस्ट्रीमड स्टूडेंट एलन एंड बेकन, लंदन।
14. डॉ0नारायण जे. एवं अन्य (2003), एजुकेटिंग चिल्ड्रेन विथ लर्निंग प्रॉब्लेम्स इन प्राइमरी स्कूल।
15. डॉ0नारायण जे. श्रेसियाकुट्टी ए.टी. (1990), स्वावलंबन शृंखला 7, कपड़े पहना, रास्ट्रीय।
16. पॉल एस. (1966), ए रिसोर्स गाइड फॉर टीचर्स ऑफ एजुकेशनल मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रेन मिनेसोटा डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, मिनेसोटा।

7.9निबंधात्मक प्रश्न

1. मानसिक मंदता की स्क्रीनिंग एवं पहचान आप कैसे करेंगे?
2. मानसिक मंदता के परीक्षण एवं कार्य योजना के लिए भारतीय परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत दो टूलों का संक्षिप्त विवरण दें।
3. परीक्षण (Assessment) से आप क्या समझते हैं? इसके उद्देश्य एवं विभिन्न प्रकार बताइए।
4. व्यक्तिगत शिक्षण योजना क्या है? इसके विभिन्न अवयवों की विस्तृत व्याख्या कीजिए।
5. मानसिक मंद बालकों शिक्षण विभिन्न तकनीकों की संक्षिप्त चर्चा करें।
6. कार्य विश्लेषण क्या है? एक मानसिक मंदता युक्त बालक को 'नहाना' सिखाने के लिए कार्य विश्लेषण कीजिए।

7. 'प्रॉम्प्टिंग' (Prompting) क्या है? मानसिक मंदता युक्त बालकों के शिक्षण में प्रयुक्त विभिन्न प्रॉम्प्ट्स का विवरण दें।
8. मानसिक मंदता युक्त बालकों के विभिन्न शिक्षण सिद्धांतों की चर्चा करें।
9. चेंनिंग क्या है? और मानसिक मंद बालकों के शिक्षण में इसका क्या महत्व है? चेंनिंग के विभिन्न प्रकारों का विवरण दें।
10. बच्चे के विकास के विभिन्न मील के पत्थरों को लिखें।

परिशिष्ट 1

मद्रास विकासात्मक प्रणाली के एक क्षेत्र का उदाहरण

3 भोजनकाल की क्रियाएं

1. मुलायम खाने को निगलता है जिसको चबाने की आवश्यकता नहीं होती है।
2. बिना गिराए पीता है, सहायता से कप या गिलास से पीता है।
3. आवश्यक खाद्य सामग्री मुंह से काटता है।
4. खाने तथा न खाने वाले पदार्थों में भेद करता है।
5. उंगलियों से सूखे खने के टुकड़ों को पकड़ता है (बिस्कुट) तथा खाने को मुंह में रखता है।
6. ठोस खाने को चबाता है।
7. भरे गिलास को पकड़ता है तथा बिना गिराए पीता है।
8. खाना पकड़ने तथा मिलाने के लिये चम्मच/हाथ का प्रयोग करता है।
9. खाना मिलाता है तथा थोड़ा गिराये या बगैर गिराये खाता है।
10. अनाजों से तैयार खाना खाता है जैसे इडली, डोसा, पूरी (निवाले बनाने में उंगली प्रयोग करता है।)
11. सार्वजनिक स्थानों पर खाने के व्यवहारों में बिना ध्यान खींचे खाता है।
12. दलिया, पायसम (दूध में गोल गप्पे), आइसक्रीम थोड़ा गिराये या बगैर गिराये खाता है।
13. सभी सामान्य खाने के औजारों का प्रयोग करके पूर्ण खाना थोड़ा गिराये या बिना गिराये खाता है।
14. खाने के बाद प्लेट को कूड़े दान में खाली करके धोता है।
15. जब खाना दिया जाता है तो उचित मात्रा लेता है।
16. खाते समय विनम्रता से खाने का इन्तजार करता है तथा दूसरों के समाप्त करने तक इन्तजार करता है।
17. आवश्यक व्यवस्था करता है तथा परिवारिक माहौल में भोजन परोसता है।
18. सार्वजनिक स्थल में पीने के पानी की पहचान करके पीता है।
19. जब खाने के विभिन्न प्रकार के आइटम हो तो वह आवश्यक खाने का चुनाव करता है।
20. सार्वजनिक खाने की जगह में वह मंगाकर खाना खाता है।

परिशिष्ट 2

FACP का एक उदाहरण

क्र सं	क्रियाएं व्यक्तिगत	प्रथम वर्ष प्रवेश स्तर	1 स्तर	2 स्तर	3 स्तर	द्वितीय वर्ष प्रवेश स्तर	1 स्तर	2 स्तर	3 स्तर	तृतीय वर्ष प्रवेश स्तर	1 स्तर	2 स्तर	3 स्तर
1	ठोस भोजन जब मुंह में रखा जाता तो चबाता है और निगलता है।												
2	पानी/दूध/जूस के गिलास या कप को पकड़ता है और, पीता है।												
3	जब खाना मिलाकर दिया जाता है उंगलियों से अपने आप खाता है।												
4	पाटी पर बैठता है और बैठकर पेशाब या पाखाना करता है।												
5	मौखिक रूप से इंगित करता है या शौचालय जाने के लिए इशारे से												

	बताता है।												
6	शौचालय प्रयोग के लिए नीचे के कपड़े उतारता है।												
7	छांतों को साफ करता है या तो उंगलियों से या ब्रश से पेस्ट या पाउडर के प्रयोग से।												
8	स्नान करते समय सहयोग करता है जब कहा जाए हाथ/पैर बढ़ाना।												
9	कपड़ों को उतारता है जब बटन खोल दिए जाएं (जिसमें अंदर के कपड़े सम्मिलित हैं)												
10	नीचे के कपड़ों को पहनना।												
11	रूमाल से नाम साफ साफ करना।												
12	खाना खाने से पहले या शौचालय जाने के बाद या जब												

	हाथ गंदे हो धुलना।												
13	नहाने के बाद तौलिए से सुखाना।												
14	संतरा, केला खाने से पहले छीलना।												
15	सहायक खाने को उचित प्रकार से खाना जैसे ब्रेड में जेम, चपाती और सीखा, इडली चटनी।												
16	मिलाता है तथा बगैर गिराए खाता है।												
17	हाथ और मुंह धुलने के बाद तौलिए से सुखाता है।												
18	चप्पलें पहनता है।												
19	बगैर फीते/बकल के जूते पहनता है।												

कुंजी:- + है सही C कभी-कभी इशारे NA आवश्यक नहीं

NE = अवसर नहीं दिया गया PP = शारीरिक सहायता VP = मौखिक सहायता

GP = सांकेतिक सहायता M = मॉडल का प्रयोग & = नहीं अन्य किसी कोड का प्रयोग करें तो उसे लिखें।

परिशिष्ट 3

राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान

सिकंदराबाद

व्यक्तिगत प्रशिक्षण कार्यक्रम

पंजीकरण सं०:-

कक्षा और रोल नं०:-

आई टी पी (व्य.प्र.का.):-

आई टी पी सं०:-

भाग क

1. नाम-
2. जन्म तिथि (आयु)-
3. लिंग-
4. पता-
5. मातृ भाषा-
मानसिक विकलांग-
बच्चे द्वारा बोली-
जाने वाली भाषा-
(भाषाएं)
6. विकलांग बच्चे के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी-
7. सम्बद्ध परिस्थितियां और उपतारार्थ कहाँ भेजा गया, यदि कोई हो-
8. लक्ष्य-
9. कर्मचारी जिसका उत्तरदायित्व है-

 प्रक्रिया

मूल्यांकन

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

अभ्युक्तियां/सामने आई समस्याएं

कर्मचारी के हस्ताक्षर

राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान
सिकंदराबाद

एकीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम सं०:-

व्यक्ति प्रशिक्षण कार्यक्रम :-

कार्यक्रम बनाने की तारीख:-

मुल्यांकन की तारीख:-

उत्तरदायी कर्मचारी:-

भाग- 'ख'

कौशल

वर्तमान स्तर

आधार रेखा

उद्देश्य

आवश्यक सामग्री

इकाई 8; मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता युक्त बालकों की समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका(Role of teacher in inclusion mentally retarded/intellectually disabled children)

8.1 परिचय

8.2 उद्देश्य

8.3 मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता युक्त बालकों की शिक्षा

8.3.1 अक्षमता के अध्ययन के विभिन्न उपागम

8.3.2 'लेबलिंग' के लाभ और हानियाँ

8.3.3 समावेशी शिक्षा का संक्षिप्त इतिहास

8.4 विशेष शिक्षा, समेकित शिक्षा, समावेशी शिक्षा

8.4.1 विशेष शिक्षा, समेकित शिक्षा, एवं शिक्षा में अंतर

8.5 मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता युक्त बालकों की समावेशी शिक्षा में विशेषज्ञ शिक्षक की भूमिका
विशेषज्ञ शिक्षक की शैक्षणिक भूमिका

8.5.1 विशेषज्ञ शिक्षक की सामाजिक भूमिका

8.5.2 विशेषज्ञ शिक्षक की अन्य भूमिकाएँ

8.6 मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता युक्त बालकों की समावेशी शिक्षा में सामान्य शिक्षक की भूमिका

8.6.1 सामान्य शिक्षक की शैक्षणिक भूमिका

8.6.2 सामान्य शिक्षक की सामाजिक भूमिका

8.6.3 सामान्य शिक्षक की अन्य भूमिकाएँ

8.7 सारांश

8.8 शब्दावली एवं शब्द विस्तार

8.9 संदर्भ ग्रंथ सूची

8.10 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न /निबंधात्मक प्रश्न

8.1 प्रस्तवना

पिछली इकाइयों इकाई (19) और इकाई (20) में आपने मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता युक्त बालकों के बारे में पढ़ा। आपने मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता, उसके प्रकार, विशेष ताये और पहचान एवं निदान की विधियों के बारे में पढ़ा। वर्तमान इकाई में आप मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता वाले बालकों की समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का अध्ययन करेंगे। इकाई के आरंभ में आप विकलांगता/अक्षमता के प्रति

विभिन्न दृष्टिकोणों का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम मुख्य रूप से अक्षमता के अध्ययन का चिकित्सकीय दृष्टिकोण एवं सामाजिक दृष्टिकोण एवं उनकी मान्यताओं का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तत्पश्चात् 'विकलांगता' का 'लेबल' लगने के किसी व्यक्ति के जीवन पर अधिगम अक्षमतायुक्त बालकों की शिक्षा के ऐतिहासिक विकास पर एक नजर डालेंगे। आगे की उप-इकाई में हम विशेष शिक्षा, समेकित शिक्षा एवं समावेशी शिक्षा की संक्षिप्त चर्चा करेंगे जिसमें इनका संक्षिप्त परिचय, इनकी विशेषताएँ और सीमायें समाहित हैं। उससे आगे की अन्य दो इकाईयों में अधिगम अक्षमता युक्त बालकों के समावेशी शिक्षण में विशेष शिक्षक एवं सामान्य शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिकाओं का अध्ययन करेंगे। पाठ के अंत में पुनरावृत्ति हेतु इकाई का सारांश, महत्वपूर्ण शब्दावली व शब्द संक्षेप दिये गये हैं जो त्वरित संदर्भ के लिए आपके मददगार होंगे। इकाई के आखिर में संदर्भ ग्रन्थ /अन्य अध्ययन की सूची दी गयी है जो आपके और विसृत अध्ययन में लाभप्रद साबित होगी।

8.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप-

1. अक्षमता के अध्ययन के विभिन्न दृष्टिकोणों के बारे में बता सकेंगे। अक्षमता के अध्ययन के चिकित्सकीय एवं सामाजिक मॉडल की तुलनात्मक रूप रेखा प्रस्तुत कर सकेंगे।
2. किसी बालक को मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता युक्त 'लेबल' करने की आवश्यकता और उसके दुष्परिणामों की व्याख्या कर सकेंगे।
3. मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता युक्त बालकों की समावेशी शिक्षा का संक्षिप्त इतिहास बता सकेंगे।
4. विशेष शिक्षा की परिभाषा, उसकी विशेषताएँ एवं सीमाये बता पाने में सक्षम हो सकेंगे।
5. एकीकृत शिक्षा का परिभाषित करने और उसकी विशेषताएँ और सीमाये बता पाने में सक्षम होंगे।
6. समावेशी शिक्षा की आवश्यकता, परिभाषा, उसकी विशेषताएँ और सीमाये बता पाने में सक्षम होंगे।
7. विशेष शिक्षा, एकीकृत शिक्षा, एवं समावेशी शिक्षा के बीच का अंतर स्पष्ट कर पाने में सक्षम हो सकेंगे।
8. मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता युक्त बालकों की शिक्षा में शिक्षक की शैक्षणिक, सामाजिक एवं अन्य भूमिकाओं की व्याख्या कर सकेंगे।
9. मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता युक्त बालकों की शिक्षा में सामान्य शिक्षक की विभिन्न भूमिकाएँ यथा सामाजिक, शैक्षणिक एवं अन्य की व्याख्या कर पाने में सक्षम होंगे।

8.3 मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता युक्त बालकों की शिक्षा का आरंभ

8.3.1 अक्षमता के अध्ययन के विभिन्न उपागम

चिकित्सकीय उपागम विकलांगता/अक्षमता के अध्ययन के कई उपागम हैं जो भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण एवं मान्यताओं के आधार विकलांगता का अध्ययन करते हैं। अक्षमता के अध्ययन का सबसे पुराना मॉडल है

चिकित्सकीय मॉडल जिसकी मान्यता है कि अन्य बीमारियों की तरह ही अक्षमता/विकलांगता भी किसी व्यक्ति के अंदर किसी प्रकार की जैविक ;ठपवसवहपबंसद्ध कमी से होती है जिसे दवाओं से ठीक किया जा सकता है।

सामाजिक उपागम: अक्षमता के अध्ययन का सामाजिक उपागम अक्षमता को एक सामाजिक वैविध्य (Social Diversity) के रूप में देखता है और उसे स्वीकार करते हुए, उसके सामाजिक समाधान एवं सामाजिक भागीदारी से समाधान पर जोर देता है। सामाजिक उपागम अक्षमता युक्त बालकों को समाज का एक अभिन्न अंग मानता है अतः उनके अलग 'पुनर्वास' की बजाए समुदाय आधारित पुनर्वास (Community Based Rehabilitation) की बात करता है। यह बच्चे को प्राथमिक मानता है और उसके अनुसार के वास एवं पुनर्वास (Habilitation and Rehabilitation) में समाज की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण मानता है।

अक्षमता के चिकित्सकीय और सामाजिक मॉडल की तुलना

क्र.सं.	चिकित्सा मॉडल	सामाजिक मॉडल
1	दोष बच्चे में हैं।	बच्चा महत्वपूर्ण है।
2	निदान की आवश्यकता	विशेष आवश्यकताओं के पहचान की आवश्यकता
3	बच्चे का वर्गीकरण विभिन्न कमियों के आधार पर।	विभिन्न व्यवधानों की पहचान और उनके समाधान पर जोर।
4	बच्चे की अक्षमता महत्वपूर्ण/प्राथमिक।	बच्चा महत्वपूर्ण उसके आवश्यकतानुसार कार्यक्रम विकास
5	परीक्षण और सतत् निरीक्षण की आवश्यकता।	संसाधन उपलब्ध कराना।
6	समाज से विलगाव एवं वैकल्पिक समाधान।	माता-पिता एवं अन्य व्यवसायियों का विशेष प्रशिक्षण
7	समावेश यदि सामान्यता की प्राप्ति अन्यथा हमेशा के लिए समाज से अलग।	बच्चों का उनकी वैयक्तिक भिन्नता के साथ स्वागत।
8	समाज का कोई सरोकार नहीं।	समाज की महत्वपूर्ण भूमिका।

8.3.2 'लेबलिंग' के लाभ और हानियाँ

हालाँकि किसी व्यक्ति पर 'विकलांगता' का टप्पा (label) लगाने का उसके संपूर्ण जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, परंतु उसके कुछ सकारात्मक पहलुओं की वजह से यह आवश्यक है। आइये हम जानें कि लेबलिंग (labelling) का किसी व्यक्ति के जीवन पर क्या नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव हो सकता है। हेवर्ड (2006) के अनुसार लेबलिंग के निम्नांकित सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं:-

‘लेबलिंग के नकारात्मक पहलू:

- i. एक सामाजिक धब्बा है जो व्यक्ति के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है।
- ii. यह प्रभावित व्यक्ति को भेद भाव का शिकार बना देता है।
- iii. व्यथकत स्वयं को असामान्य महसूस करने लगता है।
- iv. कभी कभी व्यक्ति हीन भावना का शिकार हो जाता है।
- v. प्रथमिक रूप से बालक के अंदर ‘कुछ गलत’ होने का एहसास
- vi. सामाजिक स्तर में कमी और भेदभाव

लेबलिंग के सकारात्मक पहलू:

- i. विशेष शिक्षा की अर्हता के लिए
- ii. उपलब्ध सामाजिक एवं सरकारी सहायता के लाभ के लिए
- iii. शैक्षणिक एवं अन्य
- iv. अतिरिक्त सेवाओं की जरूरत के निर्धारण के लिए
- v. विकलांगता की गम्भीरता और उसके प्रभावों के पूर्वानुमान के लिए
- vi. सहायता समूहों की सदस्यता और निर्माण के लिए
- vii. उपयुक्त कानून एवं नीति निर्धारण के लिए
- viii. सुरक्षात्मक सामाजिक अनुक्रिया के लिए

8.3.3 समावेशी शिक्षा का संक्षिप्त इतिहास (मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता का संदर्भ)

आजकल आप समावेशी विकास (**Inclusive Growth**) सामाजिक समावेश (Social Inclusion), समावेशी शिक्षा (Inclusive Education) की चर्चा हर जगह सुन रहे होंगे, और तब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर ये ‘समावेश’ है क्या? इसकी आवश्यकता क्या है? किसका समावेश किया जाना चाहिए? समोवष की यह प्रक्रिया क्या हो सकती है? समावेश में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है आदि-आदि। उपरोक्त प्रश्नों के समाधान के लिए हमें मानव अधिकारों की वैश्विक घोषणा की ओर जाना होगा।

संयुक्त राष्ट्र संघ की विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों की घोषणा (1975) के अनुसार-

‘विकलांग व्यक्तियों को, उनके ‘आत्म सम्मान’ के लिए आदर पाने का प्राकृतिक अधिकार है। विकलांग व्यक्तियों को भी उनके हम उम्र व्यक्तियों के समान सभी मूल अधिकार, जिसमें जिन्दगी को पूर्णता एवं सम्मान से जीना शामिल है, प्राप्त है चाहे उनका मूल (जाति/वंश) प्रकृति अथवा उनकी विकलांगता एवं अक्षमता की गंभीरता कुछ भी क्यों न हो।’ (Article 3)

संयुक्त राष्ट्र संघ की इस घोषणा के पश्चात् सभी सदस्य राष्ट्रों ने सहमति जतायी कि अक्षमता/वातावरण के ख्याल किये बिना, विकलांग व्यक्तियों को भी वे सारे मूल अधिकार प्राप्त होने चाहिए जो एक सामान्य

नागरिक को उपलब्ध होते हैं। मानवधिकारों और तत्पश्चात् विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों की इस घोषणा को आगे 'बालको के अधिकार' पर हुए संयुक्त राष्ट्र के अन्वेषण (1989) में 'समावेशी शिक्षा' की जड़े छुपी हैं।

बालकों के वैश्विक अधिकारों की इस घोषण के अनुसार "एक विकलांग बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करते हुए, उन्हें उपयुक्त सहायता प्रदान किया जाना चाहिए ताकि उन्हें प्रभावी शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके, और बच्चे के अनुकूल, उसका पूर्ण सामाजिक एकीकरण एवं पूर्ण विकास संभव हो। (Article 23)

उपरोक्त दोनों घोषणाओं से स्पष्ट है कि समाज में सभी व्यक्तियों की पूर्ण भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है और तदुसार सभी बालकों को बिना किसी भेदभाव के अपनी संस्कृति में विकसित होने का अवसर मिलना चाहिए ताकि वे उसके मूल्यों को आत्मसात् कर सकें और उसके विकास में योगदान कर सकें।

सलमांका कान्फ्रेंस (1994) के अनुसार,

- सभी बालकों को शिक्षा का मौलिक अधिकार है और उन्हें एक स्वीकार्य स्तर तक सीखने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए।
- सभी शैक्षिक निकायों की संरचना और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन इस प्रकार किया जाना चाहिए ताकि वे बालकों की वैयक्तिक भिन्नता और विविध आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हो सकें। विशेष शैक्षणिक आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य विद्यालय (त्महनसंत ाबीववस) अवष्य उपलब्ध होने चाहिए।
- नियमित समावेशी विद्यालय
 - i. विभेदक प्रवृत्तियों को समाप्त करने में;
 - ii. एक समावेशी समाज के निर्माण में एवं
 - iii. विद्यालय सभी के लिए शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु सबसे प्रभावी माध्यम हो सकते हैं।
- सामान्य/आम विद्यालयों में प्रभावी अध्ययन की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि अधिकांश बच्चे शिक्षा का लाभ ले सकें, और इस प्रकार शिक्षा को प्रभावी और अल्प व्ययी (Cost-Effective) बनाया जा सके।

अभ्यास प्रश्न

1. 'लैबलिंग' किसी विशिष्ट बालक को सिर्फ नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। (सत्य/असत्य)
2. 'लैबलिंग' विशेष शिक्षा के लिए आवश्यक है। (सत्य/असत्य)
3. चिकित्सकीय उपागम के अनुसार मानसिक मंदता एक व्यक्ति के अंदर की समस्या है। (सत्य/असत्य)
4. सामाजिक उपागम के अनुसार मानसिक मंदता एक सामाजिक समस्या है। (सत्य/असत्य)
5. 'समावेशी शिक्षा' विकलांगता की सामाजिक मान्यता पर आधारित है। (सत्य/असत्य)

8.4 विशेष शिक्षा, समेकित शिक्षा, समावेशी शिक्षा


मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता युक्त छात्रों के शैक्षणिक नियोजन के विकल्प

- i. विशेष शिक्षा
- ii. समेकित शिक्षा
- iii. नियमित/समावेशी शिक्षण

विशेष शिक्षा

विशेष शिक्षा प्रायः व्यक्तिगत अनुदेषनात्मक कार्यक्रम है। इसका मुख्य आधार है बच्चे की वर्तमान क्रियाशीलता जिसके आधार पर शिक्षण के लक्ष्य, शिक्षण सामग्री शिक्षण विधि, शिक्षण की तकनीक आदि निर्धारित होती हैं। विशेष शिक्षा में इस बात पर जोर दिया जाता है कि बच्चे को व्यक्तिगत आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए उन्हें उनके अधिकतम स्तर तक पहुँचाना है।

विशेष शिक्षा का तात्पर्य है विशेष आवश्यकता युक्त बालक को (सामान्य से अलग) विशेष वातावरण में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों द्वारा, विशेष संरचित पाठ्यक्रम, विशिष्ट तकनीकों एवं विधियों तथा विशेष रूप से निमित्त शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग करके पढ़ाना। यह हालांकि गंभीर अक्षमता युक्त बालकों के लिए प्रभावी और लाभकारी सिद्ध हो सकता है परंतु अपनी भेदभावपूर्ण प्रकृति जो अक्षमतायुक्त बालकों को समाज एवं समुदाय से अलग करती है, के कारण वर्तमान समय में उपयुक्त नहीं है। इसकी विशेष ताएं और सीमाएं निम्नांकित हैं:



विशेष शिक्षा

विशेष शिक्षा के प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं:

- i. सभी बच्चों पर व्यक्तिगत ध्यान।
- ii. यह आधारभूत जीवनयापन कौशल सिखाता है ताकि व्यक्ति/बालक स्वावलंबी हो सकें।
- iii. यह बालकों को एक सुरक्षित को एक सुरचित अधिगम कार्यक्रम का आधार देता है।
- iv. बच्चे के बौद्धिक विकास में सहायक
- v. बच्चे के माता-पिता को उपयुक्त सेवाएं प्राप्त करने में मददगार


विशेष शिक्षा की कमियों जिन्होंने समावेशी शिक्षा की नींव रखी:

- i. विशेष शिक्षा की उच्च लागत, जो गरीब बालक वहन नहीं कर सकते।
- ii. सामान्यतः शहरी क्षेत्रों में विशेष शिक्षा की उपलब्धता जो सिर्फ उच्च आयवर्ग से आने वाले बालकों को उपलब्ध थी।
- iii. विशेष ज्ञ शिक्षक और सामान्य शिक्षकों के मध्य 'विशेष ज्ञता' के आदान-प्रदान का अभाव।

समेकित शिक्षा

समेकित शिक्षा का तात्पर्य है अक्षमताग्रस्त बालकों को कुछ समय के लिए सामान्य बालकों के साथ अंतःक्रिया का मौका देना जैसे लंच टाइम में, खेल के समय, विभिन्न सामाजिक अवसरों पर आदि परंतु उनका संपूर्ण शिक्षण का कार्य अलग-अलग होता है चाहे दोनों विद्यालय अलग-अलग हों या विशेष बालक की एक ही कैंपस में अलग कक्षा हो। यह इस मान्यता पर आधारित है कि यदि अक्षमता युक्त बालक कुछ उपयुक्त सामाजिक व्यवहार सीख ले तब, उसे सामान्य कक्षा में भेजा जा सकता है। यह विशेष शिक्षा से बेहतर विकल्प है परंतु वर्तमान मानवाधिकारों के दौर में प्रासंगिक नहीं है क्योंकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सभी बालक का अधिकार है।

समेकित शिक्षा का तात्पर्य सामान्य अर्थों में 'बच्चे के सामान्य स्कूल में जाने' से है। जबकि समावेशी शिक्षा का अर्थ विद्यालय में बच्चे की पूर्ण भागीदारी से है।



समेकित शिक्षा

समेकित शिक्षा के लाभ:

- i. बच्चे का बेहतर समाजीकरण
- ii. बच्चे का सामाजिक एकीकरण का बढ़ाना
- iii. बच्चे के प्रति सामाजिक अभिवृत्ति सकारात्मक
- iv. अभिभावकों की बालक की शिक्षा में अधिक भागीदारी
- v. कम विशेष शिक्षा की तुलना में व्यय
- vi. कुछ शोधों के अनुसार छात्रों की बेहतर उपलब्धि
- vii. संस्थानीकरण एवं आवागम के खर्च में बचत

समेकित शिक्षा की सीमायें

- i. सभी बालकों की आवश्यकता पूरी करने में सक्षम नहीं
- ii. सीमित संसाधन पर अधिक दबाव
- iii. अभिभावकों, स्वयंसेवकों एवं अन्य बालकों द्वारा सहयोग की आवश्यकता

समावेशी शिक्षा

शिक्षा के क्षेत्र में समावेश (समावेशी शिक्षा) का तात्पर्य है विद्यालय के पुनर्निर्माण की वह प्रक्रिया जिसके लक्ष्य सभी बच्चों को शैक्षणिक और सामाजिक अवसरों की उपलब्धता है। इस प्रक्रिया में पाठ्यक्रम, परीक्षण, छात्र की उपलब्धियों का रिकार्ड, विभिन्न योग्यताओं के आधार पर छात्रों के समूहन, शिक्षण तकनीक, कक्षा के अंदर के कार्यकलाप आदि के साथ ही खेल और मनोरंजनात्मक क्रियाओं भी समाहित है (Mittlar 2000)।

यूनेस्को के अनुसार, समावेशी शिक्षा का तात्पर्य उस शिक्षा से है जो:

- i. यह विश्वास करती है सभी बच्चे सीख सकते हैं और सभी बच्चों की अलग-अलग प्रकार की विशेष आवश्यकता होती है।
- ii. जिसका लक्ष्य सीखने की कठिनाइयों की पहचान और उनका प्रभाव न्यूनतम करना है।
- iii. जो औपचारिक शिक्षा से वृहत् अर्थ रखता है और घर समुदाय एवं घर से बाहर शिक्षा के अन्य अवसरों पर भी बल देता है।
- iv. अभिवृत्तियों, व्यवहारों, शिक्षण विधि, पाठ्यक्रम एवं वातावरण को परिवर्तित करने की वकालत करता है ताकि सभी बालकों की विशेष आवश्यकतायें पूरी हो सकें।
- v. एक स्थिर गति से, चलने वाली एक गतिशील प्रक्रिया है और समावेशी समुदाय को प्रोन्नत करने के लिए प्रयुक्त विभिन्न तरीकों का एक भाग है।



समावेशी शिक्षा

समावेशी शिक्षा की विशेषताएं

- i. विद्यालय व्यक्तिगत भिन्नताओं को सीन में रखते हुए सभी बालकों के लाभ के सिद्धांत पर काम करते हैं। विद्यालय की अभिवृत्ति में अक्षमतायुक्त बालकों के प्रति सकारात्मक परिवर्तन

- ii. विशेष विद्यालयों की अपेक्षा कम खर्च का विकल्प
- iii. मातापिता पर कोई अतिरिक्त व्यय नहीं
- iv. अक्षमता युक्त बालकों के सामाजिक कल्याण पर खर्च में कमी
- v. अक्षमतायुक्त बालकों सहित अन्य सभी बालकों की उपलब्धियों में वृद्धि
- vi. विशेष बालक का उन्नत सामाजिक समायोजन
- vii. समावेशी शिक्षा का किफायती (Cost Effective)होना
- viii. स्थानीय संसाधनों का प्रयोग करके व्यय में कमी संभव
- ix. अक्षमता युक्त बालकों को अपेक्षाकृत वृहत पाठ्यक्रम उपलब्ध

सीमाएँ

- i. पाठ्यक्रम अनुकूलन का अतिरिक्त खर्च
- ii. शिक्षण सामग्री का अतिरिक्त खर्च
- iii. शिक्षक में समावेशी शिक्षा हेतु उपयुक्त कौशल विकास पर खर्च
- iv. सामान्य एवं विशेषज्ञ शिक्षकों की अपर्याप्त संख्या
- v. अभिभावक एवं समुदाय की अधिक भागीदारी की आवश्यकता

समावेशी शिक्षा के लाभ

भारतीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के अनुसार, समावेशी शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को निम्नांकित लाभ होते हैं:

- i. समावेशी शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बालकों को अपने हम उम्र और विकलांग बच्चों के साथ अंतःक्रिया का मौका मिलता है, जो विशेष विद्यालयों में उपलब्ध नहीं है।
- ii. विशेष आवश्यकता वाले बालक अपने अविकलांग सहपाठियों से सामाजिक रूप से स्वीकार्य व्यवहार, सीखते हैं।
- iii. शिक्षक प्रायः विशेष आवश्यकता वाले बालकों से भी अपेक्षाकृत ऊँची अपेक्षा रखते हैं।
- iv. सामान्य एवं विशेष शिक्षक बिना किसी भेदभाव के सभी छात्रों से समान उम्मीद रखते हैं।
- v. विशेष आवश्यकता वाले बालकों को भी उनकी उम्र के उपयुक्त, शैक्षणिक विषयों के कार्यात्मक/प्रायोगिक भाग को सीखने का मौका मिलता है जो विशेष विद्यालयों में प्रायः अनुपलब्ध है।
- vi. समावेशी शिक्षा के कारण यह संभावना बढ़ जाती है कि विशेष बालकों की सामाजिक भागीदारी बढ़ेगी और जीवन पर्यन्त रहेगी।

इसके अतिरिक्त, समावेशी परिवेश में अध्ययन करने से, विशेष बालकों को निम्नांकित लाभ होते हैं:

- i. विशेष बालकों के सहपाठियों और फलस्वरूप समाज में उनके प्रति एक सकारात्मक और स्वीकार्यात्मक अभिवृत्ति का विकास।
- ii. विशेष बालकों में एक स्वास्थ्य प्रतिस्पर्द्धा की भावना का विकास।
- iii. विशेष बालकों के प्रति शिक्षक की अभिवृत्ति में परिवर्तन।
- iv. विशेष बालक को 'लघु समाज' का अनुभव।
- v. विशेष बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास।

समावेशी शिक्षा से न केवल विशेष आवश्यकता वाले बालकों को लाभ होता है, बल्कि इससे गैर विकलांग बालकों को भी लाभ है, जिनमें से कुछ प्रमुख निम्नांकित हैं।

भारतीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के अनुसार, गैर विकलांग बालकों के लिए समावेशी शिक्षा के लाभ

- i. विभिन्न अनुदेषनात्मक गतिविधियों में सहपाठी-शिक्षक (Peer Tutor) के रूप में काम करने का मौका।
- ii. विशेष बालकों के प्रति उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन।
- iii. पाठ्य सहगामी क्रियाओं के दौरान विशेष बालकों का सहयोग करने का अवसर सामान्य बालकों में।
- iv. व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकार करने, सहनशक्ति आदि का विकास करने में सहायता मिलती है।
- v. सामान्य बालक कई सकारात्मक व्यवहार विशेष बालकों से सीख सकते हैं।
- vi. सामान्य बालकों को कई मानवता से जुड़े व्यवसाय और उनमें कैरियर की संभावनाओं यथा विशेष शिक्षा, फिजियोथेरेपी, एजुकेशनल थेरेपी आदि की जानकारी मिलती है।
- vii. सामान्य बालकों में अलग-अलग प्रकार के व्यक्तियों से प्रभावी संप्रेषण कौशल का विकास होता है।

यूनिसेफ पोजिशन पेपर के अनुसार समावेशी शिक्षा के निम्नांकित लाभ हैं:

सभी बच्चों को लाभ

- i. बच्चे ज्यादा आत्मविश्वासी और आत्म सम्मान युक्त हो जाते हैं।
- ii. वे विद्यालय के अंदर और विद्यालय के बाहर स्वतंत्र अधिगम की प्रक्रिया सीखते हैं।
- iii. वे अपने सीखे हुए ज्ञान और समझ का अपने दैनिक जीवन में (अन्य स्त्रियों यथा: खेल के मैदान में, घन में) उपयोग करना सीखते हैं।
- iv. वे अपने से इतर सहपाठियों एवं शिक्षकों से ज्यादा सक्रिय एवं प्रसन्नतापूर्ण अंतः क्रिया सीखते हैं।
- v. वे अपने से भिन्न बालकों के प्रति संवेदनशीलता और उन भिन्नताओं को स्वीकार करते हुए उनके साथ अनुकूलित होता सीखते हैं।
- vi. बच्चों के संप्रेषण कौशल का बेहतर विकास होता है, और बेहतर जीवन के लिए तैयार होते हैं।
- vii. वे अपने आप पर अपनी उपलब्धियों पर गर्व करना सीखते हैं।

शिक्षकों को लाभ

- i. शिक्षकों के पास विभिन्न प्रकार के बालकों को पढ़ाने के भिन्न भिन्न तरीके सीखने का अवसर होता है।
- ii. शिक्षकों को वैयक्तिक भिन्नता युक्त कक्षा में शिक्षण और अधिगम के अलग अलग नये तरीकों का ज्ञान होता है।
- iii. विभिन्न प्रकार की अधिगम संबंधी बाधाओं को कम करने का उपाय खोजते हुए, शिक्षकों को व्यक्तियों, बालकों एवं अलग-अलग परिस्थितियों के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति का विकास होता है।
- iv. शिक्षकों के पास संप्रेषण के नये तरीकों की खोज का बेहतर अवसर होता है विभिन्न सहकर्मियों, अभिभावक, समुदाय के विभिन्न व्यक्तियों आदि से।
- v. नये विचारों/तरीकों का शिक्षण के दौरान प्रयोग करते हुए वे अधिगम ज्यादा रुचिकर, और बच्चों को ज्यादा attentive बना पाते हैं। अतः बच्चे और उनके अभिभावकों से शिक्षकों को सकारात्मक फीडबैक मिलता है।
- vi. शिक्षक अधिक संतुष्टि (Job Satisfaction) का अनुभव करते हैं क्योंकि सभी बालक अपनी समता को अधिकृत स्तर तक सफल हो सकते हैं।

अभिभावकों को लाभ

- i. अभिभावकों को बच्चों की शिक्षा में भागीदारी बढ़ती है और अपने बच्चों का उनके अधिगम में वे ज्यादा सहयोग करते हैं।
- ii. अभिभावक उनके बच्चों को कैसे शिक्षा दी जा रही है, सीखते हैं।
- iii. शिक्षक विभिन्न अवसरों पर अभिभावकों के विचार पूछते हैं अतः अभिभावक को अपने अंदर सम्मान महसूस होता है और वे स्वयं को बच्चे की शिक्षा का समान भागीदार मानते हैं।
- iv. अभिभावकों के पास भी ज्यादा लोगों यथा शिक्षक, अन्य अभिभावक, अन्य बालकों आदि से अंतः क्रिया का अवसर होता है और वे पारस्परिक सहयोग की भावना सीखते हैं।
- v. सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अभिभावक यह जाने लगते हैं कि उनके बच्चे अन्य सभी बच्चों के साथ, गुणवत्ता युक्त शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।

समावेशी शिक्षा /अक्षमताग्रस्त बालकों की शिक्षा की बाधाएं:

- सामाजिक और सामुदायिक बाधाएं
- माता-पिता की नकारात्मक अभिवृत्ति।
- विशेष बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा की बजाय अभिभावकों की विशेष शिक्षा में रुचि।
- समुदाय में विशेष कर ग्रामीण परिवेश में अक्षमता युक्त बालकों के प्रति व्याप्त भ्रान्तियां।

- अक्षमता/विकलांगता के प्रति सामाजिक जागरुकता का अभाव।
- समाज में मानवाधिकारों के प्रति जागरुकता का अभाव।
- अक्षमता युक्त बालकों के प्रभावी अभिभावक संघ का न होना।


विद्यालय स्तर की बाधाएं:

- स्कूल का बजट कम होने के कारण सुविधाओं का अभाव।
- विद्यालय भवन अक्षमतायुक्त बालकों के लिए अप्राप्य/दुर्गम होना।
- शिक्षकों की अपर्याप्त संख्या।
- विकलांग बालकों के लिए सीमित सुविधाएं/सहयोग।
- समावेशी शिक्षण प्रविधियों का शिक्षकों को अपूर्ण ज्ञान।
- शिक्षक अक्षमयुक्त बालकों की आवश्यकताएं पूर्ण करने में अक्षम।
- शिक्षक एवं विद्यालय के अन्य स्टाफ के बीच विकलांगता के प्रति जागरुकता का अभाव।


नीति एवं निकाय से संबंधित बाधाएं:

- भेदभावपूर्ण शैक्षिक नीतियां जो अक्षमता युक्त बालकों को अलग करती हैं।
- और उन्हें विद्यालय जाने, व्यावहारिक शिक्षण -प्रशिक्षण आदि से रोकती हैं।
- विकलांगता के लिए विशेष नीति अथवा विकलांग बालकों के लिए विशेष शिक्षा नीति का अभाव।
- वर्तमान नीतियों की अनुपयुक्तता अथवा उनका विकलांगता के चिकित्सकीय उपागम पर आधारित होना।
- उपयुक्त नीतियों के अस्तित्व के बावजूद उनका उपयुक्त अनुपालन न होना।
- विकलांग बच्चों की शिक्षा पर अल्प संसाधनों की उपलब्धता।
- विकलांगता बच्चों की समावेशी शिक्षा के लिए उपयुक्त शिक्षक /प्रशिक्षण का अभाव।

8.4.1 विशेष शिक्षा , समेकित शिक्षा , एवं समावेशी शिक्षा में अंतर



विशेष शिक्षा



समेकित शिक्षा

**अक्षमता युक्त
बालक
समावेशी शिक्षा
सामान्य बालक**

क्र.सं.	विशेष शिक्षा	समेकित शिक्षा	समावेशी शिक्षा
1.	अक्षमताग्रस्त बच्चों को विशेष सेवा प्रदान करना।	अक्षमता युक्त बालकों की विशेष आवश्यकताओं पर जोर	अक्षमता युक्त बालकों के अधिकारों पर बल।
2.	अक्षमतायुक्त बालकों का विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकरण।	अक्षम बालकों में 'परिवर्तन' ताकि वे सामान्य बालकों के साथ शिक्षा ग्रहण करने योग्य हो सकें।	विद्यालय और वातावरण में परिवर्तन ताकि कोई भी बालक अपने आप को अक्षम महसूस न करें।
3.	विकलांगता एक व्यक्ति के अंदर की समस्या है।	विकलांगता एक समस्या है।	सभी व्यक्ति सक्षम हैं, परंतु व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं।
4.	सभी सेवाएं सामान्य से अलग।	विकलांग बालकों कि लाभ हेतु।	सभी बालकों के हितार्थ।
5.	इनपुट पर जोर।	प्रक्रिया पर जोर।	आउटपुट पर जोर।
6.	अलग पाठ्यक्रम पर बल।	विकलांग बच्चों को पाठ्यक्रम सिखाने की प्रक्रिया पर बल।	पाठ्यक्रम की सामग्री छात्र के क्षमतानुसार।
7.	दया की भावना पर आधारित।	दया युक्त सामाजिकता पर आधारित।	व्यक्ति के सामान्य मानवाधिकार पर आधारित समाज में पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करना।

अभ्यास प्रश्न

6. विशेष शिक्षा में अक्षमतायुक्त छात्रों विशेष विद्यालय में पढ़ते हैं। (सत्य/ असत्य)
7. समेकित शिक्षा में विशेष बालक एवं सामान्य बालक एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। (सत्य/ असत्य)
8. समावेशी शिक्षा आनवाधिकार आधारित शिक्षा है। (सत्य/ असत्य)
9. समावेशी शिक्षा 'अल्पव्ययी' नहीं है। (सत्य/ असत्य)
10. विशेष शिक्षा अल्पव्ययी है।
11. विशेष शिक्षा में मानसिक मंदता युक्त बालकों को हमेशा भेजा जाना चाहिए। (सत्य/ असत्य)
12. समावेशी शिक्षा में सामान्य बालक को कोई लाभ नहीं है। (सत्य/ असत्य)
13. समावेशी शिक्षा सभी के लिए लाभप्रद है। (सत्य/ असत्य)
14. समावेशी विद्यालय वैयक्तिक वैविध्य का स्वागत करते हैं। (सत्य/ असत्य)
15. समावेशी विद्यालय में विशेष शिक्षक की कोई आवश्यकता नहीं। (सत्य/ असत्य)

8.5 मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता युक्त बालकों की समावेशी शिक्षा में विशेषज्ञ शिक्षक की भूमिका

8.5.1 विशेषज्ञ शिक्षक की शैक्षणिक भूमिका

- मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता की पहचान करने में
- अतिरिक्त कक्षाओं के द्वारा मानसिक मंद/बौद्धिक अक्षम बालक की विशेष आवश्यकता पूरी करने में
- मानसिक मंद/बौद्धिक अक्षम बालक को संसाधन कक्ष शिक्षण प्रदान करने में और संसाधन कक्ष के विकास में
- मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता बालक की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्च बनाने एवं पाठ्यक्रम निर्माण में
- शोध आधारित शिक्षण विधियों के अभिनव प्रयोग में

1. **मंदता/बौद्धिक अक्षमता की पहचान करने में-** जैसे कि आपने पिछली निर्भर है। ऐसे में मानसिक मंदता की स्क्रीनिंग एवं पहचान और उसकी सुनिश्चितता हेतु रेफरल आदि एक इकाई सं० 19 एवं 20 में पढ़ा मानसिक मंदता एक अत्यंत जटिल, सापेक्ष संकल्पना है जो विभिन्न अन्य संकल्पनाओं यथा 'बुद्धि लब्धि', अरुकूलनीय व्यवहार प्रकट होने की आयु (विकासात्मक अवधि) आदि पर विशेषज्ञ की शिक्षक को ही करना चाहिए जिस इन उद्देश्यों के लिये निर्मित विभिन्न टूल, उनके सकारात्मक प्रयोग, उसकी प्रक्रिया आदि में दक्षता हासिल हो। चूँकि मानसिक मंदता सुनिश्चित होने का प्रभावित

व्यक्ति के जीवन के संपूर्ण पहलुओं पर गहरा प्रभाव पड़ता है अतः मानसिक मंदता के निर्धारण हेतु तय प्रत्येक मानदंड पर गंभीरता से विचार करके ही , निर्णय लिया जाना चाहिए। आपने पिछली इकाई संख्या (20) में मानसिक मंदता के परीक्षण के विभिन्न भारतीय इन टूलों के बारे में पढ़ा जिनमें MDPS, FACP, BASIC (MR) आदि प्रमुख हैं। इन टूलों का प्रयोग करके मानसिक मंदता का परीक्षण , एवं कार्यक्रम निर्माण विशेषज्ञता की मांग है।

2. **कक्षाओं के द्वारा मानसिक मंद/बौद्धिक अक्षम बालक की विशेष आवश्यकता पूरी करने में समावेशी शिक्षा में सभी बालक अधिकांश समय समान कक्षा में ही अध्ययन करते हैं। कई बार भ्रमवश ,लोग 'समावेशी शिक्षा' का तात्पर्य विशेष आवश्यकता वाले बालकों का सिर्फ सामान्य विद्यालय में गैर -विकलांग बालकों के साथ बिना अतिरिक्त सहायता के पढ़ने से लगाते हैं जो उचित नहीं । प्रत्येक समावेशी विद्यालय का दायित्व है कि विशेष आवश्यकता वाले बालकों का सामान्य बालक के साथ पठन पाठन सुनिश्चित करने के अलावा, उनकी विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति करना भी है । विशेष शिक्षक को सामान्य कक्षा से अलग समक्ष देकर ,व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रयास करना चाहिए ताकि विशेष बालक मानसिक मंदता युक्त बालक कक्षा के साथ साथ चल सके अन्यथा ,मानसिक मंद बालक कक्षा में उत्तरोत्तर पिछड़ता जायेगा जो उसके संपूर्ण व्यक्तित्व को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा।**

मानसिक मंदता युक्त बालकों की विशिष्ट शिक्षण तकनीकें:

- i. कार्य विप्लेषण (Task Analysis)
- ii. श्रंखलाबद्धता (Chaining)
- iii. शेपिंग (Shaping)
- iv. प्राम्प्टिंग (Prompting)
- v. विलोचन (Fading)
- vi. पुनर्वलन (Reinforcement)

आदि प्रयोग है जिनका विस्तृत अध्ययन आपने पिछली इकाई सं0 (20) में किया है। इन तकनीकों का प्रयोग करके मानसिक मंदता युक्त बालको को कक्षा के साथ तालमेल बिठाकर चलने में मदद करने में विशेषज्ञ शिक्षक की अहम भूमिका होती है।

3. **मानसिक मंद/बौद्धिक अक्षम बालक को संसाधन कक्ष शिक्षण प्रदान करने में और संसाधन कक्ष के विकास में-** मानसिक मंदता युक्त बालक को संसाधन कक्ष शिक्षण प्रदान करने एवं संसाधन कक्ष को उनकी आवश्यकतानुसार संरचित करने में भी विशेषज्ञ शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका है । संसाधन कक्ष में मानसिक मंदता युक्त बालको की आवश्यकतानुसार सामग्रियों की एकत्र करना संसाधन कक्ष शिक्षण तकनीकों का समय प्रबंधन, उपयुक्त सामग्रियों की सहायता से विशेष शिक्षण तकनीकों का

प्रयोग करके, विशेषज्ञ शिक्षक द्वारा मानसिक मंदता युक्त बालको के अधिगम की कठिनाइयों को दूर करने में भी विशेषज्ञ शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

4. **मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता बालक की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए IEP बनाने एवं पाठ्यक्रम निर्माण में-** मानसिक मंदता युक्त बालक के व्यक्तिगत शिक्षण कार्यक्रम बनाने एवं क्रियान्वित करने का कार्य भी विशेषज्ञ शिक्षक का है। मानसिक मंदता युक्त बालक की व्यक्तिगत शैक्षणिक योजना उसके सामान्य पाठ्यक्रम के साथ तालमेल युक्त होना चाहिए और वह बालक को सामान्य पाठ्यक्रम से अलग नहीं अपितु उसका पूरक (complementary) होना चाहिए।
5. **शोध आधारित शिक्षण विधियों के विकास एवं अभिनव प्रयोगों में-** मानसिक मंदता युक्त बालकों के शिक्षण-प्रशिक्षण का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। इसमें हर रोज सैकड़ों नये शोध किये जा रहे हैं और अन्य शोधों के लिये अनंत संभावनाएँ भी हैं। मानसिक मंदता युक्त बालकों के शिक्षण हेतु नये प्रभावी विधियों की खोज करना एवं वैश्विक स्तर पर हो रहे विभिन्न शोधों का सावधानी पूर्वक प्रयोग करके मानसिक मंद बालको को प्रभावी तरीके से सिखाने का कार्य भी विशेषज्ञ शिक्षण का है जिसमें वह शिक्षण पद्धतियाँ प्रयोग की जा रही हैं उनमें:
 - सहपाठी शिक्षण
 - कम्प्यूटर आधारित अनुदेशन, अधिगम (CAI/CBL)
 - बहुसंवेदी उपागम
 - नियोजित अनुदेशन (Programmed Instruction) आदि प्रमुख हैं जिनका विवरण निम्नांकित है।

1. **सहपाठी शिक्षण (Peer Tutoring) - सहपाठी शिक्षण (Peer Tutoring)** मानसिक मंदता युक्त बालकों के प्रभावी -शिक्षण प्रशिक्षण की एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं किफायती योजना के रूप में उभर कर सामने आया है जिसमें एक बालक का सहपाठी (जो विषय विशेष में दक्ष है) अपने अल्प - दस सहपाठियों की सीखने में मदद करता है। शोधो द्वारा, सहपाठी शिक्षण और अन्य समान तकनीकें यथा: सहपाठी सहायता युक्त अधिगम (PALS: Peer Assisted Learning strategies, Collaborative Learning) मानसिक मंदता युक्त बालको के लिये अत्यंत प्रभावी एवं किफायती पायी गयी है और इनका प्रयोग करके एक विशेषज्ञ शिक्षक अपने कार्य का बोझ कम कर सकता है ताकि वह समय, उनके शिक्षण-प्रशिक्षण से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में दिया जा सके।
2. **कंप्यूटर आधारित अधिगम एवं अनुदेशन-** (CAI: Computer Assisted Instruction/Computer Based Learning (CBL) भी मानसिक मंदता युक्त बालकों के शिक्षण-प्रशिक्षण की वर्तमान प्रवृत्तियों में से एक है जिसका प्रयोग करके मानसिक मंदता युक्त बालकों को प्रभावी तरीके से सिखाया जा सकता है। इस उद्देश्य के लिये विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर आसानी से उपलब्ध हैं जो मानसिक मंदता युक्त बालको को समावेशी शिक्षण के साथ

तालमेल बिठाने में और प्रभावी अधिगम में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा, यह अपने आपमें अत्यंत रूचिकर होने एवं अल्प-शिक्षण सहायता की मांग करने वाले होने की वजह से, अत्यंत प्रभावी हो सकते हैं यदि अन्य शिक्षण तकनीकों के साथ इनका भी समुचित प्रयोग किया जाय।

8.5.2 विशेषज्ञ शिक्षक की सामाजिक भूमिका

- अक्षमतायुक्त बालकों के सहपाठियों, विद्यालय के अन्य शिक्षकों एवं अभिभावकों को अधिगम अक्षमता के प्रति जागरूक बनाने में
- समुदाय में जागरूकता लाने एवं मानसिक मंदता युक्त बालकों के समुदाय आधारित पुर्वास (Community Based Rehabilitation CBR) में
- अक्षमता युक्त बालकों को एवं अभिभावकों को उनके अधिकारों एवं मिलने वाले सरकारी लाभ के बारे में जागरूक करने में
- अभिभावकों एवं अधिगम अक्षमता युक्त बालक के एक काउंसलर के रूप में

1. **अक्षमतायुक्त बालकों के सहपाठियों, विद्यालय के अन्य शिक्षकों एवं अभिभावकों को अधिगम अक्षमता के प्रति जागरूक बनाने में-** मानसिक मंदता युक्त बालकों के सहपाठियों, विद्यालय के अन्य शिक्षकों एवं अभिभावकों में मानसिक मंदता युक्त बालकों के प्रति जागरूकता एवं उनकी विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति के प्रति संवेदनशील बनाने में विशेषज्ञ शिक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका है। हालांकि वर्तमान समय में भारतीय समाज में मानसिक मंदता के प्रति थोड़ी जागरूकता आयी है परंतु, अभी भी ग्रामिण क्षेत्रों में मानसिक मंदता युक्त बालकों को 'पागल' समझा जाना और मनोरंजन हेतु उन्हें परेशान किया जाना, उनकी क्षमताओं के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण रखना आदि सामान्य है। अशिक्षित लोगों में ही नहीं बल्कि शिक्षित लोगो, कई बार शिक्षकों में भी मानसिक मंदता के प्रति अभी उपयुक्त जागरूकता नहीं आयी है। इस संदर्भ में लेखक का एक अनुभव प्रासंगिक होगा। अपने एम० एड० (विशेष शिक्षा) मानसिक मंदता के प्रशिक्षण के दौरान, लेखन एक निजी यात्रा पर था जिसमें, उसकी मुलाकात एक सहयात्री से हुयी जो एक उच्च विद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्यरत थे। बातचीत के दौरान, सहयात्री शिक्षक ने लेखक के वर्तमान कार्यादि के बारे में पूछा। जब सूचनाओं के आदान प्रदान के दौरान लेखक ने बताया कि वह गणित से स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त करके के बाद, मानसिक मंदता युक्त बालकों के शिक्षण प्रशिक्षण में स्नातकोत्तर उपाधि का छात्र है, तो सहयात्री शिक्षक का अगला प्रश्न था "पहले तो आप सामान्य (Normal) थे, आपको यह समस्या (Problem) कब से शुरू हुयी? कहने का तात्पर्य है कि आप भी हमारे भारतीय समाज में मानसिक मंदता युक्त बालकों को असामान्य (Abnormal) समझना आम बात है। ऐसे में विशेषज्ञ शिक्षकों की यह अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका बन जाती है कि वह विद्यालय के अन्य छात्रों साथी

शिक्षकों, एवं विद्यालय के अन्य कर्मचारियों का मानसिक मंदता युक्त बालकों के प्रति जागरूक उनकी विशेष आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील बनायें।

2. **समुदाय में जागरूकता लाने एवं मानसिक मंदता युक्त बालकों के समुदाय आधारित पुनर्वास (Community Based Rehabilitation CBR) में-** शिक्षक सामाजिक परिवर्तन का नेतृत्व करता है क्योंकि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का आधार है। विद्यालयी क्रियाओं से इतर, विशेष ज्ञ शिक्षक की भूमिका मानसिक मंदता के प्रति सामाजिक जागरूकता लाने और मानसिक मंद बालकों के समुदाय आधारित पुनर्वास में भी है। विशेष ज्ञ शिक्षक की यही भूमिका भ्रमणशील शिक्षक की संकल्पना में निहित है जिसमें, विशेष ज्ञ शिक्षक की इतर विद्यालयी भूमिकाओं में समुदाय में जाकर मानसिक मंदता युक्त बालको की पहचान, रेफरल, और उन्हे नियमित विद्यालय में भेजना सुनिश्चित करना भी शामिल है। मानसिक मंदता /बौद्धिक अक्षमता वाले बालकों का 'पूर्ण समावेश' तब तक संभव नहीं जब तक कि संपूर्ण समुदाय को उसके प्रति जागरूक न बनाया जाय। इसके अलावा मानसिक मंदता युक्त बालकों का शिक्षण प्रशिक्षण तब तक प्रभावी नहीं माना जा सकता जब तक उन्हें अनुकूलतम स्तर स्वखलबी तक न बना दिया जाय। ऐसे में विशेषज्ञ शिक्षक समुदाय का जागरूक बनाने में, उा समुदाय में मानसिक मंदता युक्त बालकों के पुनर्वास हेतु विभिन्न रोजगारों की पहचान करने में समुदाय में व्याप्त भेद भाव पूर्ण व्यवहार को कम करने में किये जा रहे प्रयासों का नेतृत्व विशेषज्ञ शिक्षक का करना चाहिए।
3. **मानसिक मंदता युक्त बालकों को एवं अभिभावकों को उनके अधिकारों एवं मिलने वाले सरकारी लाभ के बारे में जागरूक करने में-** मानसिक मंदता युक्त बालकों के समावेशी शिक्षण का बढ़ाया देने के लिये एवं उनके कल्याणार्थ विभिन्न सरकारी योजनायें चलायी जा रही है जिसके बारे में प्रायः गार्मिण क्षेत्रों के अभिभावक जागरूक नहीं है और फलतः उसका लाभ नहीं उठा पाते। एक विशेषज्ञ शिक्षक का तत्संबंधित योजनाओं के बारे में न केवल जागरूक होना चाहिए बल्कि अभिभावक को इसके प्रति जागरूक बनाने एवं सुविधायें हासिल करने की विभिन्न प्रक्रियाओं से परिचित कराने में विशेषज्ञ शिक्षक का तथा संभव मदद करनी चाहिए ताकि चलायी जा रही कल्याणकारी योजनायें उपयुक्त लाभार्थी तक पहुँच सकें।
4. **अभिभावकों एवं मानसिक मंदता युक्त बालक के एक काउंसलर के रूप में-** किसी बालक में मानसिक मंदता /बौद्धिक अक्षमता का निर्धारण, न केवल बालक को, बल्कि उसके पूरे परिवार का प्रभावित करता है। परिवार के लोग सर्वप्रथम यह स्वीकार ही नहीं कर पाते कि उनके बच्चे में मानसिक मंदता है, फलतः इधर उधर उसके इलाज, झाड़-फूँक आदि के लिये परेशान होते रहते हैं। और अच्छे के प्रशिक्षण का एक महत्वपूर्ण समय इन कार्यों में गँवा देते हैं। फिर जब वे यह स्वीकार कर लेते हैं कि उनके बच्चे में मानसिक मंदता है तब वे प्रायः उनके शिक्षण के लिये उन्मुख होते हैं, परंतु उन्हें आशा होती है कि विशेषज्ञ शिक्षक के पास कोई जादू है जिससे उनका बच्चा बिल्कुल ठीक हो जायेगा। इसके अलावा कई बार वे अपने बच्चे का आवश्यकता से अधिक ध्यान रखना शुरू कर देते हैं जा बच्चे को स्वावलंबी बनने में बाधा उत्पन्न करता है। मानसिक मंद बालक का पिता

कहलाने में सामाजिक शर्म महसूस करते हैं, और बच्चे को सामाजिक अवसरों पर ले जाने से कतराते हैं जो बच्चे के अनुकूलनीय व्यवहारों और उनके सामाजिक समायोजन को प्रभावित करता है। साथ ही बच्चे के अभिभावक बच्चे के भविष्य को लेकर अवसादग्रस्त हो जाते हैं। इन परिस्थितियों में विशेषज्ञ शिक्षक न केवल बच्चे के लिये बल्कि उसके अभिभावकों के लिये भी, एक काउंसलर के रूप में उन्हें उपरोक्त परिस्थितियों से बाहर निकालने में, उन्हें यह समझने में कि शनैः शनैः प्रशिक्षण दिये जाने पर उनको अनुकूलनीय व्यवहार उन्नत होगा। और यह किसी भी परिवार में हो सकता है, अतः सामाजिक शर्म महसूस करने की बजाय वे बच्चे के साथ अधिकाधिक सामाजिक कार्यों में भाग लें, बच्चे को अति रख-रखाव की बजाय कार्य करने का अवसर दें, उसकी शिक्षा में भागीदार बनें और अक्षमता के प्रति समुदाय में जागरूकता फैलाये। इन कार्यों में विशेष शिक्षक एक अत्यंत उपयोगी काउंसलर की भूमिका निभा सकता है।

8.5.3 विशेषज्ञ शिक्षक की अन्य भूमिकाएँ

- सामान्य शिक्षक एवं आवश्यकतानुसार अन्य विशेषज्ञों से समन्वय स्थापित करने में
- TLM निर्माण में
- अक्षमता युक्त बालकों के लिए प्रभावी अनुकूलनः

1. सामान्य शिक्षक एवं आवश्यकतानुसार अन्य विशेषज्ञों से समन्वय स्थापित करने में- समावेशी शिक्षा में एक मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमतायुक्त बालक अधिकांश समय तक सामान्य कक्षा में सीखता है। ऐसे में विशेषज्ञ शिक्षक द्वारा विभिन्न विषयों के शिक्षकों से समन्वय बनाकर कार्य करना पड़ता है। जब तक बच्चे के व्यक्तिगत प्रशिक्षण और सामान्य कक्षा के क्रियाओं में तारतम्यता नहीं होगी तब तक बच्चे की उपयुक्त प्रगति संभव नहीं। इसके अतिरिक्त कई बार मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता से जुड़ी हुई अन्य स्थितियाँ भी होती हैं यथा आँख और हाथ के समन्वय में परेशानी, गामक कठिनाइयों आदि और इसके लिए उसे विभिन्न व्यसायियों यथा चिकित्सक, आकुपेनल थेरेपिस्ट, फिजियाथेरेपिस्ट योगा थेरापिस्ट स्वीच थेरेपिस्ट आदि के सेवाओं की आवश्यकता भी होती है, ऐसी परिस्थिति में विशेषज्ञ शिक्षक को प्रभावी शिक्षण हेतु, उनके लिये समय का आबंटन आदि कार्यों में मुख्य भूमिका निभानी पड़ती है। सामान्य शिक्षक एवं आवश्यकतानुसार अन्य विशेषज्ञों के साथ समन्वय बनाने का कार्य भी विशेषज्ञ शिक्षक का करना होता है। विशेष शिक्षक को संदर्भित बालक की मानसिक मंदता, उससे संबद्ध अन्य अवस्थायें, उसकी अन्य शिक्षण से इतर आवश्यकतायें अर्थात् चिकित्सकीय सेवा, थेरेपी, परामर्श इन सभी से संपर्क रखना और उनके समन्वय से व्यक्तिगत शिक्षण-योजना क्रियान्वित करना, माता-पिता का बालक की शिक्षा में सक्रियता से शामिल आदि कार्यों की संपूर्ण जिम्मेवारी विशेषज्ञ शिक्षण की होती है।

2. **शिक्षण सामग्रियों (Teaching Learning Material or TLM) के निर्माण में** - शिक्षण सामग्रियों के निर्माण में मानसिक मंदता युक्त बालक समूह व्यक्तिगत -वैविध्य से पूर्ण होता है, प्रत्येक बच्चे की शैक्षणिक आवश्यकता भिन्न होती है, उनके सीखने की गति अलग होती है। ऐसे वे विशेषज्ञ शिक्षक विभिन्न व्यक्तिनिष्ठ (Customized) शिक्षण सामग्रियों की आवश्यकता होती है। विशेष शिक्षक को बालक की आवश्यकतानुरूप, सक्षे, टिकाऊ विषयोन्मुख, खोजपूर्ण शिक्षण सामग्रियों के निरंतर विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है।
3. **मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता युक्त बालकों के लिये लिये प्रभावी अनुकूलनों के विकास में**- कई परिस्थितियाँ ऐसी आती है जिसमें हल्के वातावरणीय संशोधनों के उपरांत मानसिक मंदता युक्त बालक दिये गये कार्य करने में सक्षम हो जाता है। इन वातावरणीय संशोधनों को अनुकूलन (Adaptation) कहते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुगम एवं आसान बनाने के लिये, परिस्थितियाँ का आलोचनात्मक अध्ययन करके विशेषज्ञ शिक्षण को कई वातावरणीय अनुकूलन बनाने पड़ता है। उदाहरण के लिये यदि एक बालक का सूक्ष्म गामक (Fine Motor) की समस्या होने की वजह से यदि वह चम्मच को ठीक से पकड़ नहीं पाता तो उसे पकड़े बाँध कर मोटा बनाया जा सकता है। यदि कोई बच्चा लिखने समय कलम पकड़ने में समस्या का अनुभव कर रहा हो तो पेंसिल में एक छोटी गेंद ग्रिप के लिये लगायी जा सकती है। अनुकूलन प्रायः परिस्थिति जन्म होते हैं और शिक्षक की 'खोजपूर्ण' प्रवृत्ति पर निर्भर है कि वर्तमान परिस्थित का प्रयोग करते हुए अधिकतम अधिगम कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है।

मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता युक्त बालकों के लिए प्रभावी अनुकूलन:

शैक्षिक वातावरण संबंधी	अनुदेशानात्मक विधियों से संबंधित	परीक्षण प्रक्रिया संबंधी	समय एवं संगठन सहयोग संबंधी	अधिगम सामग्री/ संसाधन सम्बंधी
कक्षा में वैकल्पिक स्थान	शाब्दिक प्रस्तुतियों के पूरक के रूप में दृश्य सामग्रियाँ	ध्वनि से आलेख तकनीक (Voice to Text)	अतिरिक्त समय	'मैनिपुलेटिव' (Manipulative) मिटाने योग्य मार्कर
वैकल्पिक व्यवस्था (यथा संसाधन कक्ष)	दृश्य सामग्रियों की शाब्दिक व्याख्या	दृश्य फार्मेट (यथा चित्र, चार्ट, ग्राफ, डाइग्राम आदि)	छोटे असाइनमेंट	कैलकुलेटर बोलती पुस्तकें (Talking Books)
सुगम भवन	कार्यों का छोट भागों में विभाजन	शाब्दिक प्रस्तुति	शैक्षणिक क्रियाओं में विविधता	ग्राफ/चार्ट/ डाइग्राम
अनुकूलित डेस्क	सहपाठी शिक्षण	दृश्य प्रस्तुति	असाइनमेंट के	कंप्यूटर सिस्टम

टेबल	(Peer Tutoring)		छोट छोटे खंड	उभरी पंक्तियों वाले कागज
बैठने हेतु कुशन	सहयोगी शिक्षण	वर्तनी जाँच	सहयोगी कक्षा	श्रवण यंत्र, (लाउड स्पीकर/हैंडसेट) आदि
ध्वनिक यंत्र	कंप्यूटर सहयोगी/तकनीकी (यथा: लाउडस्पीकर आदि)	कैलकुलेटर	सुगम भवन	बड़े प्रिंट में विभिन्न पाठ्य वस्तुओं के चार्ट

अभ्यास प्रश्न

16. मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमतायुक्त बालकों के समावेशी शिक्षण में संसाधन कक्ष शिक्षण की आवश्यकता होती है। (सत्य/असत्य)
17. मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमतायुक्त बालकों के कक्षा में समायोजना। (सत्य/असत्य)
18. कंप्यूटर आधारित अनुदेशन, मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमतायुक्त बालकों के शिक्षण की प्रभावी युक्ति है। (सत्य/असत्य)
19. सहपाठी शिक्षण विशेष बालक के कक्षा में समायोजन में मदद करता है। (सत्य/असत्य)
20. विशेषज्ञ शिक्षक को मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता युक्त के प्रति समाज में जागरूकता फैलाने का कार्य भी करना चाहिए। (सत्य/असत्य)
21. संसाधन-कक्ष शिक्षण में विशेष ज्ञ शिक्षक की कोई भूमिका नहीं है। (सत्य/असत्य)

8.6 मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमतायुक्त बालकों की समावेशी शिक्षा में सामान्य शिक्षक की भूमिका

अभी अभी आपने मानसिक मंदता युक्त बालकों की समावेशी शिक्षा में विशेषज्ञ शिक्षक की भूमिकाएँ देखी। अब हम समावेशी शिक्षा के संदर्भ में सामान्य शिक्षकों की भूमिकाओं का अध्ययन करेंगी।

8.6.1 सामान्य शिक्षक की शैक्षणिक भूमिका

- मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता युक्त बालकों की विशेष शैक्षणिक आवश्यकता की सामान्य कक्षा में पूरा करना

- सभी बालकों के शैक्षिक विकास पर ध्यान रखना
- शिक्षण में मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता विशेषज्ञ शिक्षण के साथ समन्वय
- मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमतायुक्त बालकों की समावेशी शिक्षा में अभिनव शिक्षण तकनीकों का कक्षा में प्रभावी शिक्षण हेतु प्रयोग करने में

1. **मानसिक मंदता युक्त बालक की विशेष आवश्यकताओं को ध्याने में रखते हुए कक्षा शिक्षण -** समावेशी शिक्षा की संकल्पना 'सभी बालकों के समन्वित विकास' पर आधारित है अतः सामान्य शिक्षक को कक्षा में उपस्थित बालकों की विभिन्न को ध्यान में रखते हुए शिक्षण कार्य करना चाहिए। विभिन्न अक्षमता युक्त (जिसमें मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता भी शामिल है) बालकों की विशेष आवश्यकताओं के मद्देनजर पढ़ाने में शिक्षक को वातावरण को रुचिकर बनाना, आकर्षक एवं उपयुक्त विभिन्न शिक्षण सामग्रियों आदि का प्रयोग करना, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में सभी बालकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना आदि क्रियाओं को सम्मिलित करना चाहिए।
2. **सभी बालकों के शैक्षणिक विकास पर ध्यान-** समावेशी शिक्षण के वातावरण में सभी बालकों के शैक्षणिक विकास पर ध्यान रखना सामान्य शिक्षक की नैतिक भूमिका है। शिक्षक को मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता अन्य अक्षमता युक्त बालकों के शैक्षणिक विकास के साथ-साथ अन्य बालकों के शैक्षणिक विकास पर भी ध्यान रखना चाहिए। यदि सामान्य शिक्षक का शिक्षण सिर्फ मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता / अन्य अक्षमता युक्त बालकों को ध्यान में रखकर होगा, तो कक्षा के अन्य बच्चों की शिक्षा प्रभावित होगी, वहीं यदि सामान्य शिक्षक कक्षा में उपस्थित मानसिक मंदता एवं अन्य अक्षमता युक्त बालकों की उपेक्षा करेगा तब समावेशी शिक्षण की मूल भावना प्रभावित हीगी। अतः सामान्य शिक्षक को सभी बालकों के शैक्षणिक विकास पर ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए।
3. **शिक्षण में मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता विशेषज्ञ शिक्षण के साथ समन्वय-** सामान्य शिक्षक विभिन्न अक्षमता/ मानसिक मंदता युक्त बालकों के विशेष ज्ञ शिक्षक से सलाह लेकर, एवं बालक के व्यक्तिगत शिक्षण योजना से तालमेल बिठकार ही, प्रभावी शिक्षण कर सकता है। सामान्य शिक्षक एवं विशेष शिक्षक दोनों को आपस में चर्चा करके, अधिगम अक्षमता युक्त बालक के लिए व्यक्तिगत शिक्षण योजना, बालक की अधिगम समस्याएं एवं सामूहिक कक्षा में उसका संभव हल निकालें, तभी अधिगम युक्त बालकों का कक्षा शिक्षण एवं अधिगम प्रभावी होगा।
4. **मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमतायुक्त बालकों की समावेशी शिक्षा में अभिनव शिक्षण तकनीकों का कक्षा में प्रभावी शिक्षण हेतु प्रयोग करने में -** अभिनव शिक्षण तकनीकों का कक्षा में प्रयोग करके सभी बालकों के लिए प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने में सामान्य शिक्षक का बड़ा हाथ है। मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता युक्त बालकों की शिक्षण पद्धतियों पर नित्य नए-नए शोध हो रहे हैं

और नई-नई शिक्षण तकनीकें विकसित की जा रही हैं सामान्य शिक्षक को गंभीरतापूर्वक विचार करके विभिन्न नवीन शिक्षण तकनीकों का यथासंभव, परिस्थितिनुसार, उपयुक्त प्रयोग करके शिक्षण को प्रभावी बनाने का प्रयास करना चाहिए।

8.6.2 सामान्य शिक्षक की सामाजिक भूमिका

- सामान्य कक्षा में मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमतायुक्त बालकों का सामंजस्य बिठाने में
 - मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमतायुक्त बालकों को स्व-अभिव्यक्ति का बराबर अवसर देने में
 - मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमतायुक्त बालक एवं अन्य विभिन्न आवश्यकता वाले बालकों में एक सहयोग पूर्ण वातावरण बनाने में
1. **सामान्य कक्षा में मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमतायुक्त बालकों का सामंजस्य बिठाने में-** सामान्य कक्षा में मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता युक्त बच्चों का सहपाठियों के साथ सामंजस्य बिठाने में सामान्य शिक्षक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। कई बार, मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता युक्त बालक, अपनी विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं के कारण सहपाठियों में पिछड़ा समझा जाने लगता है, और सहपाठी अस्वीकार्यता (Peer Rejection) का शिकार हो जाता है। कई बार ऐसी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे विभिन्न तरीके के शोषण एवं सताए जाने (**Bullying**) का शिकार हो जाते हैं। एक सामान्य शिक्षक को कक्षा में छात्रों की विभिन्न गतिविधियों एवं कक्षा की गतिकि (Class Dynamics) पर पैनी नजर रखनी चाहिए और यदि ऐसी किसी भी संभावना का संकेत मिलता है तो शिक्षक को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए ताकि स्थिति गंभीर रूप न ले ले। जब तक मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता युक्त बालक कक्षा में स्वीकार्य नहीं होगा तब तक अधिगम अभावी नहीं हो सकता। मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता युक्त बालकों की कक्षा में सहपाठियों के मध्य स्वीकार्य बढ़ाने के लिए सभी बालकों को विशेष आवश्यकता वाले बालकों के प्रति जागरूक बनाने में सामान्य शिक्षक एक अहम् भूमिका निभा सकता है, साथ ही 'सहपाठी शिक्षण' जैसी आधुनिक तकनीकों का प्रयोग भी कर सकता है जो मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता युक्त बालकों को अपने अन्य सहपाठियों से घुलने-मिलने में उनकी मदद करेगा।
 2. **मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमतायुक्त बालकों को स्व-अभिव्यक्ति का बराबर अवसर देने में-** मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता युक्त स्व-अभिव्यक्ति बालकों को बराबर अवसर प्रदान किया जाना चाहिए, जिसकी जिम्मेदारी मुख्यतः सामान्य शिक्षक की है। प्रायः इस प्रकार के अक्षमता युक्त बालक कक्षा में पिछड़े दिखाई देते हैं और फलस्वरूप उन्हें स्वाभिव्यक्ति का अवसर नहीं मिल पाता, उस अवसर को अन्य बालक छीन लेते हैं एक सामान्य शिक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता युक्त बालक को भी कक्षा में स्वाभिव्यक्ति का पूरा मौका मिले अन्यथा वह कक्षा में उत्तरोत्तर पिछड़ता चला जाएगा।

3. मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमतायुक्त बालक एवं अन्य विभिन्न आवश्यकता वाले बालकों में एक सहयोग पूर्ण वातावरण बनाने में- मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता युक्त बालक एवं अन्य बालकों के मध्य एक सहयोग पूर्ण वातावरण का विकास का प्रयास सामान्य शिक्षक को करना चाहिए जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को अत्यंत प्रभावी बनाता है कक्षा के सभी बालकों में एक पारस्परिक सद्भावना एवं सम्मान का भाव विकसित करने के लिए सामान्य शिक्षक छात्रों को व्यक्तिगत कार्यों के अतिरिक्त सामूहिक कार्य भी छात्रों को दे सकता है। कक्षा में छात्रों/छात्र समूहों के बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा का वातावरण विकसित किए जाने में सामान्य शिक्षक की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है।

8.6.3 सामान्य शिक्षक की अन्य भूमिकाएँ

- मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमतायुक्त बालकों की शिक्षा में अभिभावकों की भागीदारी बढ़ाने में
- समुदाय को समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया में शामिल करने में
- अक्षमता ग्रस्त बालकों (जिसमें मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता भी शामिल है) के प्रभावी शिक्षण हेतु अल्पव्ययी, खोजपूर्ण, कार्यानुसार शैक्षणिक सामग्री के विकास में।
- सामान्य पाठ्यक्रम में मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमतायुक्त बालकों के लिए उपयुक्त अनुकूलन
- मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमतायुक्त बालकों की शिक्षा में अभिभावकों की भागीदारी बढ़ाने में

अभ्यास प्रश्न

22. मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमतायुक्त बालकों की सहपाठी स्वीकार्यता में सामान्य शिक्षक की अहम् भूमिका है। (सत्य/असत्य)
23. सामान्य शिक्षक का मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमतायुक्त बालक के विद्यालय में समायोजन से कोई सरोकार नहीं है। (सत्य/असत्य)
24. सामान्य शिक्षक को विशेष ज्ञ शिक्षक के साथ समन्वय बनाकर कार्य करना चाहिए। (सत्य/असत्य)
25. सामान्य शिक्षक मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमतायुक्त बालकों को अभिभावकों की उनकी शिक्षा में भागीदारी बढ़ाने में मददगार हो सकता है। (सत्य/असत्य)
26. मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमतायुक्त बालक वर्तमान भारतीय कानूनों के अंतर्गत 'अक्षमता' की श्रेणी में नहीं आते। (सत्य/असत्य)

8.7 सारांश

इस इकाई में अक्षमता के अध्ययन के चिकित्सकीय और सामाजिक उपागमों का तुलनात्मक अध्ययन किया। जहाँ चिकित्सकीय उपागम की मान्यता, विकलांगता को व्यक्तिगत समस्या मानते हुए उसके इलाज की ओर

कंद्रित है वहीं सामाजिक उपागम विकलांगता का एक सामाजिक समस्या मानते हुए उसके समाधान एवं सामाजिक स्वीकार्यता पर बल देता है। आपने यह भी पढ़ा कि 'विकलांगता' का 'लेवल' लगने से व्यक्ति का आत्म सम्मान, आत्म विश्वास, सामाजिक स्तर, अदि नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है वहीं दूसरी ओर विशेष शिक्षा एवं अन्य सुविधाओं का लाभ उठाने, उपयुक्त सेवायें प्राप्त करने में 'लेबलिंग' मददगार है।

इसके अतिरिक्त आपने मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता के क्रमिक विकास आदि के बारे में पढ़ा। इसी क्रम में आपने आगे विशेष शिक्षा, समेकित शिक्षा एवं समावेशी शिक्षा के बारे में पढ़ा। विशेष शिक्षा का तात्पर्य विशेष तकनीक विशेष सामग्री विशेष वातावरण और विशेष शिक्षको द्वारा अक्षमतायुक्त बालकों के शिक्षण से है। इसमें बालक के पास समाजीकरण, एवं नकल करके सीखने का अवसर कम होता है। साथ ही खर्चीला तो है परंतु बच्चों पर व्यक्तिगत ध्यान की वजह से अतिगंभीर एवं गंभीर अक्षमता मुक्त बालको की विशेष शैक्षिक आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम है। समेकित शिक्षा मध्यम स्तर का सामाजिकरण का अवसर अक्षमता युक्त बालकों को प्रदान करता है परंतु अत्यंत खर्चीला है अक्षमता बालको की शैक्षणिक क्रियाओं में पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित नहीं करता है। समावेशी शिक्षा सभी बालकों के लिये एक उत्तम विकल्प है जो कम खर्चीला है और सामान्य शिक्षण वातावरण में अक्षमता युक्त बालकों की समाजिकरण का बेहतर अवसर प्रदान करता है। आपने मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता युक्त बालको के समावेशी शिक्षण में विशेषज्ञ एवं सामान्य शिक्षको की शैक्षणिक, सामाजिक और अन्य भूमिकाओं के बारे में पढ़ा जिनमें अतिरिक्त शिक्षण, संसाधन कक्ष शिक्षण, अभिभावक परामर्शदाता, सामुदायिक जागरूकता, आदि महत्वपूर्ण है। आपने यह भी देखा कि एक मानसिक मंद/बौद्धिक अक्षम बालक के प्रभावी समावेशी शिक्षण में स्कूल, सामान्य शिक्षक, विशेषज्ञ शिक्षक, छात्र स्वयं, एवं अभिभावक और समाज की भागीदारी आवश्यक है।

8.8 शब्दावली एवं शब्द विस्तार

1. **चिकित्सकीय उपागम-** चिकित्सकीय उपागम की मान्यता है कि अन्य बीमारियों की तरह ही अक्षमता/विकलांगता भी किसी व्यक्ति के अंदर किसी प्रकार की जैविक ;ठपवसवहपबंसद्ध कमी से होती है जिसे दवाओं से ठीक किया जा सकता है।
2. **सामाजिक उपागम-** अक्षमता के अध्ययन का सामाजिक उपागम अक्षमता को एक सामाजिक वैविध्य (Social Diversity) के रूप में देखता है और उसे स्वीकार करते हुए, उसके सामाजिक समाधान एवं सामाजिक भागीदारी से समाधान पर जोर देता है।
3. **विशेष शिक्षा** का तात्पर्य है विशेष आवश्यकता युक्त बालक को (सामान्य से अलग) विशेष वातावरण में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों द्वारा, विशेष संरचित पाठ्यक्रम, विशिष्ट तकनीकों एवं विधियों तथा विशेष रूप से निमित्त शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग करके पढ़ाना।
4. **समेकित शिक्षा** का तात्पर्य है अक्षमताग्रस्त बालकों को कुछ समय के लिए सामान्य बालकों के साथ अंतः क्रिया का मौका देना जैसे लंच टाइम में, खेल के समय, विभिन्न सामाजिक अवसरों पर

आदि परंतु उनका संपूर्ण शिक्षण का कार्य अलग-अलग होता है चाहे दोनों विद्यालय अलग-अलग हों या विशेष बालक की एक ही कैंपस में अलग कक्षा हो।

5. शिक्षा के क्षेत्र में समावेश (समावेशी शिक्षा) का तात्पर्य है विद्यालय के पुननिर्माण की वह प्रक्रिया जिसके लक्ष्य सभी बच्चों को शैक्षणिक और सामाजिक अवसरों की उपलब्धता है। इस प्रक्रिया में पाठ्यक्रम, परीक्षण, छात्र की उपलब्धियों का रिकार्ड, विभिन्न योग्यताओं के आधार पर छात्रों के समूहन, शिक्षण तकनीक, कक्षा के अंदर के कार्यकलाप आदि के साथ ही खेल और मनोरंजनात्मक क्रियाओं भी समाहित है।
6. CAI: Computer Assisted Instruction
7. PALS: Peer Assisted Learning Strategies
8. CBR: Community Based Rehabilitation
9. TLM: Teaching Learning Material

8.9 संदर्भ ग्रंथ सूची/अन्य अध्ययन

1. हेवार्ड डब्ल्यू.जे., (2006), विशिष्ट काउंसिल ऑफ एक्सेप्सनल चिल्ड्रेन (CEC) से प्रकाशित।
2. ल्यूकेसान एवं अन्य, (1992), मेंटल रिटार्डेशन, क्लासिफिकेशन एंड सिस्टम ऑफ सपोर्ट्स (9वीं मैनुअल) AAMR से प्रकाशित।
3. श्लेलाक एवं अन्य, (2002), मेंटल रिटार्डेशन, क्लासिफिकेशन एंड सिस्टम ऑफ सपोर्ट्स (9वीं मैनुअल) AAMR से प्रकाशित।
4. डिसेविलिटी स्टेटस ऑफ इंडिया; 2007-द्वि भारतीय पुनर्वास परिषद् से प्रकाशित।
5. यूनेस्को, (2001), अंडरस्टैंडिंग एंड रेस्पॉन्डिंग टू चाइल्ड नीड्स इन इनक्लूसिव क्लासरूम, यूनेस्को से प्रकाशित।
6. मंगल एस.के., (2007), विशिष्ट बालक, प्रेंटिल हॉल ऑफ इंडिया से प्रकाशित।
7. हालाहन डी.पी. एंड कॉफ मैन जे.एम., (2006), एक्सेप्सनल चिल्ड्रेन इंट्रोडक्शन टू स्पेशल एजुकेशन, पार्सन एजुकेशन से प्रकाशित।
8. भारत सरकार, (1995), पर्सन्स विथ डिसेविलिटीज ऐक्ट, भारत सरकार से प्रकाशित।
9. यूनेस्को, (2004), इम्ब्रासिंग डायवर्सिटी टूलकिट फॉर क्रिएटिंग इनक्लूसिव लर्निंग फ्रेंडली इनवायरमेंट यूनेस्को की वेबसाइट से लिया गया।
10. एनिसवर्थ पी. एंड बेकर सी.बी. (2004), अंडरस्टैंडिंग मेंटल रिटार्डेशन, यूनिवर्सिटी प्रेस ऑफ मिसिसिपी से प्रकाशित।
11. रेनाल्डस सी.आर. एंड जानजेन इ.एफ. (Ed), (2007), इनसालक्लोपीडिया ऑफ स्पेशल एजुकेशन, जॉन वाइली एंड संस से प्रकाशित।

8.10 निबंधात्मक प्रश्न

1. अक्षमता के अध्ययन के विभिन्न उपागम क्या हैं? अक्षमता के अध्ययन के चिकित्सकीय एवं सामाजिक उपागम का तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत करें?
2. विशेष शिक्षा , समेकित शिक्षा और समावेशी शिक्षा की परिभाषा दीजिए एवं इनके लाभ और हानियों की चर्चा करें?
3. समावेशी शिक्षा से आप क्या समझते हैं? इसकी विशेष ताएं और फायदे पर प्रकाश डालें?
4. एक मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता युक्त बालक के समावेशी शिक्षण में विशेष शिक्षक की विभिन्न भूमिकाओं की विस्तृत चर्चा करें?
5. एक मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता बालक के समावेशी शिक्षण में सामान्य शिक्षक की क्या भूमिका हो सकती है, विस्तार से लिखें?

इकाई 9; अधिगम अक्षमता: अर्थ, विशेषता एवं वर्गीकरण (Learning disability; Meaning, characteristics and classification)

- 9.1 प्रस्तावना
- 9.2 उद्देश्य
- 9.3 अधिगम अक्षमता: एक परिचय
 - 9.3.1 अधिगम अक्षमता का अर्थ और परिभाषा
 - 9.3.2 ऐतिहासिक परिदृश्य
- 9.4 अधिगम अक्षमता की प्रकृति एवं विशेषताएँ
- 9.5 अधिगम अक्षमता का वर्गीकरण
- 9.6 अधिगम अक्षमता और अन्य विकलांगता
 - 9.6.1 अधिगम अक्षमता और मानसिक मंदता
 - 9.6.2 अधिगम अक्षमता और स्लो लर्नर्स व पिछड़े बालक
- 9.7 सारांश
- 9.8 शब्दावली
- 9.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 9.10 संदर्भ ग्रंथ सूची
- 9.11 सहायक/उपयोगी पाठ्यसामग्री
- 9.12 निबंधात्मक प्रश्न

9.1 प्रस्तावना

आज शिक्षा के सार्वभौमीकरण के प्रयास के तहत विशिष्ट शिक्षा के संप्रत्यय को बल मिला है लेकिन लोगों में अभी भी जागरूकता का अभाव है। विशिष्ट बालक कौन है और विशिष्टता के कितने प्रकार हैं, इस संदर्भ में या तो लोगों को जानकारी ही नहीं है या फिर अपूर्ण जानकारी है। विशिष्ट बालक के मुख्य प्रकार जैसे अस्थि विकलांगता, श्रवण विकलांगता, दृष्टि विकलांगता आदि में तो फिर भी लोग अंतर कर लेते हैं लेकिन मानसिक मंदता, अधिगम अक्षमता, पागलपन आदि की जानकारी उन्हें नहीं है। भ्रमवश वे इन सबको एक ही अर्थ में समझते हैं तथा एक ही अर्थ में प्रयोग करते हैं। यह बहुत गंभीर समस्या है। अधिगम अक्षमता के साथ ऐसा अधिकांशतः होता है।

हर प्रकार के विशिष्टता की अपनी प्रकृति होती है और उस प्रकृति के अननुकूल ही हमें शिक्षण अधिगम-प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। अतः, यह आवश्यक है कि हम विशिष्ट बालकों के विभिन्न प्रकार को जाने एवं समझें। इसी क्रम में, इस इकाई में हम विशिष्ट बालकों के एक प्रकार, अधिगम अक्षमता की परिभाषा, प्रकृति लक्षण, विभिन्न प्रकार एवं विशिष्ट बालकों के अन्य प्रकार से अंतर की चर्चा करेंगे।

9.2 उद्देश्य

इस ईकाई के अध्ययन के पश्चात आप:

1. अधिगम अक्षमता की परिभाषा, प्रकृति, विशेषता की व्याख्या कर सकेंगे;
2. अधिगम अक्षमता के विभिन्न प्रकार का वर्णन कर सकेंगे;
3. अन्य प्रकार की विकलांगताओं एवं अधिगम अक्षमता में अंतर कर सकेंगे।

9.3 अधिगम अक्षमता: एक परिचय

9.3.1 अधिगम अक्षमता का अर्थ और परिभाषा

“अधिगम अक्षमता” पद दो अलग-अलग पदों “अधिगम” और “अक्षमता” से मिलकर बना है। अधिगम शब्द का आशय “सीखने” से है तथा “अक्षमता” का तात्पर्य “क्षमता के अभाव” या “क्षमता की अनुपस्थिति” से है। अर्थात् सामान्य भाषा में “अधिगम अक्षमता” का तात्पर्य “सीखने की क्षमता अथवा योग्यता” की कमी या अनुपस्थिति से है। सीखने में कठिनाइयों को समझने के लिए हमें एक बच्चे की सीखने की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों का आकलन करना चाहिए। प्रभावी अधिगम के लिए मजबूत अभिप्रेरण, सकारात्मक आत्म छवि, और उचित अध्ययन प्रथाएँ एवं रणनीतियाँ आवश्यक शर्तें हैं (एरो, जेरे-फोलोटिया, हेनगारी, कारिउकी तथा म्कानडावायर, 2011)। औपचारिक शब्दों में, “अधिगम अक्षमता” को “विद्यालयी पाठ्यक्रम” सीखने की क्षमता की कमी या अनुपस्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।

“अधिगम अक्षमता” पद का सर्वप्रथम प्रयोग 1963 ई. में सैमुअल किर्क द्वारा किया गया था और इसे निम्न शब्दों में परिभाषित किया था-

“अधिगम अक्षमता को वाक्, भाषा, पठन, लेखन या अंकगणितीय प्रक्रियाओं में से किसी एक या अधिक प्रक्रियाओं में मंदता, विकृति अथवा अवरुद्ध विकास के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो संभवतः मस्तिष्क कार्यविरुपता और/या संवेगात्मक अथवा व्यावहारिक विक्षोभ का परिणाम है न कि मानसिक मंदता, संवेदी अक्षमता अथवा सांस्कृतिक या अनुदेशन कारक का। (किर्क, 1963)

इसके पश्चात से अधिगम अक्षमता को परिभाषित करने के लिए विद्वानों द्वारा निरंतर प्रयास किए गए, लेकिन कोई सर्वमान्य परिभाषा विकसित नहीं हो पाई।

अमेरिका में विकसित फेडरल परिभाषा के अनुसार, “विशिष्ट अधिगम अक्षमता को, लिखित एवं मौखिक भाषा के प्रयोग एवं समझने में शामिल एक या अधिक मूल मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया में विकृति, जो व्यक्ति के सोच, वाक्, पठन, लेखन, एवं अंकगणितीय गणना को पूर्ण या आंशिक रूप में प्रभावित करता है, के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसके अंतर्गत इन्द्रियजनित विकलांगता, मस्तिष्क क्षति, अल्पतम असामान्य दिमागी प्रक्रिया, डिस्लेक्सिया, एवं विकासात्मक वाच्चाघात आदि शामिल हैं। इसके अंतर्गत वैसे बालक नहीं सम्मिलित किए जाते हैं, जो दृष्टि, श्रवण या गामक विकलांगता, संवेगात्मक विक्षोभ, मानसिक

मंदता, सांस्कृतिक या आर्थिक दोष के परिणामतः अधिगम संबंधी समस्या से पीड़ित है।” (फेडरल रजिस्टर, 1977)

वर्ष 1994 में अमेरिका की अधिगम अक्षमता की राष्ट्रीय संयुक्त समिति (द नेशनल ज्वायंट कमीटी ऑन लर्निंग डिसएबलिटीज्स) ने अधिगम अक्षमता को परिभाषित करते हुए कहा कि “अधिगम अक्षमता एक सामान्य पद है, जो मानव में अनुमानतः केन्द्रीय तंत्रिका तंत्र के सुचारु रूप से नहीं कार्य करने के कारण उत्पन्न आंतरिक विकृतियों के विषम समूह, जिसमें की बोलने, सुनने, पढ़ने, लिखने, तर्क करने या गणितीय क्षमता के प्रयोग में कठिनाई शामिल होते हैं, को दर्शाता है। जीवन के किसी भी पड़ाव पर यह उत्पन्न हो सकता है। हालाँकि अधिगम अक्षमता अन्य प्रकार की अक्षमताओं (जैसे कि संवेदी अक्षमता, मानसिक मंदता, गंभीर संवेगात्मक विक्रोभ) या सांस्कृतिक भिन्नता, अनुपयुक्तता या अपर्याप्त अनुदेशन के प्रभाव के कारण होता है लेकिन ये दशाएँ अधिगम अक्षमता को प्रत्यक्षतः प्रभावित नहीं करती हैं” (द नेशनल ज्वायंट कमीटी ऑन लर्निंग डिसएबलिटीज्स-1994) .

उपर्युक्त परिभाषाओं की समीक्षा के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अधिगम अक्षमता एक व्यापक संप्रत्यय है, जिसके अंतर्गत वाक्, भाषा, पठन, लेखन, एवं अंकगणितीय प्रक्रियाओं में से एक या अधिक के प्रयोग में शामिल एक या अधिक मूल मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया में विकृति को शामिल किया जाता है, जो अनुमानतः केन्द्रीय तंत्रिका तंत्र के सुचारु रूप से नहीं कार्य करने के कारण उत्पन्न होता है। यह स्वभाव से आंतरिक होता है।

9.3.2 ऐतिहासिक परिदृश्य

अधिगम अक्षमता के इतिहास पर दृष्टिपात करने से आप पाएँगे कि इस पद ने अपना वर्तमान स्वरूप ग्रहण करने के लिए एक लंबा सफर तय किया है। इस पद का सर्वप्रथम प्रयोग 1963 ई. में सैमुअल किर्क ने किया था। यही पद आज सार्वभौम एवं सर्वमान्य है। इसके पूर्व विद्वानों ने अपने-अपने कार्यक्षेत्र के आधार पर अनेक नामकरण किए थे। जैसे- न्यूनतम मस्तिष्क क्षतिग्रस्तता (औषधि विज्ञानियों या चिकित्सा विज्ञानियों द्वारा), मनोस्नायुजनित विकलांगता (मनोवैज्ञानिकों + स्नायुवैज्ञानिकों द्वारा), अतिक्रियाशीलता (मनोवैज्ञानिकों द्वारा), न्यूनतम उपलब्धता (शिक्षा मनोवैज्ञानिकों द्वारा) आदि।

रेड्डी, रमार एवं कुशामा (2003) ने अधिगम अक्षमता के क्षेत्र के विकास को तीन निम्नलिखित चरणों में विभाजित किया है-

- प्रारम्भिक (Foundation) काल
- रूपान्तरण (Transition) काल
- स्थापन (Recognition) काल

प्रारम्भिक काल- यह काल अधिगम अक्षमता के उदभव से सम्बन्धित है। वर्ष 1802 से 1946 के मध्य का यह समय अधिगम अक्षमता के लिए कार्यकारी साबित हुआ। अधिगम अक्षमता प्रत्यय की पहचान एवं विकास इसी समय से आरम्भ हुई तथा उनकी पहचान तथा उपयुक्त निराकरण हेतु प्रयास किए जाने लगे।

रूपान्तरण काल - यह काल अधिगम अक्षमता के क्षेत्र में एक नये रूपान्तरण का काल के रूप में जाना जाता है। जब अधिगम अक्षमता एक विशेष अक्षमता के रूप में स्थापित हुई तथा जब अधिगम अक्षमता प्रत्यय का उद्भव हुआ, इन दोनों के मध्य का संक्रमण का काल ही रूपान्तरण काल से सम्बन्धित है।

स्थापन काल - 60 के दशक के मध्य में अधिगम अक्षमता से सम्बन्धित कठिनाईयों को सामूहिक रूप से पहचान की प्राप्ति हुई। इस काल में ही सैमुअल किर्क ने 1963 में अधिगम अक्षमता (Learning Disability) शब्द को प्रतिपादित किया। 60 के दशक के बाद इस क्षेत्र में अनेक विकासात्मक कार्य किए गये और विशिष्ट शिक्षा में अधिगम अक्षमता एक बड़े उपक्षेत्र के रूप में प्रतिस्थापित हुई।

क्रुकशैंक ने 1972 में 40 शब्दों का एक शब्दकोष विकसित किया। इसी क्रम में यदि आप कुर्ट गोल्डस्टिन द्वारा 1927 ई0 1936 ई0 एवं 1939 ई0 में किए गए कार्यों का मूल्यांकन करें तो आप पाएँगे कि उनके द्वारा जैसे मस्तिष्कीय क्षतिग्रस्त सैनिकों जो प्रथम विश्वयुद्ध में कार्यरत थे की अधिगम समस्याओं का जो उल्लेख किया गया है, वही अधिगम अक्षमता का आधार स्तम्भ है। उनके अनुसार, “ ऐसे लोगों से अनुक्रिया प्राप्त करने में अधिक प्रयत्न करना पड़ता है। इनमें आकृति पृष्ठभूमि भ्रम बना रहता है, ये अतिक्रियाशील होते हैं तथा इनकी क्रियाएँ उत्तेजनात्मक होती हैं।” सर्टॉस (1939) ने अपने अध्ययन में कुछ लक्षण बताए थे जो मूलतः अधिगम अक्षम बालकों एवं किशोरों में मिलते हैं। क्रुकशैंक, वाइस और वैलेन (1957) ने अपने अधिगम अक्षमता संबंधी अध्ययन में केवल जैसे बालकों पर बल दिया जो बुद्धिलब्धि परीक्षण पर सामान्य से कम बुद्धिलब्धि रखते थे। उन्होंने कहा कि यदि किसी बालक की बुद्धिलब्धि न्यून है और साथ ही न्यूनतम शैक्षिक योग्यता प्राप्त करता है तो उसकी शैक्षिक योग्यता की न्यूनता का कारण बुद्धिलब्धि की न्यूनता ही है। इन अध्ययनों को सैमुअल किर्क ने अपने अध्ययन का आधार बनया और कहा कि अधिगम अक्षमता सिर्फ शैक्षिक न्यूनता नहीं है। यह न्यूनतम मस्तिष्कीय क्षतिग्रस्तता, पढ़ने की दक्षता में समस्या अतिक्रियाशीलता आदि जैसे गुणों का समूह है। उन्होंने ये भी कहा जो बालक इन सारे गुणों से संयुक्त रूप से पीड़ित है, वो अधिगम अक्षम बालक है। शैक्षिक न्यून बालकों के संबंध में अपने मत को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि अधिगम अक्षम बालक शैक्षिक न्यूनता से पीड़ित होगा और यह न्यूनता उसके आंतरिक एवं वाह्य दशाओं के परिणाम के कारण ही नहीं बल्कि उसमें उपलब्ध न्यूनतम शैक्षिक दशाओं के कारण भी संभव है। सैमुअल किर्क ने इस कार्य को और प्रसारित करने के लिए अधिगम अक्षमता अध्ययनकर्ताओं का एक संघ बनाया जिसे “एसोसिएशन फॉर चिल्ड्रेन विद लर्निंग डिसेबिलिटी” कहा गया और अधिगम अक्षमता शोध पत्रिका का प्रारंभ किया। आज विश्व स्तर पर अधिगम अक्षमता संबंधी अध्ययन किए जा रहे हैं और अधिगम अक्षमता पर आधारित दो विश्वस्तरीय शोध पत्रिकाएँ मौजूद हैं जो किए जा रहे अध्ययनों का प्रचार- प्रसार करने में अपनी भूमिका निभा रही हैं।

भारत में इस संबंध में कार्य शुरू हुए अभी बहुत कम समय हुआ है और आज यह पश्चिमी देशों में अधिगम अक्षमता संबंधी हो रहे कार्यों के तुलनीय है। भारत वर्ष में अधिगम अक्षम बालकों की पहचान विदेशियों द्वारा की गई लेकिन धीरे-धीरे भारतीयों में भी जागरूकता बढ़ रही है। वर्तमान में भारत में सरकारी और गैर- सरकारी संस्थाएँ इस क्षेत्र में कार्यरत हैं। लेकिन, आज भी अधिगम अक्षमता को भारत में कानूनी विकलांगता के रूप में

पहचान नहीं मिली है। निःशक्त जन (समान अवसर, अधिकार संरक्षण, और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 में उल्लेखित सात प्रकार की विकलांगता में यह शामिल नहीं है। ज्ञात हो कि यही अधिनियम भारतवर्ष में विकलांगता के क्षेत्र में सबसे बृहद कानून है। अर्थात् भारत में अधिगम अक्षम बालक को कानूनी रूप से विशिष्ट सेवा पाने का आधार नहीं है।

9.3.3 अधिगम अक्षमता की प्रकृति एवं विशेषताएँ


अधिगम संबंधी कठिनाई, श्रवण, दृष्टि, स्वास्थ्य, वाक् एवं संवेग आदि से संबंधित अस्थायी समस्याओं से जुड़ी होती है। समस्या का समाधान होते ही अधिगम संबंधी वह कठिनाई समाप्त हो जाती है। इसके विपरीत अधिगम अक्षमता उस स्थिति को कहते हैं जहाँ व्यक्ति की योग्यता एवं उपलब्धि में एक स्पष्ट अंतर हो। यह अंतर संभवतः स्नायुजनित होता है तथा यह व्यक्ति विशेष में आजीवन उपस्थित रहता है।

चूँकि अधिगम अक्षमता को कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है और जनगणना में अधिगम अक्षमता को आधार नहीं बनाया जाता है। इसलिए देश में मौजूद अधिगम अक्षम बालकों के संबंध में ठीक-ठीक आँकड़ा प्रदान करना तो अति मुश्किल है लेकिन एक अनुमान के अनुसार यह कहा जा सकता है कि देश में इस प्रकार के बालकों की संख्या अन्य प्रकार के विकलांग बालकों की संख्या से से कहीं ज्यादा है। यह संख्या, देश में उपलब्ध कुल स्कूली जनसंख्या के 1-41 प्रतिशत तक ही सकता है। सन् 2012 में चेन्नई में समावेशी शिक्षा एवं व्यावसायिक विकल्प विषय पर सम्पन्न हुए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन “लर्न 2012” में विशेषज्ञों ने कहा कि भारत में लगभग 10% बालक अधिगम अक्षम हैं। (टाइम्स आफ इंडिया, जनवरी 27, 2012).

अधिगम अक्षमता की विभिन्न मान्यताओं पर दृष्टिपात करने से अधिगम अक्षमता की प्रकृति के संबंध में आपको निम्नलिखित बातें दृष्टिगोचर होंगी:

1. अधिगम अक्षमता आंतरिक होती है;
2. यह स्थायी स्वरूप का होता है अर्थात् यह व्यक्ति विशेष में आजीवन विद्यमान रहता है;
3. यह कोई एक विकृति नहीं बल्कि विकृतियों का एक विषम समूह है;
4. इस समस्या से ग्रसित व्यक्तियों में कई प्रकार के व्यवहार और विशेषताएँ पाई जाती हैं;
5. चूँकि यह समस्या केन्द्रीय तंत्रिका तंत्र की कार्यविरूपता से संबंधित है, अतः यह एक जैविक समस्या है;
6. यह अन्य प्रकार की विकृतियों के साथ हो सकता है, जैसे- अधिगम अक्षमता और संवेगात्मक विक्रोभ; तथा
7. यह श्रवण, सोच, वाक्, पठन, लेखन एवं अंकगणितीय गणना में शामिल मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया में विकृति के फलस्वरूप उत्पन्न होता है, अतः यह एक मनोवैज्ञानिक समस्या भी है।

अधिगम अक्षमता के प्रकृति को चित्र संख्या एक के माध्यम से समझा जा सकता है:



अधिगम अक्षमता के लक्षण को आप अधिगम अक्षम बालकों की विशेषताओं के संदर्भ में समझ सकते हैं। उपरोक्त मुख्य लक्षणों के अतिरिक्त कुछ अन्य लक्षण भी प्रदर्शित कर सकते हैं, जो निम्नलिखित हैं:

- बिना सोचे-विचारे कार्य करना;
- उपयुक्त आचरण नहीं करना;
- निर्णयात्मक क्षमता का अभाव ;
- स्वयं के प्रति लापरवाही;
- लक्ष्य से आसानी से विचलित होना;
- सामान्य ध्वनियों एवं दृश्यों के प्रति आकर्षण;
- ध्यान कम केन्द्रित करना या ध्यान का भटकाव;
- भावत्मक अस्थिरता;
- एक ही स्थिति में शांत एवं स्थिर रहने की असमर्थता;

- स्वप्रगति के प्रति लापरवाही बरतना;
- सामान्य से ज्यादा सक्रियता;
- गामक क्रियाओं में बाधा;
- कार्य करने की मंद गति;
- सामान्य कार्य को संपादित करने के लिए भी एक से अधिक बार प्रयास करना;
- पाठ्य सहगामी क्रियाओं में शामिल नहीं होना;
- क्षीण स्मरण शक्ति का होना;
- बिना वाह्य हस्तक्षेप के अन्य गतिविधियों में भाग लेने में असमर्थ होना; तथा
- प्रत्यक्षीकरण सम्बन्धी दोष।

अभ्यास प्रश्न

1. 'अधिगम अक्षमता' पद का सर्वप्रथम प्रयोग ने किया था.
2. अमेरिका में अधिगम अक्षमता के फेडरल परिभाषा का विकास वर्ष..... में हुआ था.
3. ने सन 1972 में 'अधिगम अक्षमता' संबंधी 40 शब्दों का एक शब्दकोष विकसित किया था.
4. 'एसोसिएशन फॉर चिल्ड्रेन विद लर्निंग डिसएबलिटी' का गठन ने किया था.

9.4 अधिगम अक्षमता का वर्गीकरण

अधिगम अक्षमता एक वृहद् प्रकार के को कई आधारों पर विभेदीकृत किया गया है। ये सारे विभेदीकरण अपने उद्देश्यों के अनुकूल हैं। इसका प्रमुख विभेदीकरण ब्रिटिश कोलंबिया (2011) एवं ब्रिटेन के शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रकाशित पुस्तक सपोर्टिंग स्टूडेंट्स विद लर्निंग डिसएबलिटी: ए गाइड फॉर टीचर्स में दिया गया है, जो निम्नलिखित है:

1. डिस्लेक्सिया (पढ़ने संबंधी विकार);
2. डिस्ग्राफिया (लेखन संबंधी विकार);
3. डिस्कैलकुलिया (गणितीय कौशल संबंधी विकार);
4. डिस्फैसिया (वाक् क्षमता संबंधी विकार);
5. डिस्प्रेक्सिया (लेखन एवं चित्रांकन संबंधी विकार)
6. डिसऑर्थोग्राफिया (वर्तनी संबंधी विकार);

7. ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर (श्रवण संबंधी विकार);
8. विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर (दृश्य प्रत्यक्षण क्षमता संबंधी विकार);
9. सेंसरी इंटीग्रेशन ऑर प्रोसेसिंग डिसऑर्डर (इन्द्रिय समन्वयन क्षमता संबंधी विकार); तथा
10. ऑर्गनाइजेशनल लर्निंग डिसऑर्डर (संगठनात्मक पठन संबंधी विकार)

अब आप बारी-बारी से एक-एक का अध्ययन करेंगे।

1. **डिस्लेक्सिया** - डिस्लेक्सिया शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्द “डस” और “लेक्सिस” से मिलकर बना है जिसका शाब्दिक अर्थ है “कठिन भाषा(डिफिकल्ट स्पीच)”。 वर्ष 1887 में एक जर्मन नेत्र रोग विशेषज्ञ रुडोल्फ बर्लिन द्वारा खोजे गए इस शब्द को “शब्द अंधता” भी कहा जाता है। डिस्लेक्सिया को भाषायी और सांकेतिक कोडों भाषा के ध्वनियों का प्रतिनिधित्व करने वाले वर्णमाला के अक्षरों या संख्याओं का प्रतिनिधित्व कर रहे अंकों के संसाधान में होनेवाली कठिनाई के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह भाषा के लिखित रूप, मौखिक रूप एवं भाषायी दक्षता को प्रभावित करता है। यह अधिगम अक्षमता का सबसे सामान्य प्रकार है। डिस्लेक्सिया के लक्षण निम्नलिखित हैं-

- वर्णमाला अधिगम में कठिनाई
- अक्षरों की ध्वनियों को सीखने में कठिनाई
- एकाग्रता में कठिनाई
- पढ़ते समय स्वर वर्णों का लोप होना
- शब्दों को उलटा या अक्षरों का क्रम इधर-उधर कर पढ़ा जाना, जैसे- नाम को मान या शावक को शाक पढ़ा जाना; वर्तनी दोष से पीड़ित होना;
- समान उच्चारण वाले ध्वनियों को न पहचान पाना;
- शब्दकोष का अभाव
- भाषा के अर्थपूर्ण प्रयोग का अभाव; तथा
- क्षीण स्मरण शक्ति

डिस्लेक्सिया की पहचान- उपर्युक्त लक्षण हालाँकि डिस्लेक्सिया की पहचान करने में उपयोगी होते हैं लेकिन इन लक्षणों के आधार पर पूर्णतः विश्वास के साथ किसी भी व्यक्ति को डिस्लेक्सिक घोषित नहीं किया जा सकता है। डिस्लेक्सिया की पहचान करने के लिए सन् 1973 में अमेरिकन फ़िजिशियन एलेना बोडर ने “बोड टेस्ट ऑफ रीडिंग-स्पेलिंग पैटर्न” नामक एक परीक्षण का विकास किया। भारत में इसके लिए “डिस्लेक्सिया अर्ली स्क्रीनिंग टेस्ट” और “डिस्लेक्सिया स्क्रीनिंग टेस्ट” का प्रयोग किया जाता है।

डिस्लेक्सिया का उपचार- डिस्लेक्सिया का पूर्ण उपचार असंभव है लेकिन इसको उचित शिक्षण-अधिगम पद्धति के द्वारा निम्नतम स्तर पर लाया जा सकता है।

2. **डिसग्राफिया** - “डिसग्राफिया अधिगम अक्षमता का वो प्रकार है जो लेखन क्षमता को प्रभावित करता है। यह वर्तनी संबंधी कठिनाई, खराब हस्तलेखन एवं अपने विचारों को लिपिबद्ध करने में कठिनाई के रूप में जाना जाता है”। (नेशनल सेंटर फॉर लर्निंग डिसएबलिटीज्स, 2006).

डिसग्राफिया के लक्षण- इसके निम्नलिखित लक्षण हैं:

- i. लिखते समय स्वयं से बातें करना;
- ii. अशुद्ध वर्तनी एवं अनियमित रूप और आकार वाले अक्षर को लिखना;
- iii. पठनीय होने पर भी कॉपी करने में अत्यधिक श्रम का प्रयोग करना;
- iv. लेखन सामग्री पर कमजोर पकड़ या लेखन सामग्री को कागज के बहुत नजदीक पकड़ना;
- v. अपठनीय हस्तलेखन;
- vi. लाइनों का ऊपर-नीचे लिखा जाना एवं शब्दों के बीच अनियमित स्थान छोड़ना; तथा
- vii. अपूर्ण अक्षर या शब्द लिखना।

उपचारात्मक कार्यक्रम- चूँकि यह एक लेखन संबंधी विकार है, अतः, इसके उपचार के लिए यह आवश्यक है कि इस अधिगम अक्षमता से ग्रसित व्यक्ति को लेखन का ज्यादा से ज्यादा अभ्यास कराया जाय।

3. **डिस्कैलकुलिया**- यह एक व्यापक पद है जिसका प्रयोग गणितीय कौशल अक्षमता के लिए किया जाता है। इसके अंतर्गत अंकों संख्याओं के अर्थ समझने की अयोग्यता से लेकर अंकगणितीय समस्याओं के समाधान में सूत्रों एवं सिद्धांतों के प्रयोग की अयोग्यता तथा सभी प्रकार के गणितीय कौशल अक्षमता शामिल है।

डिस्कैलकुलिया के लक्षण – इसके निम्नलिखित लक्षण हैं :

- नाम एवं चेहरा पहचानने में कठिनाई;
- अंकगणितीय संक्रियाओं के चिन्हों को समझने में कठिनाई;
- अंकगणितीय संक्रियाओं के अशुद्ध परिणाम मिलना;
- गिनने के लिए ऊँगलियों का प्रयोग ;
- वित्तीय योजना या बजट बनाने में कठिनाई;
- चेकबुक के प्रयोग में कठिनाई;
- दिशा ज्ञान का अभाव या अल्प समझ;
- नकद अंतरण या भुगतान से डर; तथा

- समय की अनुपयुक्त समझ के कारण समय-सारणी बनाने में कठिनाई का अनुभव करना।

डिस्कैलकुलिया के कारण- इसका कारण मस्तिष्क में उपस्थित कार्टेक्स की कार्यविरूपता को माना जाता है। कभी-कभी तार्किक चिंतन क्षमता के अभाव के कारण या कार्यकारी स्मृति के अभाव के कारण भी डिस्प्राफिया उत्पन्न होता है।

डिस्कैलकुलिया का उपचार- उचित शिक्षण-अधिगम रणनीति अपनाकर डिस्कैलकुलिया को कम किया जा सकता है। कुछ प्रमुख रणनीतियाँ निम्नलिखित हैं:

- जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करना;
- गणितीय तथ्यों को याद करने की लिए अतिरिक्त समय प्रदान करना;
- फ्लैश कार्ड्स और कम्प्यूटर गेम्स का प्रयोग करना; तथा
- गणित को सरल करना और यह बताना कि यह एक कौशल है जिसे अर्जित किया जा सकता है।

4. **डिस्फैसिया-** ग्रीक भाषा के दो शब्दों “डिस” और “फासिया” जिनके शाब्दिक अर्थ क्रमशः “अक्षमता” एवं “वाक्” होते हैं से मिलकर बने शब्द डिस्फैसिया का शाब्दिक अर्थ वाक् अक्षमता से है। यह एक भाषा एवं वाक् संबंधी विकृती है जिससे ग्रसित बच्चे विचार की अभिव्यक्ति या व्याख्यान के समय कठिनाई महसूस करते हैं। इस अक्षमता के लिए मुख्य रूप से मस्तिष्क क्षति (ब्रेन डैमेज) को उत्तरदायी माना जाता है।

5. **डिस्प्राफिया-** यह मुख्य रूप से चित्रांकन संबंधी अक्षमता की ओर संकेत करता है। इससे ग्रसित बच्चे लिखने एवं चित्र बनाने में कठिनाई महसूस करते हैं।

अभ्यास प्रश्न

5. सही मिलान करें

समूह क

1. डिस्लेक्सिया
2. डिस्प्राफिया
3. डिस्कैलकुलिया
4. डिस्प्राफिया
5. डिस्फासिया

समूह ख

- क. गणितीय कौशल संबंधी विकार
- ख. लेखन संबंधी विकार
- ग. लेखन एवं चित्रांकन संबंधी विकार
- घ. पठन संबंधी विकार
- ड. वाक् संबंधी विकार

9.5 अधिगम अक्षमता और अन्य विकलांगता

9.5.1 अधिगम अक्षमता और मानसिक मंदता

“अधिगम अक्षमता” और “मानसिक मंदता” पद एक सामान्य आदमी की भाषा में एक-दूसरे के पर्याय हैं और भ्रमवश वे दोनों पदों का एक ही अर्थ में प्रयोग करते हैं। यह सर्वथा गलत है। अधिगम अक्षमता और मानसिक मंदता में स्पष्ट अंतर है जिन्हें आप उनकी परिभाषाओं के माध्यम से समझ सकेंगे।

“अधिगम अक्षमता” को लिखित या मौखिक भाषा के प्रयोग में शामिल किसी एक या अधिक मनवैज्ञानिक प्रक्रियाओं में कार्यविरूपता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जबकि मानसिक मंदता को मानसिक विकास की ऐसी अवस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें बच्चों का बौद्धिक विकास औसत बुद्धि वाले बालकों से कम होता है। इस अंतर को आप निम्नलिखित तालिका के माध्यम से आप और स्पष्ट कर सकते हैं:

अधिगम अक्षमता	मानसिक मंदता
1. औसत या औसत से ज्यादा बुद्धिलब्धि प्राप्तांक	बुद्धिलब्धि प्राप्तांक 70 या उससे कम
2. मस्तिष्क की सामान्य कार्य-प्रणाली बाधित नहीं होती है या औसत होती है	मस्तिष्क की सामान्य कार्य-प्रणाली औसत से कम
3. योग्यता और उपलब्धि में स्पष्ट अंतर	दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में पूर्णतः अक्षम या कठिनाई का सामना
4. अधिगम अक्षम व्यक्ति मानसिक मंदता से ग्रसित हो यह आवश्यक नहीं है।	मानसिक मंद व्यक्ति आवश्यक रूप से अधिगम अक्षमता से ग्रसित होते हैं।
5. यह किसी में भी हो सकता है।	यह महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में ज्यादा पाई जाती है।

9.5.2 अधिगम अक्षमता और स्लो लर्नर्स(Slow Learners) व पिछड़े बालक

अधिगम अक्षमता पद भ्रमवश स्लो लर्नर्स बालकों के लिए भी सामान्यतः प्रयोग किया जाता है। वर्तमान परिदृश्य में भी एक बहुत बड़ी जनसंख्या इन दोनों पदों का प्रयोग एक ही अर्थ में करती है। यह इन दोनों ही पदों का अनुपयुक्त प्रयोग है। दोनों पद एक दूसरे से सर्वथा भिन्न हैं। दोनों पदों के बीच स्पष्ट खींची विभाजन रेखा को आप इनकी परिभाषाओं के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं।

एक स्लो लर्नर्स औसत से कम बुद्धि का बालक होता है जिसके सोचने की क्षमता, उस आयु समूह के बालकों के लिए निश्चित किए गए मानदण्ड से कम होता है। ऐसे बालक विकास की सभी अवस्थाओं से गुजरते हैं जो उसके लिए है लेकिन उस आयु समूह के सामान्य बालकों की तुलना में सार्थक रूप से धीमी गति से जबकि एक अधिगम अक्षम बालक औसत या औसत से ज्यादा बुद्धिवाला होता है जिसे कुछ विशिष्ट समस्याएँ होती हैं जो अधिगम को बहुत कठिन बना देती हैं। इस प्रकार अधिगम अक्षमता स्लो लर्निंग से भिन्न संप्रत्यय है।

“पीछड़े बालक” पद एक सापेक्ष पद है जिसकी व्याख्या शिक्षा, आर्थिक स्थिति, मानसिक स्थिति, सामाजिक स्थिति आदि के संदर्भ में की जाती है। यहाँ हम शिक्षा के संदर्भ में इसकी व्याख्या करेंगे। शिक्षा के संदर्भ में यह बालकों के एक विशिष्ट वर्ग को इंगित करता है जो किसी भी कारणवश अपने उम्र के अन्य बालकों से कम निष्पादन करते हैं। वो मानसिक मंदता से ग्रसित हो सकते हैं या अधिगम अक्षमता से या फिर कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण पीछड़े हो सकते हैं। ये सब पिछड़े हुए बालक कहे जाएँगे।

अधिगम अक्षमता के संदर्भ में इसका अध्ययन करने पर आप पाएँगे कि “ अधिगम अक्षमता ” पद इसकी तुलना में एक संकीर्ण पद है। पिछड़े बालक पद एक अति व्यापक पद है। ये दोनों पद एक-दूसरे के पर्याय नहीं हैं बल्कि ये एक-दूसरे से सार्थक रूप से भिन्न हैं। अधिगम अक्षमता और शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक के मध्य अंतर को आप तालिका 2 के माध्यम से और स्पष्ट रूप से समझ सकेंगे।

9.6 सारांश

प्रस्तुत ईकाई में हमने अधिगम अक्षमता के अर्थ, प्रकृति, लक्षण आदि पर चर्चा की और इस पर भी विवेचन किया है कि अधिगम संबंधी कठिनाई से अधिगम अक्षमता किस प्रकार अलग है। हमने अधिगम क्षमता के विभिन्न प्रकार, उनके लक्षण, कारण, उपचार एवं उनसे प्रभावित होनेवाले कौशलों की भी चर्चा की है। अधिगम अक्षमता के इतिहास एवं इसके प्रसार को भी स्पष्ट किया है। अधिगम अक्षमता का अन्य प्रकार की अक्षमताओं से जैसे मानसिक मंदता, स्लो लर्निंग, शैक्षिक पिछड़ापन आदि से अंतर को भी इस ईकाई में स्पष्ट किया गया है।

आज शिक्षा सबका अधिकार है। ऐसे में अधिगम अक्षम बालकों की पहचान एवं उनके अनुकूल उन्हें शिक्षा प्रदान करना हर शिक्षण संस्था का पुनीत कार्य है।

9.7 शब्दावली

1. डिस्लेक्सिया- पढ़ने संबंधी विकार
2. डिस्ग्राफिया- लेखन संबंधी विकार
3. डिस्कैलकुलिया- गणितीय कौशल संबंधी विकार
4. डिस्फैसिया- वाक् क्षमता संबंधी विकार

5. डिस्प्रेक्सिया- लेखन एवं चित्रांकन संबंधी विकार
6. डिसऑर्थोग्राफिया- वर्तनी संबंधी विकार
7. ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर- श्रवण संबंधी विकार
8. विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर- दृश्य प्रत्यक्षण क्षमता संबंधी विकार
9. सेंसरी-इंटिग्रेशन व प्रोसेसिंग डिसऑर्डर -इन्द्रिय समन्वयन क्षमता संबंधी विकार
10. ऑर्गनाइजेशनल लर्निंग डिसऑर्डर- संगठनात्मक पठन संबंधी विकार

9.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. सैमुअल किर्क
2. 1977
3. क्रुकशैंक
4. सैमुअल किर्क
5. 1- घ
2- ख
3- क
4- ग
5- ड

9.9 संदर्भ ग्रंथ सूची

1. Aro, T., Jere-Folotiya, J., Hengari, J., Kariuki, D. & Mkandawire, L. (2011). Learning and Learning Disabilities. In T. Aro & T. Ahonen (Eds.), Assessment of learning disability: cooperation between Teachers, Psychologists and Parents.
2. Bhargava, M. (1998). विशिष्ट बालक: उनकी शिक्षा एवं पुनर्वास. New Delhi : Sterling Publishers Pvt. Ltd.
3. British Columbia (2011). Supporting Students with Learning Disabilities Aguide for Teachers retrived from www.bced.gov.bc.ca/specialed/ppandg.htm.
4. Kirk, S. A. (1970). Educating Exceptional Children. New Delhi : Oxford and IBH Publishing Co.
5. National Centre for Learning Disabilities (2006). Retrived from www.ldonline.org.
6. National Joint Committee on Learning Disabilities. (1994). Secondary to Postsecondary transition planning for students with learning disabilities.

7. Reddy, G.L., Ramar, R. & Kusuma, A. (2003). Learning Disabilities: A practical guide to practitioners. New Delhi: Discovery Publishing House
8. Times of India (Jan 27, 2012). 10% of kids in India have learning disability: Experts
9. TNN Jan 27, 2012. Retrived from http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2012-01-27/chennai/30669918_1_inclusive-education-disability-autism
10. United States Office of Education. (1977) Definition and criteria for defining students as learning disabled. Federal Register, (1977) 42:250, Washington, DC: U.S. Government Printing Office.
11. University of Guelph. (2000). A Handbook for Faculty on Learning Disabilities Issues. Guelph, Canada

9.10 सहायक /उपयोगी ग्रंथ

1. Bhargava, M. (1998). Introduction to Exceptional Children, Their Nature and Educational Provisions. New Delhi : Sterling Publishers Pvt. Ltd.
2. Reddy, G.L., Ramar, R. & Kusuma, A. (2003). Learning Disabilities: A practical guide to practitioners. New Delhi: Discovery Publishing House
3. Smith, T. E. C., Pollway, E.A., Patton, J.R. & Dowdy, C.A. (2011). Teaching students with disabilities special needs in inclusive needs in inclusive settings. New Delhi: PHI Learning Private Limited.
4. <http://www.ldonline.org/ldresources>
5. http://www.washington.edu/doit/Faculty/Strategies/Disability/LD/ld_resources.html

9.11 निबंधात्मक प्रश्न

1. अधिगम अक्षमता शब्द की परिभाषा दीजिए एवं अधिगम अक्षमता के ऐतिहासिक परिदृश्य का वर्णन कीजिए?
2. अधिगम अक्षमता की प्रकृति का उल्लेख करें?
3. अधिगम अक्षमता एवं मानसिक मंदता में अंतर स्पष्ट करें?
4. अधिगम अक्षमता एवं स्लो लर्नर्स में अंतर स्पष्ट करें?
5. अधिगम अक्षमता के विभिन्न प्रकारों का संक्षिप्त वर्णन करें?

ईकाई 10: अधिगम अक्षम बालकों की पहचान, मूल्यांकन तथा प्रशिक्षण

- 10.1 प्रस्तावना
- 10.2 उद्देश्य
- 10.3 अधिगम अक्षम बालकों की पहचान
 - 10.3.1 अधिगम अक्षम बालक द्वारा प्रदर्शित लक्षण
 - 10.3.2 पहचान की विधि
 - 10.3.3 पहचान में दोष या त्रुटि
- 10.4 अधिगम अक्षमता का मूल्यांकन
- 10.5 अधिगम अक्षम बालकों का प्रतिस्थापन
- 10.6 अधिगम अक्षम बालकों की देखभाल एवं उनका प्रशिक्षण
- 10.7 सारांश
- 10.8 शब्दावली
- 10.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 10.10 संदर्भ ग्रन्थ
- 10.11 सहायक उपयोगी पाठ्य सामग्री
- 10.12 निबन्धात्मक प्रश्न

10.1 प्रस्तावना

आप यह जान चुके हैं कि अधिगम अक्षमता वाक्, भाषा, पठन, लेखन या अंकगणितीय प्रक्रियाओं में से किसी एक या अधिक प्रक्रियाओं अवरुद्ध के रूप में जाना जाता है, जो संभवतः मस्तिष्क कार्यविरूपता का परिणाम है। अधिगम अक्षमता को सामान्यतः विद्यालयी पाठ्यक्रम सीखने की क्षमता की कमी या अनुपस्थिति के रूप में जाना जाता है। इस ईकाई में आप अधिगम अक्षम बालकों की पहचान के बारे में जानेगें साथ ही साथ इस प्रकार की अक्षमता की तीव्रता के जानने के लिए मूल्यांकन का भी अध्ययन करेंगे। आप इस बात को समझ पाएंगे कि इन बालकों हेतु सेवाओं के चुनाव में किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही किस प्रकार का प्रशिक्षण कार्यक्रम इन बालकों के लिए प्रभावकारी होता है, जिससे वे अपनी अधिगम सम्बन्धी क्षमता में अभिवृद्धि कर सकें।

10.2 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात आप

1. जान सकेंगे कि अधिगम अक्षम बालकों की पहचान कैसे की जाती है।
2. बता सकेंगे कि किस प्रकार से अधिगम अक्षमता का मूल्यांकन किया जाता है।
3. अधिगम अक्षम बालकों के लिए किस प्रकार प्रशिक्षण कार्यक्रम तय किए जाते हैं।

10.3 अधिगम अक्षम बालकों की पहचान

आरम्भिक चरण में अधिगम अक्षमता की पहचान करना अत्यन्त कठिन है क्योंकि इसके लिए वास्तविक व्यवहार एवं अपेक्षित व्यवहार में महत्वपूर्ण अन्तर होना आवश्यक है। अधिगम अक्षमता की पहचान जितनी देर से होगी उसका निदान उतना ही कठिन होता जाता है तथा किशोरावस्था में गलत प्रवृत्तियों का शिकार होने की उनकी सम्भावना बढ़ जाती है। इसकी पहचान प्रारम्भिक स्तर पर बालको के व्यवहार द्वारा की जाती है। लगभग पूरा दिन छात्रों के साथ व्यतीत कर के उसका निरीक्षण करने के कारण शिक्षक अधिगम अक्षमता की पहचान के लिए ज्यादा उपयुक्त होता है। पूर्व चिह्नित अक्षमताओं के आधार पर शिक्षक छात्र की सम्भाव्य अधिगम अक्षमता की जानकारी प्राप्त कर पाता है।

10.3.1 अधिगम अक्षम बालक द्वारा प्रदर्शित लक्षण

अधिगम अक्षमता एक इस प्रकार की विकलांगता है, जिसमें कई श्रेणी, तीव्रता तथा क्षेत्र वाली कठिनाइयां सम्मिलित होती हैं। ये कठिनाइयां स्वतंत्र रूप से या समूह में किसी अधिगम अक्षम बालक में प्रकट हो सकती हैं। अधिगम अक्षम बालक में निम्नलिखित व्यवहारगत लक्षण पाए जाते हैं, जिन्हें समझ कर इस प्रकार के बालकों की शीघ्र पहचान की जा सकती है:

- **बुद्धि-** सामान्यतः अधिगम अक्षम छात्र सामान्य या सामान्य से अधिक बौद्धिक स्तर के हो सकते हैं तथा कुछ छात्र विशेष प्रतिभा के भी होते हैं।
- **प्रत्यक्षीकरण एवं गामक क्षमता-** हम जानते हैं कि प्रत्यक्षीकरण का सम्बन्ध अर्थपूर्ण संवेदना से है। प्रायः अधिगम अक्षम बालकों को प्रत्यक्षीकरण में समस्या उत्पन्न होती है। फलस्वरूप वे विभिन्न ध्वनियों एवं दृश्यों में विभेदीकरण और उद्दीपकों को उसके नियत स्थान पर रख कर प्रत्यक्षीकरण में कठिनाई महसूस करते हैं। ऐसे बालक भिन्न-भिन्न उद्दीपकों पर भी समान प्रतिक्रिया दे सकते हैं। इन्हें ध्यान केन्द्रीकरण एवं संवेग सम्बन्धी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। ऐसे बालकों में दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक समृति सम्बन्धी समस्याएँ होती हैं, जो धारणा एवं प्रत्यास्मरण आधारित होती है। उन्हें स्वयं अपने द्वारा किए कार्यों के नियन्त्रण में भी कठिनाई होती है। अन्य बालकों की अपेक्षा समायोजन, वर्गीकरण एवं व्यवस्थित करने का कौशल भी उनमें कम होता है।

अधिगम अक्षमता के कारण इनकी गामक क्षमताएँ प्रभावित होती है। ऐसे बालकों की लिखावट भी सामान्यतः अच्छी नहीं होती है, साथ ही उन्हें विभिन्न चित्रों की पहचान एवं वर्गीकरण में भी कठिनाई होती है।

- **पराबौद्धिक (Metacognition) कौशल-** पराबौद्धिक कौशल कार्य के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करता है। पराबौद्धिक कौशल के अन्तर्गत किसी भी कार्य को प्रभावकारी ढंग से करने के लिए प्रयुक्त होने वाले कौशल, कार्ययोजना तथा आवश्यक संसाधन का ज्ञान आवश्यक है। इसमें स्व-नियन्त्रित तंत्रों की आवश्यकता होती है। इनमें व्यवसायिक गतिविधियां, कार्यरत योजना के प्रभाव का मूल्यांकन, प्रयत्नों के परिणाम का परीक्षण तथा समस्याओं का निराकरण सम्मिलित हैं।
- **व्यवहारगत एवं भावनात्मक गुण-** अधिगम अक्षम बालक या तो अतिक्रियाशील होते हैं या कम क्रियाशील होते हैं। ऐसे बालकों के व्यवहार में प्रायः शीघ्र विचलन, अल्प ध्यान केन्द्रीकरण, स्मृतिदोष, अतिसंवेग, अतितीव्र एवं असमान्य भावपूर्ण प्रतिक्रिया परिलक्षित होती है। ऐसे बालकों को सामाजिक समायोजन में अधिक कठिनाई होती है, क्योंकि प्रायः संवेगों के प्रभाव में वे सामाजिक मूल्यों एवं सीमाओं का उल्लंघन कर जाते हैं। ऐसे बालक स्वयं के व्यवहार के प्रभाव का आकलन नहीं कर पाते हैं जिसके परिणामस्वरूप उनमें सामुचित समझ एवं अन्य भवनात्मक बोध का अभाव होता है। परिणामस्वरूप उन्हें दूसरों से सदैव नकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त होती है और समाज में वे अवांछित हो जाते हैं। दूसरों से प्रभावपूर्ण अन्तःक्रिया में अक्षमता के कारण उनमें आत्मसम्मान का अभाव हो सकता है। ऐसे बालकों के दुर्व्यवहार का कारण उनका अवसाद एवं हताशा है, जो अधिगम अक्षमजन्य होती है। अधिकांश शोध के आँकड़े ये प्रदर्शित करते हैं कि ऐसे बालकों की सामाजिक स्वीकारात्मकता कम होती है। फिर भी समाज में कुछ ऐसे अधिगम अक्षम बालकों के भी उदाहरण मिलते हैं, जो अपने वर्ग, विद्यालय और समूह में लोकप्रिय हुए हैं।
- **पाठ्य अधिगम क्षमता -** अधिगम अक्षम बालक प्रायः अपने वर्ग के अन्य छात्रों से पठन-पाठन, अर्थबोध, भाषाप्रवाह एवं उच्चारण आदि क्षेत्रों में अपेक्षाकृत पीछे छूट जाते हैं। सामान्यतः ऐसे छात्र ध्वनियों, वर्णों एवं संख्याओं के विपरीत अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। यह समस्याएँ बाद में श्रवण एवं वाचन सम्बन्धी समस्याओं को और गंभीर बना देती है।
- **संप्रेषणीय क्षमता-** अधिगम अक्षम बालकों को ध्वनियों को उच्चारित करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ऐसे बालक ध्वनियों की पुनरावृत्ति एवं हकलाहट से ग्रसित होते हैं। इन्हें भाषा के वास्तविक स्वरूप को सामाजिक प्रयोग हेतु रूपान्तरित करने में समस्या होती है। यह समस्या अर्थपूर्ण संप्रेषण हेतु उचित शब्दों के चयन के रूप में प्रदर्शित होती होती है।
- **स्मृति एवं विचारगत क्षमता-** प्रायः ऐसे छात्रों को शब्दों एवं ध्वनियों को (जो शब्दों का निर्माण करती हैं) याद करने में कठिनाई हो सकती है। इन्हें अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक स्तर पर शब्दों का अर्थ प्रत्यास्मरण में समस्या होती है। इनकी यह अक्षमता या तो उनके स्मृति दोष के कारण होती है अथवा

इनकी दीर्घकालिक स्मृति सम्बन्धित सूचनाओं के प्रत्यास्मरण सम्बन्धी समस्याओं का परिणाम हो सकती है।

- **विशिष्ट शैक्षिक उपलब्धि सम्बन्धित विशेषताएँ-** ऐसे बालक अलग-अलग. विशिष्ट शैक्षिक क्षेत्रों में उपलब्धि सम्बन्धी कमी प्रदर्शित करते हैं। इन विद्यालयी सम्बन्धी विशिष्ट उपलब्धियों में अवरोध निम्न रूपों में दिखाई देते हैं:

लेखन-पाठन सम्बन्धी-

- पठन सम्बन्धी अक्षमताओं के कारण पठन कार्य में आत्मविश्वास की कमी प्रदर्शित करते हैं
- पठन सम्बन्धी कार्यों के दौरान शारीरिक असहजता प्रदर्शित करते हैं
- कुछ शब्दों को स्वयं ही छोड़ते और जोड़ते चले जाते हैं
- वैकल्पिक शब्दों का प्रयोग करते हैं
- विपरीतार्थक शब्दों का प्रयोग करते हैं
- बोध एवं प्रवाह सम्बन्धी समस्याएँ प्रदर्शित होती हैं

गणितीय अधिगम सम्बन्धी-

- गणक अक्षमता, संख्याओं से लेखन सम्बन्धी कमी प्रदर्शित होती है।
- बहुचरणीय गणितीय प्रश्नों के हल करने में समस्या होती है
- भाषा में प्रयुक्त बहुअर्थीय शब्दों के प्रासंगिक अर्थबोध में समस्या आती है
- शब्दों एवं चिन्हों से सम्बन्धित अमूर्त तार्किक समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

10.3.2 पहचान की विधि

वर्ट्स, कलाटा एवं टाम्पकिन्स (2007) ने अधिगम अक्षम बालकों के पहचान हेतु दो विधियों का वर्णन किया है, जो निम्न हैं:

विभेद विधि- अधिगम अक्षम बालकों की पहचान के लिए उनकी अभिवृत्तियों में अपेक्षित अन्तर को सुनिश्चित करने की विधि अपनाई जाती है। सामान्यतः यह विधि अमेरिका में अपनाई जाती है, जिसके अन्तर्गत संघीय एवं प्रान्तीय विधायिका संभावित अधिगम अक्षम बालकों की पहचान एवं मूल्यांकन हेतु बल देती है। इसके अन्तर्गत विद्यालय में वर्ग शिक्षक, मनोवैज्ञानिक एवं चिकित्सक आदि लोगों का एक मूल्यांकन दल होना चाहिए। यह दल बालकों की बौद्धिक योग्यता एवं उम्र के अनुरूप उनकी शैक्षिक उपलब्धियों का मूल्यांकन करता है। यदि बालकों में लेखन, श्रवण, मौखिक अभिव्यक्ति, भाषायी प्रक्रिया, प्रारम्भिक पठन

कौशल, पठन बोध, गणितीय तर्क व गणना आदि क्षेत्रों में बौद्धिक योग्यता और उपलब्धि सम्बन्धी अन्तर पाया जाता है। किन्तु यदि बालक में पर्यावरण, संस्कृति, आर्थिक परिस्थिति अथवा किसी अन्य विकलांगता के कारण अन्तर पाया जाता है, तो ऐसे बालकों को अधिगम अक्षम नहीं माना जाता है। विविध क्षेत्रों में पता लगाने के लिए विविध जाँच पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। जब बालक शैक्षिक और व्यवहारिक अपेक्षाओं के अनुरूप परिणाम नहीं देते तब ऐसे बालक, शिक्षक के ध्यान के केन्द्र में आ जाता है जिन्हें उनके अविभावकों की स्वीकृति के उपरान्त एक जाच प्रक्रिया में डाल दिया जाता है। शिक्षकों द्वारा निर्मित जाँच प्रक्रिया एवं पाठ्यक्रम आधारित विधि द्वारा उनके शैक्षिक उपलब्धि की सीमा का निर्धारण किया जाता है। मानक बौद्धिक जाँच (व्यक्तिगत) द्वारा किसी बालक की बौद्धिक योग्यता का पता लगाया जाता है जबकि विशेष क्षेत्र में उनके प्रदर्शन के परीक्षण हेतु प्राप्त निष्कर्ष का संदर्भित परीक्षण में प्रयोग किया जाता है।

व्यवधान प्रतिक्रिया विधि- विभेद द्वारा अधिगम अक्षम बालकों की पहचान में कभी-कभी व्यवधान सकती है। इसलिए उनके पहचान के लिए व्यवधान प्रतिक्रिया विधि का प्रयोग किया जाता है। प्रारम्भिक चरण में अच्छे निदेशन के अभाव में बालक को हो रही कठिनाई का पता लगाना होता है। इसके अंतर्गत शिक्षक वैज्ञानिक रूप से निदानात्मक विधियों का प्रयोग कर बालकों को पढाते हैं। यदि प्रारम्भिक प्रयासों के उपरान्त बालक अपेक्षित व्यवहार का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं तो उन्हें सम्पूर्ण मूल्यांकन के लिए भेज दिया जाता है।

इसमें पूर्व में एकत्रित सूचनाओं का प्रयोग किया जाता है। इस जाँच प्रक्रिया के चार प्रमुख घटक हैं-

- शैक्षिक उपलब्धि के सन्दर्भ में बालकों की व्याख्या
- शैक्षिक समस्याओं एवं क्षमताओं का यथासम्भव सही एवं विशिष्ट वर्णन
- त्रुटिपूर्ण शैक्षिक उपलब्धियों में अनुदेशन एवं वातावरण के प्रभाव को जानने के लिए मानक विधियों का प्रयोग
- अभिलेखन

10.3.3 पहचान में दोष या त्रुटि

यद्यपि उपरोक्त तथा अन्य विधियों के द्वारा अधिगम अक्षम बालको की पहचान आसानी से की जा सकती है तथापि इस प्रक्रिया में भी कुछ त्रुटियों सम्भावना रहती है। त्रुटियों के कारण को हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं:

- अधिगम अक्षमता की परिभाषा में भ्रम एवं एकरूपता की कमी।
- योग्यता एवं उपलब्धि में अन्तर को सुनिश्चित करने वाले मानको में एकरूपता का अभाव
- शिक्षण के प्रारम्भिक चरण में अनुपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग
- अधिगम अक्षम बालकों एवं मन्द गति से सीखने वाले बालको के मध्य भ्रम की स्थिति
- जाँच विधियों के गलत अनुप्रयोग से प्राप्त अवैध परिणाम

अभ्यास प्रश्न

1. सामान्यतः अधिगम अक्षम छात्र सामान्य या सामान्य से बौद्धिक स्तर के हो सकते हैं।
2. अधिगम अक्षम बालक उद्दीपकों को उसके नियत स्थान पर रख करमें कठिनाई महसूस कर सकते हैं।
3. बहुचरणीय गणितीय प्रश्नों के हल करने में अधिगम अक्षम बालक को होती है।
4. अधिगम अक्षम बालकों को भाषा के वास्तविक स्वरूप को सामाजिक प्रयोग हेतु में समस्या होती है।

10.4 अधिगम अक्षमता का मूल्यांकन

अधिगम अक्षमता के मूल्यांकन के संबंध में गुवेल्ट्फ विश्वविद्यालय (2000) द्वारा प्रकाशित “ए हैंडबुक फॉर फैकल्टी ऑन लर्निंग डिसएबिलिटी इशुज्स” में यह कहा गया है कि “अधिगम क्षमता का मूल्यांकन एक व्यापक एवं थकाऊ प्रक्रिया है जिसके लिए समय, विशेषज्ञता एवं अच्छे नैदानिक (क्लिनिकल) निर्णयात्मक क्षमता की आवश्यकता होती है। मूल्यांकन दक्ष पेशेवर के द्वारा परीक्षणों की एक ऐसी बैटरी का प्रयोग कर किया जाना चाहिए जो बुद्धिमता, विद्यालयी कार्यशैली, सूचना संसाधन, सामाजिक-भावात्मक कार्यशैली और अधिगम अक्षमता के अन्य निर्धारक तत्वों की जाँच करें”। मनोवैज्ञानिक द्वारा अधिगम अक्षमता के मूल्यांकन को चार अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है (पानानेन, फेब्रुवरी, कलीमा, मौक्स तथा कानुकी, 2011)-

- फिनोटाइप का आकलन- बच्चे के कार्यों और व्यवहार की जाँच की प्रक्रिया।
- विकास इतिहास- बच्चे के विकास और अपनी खास विशेषताओं और संभावित कमी का ज्ञान।
- संज्ञानात्मक कार्यों के मूल्यांकन- फिनोटाइप में पाया समस्याओं का और अधिक विस्तृत मूल्यांकन।
- संशोधन या हस्तक्षेप कारक- ये बच्चे के वातावरण और इसके साथ तालमेल तथा समस्याओं को संशोधित रूप में निर्धारण करने की क्षमता से है।

भारतीय परिप्रेक्ष्य में अधिगम अक्षमता के मूल्यांकन हेतु कुछ प्रमुख प्रक्रियाओं का वर्णन भार्गव (1998) ने किया है जो निम्नलिखित है:

- मनोवैज्ञानिक दशा → शैक्षिक उपलब्धि
- मनोस्नायुविक + मनोवैज्ञानिक → शैक्षिक उपलब्धि
- मनोस्नायुविक + जैव रसायनिक + मस्तिष्क विद्युत तरंगीय + मनोवैज्ञानिक → शैक्षिक उपलब्धि

अब आप बारी-बारी से एक एक का अध्ययन करेंगे।

i. मनोवैज्ञानिक दशा → शैक्षिक उपलब्धि

यह एक द्विआयामी प्रक्रिया है। पहले आयाम में पाँच परीक्षणों जिनमें की बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, प्रात्यक्षिक गति परीक्षण, अवधान परीक्षण, अभिक्षमता परीक्षण शामिल है का प्रयोग कर व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक दशा का अध्ययन किया जाता है। दूसरा आयाम शैक्षिक उपलब्धि का है जिसमें बालक के शैक्षिक प्रगति एवं शैक्षिक कार्य-कलाप में सहभागिता का अध्ययन किया जाता है। इसके लिए विद्यालय द्वारा प्रगति प्रमाण-पत्र की जाँच की जाती है, माता-पिता से शैक्षिक उपलब्धि, घर पर अध्ययन के लिए बालक द्वारा दिए जाने वाले समय एवं परिवार के अन्य व्यक्तियों के साथ बालक के समायोजन के संबंध में जानकारी प्राप्त की जाती है। इन अध्ययनों के आधार पर निर्णय प्रदान किया जाता है।

ii. मनोस्नायुविक + मनोवैज्ञानिक → शैक्षिक उपलब्धि

यह प्रक्रिया थोड़ी जटिल है लेकिन इससे प्राप्त परिणाम अपेक्षाकृत अधिक विश्वसनीय है। मनोवैज्ञानिक दशा और शैक्षिक उपलब्धि का परीक्षण पूर्ववत् ही होता है। मनोस्नायुविक दशा के परीक्षण के लिए मूल्यांकनकर्ता “वेंड विजुअल मोटर गेस्टाल्ट टेस्ट ” का प्रयोग करता है। इस परीक्षण के माध्यम से अध्ययनकर्ता को अतिक्रियाशीलता, हाइपर काइनेसिस, गति संबंधी तालमेल आदि का विस्तृत विवरण प्राप्त हो जाता है जिसके परिणामस्वरूप वह अधिगम अक्षमता संबंधी निर्णय ज्यादा विश्वास के साथ प्रदान करता है।

iii. मनोस्नायुविक+जैव रसायनिक+मस्तिष्क विद्युत तरंगीय+मनोवैज्ञानिक→शैक्षिक उपलब्धि

यह एक अति उपयोगी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में जो दो नई बातें हैं, वो हैं जैव रसायनिक दशा एवं मस्तिष्क विद्युतीय तरंगीय दशा का परीक्षण। इनके लिए अध्ययनकर्ता निम्नलिखित तथ्यों की जाँच करता है:

- रक्त में वर्तमान शर्करा की मात्रा का आकलन;
- मूत्र परीक्षण, जिसमें मूत्र में निहित 17 केटो वसा रेशों की स्थिति का आकलन;
- थायरॉइड ग्रंथि के कार्यशैली का परीक्षण ;
- रक्त संरचना का विश्लेषण;
- गुण-सूत्रों का परीक्षण ; तथा
- मस्तिष्क तरंगों का आकलन.

इन परीक्षणों से अध्ययनकर्ता को व्यक्ति के संबंध में विशद् जानकारी प्राप्त हो जाती है जिसके परिणाम स्वरूप अधिगम अक्षमता संबंधी उसका मूल्यांकन अति विश्वसनीय हो जाता है। इन प्रक्रियाओं के इतर कुछ गणितीय मानदण्डों का प्रयोग भी अधिगम अक्षमता का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। इनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित है:

- मानसिक स्तर (मेंटल ग्रेड) का आकलन- हैरिस ने सन 1961 ई0 में इसका विकास एवं प्रमापीकरण किया था. इसके लिए निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाता है.

$$\text{आर. ई.} = \text{एम.ए.} - 5$$

$$\text{एम. ए.} = (\text{आई.क्यू.} \times \text{सी.ए.})/100$$

सी.ए. से यहाँ आशय क्रॉनिकल एज से है जो पाँच वर्ष निश्चित है।

- अधिगम अक्षमता लब्धांक- इस विधि को प्रतिपादित करने का श्रेय प्रसाद एवं श्रीवास्तव को जाता है। इसके लिए उन्होंने निम्नलिखित सूत्र का प्रतिपादन किया:

$$\text{एल. डी. क्यू.} = 1 - \text{पास} / (\text{आई.क्यू.} + \text{ग्रेड})$$

यहाँ पास = प्रतिशत शैक्षिक उपलब्धि प्राप्तांक


आई.क्यू. = मानसिक दक्षता; तथा

ग्रेड = शैक्षिक स्तर

अधिगम अक्षमता के मूल्यांकन की ये विभिन्न विधियाँ अपने उद्देश्य को पूर्ण करती हैं तथापि परिणाम की विश्वसनीयता में अंतर हो जाता है। फलस्वरूप इन विधियों का अलग-अलग प्रयोग उतना लाभकारी नहीं है जितना कि होना चाहिए। अतः, अधिगम के समग्र एवं प्रभावपूर्ण मूल्यांकन के लिए इन विधियों का एक साथ प्रयोग किया जाना चाहिए।

10.5 अधिगम अक्षम बालकों का प्रतिस्थापन

अधिगम अक्षम बालकों के प्रतिस्थापन, उनको उपयुक्त सेवाओं में समायोजित करने से सम्बन्धित है। किसी भी अधिगम अक्षम बालक का उचित प्रतिस्थापन तब तक सम्भव नहीं है, जब तक उनकी शीघ्र पहचान न कर ली जाय, साथ ही साथ उनके कठिनाईयों की तीव्रता का आकलन करना भी आवश्यक है। अतः प्रभावकारी सेवा प्रदान करने के लिए अधिगम अक्षम बालकों की शीघ्र पहचान तथा अक्षमता का सटीक आकलन अत्यन्त आवश्यक है। प्रत्येक अधिगम अक्षम बालक अक्षमताओं एवं अक्षमताओं से युक्त व्यक्तित्व होता है। इनमें इन्हीं अक्षमताओं तथा क्षमताओं का पता लगाकर उनके लिए नैदानिक कार्यक्रम एवं सेवाएं तैयार की जा सकती हैं, जो उनको क्षमताओं से सीखने तथा अक्षमताओं की क्षति पूर्ति में मददगार हो सकें (हार्डलिंग 1986)। अधिगम अक्षम बालकों के प्रतिस्थापन हेतु निम्नलिखित चरणों का अनुसरण किया जाता है:



अभ्यास प्रश्न

5. अधिगम अक्षमता आंतरिक होती है। (सही/गलत)
6. शैक्षिक उपलब्धि आयाम के अंतर्गत बालक के शैक्षिक प्रगति एवं शैक्षिक कार्य-कलाप में सहभागिता का अध्ययन किया जाता है। (सही/गलत)
7. प्रतिस्थापन के उपरांत ही अधिगम अक्षम बालकों की पहचान होती है। (सही/गलत)
8. मेंटल ग्रेड आकलन विधि का प्रतिपादन सन 1971 में हुआ था। (सही/गलत)

10.6 अधिगम अक्षम बालकों की देखभाल एवं उनका प्रशिक्षण

परम्परागत रूप से विशेष शिक्षको द्वारा दी गयी वरीयता एवं विद्यालयी नीतियों के आधार पर ही अधिगम अक्षम बालकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाता है। अभिभावक एवं शिक्षक दोनों को प्रशिक्षण कार्यक्रम से बालकों में हो रहे अपेक्षित परिवर्तन के प्रति भी सचेत रहना चाहिए। अधिगम अक्षम बालकों की समस्याओं से सम्बन्धित सूचनाएँ प्रदान करने के लिए शिक्षकों के पास उसकी सम्पूर्ण जानकारी होना आवश्यक है। इस प्रकार अभिभावको एवं शिक्षकों के द्वारा बालको की योग्यताओं के सूक्ष्म निरीक्षण द्वारा ही उनके भीतर नवीन कौशलों का विकास सम्भव है। जब किसी बालक का अपेक्षित विकास नहीं होता है तब इन सूचनाओ और आँकड़ों के आधार पर ही नई युक्तियों का प्रयोग कर प्रभावशाली ढंग से उन्हें प्रशिक्षित करने का प्रयास किया जाता है। बालकों के मूल्यांकन की सूचनाएँ शिक्षकों को भविष्य में प्रभावी एवं उत्तम

योजनाओं के निर्माण में मार्गदर्शन का कार्य करती है। विशेष शिक्षक शिक्षण पाठ्यक्रम के प्रमुख लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को चिन्हित कर, बालकों की रुचि, योग्यता एवं आवश्यकतानुसार विषयवस्तु को सुबोध बनाने का प्रयत्न करते हैं।

मर्शर और पुलेन (2009) (स्मिथ पॉवेल, पैटॉन तथा डॉवडी, 2011 में उल्लेखित) ने विद्यालयी पूर्व शिक्षा के पाठ्यक्रम हेतु कुछ प्रतिमान प्रदान किए गये, जिनमें कुछ निम्न हैं:

- i. **विकासात्मक प्रतिमान-** विकासात्मक प्रतिमान के अन्तर्गत बालक को अधिगम के लिए उत्तम परिवेश उपलब्ध कराने के साथ विविध अनुभवों से गुजरने का अवसर प्रदान करता है। उसमें भाषा, कहानियाँ, रचनात्मक, अवसरों, व यात्राओं के माध्यम से बालक के विकास को उद्दिष्ट करने का प्रयास किया जाता है।
- ii. **बौद्धिक प्रतिमान-** बौद्धिक प्रतिमान पियाजे के सिद्धान्त पर आधारित है, जिसका प्रमुख उद्देश्य बालक के बौद्धिक एवं वैचारिक योग्यता को उद्दिष्ट करना है। इसके अन्तर्गत स्मृति, भाषा, विभेद क्षमता, अवधारणा निर्माण, आत्म मूल्यांकन, बोध एवं समस्या समाधान को उत्तम बनाने हेतु प्रदान किया जाता है।
- iii. **व्यवहारात्मक प्रतिमान-** प्रत्यक्ष अनुदेशन द्वारा प्राप्त अवधारणा और पुनर्बलन सिद्धान्त व्यवहारात्मक प्रतिमान का आधार है। प्रत्येक छात्र के लिए लक्ष्य का निर्धारण कर उसके व्यवहार का निर्धारण करना आवश्यक है।

वर्ट्स, कलाटा एवं टाम्पकिन्स (2007) ने अधिगम अक्षम बालकों के प्रशिक्षण हेतु निम्न विधियों का वर्णन किया है:

- i. **प्रत्यक्ष अनुदेशन-** यह एक आँकड़ों पर आधारित अनुदेशन है जिसमें विविध अधिगम लक्ष्यों की पहचान की जाती है, व्यवहार अधिगम का अध्ययन किया जाता है, तथा लक्ष्य प्राप्ति के सन्दर्भ में दिखने वाले सुधारों को नोट किया जाता है। अधिगम अक्षम बालकों की सुविधा हेतु विषयवस्तु को संरचनात्मक चरणों में बाँटकर यह अनुदेशन एक गहन शैक्षिक योजना प्रदान करता है। पिछले पाठ का पुनरावलोकन, पाठ का स्पष्ट उद्देश्य, कौशल अनुप्रयोग का प्रत्यक्ष और संरचनात्मक प्रदर्शन, प्रतिपुष्टि, सकारात्मक पुनर्बलन, सुधार, उदाहरण, सार्वजनिक प्रशंसा, छात्र सहभागिता इत्यादि कारणों से यह अनुदेशन बहुत हद तक सफल प्रतीत हो रहा है। प्रत्यक्ष अनुदेशन द्वारा प्राप्त अवधारणा एवं पुनर्बलन सिद्धान्त व्यवहारात्मक प्रतिमान के आधार हैं।
- ii. **बौद्धिक अनुदेशन-** इस अनुदेशन में चिन्हित की गयी समस्याओं के आधार पर पाठ का निर्माण किया जाता है। इसमें शैक्षिक एवं अनुदेशनात्मक गतिविधियों, ध्यान, प्रतियुत्तर, अभ्यास प्रत्यास्मरण, और अधिगम के हस्तान्तरण पर बल दिया जाता है। अधिगम अक्षम छात्र सीमित शैक्षिक कार्य योजना का प्रयोग कर अपनी प्रतिक्रिया की निगरानी करते हैं तथा स्वयं सुधार के साथ विकास के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। शिक्षक विभिन्न शिक्षण सामग्रियों पुनर्बलन तथा छात्रों के सबल एवं कमजोर पक्षों का सम्पूर्ण आँकड़ा प्रस्तुत कर उनके सफलता एवं उपलब्धियों पर विशेष बल देते हुए उन्हें

प्रोत्साहित करते हैं। इस प्रकार शिक्षक और छात्र लक्ष्यों का निर्धारण कर स्वयं निगरानी का कार्य करते हैं।

iii. **अध्ययन कौशल प्रशिक्षण-** अधिगम कौशल प्रशिक्षण या पराबौद्धिक अध्ययन कौशल प्रशिक्षण छात्रों के अधिगम के निम्न क्षेत्रों में सहायता और निर्देश प्रदान करता है:

- नोट्स लेने व जाँच प्रक्रिया में सम्मिलित होने में
- रचना करने में
- योजना बनाने में
- विवरण प्रस्तुत करने में
- पठन-पाठन एवं अधिन्यास हेतु आवश्यक शिक्षण सामग्रियों के रखने में

यह प्रक्रिया अधिगम कार्य (पठन एवं लेखन कौशल) के सुनियोजन मूल्यांकन पर विशेष बल देती है। उदाहरणार्थ, किसी पाठ्यपुस्तक की मुख्य सूचनाओं का निचोड़ निकाल अपनी स्मृति के आधार पर अधिन्यास में उसका प्रयोग करना सीखना एक जटिल कार्य हो सकता है। वस्तुतः शिक्षक सम्पूर्ण स्वतंत्र प्रभावी कार्य करने की योग्यता को उच्च स्तर के अध्ययन कौशल से जोड़कर देखते हैं। वे बालकों से यह अपेक्षा करते हैं कि वे सूचनाओं एवं शैक्षिक संसाधनों जैसे नोट्स, पाठ्य पुस्तक, कार्यसूचि, सूचनाओं आदि को फलदायी प्रकार से सम्बन्धित कर अपने अधिन्यास को प्रभावकारी ढंग से सम्पूर्ण कर सकें।

सामाजिक कौशल प्रशिक्षण- सामाजिक कौशल प्रशिक्षण सकारात्मक पुनर्बलन के प्रयोग व भावनाओं को समझाने आदि की क्रियाओं पर बालकों की विशेष कौशल क्षेत्र में मदद करता है। वे क्षेत्र इस प्रकार है- मित्र बनाने में, वयस्कों से विभिन्न परिवेश और परिस्थितियों में सामंजस्य स्थापित करने में आदि। यह प्रशिक्षण बालकों को भावनात्मक स्तर पर सुव्यवस्थित एवं दृढ़ बनाता है, साथ ही उनमें आत्मसम्मान का भाव उत्पन्न कराता है। अतः इस प्रकार बालकों में स्वप्रोत्साहन, आत्मप्रशंसा, आत्मसम्मान संयम एवं स्थितियों व भावों पर नियन्त्रण आदि का भाव पुष्ट होता है। बालकों में प्रतियोगिता की भावना का विकास होता है। सामाजिक कौशल प्रशिक्षण बालकों में अवसाद तनाव और भ्रम आदि से मुक्ति पाने व भावनाओं के आदान-प्रदान करने के कौशलों का विकास करता है। शिक्षकों को प्रसन्न व्यवहार करवाना ही इस प्रशिक्षणों का मूल लक्ष्य है। 'क्या आप इसे पुनः बताएंगे?', एक अच्छा प्राम्भिक प्रश्न हो सकता है। इस प्रश्न को पूछने के लिए बालक के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह उस शिक्षक द्वारा दी गयी जानकारियों या व्याख्यान को सुनने के पश्चात उचित अन्तराल की ध्यान पूर्वक प्रतिक्रिया करे जिससे उसके प्रश्न की सार्थकता सिद्ध हो सके।

समावेशी कार्यविधियाँ- विशेष शिक्षा के नूतन नियम इस बात पर बल देते हैं कि अधिगम अक्षम बालकों की शिक्षा यथासम्भव सामान्य बालकों के साथ हो। यदि इन बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ पढ़ने का अवसर दिया जाएगा तो ये बालक अपने आयु वर्ग के दूसरे बच्चों के साथ शिक्षा ग्रहण कर उनके साथ सामंजस्य स्थापित कर पाएंगे। यदि ये बालक वहाँ सामंजस्य नहीं बिठा पाते तब उनके लिए वैकल्पिक अनुदेशनात्मक

प्रतिमान का प्रयोग किया जाता है। इसमें सही एवं प्रभावी अनुदेशन के लिए पाठ्यक्रम का प्रयोगात्मक और सृजनात्मक अथवा कलात्मक ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। शिक्षक छात्रों के स्तर की अनुदेशन और विषय सामग्री उपलब्ध कराकर उनकी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके अन्तर्गत कार्यपुस्तिका एवं अभ्यास पुस्तिका के आकर्षक तथा सूचनाओं का एक तार्किकता एवं क्रमबद्धता के साथ पेश किया जाना चाहिए। शिक्षक अधिगम अक्षम छात्रों के लिए अनुदेशन को कई बार दुहरा सकता है। इसके अन्तर्गत कार्य को पूरा करने हेतु अधिक समय देना, अनुदेशन के लिए कार्यों को छोटी-छोटी इकाईयों में तोड़ना अधिन्यास को सरल बनाने के लिए छोट-छोटे भागों में विभक्त करना और कार्य का सम्पूर्ण विश्लेषण करना आदि शामिल है। सामान्य अनुदेशनात्मक सुधार के अन्तर्गत- दैनिक अधिन्यास, चार्ट और ग्राफिक का व्यवस्थापन एवं रंगीन विषय सामग्री, जो कार्यों के निर्देश को रेखांकित करती है, को शामिल किया जा सकता है।

सहपाठी सहयोग निर्देशन- यह एक परखी हुई प्रतिक्रिया है जिसमें विद्यार्थी ही दूसरे विद्यार्थियों के लिए निर्देश एजेन्ट के रूप में कार्य करता है। सफल कार्यक्रम सदैव तार्किक रूप से व्यवस्थित व प्रभावी अनुदेशनात्मक अभ्यास के नियमों का सतत् रूप से पालन करते हैं। सफल होने के लिए सहपाठी-शिक्षक अपने शिक्षकों की भांति ही सूचनाओं को व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करते हैं। सहयोगी सहपाठियों का निरीक्षण भी करते हैं, प्रतिक्रियाओं की सार्थकता पर नियन्त्रण रखते हैं और तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करते हैं। सहपाठी सहयोगात्मक निर्देशन का प्रयोग एक वैकल्पिक अभ्यास क्रिया के रूप में किया जा सकता है। इसका प्रयोग समूह में नई चीजों को पढ़ाने के लिए किया जा सकता है। वे दो सहयोगी कार्यक्रम जिनको इस क्षेत्र में बढ़ावा दिया गया है, वे इस प्रकार हैं- पीयर ट्यूटोरिंग एवं क्लास वाइज पीयर ट्यूटोरिंग टीम (सीडव्लूपीटी)।

संगणक निर्देशित अनुदेशन- संगणक निर्देशित अनुदेशन संगणक तथा साफ्टवेयर का ऐसा प्रयोग है जो व्यापक और विविध अनुदेशन प्रदान कर सके जैसे शैक्षिक खेल, समस्या हल अनुभव, शब्द कार्य प्रक्रिया, उच्चारण और व्याकरण जाँच अनुदेशन तथा इनका अभ्यास। संगणक निर्देशित अनुदेशन एक आकर्षक और प्रोत्साहित करने वाला अनुदेशन है जो छात्रों को सफल अनुभव अधिगम की ओर अग्रसरित करता है। यह छात्रों को तुरन्त प्रतिक्रिया देता है, साथ ही विषयों को खण्डों में बाँटकर गलतियों की सम्भावना को कम करता है। शिक्षकों को बच्चों के विकास के निरीक्षण हेतु पूरा अवसर प्रदान करता है। यदि छात्र किसी पाठ को सस्वर पढ़ना चाहे तो वह संगणक वाचक या ध्वनि यंत्र का प्रयोग कर अभ्यास कर सकते हैं। इस प्रकार संगणक ध्वनि मिश्रक समस्या वाले बालकों के लिए अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हो सकता है। यह बच्चों के हस्तलेखन की आवश्यकता को कम करता है, इससे समय की बचत होती है। किन्तु यही संगणक निर्देशित अनुदेशन की एक सीमा भी है।

अधिगम अक्षम बालकों का प्रशिक्षण, उनके सीखने की क्षमता व विशेषता, प्रशिक्षण कार्यक्रम की प्रकृति तथा कार्यक्रम के प्रस्तुतिकरण से प्रभावित होती हैं। रेड्डी, रमार एवं कुशमा (2003) ने अधिगम अक्षम बालकों के देखभाल के लिए निम्न पाँच अधिगम के चरणों के आधार पर अलग-अलग कार्यक्रम निर्धारण की बात कही है:

- अधिग्रहण (Acquisition) चरण
- प्रवीणता (Proficiency) चरण
- अनुरक्षण (Maintenance) चरण
- सामान्यीकरण (Generalization) चरण
- अनुकूलन (Adaption) चरण

प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रस्तुतिकरण में संबंधित वातावरण का अनुकूलित होना बालकों के अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बना देता है। स्मिथ पॉवेल, पैटॉन तथा डॉवडी (2011) ने अधिगम अक्षम बालकों की कक्षा में समावेशन के लिए कुछ सुझाव प्रस्तुत किए, जो कक्षीय सुविधाओं से जुड़ी हुई थी। उन्होंने सुझाव दिया कि लिखित सामग्री स्पर्शीय हो तथा केवल आवश्यक विषयवस्तु को ही समाहित किया जाना चाहिए जो कक्षीय सुविधाओं से जुड़ी हों। श्यामपट्ट अथवा श्वेत पट्ट पर लिखित निदेशों को पढ़ने के लिए छात्रों को उसके नजदीक बैठाना लाभकारी हो सकता है। छात्रों को लिखित और वाचिक दोनों अनुदेशन एक साथ देना ज्यादा उपयोगी सिद्ध हो सकता है। अधिगम अक्षम बालकों की कक्षा को उनके हेतु सरल एवं बोधगम्य बनाने के लिए शिक्षण के दौरान विषयवस्तु से सम्बन्धित पूर्व-उल्लेखित बातों को भी शामिल करना चाहिए। जिससे बच्चे नये और पुराने विषयवस्तु के मध्य सरलतापूर्वक सम्बन्ध स्थापित कर सकें। शिक्षण के दौरान निश्चित अन्तराल पर विराम, पठित विषयवस्तु की जाँच एवं प्रश्नोत्तर तथा नोट्स बनाने के लिए समय देना इन छात्रों के लिए उपयोगी होता है। शिक्षक को विभिन्न प्रकार के नये शब्दों का ज्ञान कराने हेतु नयी-नयी युक्तियों का उपयोग करना चाहिए। कई छात्र रंगीन शीर्षक युक्त पाठ और सहयोगी युगल में काम करने पर कार्य को आसान पाते हैं। अतः उन्हें ऐसा अवसर और सुविधाएँ प्रदान करनी चाहिए।

अभ्यास प्रश्न

9. सामाजिक कौशल प्रशिक्षण में बालकों में प्रतियोगिता की भावना कमजोर होती है। (सही/गलत)
10. सहपाठी सहयोग निर्देशन में विद्यार्थी ही दूसरे विद्यार्थियों के लिए निर्देश एजेन्ट का कार्य करता है। (सही/गलत)
11. संगणक निर्देशित अनुदेशन एक आकर्षक और प्रोत्साहित करने वाला अनुदेशन है। (सही/गलत)
12. छात्रों को लिखित और वाचिक दोनों अनुदेशन एक साथ देना उपयोगी सिद्ध नहीं होता है। (सही/गलत)

10.7 सारांश

इस इकाई के अध्ययन के बाद आप जान चुके हैं कि अधिगम अक्षम बालकों के लिए समुचित कार्यक्रम का निर्धारण तब तक नहीं को सकता है, जब तक उन बालकों की पहचान न कर ली जाय। इन बालकों की शीघ्र पहचान अति आवश्यक है तथा इसे कुछ विशिष्ट व्यवहारगत लक्षणों के आधार पर किया जाता है। वास्तविक व्यवहार तथा अपेक्षित व्यवहार में अन्तर से ही अधिगम अक्षम बालक की पहचान की जाती है। ये अपेक्षित व्यवहार प्रत्यक्षीकरण गामक क्रियाएं, पराबौद्धिक कौशल, भावनात्मक गुण संप्रेषणीय क्षमता, स्मृति क्षमता आदि से सम्बन्धित होते हैं। हम यह भी जान चुके हैं कि चिह्नित अधिगम अक्षम बालकों में कठिनाइयों की तीव्रता को जानने के लिए उनका मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन उपरान्त विशिष्ट क्षेत्र में क्षतिगत एवं क्षमतागत तीव्रता के आधार पर ही इन बालकों के लिए सटीक प्रशिक्षण सेवा तैयार की जाती है।

10.8 शब्दावली

1. **प्रत्यक्ष अनुदेशन-** अधिगम अक्षम बालकों की सुविधा हेतु विषयवस्तु को संरचनात्मक चरणों में बाँटकर अनुदेशन देने की एक गहन शैक्षिक योजना।
2. **सामाजिक कौशल प्रशिक्षण** - सकारात्मक पुनर्बलन के प्रयोग से बालकों को भावनात्मक स्तर पर सुव्यवस्थित एवं दृढ़ बनाने का प्रशिक्षण।
3. **संगणक निर्देशित अनुदेशन-** संगणक तथा साफ्टवेयर का प्रयोग जिससे व्यापक और विविध अनुदेशन प्रदान किया जा सके।

10.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. अधिक
2. प्रत्यक्षीकरण
3. कठिनाई
4. रूपांतरण
5. सही
6. सही
7. गलत
8. गलत
9. गलत
10. सही
11. सही
12. गलत

10.10 संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. Bhargava, M. (1998). विशिष्ट बालक: उनकी शिक्षा एवं पुनर्वास. New Delhi : Sterling Publishers Pvt. Ltd.
2. British Columbia (2011). Supporting Students with Learning Disabilities: A guide for teachers. Retrived from www.bced.gov.bc.ca/specialed/ppandg.htm.
3. Hardlig, L. (1986). Learning disabilities in the primary classroom. London: Croom Helm.
4. Paananen, M., February, P., Kalima, K., Möwes, A & Kariuki, (2011). Learning disability assessment. In T. Aro & T. Ahonen (Eds.), Assessment of learning disability : cooperation between Teachers, Psychologists and Parents.
5. Reddy, G.L., Ramar, R. & Kusuma, A. (2003). Learning Disabilities: A practical guide to practitioners. New Delhi: Discovery Publishing House
6. Smith, T. E. C., Pollway, E.A., Patton, J.R. & Dowdy, C.A. (2011). Teaching students with disabilities special needs in inclusive needs in inclusive settings. New Delhi: PHI Learning Private Limited.
7. University of Guelph. (2000). A Handbook for Faculty on Learning Disabilities Issues. Guelph, Canada: Hughes , J. M. C., Evans, M. A. & Herriot, C.
8. Werts, M. G., Calutta, R. A. & Tompkins, J. R. (2007). Fundamentals of special education:What every teacher needs to know. New Delhi: PHI Learning Private Limited.

10.11 सहायक उपयोगी पाठ्य सामग्री

1. British Columbia (2011). Supporting Students with Learning Disabilities: A guide for teachers. Retrived from www.bced.gov.bc.ca/specialed/ppandg.htm.
2. Reddy, G.L., Ramar, R. & Kusuma, A. (2003). Learning Disabilities: A practical guide to practitioners. New Delhi: Discovery Publishing House

10.12 निबन्धात्मक प्रश्न

1. अधिगम अक्षम बालक की पहचान किस प्रकार की जा सकती है, वर्णन करें ?
2. अधिगम अक्षमता के मूल्यांकन की प्रक्रिया का विवेचन करें।?
3. अधिगम अक्षम बालकों के लिए समुचित प्रशिक्षण कार्यक्रम का विश्लेषण करें ?
4. अधिगम अक्षम बालकों के प्रतिस्थापन के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए?

इकाई 11 अधिगम अक्षमता युक्त बालकों की समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका

- 11.1 प्रस्तावना
- 11.2 उद्देश्य
- 11.3 अधिगम अक्षमता युक्त बालकों की शिक्षा
 - 11.3.1 अक्षमता के अध्ययन के विभिन्न उपागम
 - 11.3.2 'लेबलिंग' के लाभ और हानियाँ
 - 11.3.3 समावेशी शिक्षा का संक्षिप्त इतिहास (अधिगम अक्षमता का संदर्भ)
- 11.4 विशेष शिक्षा, समेकित शिक्षा, समावेशी शिक्षा
 - 11.4.1 विशेष शिक्षा, समेकित शिक्षा, एवं समावेशी शिक्षा में अंतर
- 11.5 अधिगम अक्षमता युक्त बालकों की समावेशी शिक्षा में विशेषज्ञ शिक्षक की भूमिका
 - 11.5.1 विशेषज्ञ शिक्षक की शैक्षणिक भूमिका
 - 11.5.2 विशेषज्ञ शिक्षक की सामाजिक भूमिका
 - 11.5.3 विशेषज्ञ शिक्षक की अन्य भूमिकाएँ
- 11.6 अधिगम अक्षमता युक्त बालकों की समावेशी शिक्षा में सामान्य शिक्षक की भूमिका
 - 11.6.1 सामान्य शिक्षक की शैक्षणिक भूमिका
 - 11.6.2 सामान्य शिक्षक की सामाजिक भूमिका
 - 11.6.3 सामान्य शिक्षक की अन्य भूमिकाएँ
- 11.7 सारांश
- 11.8 पारिभाषिक शब्द एवं शब्द विस्तार
- 11.9 संदर्भ ग्रंथ सूची/अन्य अध्ययन
- 11.10 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न /निबंधात्मक प्रश्न

11.1 प्रस्तावना

पिछली इकाइयों इकाई (22) और इकाई (23) में आपने अधिगम अक्षमता के बारे में पढ़ा। आप अधिगम अक्षमता, उसके प्रकार, विशेष ताये और अधिगम अक्षमता के पहचान एवं निदान की विधियों के बारे में पढ़ा। वर्तमान इकाई में आप अधिगम अक्षमता वाले बालकों की समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का अध्ययन करेंगे। इकाई के आरंभ में आप विकलांगता/अक्षमता के प्रति विभिन्न दृष्टिकोणों का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम मुख्य रूप से अक्षमता के अध्ययन का चिकित्सकीय दृष्टिकोण एवं सामाजिक दृष्टिकोण एवं उनकी मान्यताओं का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तत्पश्चात् 'विकलांगता' का 'लेबल' लगाने के किसी व्यक्ति के जीवन पर अधिगम अक्षमतायुक्त बालकों की शिक्षा के ऐतिहासिक विकास पर एक नजर डालेंगे। आगे की उप-इकाई में हम विशेष शिक्षा, समेकित शिक्षा एवं समावेशी शिक्षा की संक्षिप्त चर्चा करेंगे जिसमें इनका संक्षिप्त परिचय, इनकी विशेष ताये और सीमाये समाहित हैं। उससे आगे की अन्य दो इकाईयों में अधिगम अक्षमता युक्त बालकों के समावेशी शिक्षण में विशेष शिक्षक एवं सामान्य शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिकाओं का अध्ययन करेंगे। पाठ के अंत में पुनरावृत्ति हेतु इकाई का सारांश, महत्वपूर्ण शब्दावली व शब्द संक्षेप दिये गये हैं जो त्वरित संदर्भ के लिए आपके मददगार होंगे। इकाई के आखिर में संदर्भ ग्रंथ/अन्य अध्ययन की सूची दी गयी है जो आपके और विसृत अध्ययन में लाभप्रद साबित होगी।

11.2 उद्देश्य

1. इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप
2. अक्षमता के अध्ययन के विभिन्न दृष्टिकोणों के बारे में बता सकेंगे।
3. अक्षमता के अध्ययन के चिकित्सकीय एवं सामाजिक मॉडल की तुलनात्मक रूप रेखा प्रस्तुत कर सकेंगे।
4. किसी बालक को अधिगम अक्षमता युक्त 'लेबल' करने की आवश्यकता और उसके दुष्परिणामों की व्याख्या कर सकेंगे।
5. अधिगम अक्षमता युक्त बालकों की समावेशी शिक्षा का संक्षिप्त इतिहास बता सकेंगे
6. विशेष शिक्षा की परिभाषा, उसकी विशेष ताये एवं सीमाये बता पाने में सक्षम हो सकेंगे होंगे।
7. एकीकृत शिक्षा का परिभाषित करने और उसकी विशेष ताये और सीमाये बता सकेंगे।
8. समावेशी शिक्षा की आवश्यकता, परिभाषा, उसकी विशेष ताये और सीमाये बता पाने में सक्षम होंगे।
9. विशेष शिक्षा, एकीकृत शिक्षा, एवं समावेशी शिक्षा के बीच का अंतर स्पष्ट कर पाने में सक्षम हो सकेंगे।
10. अधिगम अक्षमता युक्त बालकों की शिक्षा में शिक्षक की शैक्षणिक, सामाजिक एवं अन्य भूमिकाओं की व्याख्या कर सकेंगे।

11. अधिगम अक्षमता युक्त बालकों की शिक्षा में सामान्य शिक्षक की विभिन्न भूमिकाएँ यथा सामाजिक, शैक्षणिक एवं अन्य की व्याख्या कर पाने में सक्षम होंगे।

11.3 अधिगम अक्षमता युक्त बालकों की शिक्षा

11.3.1 अक्षमता के अध्ययन के विभिन्न उपागम

चिकित्सकीय उपागम विकलांगता/अक्षमता के अध्ययन के कई उपागम हैं जो भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण एवं मान्यताओं के आधार विकलांगता का अध्ययन करते हैं। अक्षमता के अध्ययन का सबसे पुराना मॉडल है चिकित्सकीय मॉडल जिसकी मान्यता है कि अन्य बीमारियों की तरह ही अक्षमता/विकलांगता भी किसी व्यक्ति के अंदर किसी प्रकार की जैविक कमी से होती है जिसे दवाओं से ठीक किया जा सकता है।

सामाजिक उपागम: अक्षमता के अध्ययन का सामाजिक उपागम अक्षमता को एक सामाजिक वैविध्य (Social Diversity) के रूप में देखता है और उसे स्वीकार करते हुए, उसके सामाजिक समाधान एवं सामाजिक भागीदारी से समाधान पर जोर देता है। सामाजिक उपागम अक्षमता युक्त बालकों को समाज का एक अभिन्न अंग मानता है अतः उनके अलग 'पुनर्वास' की बजाए समुदाय आधारित पुनर्वास (Community Based Rehabilitation) की बात करता है। यह बच्चे को प्राथमिक मानता है और उसके अनुसार के वास एवं पुनर्वास (Habilitation and Rehabilitation) में समाज की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण मानता है।

अक्षमता के चिकित्सकीय और सामाजिक मॉडल की तुलना

क्र.सं.	चिकित्सा मॉडल	सामाजिक मॉडल
1	दोष बच्चे में हैं।	बच्चा महत्वपूर्ण है।
2	निदान की आवश्यकता	विशेष आवश्यकताओं के पहचान की आवश्यकता
3	बच्चे का वर्गीकरण विभिन्न कमियों के आधार पर।	विभिन्न व्यवधानों की पहचान और उनके समाधान पर जोर।
4	बच्चे की अक्षमता महत्वपूर्ण/प्राथमिक।	बच्चा महत्वपूर्ण उसके आवश्यकतानुसार कार्यक्रम विकास
5	परीक्षण और सतत् निरीक्षण की आवश्यकता।	संसाधन उपलब्ध कराना।
6	समाज से विलगाव एवं वैकल्पिक समाधान।	माता-पिता एवं अन्य व्यवसायियों का विशेष प्रशिक्षण
7	समावेश यदि सामान्यता की प्राप्ति अन्यथा हमेशा के लिए समाज से अलगा।	बच्चों का उनकी वैयक्तिक भिन्नता के साथ स्वागत।
8	समाज का कोई सरोकार नहीं।	समाज की महत्वपूर्ण भूमिका।

11. 3.2 'लेबलिंग' के लाभ और हानियाँ

हालाँकि किसी व्यक्ति पर 'विकलांगता' का ठप्पा (label) लगाने का उसके संपूर्ण जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, परंतु उसके कुछ सकारात्मक पहलुओं की वजह से यह आवश्यक है। आइये हम जानें कि लेबलिंग (labelling) का किसी व्यक्ति के जीवन पर क्या नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव हो सकता है। हेवर्ड (2006) के अनुसार लेबलिंग के निम्नांकित सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं:-

‘लेबलिंग के नकारात्मक पहलू:

‘लेबलिंग के नकारात्मक पहलू:

- vii. एक सामाजिक धब्बा है जो व्यक्ति के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है।
- viii. यह प्रभावित व्यक्ति को भेद भाव का शिकार बना देता है।
- ix. व्यथकत स्वयं को असामान्य महसूस करने लगता है।
- x. कभी कभी व्यक्ति हीन भावना का शिकार हो जाता है।
- xi. प्रथमिक रूप से बालक के अंदर 'कुछ गलत' होने का एहसास
- xii. सामाजिक स्तर में कमी और भेदभाव

लेबलिंग के सकारात्मक पहलू:

- ix. विशेष शिक्षा की अर्हता के लिए
- x. उपलब्ध सामाजिक एवं सरकारी सहायता के लाभ के लिए
- xi. शैक्षणिक एवं अन्य
- xii. अतिरिक्त सेवाओं की जरूरत के निर्धारण के लिए
- xiii. विकलांगता की गम्भीरता और उसके प्रभावों के पूर्वानुमान के लिए
- xiv. सहायता समूहों की सदस्यता और निर्माण के लिए
- xv. उपयुक्त कानून एवं नीति निर्धारण के लिए
- xvi. सुरक्षात्मक सामाजिक अनुक्रिया के लिए

11.3.3 समावेशी शिक्षा का संक्षिप्त इतिहास (अधिगम अक्षमता का संदर्भ)

आजकल आप समावेशी विकास (**Inclusive Growth**) सामाजिक समावेश (Social Inclusion), समावेशी शिक्षा (Inclusive Education) की चर्चा हर जगह सुन रहे होंगे, और तब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर ये 'समावेश' है क्या? इसकी आवश्यकता क्या है? किसका समावेश किया जाना चाहिए? समावेश की यह प्रक्रिया क्या हो सकती है? समावेश में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है आदि-आदि। उपरोक्त प्रश्नों के समाधान के लिए हमें मानवधिकारों की वैश्विक घोषणा की ओर जाना होगा।

संयुक्त राष्ट्र संघ की विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों की घोषणा (1975) के अनुसार-

“विकलांग व्यक्तियों को, उनके ‘आत्म सम्मान’ के लिए आदर पाने का प्राकृतिक अधिकार है। विकलांग व्यक्तियों को भी उनके हम उम्र व्यक्तियों के समान सभी मूल अधिकार, जिसमें जिन्दगी को पूर्णता एवं सम्मान से जीना शामिल है, प्राप्त है चाहे उनका मूल (जाति/वंश) प्रकृति अथवा उनकी विकलांगता एवं अक्षमता की गंभीरता कुछ भी क्यों न हो।” (Article 3)

संयुक्त राष्ट्र संघ की इस घोषणा के पश्चात् सभी सदस्य राष्ट्रों ने सहमति जतायी कि अक्षमता/वातावरण के ख्याल किये बिना, विकलांग व्यक्तियों को भी वे सारे मूल अधिकार प्राप्त होने चाहिए जो एक सामान्य नागरिक को उपलब्ध होते हैं। मानवधिकारों और तत्पश्चात् विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों की इस घोषणा को आगे ‘बालको के अधिकार’ पर हुए संयुक्त राष्ट्र के अन्वेषण (1989) में ‘समावेशी शिक्षा’ की जड़े छुपी हैं।

बालकों के वैश्विक अधिकारों की इस घोषणा के अनुसार “एक विकलांग बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करते हुए, उन्हें उपयुक्त सहायता प्रदान किया जाना चाहिए ताकि उन्हें प्रभावी शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके, और बच्चे के अनुकूल, उसका पूर्ण सामाजिक एकीकरण एवं पूर्ण विकास संभव हो। (Article 23)

उपरोक्त दोनों घोषणाओं से स्पष्ट है कि समाज में सभी व्यक्तियों की पूर्ण भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है और तदुसार सभी बालकों को बिना किसी भेदभाव के अपनी संस्कृति में विकसित होने का अवसर मिलना चाहिए ताकि वे उसके मूल्यों को आत्मसात् कर सकें और उसके विकास में योगदान कर सकें।

सलमांका कान्फ्रेंस (1994) के अनुसार,

- सभी बालकों को शिक्षा का मौलिक अधिकार है और उन्हें एक स्वीकार्य स्तर तक सीखने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए।
- सभी शैक्षिक निकायों की संरचना और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन इस प्रकार किया जाना चाहिए ताकि वे बालकों की वैयक्तिक भिन्नता और विविध आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हो सकें। विशेष शैक्षणिक आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य विद्यालय (त्महनसंत ैबीववस) अवष्य उपलब्ध होने चाहिए।
- नियमित समावेशी विद्यालय
 - iv. विभेदक प्रवृत्तियों को समाप्त करने में;
 - v. एक समावेशी समाज के निर्माण में एवं
 - vi. विद्यालय सभी के लिए शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु सबसे प्रभावी माध्यम हो सकते हैं।

- सामान्य/आम विद्यालयों में प्रभावी अध्ययन की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि अधिकांश बच्चे शिक्षा का लाभ ले सकें, और इस प्रकार शिक्षा को प्रभावी और अल्प व्ययी (Cost-Effective) बनाया जा सके।

अधिगम अक्षमता का संक्षिप्त इतिहास

वर्ष	घटना	शैक्षणिक निहितार्थ
1950-1960	अधिकांश सार्वजनिक विद्यालयों ने विभिन्न विकलांगता यथा मानसिक मंदता, अस्थि विकलांगता, संवेदी विकलांगता आदि से ग्रस्त बालकों के लिए विशेष शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत कर दी परंतु कई ऐसे छात्र जिन्हें गंभीर अधिगम कठिनायी थी पर इनमें से किसी श्रेणी में नहीं आते थे, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गयी।	अपने बच्चों की अधिगम से संबंधित समस्याओं के हल के लिए अभिभावकों ने वैकल्पिक सेवाओं मनावैज्ञानिक डॉक्टर, आदि से संपर्क करना शुरु किया और तदनुसार ब्रेन डेमेज, एम.वी.डी. मितिमल ब्रेन डिसफंक्शन डिस्लेक्सिया आदि शब्द उन बच्चों के लिए प्रयोग किये जाने लगे जो किसी अक्षमता की श्रेणी में तो नहीं आते थे पर उन्हें अधिगम से संबंधित गंभीर समस्या में थी।
1963	सैमुअल क्रिक ने, अभिभावकों के समूह को संबोधित करते हुए 'अधिगम अक्षमता' शब्द का प्रयोग उन बच्चों के लिए किया जिन्हें अधिगम से संबंधित गंभीर कठिनाइयाँ थी।	अभिभावकों ने इस शब्द को पसंद किया और उसी शाम को अधिगम अक्षमता युक्त बालकों का संगठन (Association for Children with LD) का गठन किया।
1966	एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स ने 99 विशेष ताये न्यूनतम मस्तिष्क अक्रियात्मकता (Mineral Brain Dysfunction) के बताये।	इससे यह खतरा पैदा हो गया कि सभी अधिगम की कठिनाई से ग्रस्त बालकों से ये सारी विशेष ताये उम्मीद की जाने लगी जब कि यह समूह वृहत भिन्नताओं वाला है।
1968	विकलांग बच्चों की राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् ने कॉंग्रेस में अधिगम अक्षमता की एक परिभाषा प्रस्तुत की	इस परिभाषा को बाद में आइडिया ;प्कम्बद्ध में लिया गया और इन बच्चों हेतु सहयोग के लिए फंड का प्रावधान किया गया।
1968	कार्कंसिल ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रेन के अंदर अधिगम अक्षमता के लिए एक अलग प्रभाग Division for Children with Learning Disability) बना	यह खंड सी.ई.सी. का सबसे बड़ा प्रमाण बन गया।
1969	द चिल्ड्रेन विथ लर्निंग डिसेबिलिटी ऐक्ट (PL 91-230) कॉंग्रेस के द्वारा पास किया गया।	इस कानून ने पाँच साल के लिए धन आबंटित किया और अधिगम अक्षता में शिक्षक

		प्रशिक्षण एवं मॉडल डेमोस्ट्रेशन कार्यक्रम बनाने का प्रयास किया गया।
1975	कॉंग्रेस ने IDEA (PL 94-142) स्वीकृति दी	अधिगम अक्षमता को इसके एक भाग में सम्मिलित किया गया।
2001	बड़ी संख्या में बच्चों की पहचान अधिगम अक्षमता प्राप्त होने की वजह से, यू.एस. के विशेष शिक्षा कार्यालय ने अधिगम अक्षमता पर वार्षिक गटन में एक सीमित आयोजि किया।	नौ श्वेत पत्र अधिगम अक्षमता के नैदानिक निर्णय, वर्गीकरण, शीघ्र पहचान, आदि पर जारी किये गये, और इसे अक्षमता के रूप में स्वीकार किया गया।
2004	IDEIA 2004 ने अधिगम अक्षमता के नैदानिक मानदंडों में परिवर्तन किया।	स्कूल को इस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं रही कि एक बच्चे की बौद्धिक क्षमता और उसकी प्राप्ति में अंतर की गंभीरता कितनी है। उन्हें उस प्रक्रिया का प्रयोग करने की छूट दी गयी ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि बच्चा मुल्यांकन के एक भाग के रूप में वैज्ञानिक अनुसंधान आधारित हस्तक्षेप पर क्या अनुक्रिया देते है।

भारतीय परिदृश्य: अधिगम अक्षमता की भारतीय परिदृश्य में बड़ी विचित्र स्थिति है। एक और तो भारत के वर्तमान कानून विकलांग जन कानून, 1995, भारतीय पुनर्वास परिषद् कानून, 1992, राष्ट्रीय न्याय कानून, 1999 कोई भी अधिगम अक्षमता को अक्षमता नहीं मानता वहीं दूसरी ओर भारतीय पुनर्वास परिषद् अधिगम अक्षमता के कई शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रही है।

अभ्यास प्रश्न

1. 'लैबलिंग' किसी विशिष्ट बालक को सिर्फ नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। (सत्य/असत्य)
2. 'लैबलिंग' विशेष शिक्षा के लिए आवश्यक है। (सत्य/असत्य)
3. चिकित्सकीय उपागम के अनुसार मानसिक मंदता एक व्यक्ति के अंदर की समस्या है। (सत्य/असत्य)
4. सामाजिक उपागम के अनुसार मानसिक मंदता एक सामाजिक समस्या है। (सत्य/असत्य)
5. 'समावेशी शिक्षा' विकलांगता की सामाजिक मान्यता पर आधारित है। (सत्य/असत्य)

11.4 विशेष शिक्षा, समेकित शिक्षा, समावेशी शिक्षा

मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता युक्त छात्रों के शैक्षणिक नियोजन के विकल्प

- i. विशेष शिक्षा
- ii. समेकित शिक्षा
- iii. नियमित/समावेशी शिक्षण

विशेष शिक्षा

विशेष शिक्षा प्रायः व्यक्तिगत अनुदेष्टनात्मक कार्यक्रम है। इसका मुख्य आधार है बच्चे की वर्तमान क्रियाशीलता जिसके आधार पर शिक्षण के लक्ष्य, शिक्षण सामग्री शिक्षण विधि, शिक्षण की तकनीक आदि निर्धारित होती हैं। विशेष शिक्षा में इस बात पर जोर दिया जाता है कि बच्चे को व्यक्तिगत आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए उन्हें उनके अधिकतम स्तर तक पहुँचाना है।

विशेष शिक्षा का तात्पर्य है विशेष आवश्यकता युक्त बालक को (सामान्य से अलग) विशेष वातावरण में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों द्वारा, विशेष संरचित पाठ्यक्रम, विशिष्ट तकनीकों एवं विधियों तथा विशेष रूप से निमित्त शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग करके पढ़ाना। यह हालांकि गंभीर अक्षमता युक्त बालकों के लिए प्रभावी और लाभकारी सिद्ध हो सकता है परंतु अपनी भेदभावपूर्ण प्रकृति जो अक्षमतायुक्त बालकों को समाज एवं समुदाय से अलग करती है, के कारण वर्तमान समय में उपयुक्त नहीं है। इसकी विशेष ताएं और सीमाएं निम्नांकित हैं:

विशेष शिक्षा के प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं:

- i. सभी बच्चों पर व्यक्तिगत ध्यान।
- ii. यह आधारभूत जीवनयापन कौशल सिखाता है ताकि व्यक्ति/बालक स्वावलंबी हो सकें।
- iii. यह बालकों को एक सुरक्षित को एक सुरचित अधिगम कार्यक्रम का आधार देता है।
- iv. बच्चे के बौद्धिक विकास में सहायक
- v. बच्चे के माता-पिता को उपयुक्त सेवाएं प्राप्त करने में मददगार

विशेष शिक्षा की कमियों जिन्होंने समावेशी शिक्षा की नीव रखी:

- i. विशेष शिक्षा की उच्च लागत, जो गरीब बालक वहन नहीं कर सकते।
- ii. सामान्यतः शहरी क्षेत्रों में विशेष शिक्षा की उपलब्धता जो सिर्फ उच्च आयवर्ग से आने वाले बालकों को उपलब्ध थी।
- iii. विशेष ज्ञ शिक्षक और सामान्य शिक्षकों के मध्य 'विशेष ज्ञता' के आदान-प्रदान का अभाव।

समेकित शिक्षा

समेकित शिक्षा का तात्पर्य है अक्षमताग्रस्त बालकों को कुछ समय के लिए सामान्य बालकों के साथ अंतः क्रिया का मौका देना जैसे लंच टाइम में, खेल के समय, विभिन्न सामाजिक अवसरों पर आदि परंतु उनका संपूर्ण शिक्षण का कार्य अलग-अलग होता है चाहे दोनों विद्यालय अलग-अलग हों या विशेष बालक की

एक ही कैपस में अलग कक्षा हो। यह इस मान्यता पर आधारित है कि यदि अक्षमता युक्त बालक कुछ उपयुक्त सामाजिक व्यवहार सीख ले तब, उसे सामान्य कक्षा में भेजा जा सकता है। यह विशेष शिक्षा से बेहतर विकल्प है परंतु वर्तमान मानवाधिकारों के दौर में प्रासंगिक नहीं है क्योंकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सभी बालक का अधिकार है।

समेकित शिक्षा का तात्पर्य सामान्य अर्थों में 'बच्चे के सामान्य स्कूल में जाने' से है। जबकि समावेशी शिक्षा का अर्थ विद्यालय में बच्चे की पूर्ण भागीदारी से है।

समेकित शिक्षा के लाभ:

- i. बच्चे का बेहतर समाजीकरण
- ii. बच्चे का सामाजिक एकीकरण का बढ़ाना
- iii. बच्चे के प्रति सामाजिक अभिवृत्ति सकारात्मक
- iv. अभिभावकों की बालक की शिक्षा में अधिक भागीदारी
- v. कम विशेष शिक्षा की तुलना में व्यय
- vi. कुछ शोधों के अनुसार छात्रों की बेहतर उपलब्धि
- vii. संस्थानीकरण एवं आवागम के खर्च में बचत

समेकित शिक्षा की सीमायें

- i. सभी बालकों की आवश्यकता पूरी करने में सक्षम नहीं
- ii. सीमित संसाधन पर अधिक दबाव
- iii. अभिभावकों, स्वयंसेवकों एवं अन्य बालकों द्वारा सहयोग की आवश्यकता

समावेशी शिक्षा

शिक्षा के क्षेत्र में समावेश (समावेशी शिक्षा) का तात्पर्य है विद्यालय के पुनर्निर्माण की वह प्रक्रिया जिसके लक्ष्य सभी बच्चों को शैक्षणिक और सामाजिक अवसरों की उपलब्धता है। इस प्रक्रिया में पाठ्यक्रम, परीक्षण, छात्र की उपलब्धियों का रिकार्ड, विभिन्न योग्यताओं के आधार पर छात्रों के समूहन, शिक्षण तकनीक, कक्षा के अंदर के कार्यकलाप आदि के साथ ही खेल और मनोरंजनात्मक क्रियाओं भी समाहित है। (Mittlar 2000)।

यूनेस्को के अनुसार, समावेशी शिक्षा का तात्पर्य उस शिक्षा से है जो:

- i. यह विश्वास करती है सभी बच्चे सीख सकते हैं और सभी बच्चों की अलग-अलग प्रकार की विशेष आवश्यकता होती है।
- ii. जिसका लक्ष्य सीखने की कठिनाइयों की पहचान और उनका प्रभाव न्यूनतम करना है।
- iii. जो औपचारिक शिक्षा से वृहत् अर्थ रखता है और घर समुदाय एवं घर से बाहर शिक्षा के अन्य अवसरों पर भी बल देता है।

- iv. अभिवृत्तियों, व्यवहारों, शिक्षण विधि, पाठ्यक्रम एवं वातावरण को परिवर्तित करने की वकालत करता है ताकि सभी बालकों की विशेष आवश्यकतायें पूरी हो सकें।
- v. एक स्थिर गति से, चलने वाली एक गतिशील प्रक्रिया है और समावेशी समुदाय को प्रोन्नत करने के लिए प्रयुक्त विभिन्न तरीकों का एक भाग है।

समावेशी शिक्षा की विशेषताएँ

- i. विद्यालय व्यक्तिगत भिन्नताओं को सीन में रखते हुए सभी बालकों के लाभ के सिद्धांत पर काम करते हैं। विद्यालय की अभिवृत्ति में अक्षमतायुक्त बालकों के प्रति सकारात्मक परिवर्तन
- ii. विशेष विद्यालयों की अपेक्षा कम खर्च का विकल्प
- iii. मातापिता पर कोई अतिरिक्त व्यय नहीं
- iv. अक्षमता युक्त बालकों के सामाजिक कल्याण पर खर्च में कमी
- v. अक्षमतायुक्त बालकों सहित अन्य सभी बालकों की उपलब्धियों में वृद्धि
- vi. विशेष बालक का उन्नत सामाजिक समायोजन
- vii. समावेशी शिक्षा का किफायती (Cost Effective) होना
- viii. स्थानीय संसाधनों का प्रयोग करके व्यय में कमी संभव
- ix. अक्षमता युक्त बालकों को अपेक्षाकृत वृहत पाठ्यक्रम उपलब्ध

सीमार्यें

- i. पाठ्यक्रम अनुकूलन का अतिरिक्त खर्च
- ii. शिक्षण सामग्री का अतिरिक्त खर्च
- iii. शिक्षक में समावेशी शिक्षा हेतु उपयुक्त कौशल विकास पर खर्च
- iv. सामान्य एवं विशेषज्ञ शिक्षकों की अपर्याप्त संख्या
- v. अभिभावक एवं समुदाय की अधिक भागीदारी की आवश्यकता

समावेशी शिक्षा के लाभ

भारतीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के अनुसार, समावेशी शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को निम्नांकित लाभ होते हैं:

- i. समावेशी शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बालकों को अपने हम उम्र और विकलांग बच्चों के साथ अंतःक्रिया का मौका मिलता है, जो विशेष विद्यालयों में उपलब्ध नहीं है।
- ii. विशेष आवश्यकता वाले बालक अपने अविकलांग सहपाठियों से सामाजिक रूप से स्वीकार्य व्यवहार, सीखते हैं।
- iii. शिक्षक प्रायः विशेष आवश्यकता वाले बालकों से भी अपेक्षाकृत ऊँची अपेक्षा रखते हैं।
- iv. सामान्य एवं विशेष शिक्षक बिना किसी भेदभाव के सभी छात्रों से समान उम्मीद रखते हैं।

- v. विशेष आवश्यकता वाले बालकों को भी उनकी उम्र के उपयुक्त, शैक्षणिक विषयों के कार्यात्मक/प्रायोगिक भाग को सीखने का मौका मिलता है जो विशेष विद्यालयों में प्रायः अनुपलब्ध है।
- vi. समावेशी शिक्षा के कारण यह संभावना बढ़ जाती है कि विशेष बालकों की सामाजिक भागीदारी बढ़ेगी और जीवन पर्यन्त रहेगी।

इसके अतिरिक्त, समावेशी परिवेश में अध्ययन करने से, विशेष बालकों को निम्नांकित लाभ होते हैं:

- i. विशेष बालकों के सहपाठियों और फलस्वरूप समाज में उनके प्रति एक सकारात्मक और स्वीकार्यात्मक अभिवृत्ति का विकास।
- ii. विशेष बालकों में एक स्वास्थ्य प्रतिस्पर्द्धा की भावना का विकास।
- iii. विशेष बालकों के प्रति शिक्षक की अभिवृत्ति में परिवर्तन।
- iv. विशेष बालक को 'लघु समाज' का अनुभव।
- v. विशेष बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास।

समावेशी शिक्षा से न केवल विशेष आवश्यकता वाले बालकों को लाभ होता है, बल्कि इससे गैर विकलांग बालकों को भी लाभ है, जिनमें से कुछ प्रमुख निम्नांकित हैं।

भारतीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के अनुसार, गैर विकलांग बालकों के लिए समावेशी शिक्षा के लाभ

- i. विभिन्न अनुपेक्षात्मक गतिविधियों में सहपाठी-शिक्षक (Peer Tutor) के रूप में काम करने का मौका।
- ii. विशेष बालकों के प्रति उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन।
- iii. पाठ्य सहगामी क्रियाओं के दौरान विशेष बालकों का सहयोग करने का अवसर सामान्य बालकों में।
- iv. व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकार करने, सहनशक्ति आदि का विकास करने में सहायता मिलती है।
- v. सामान्य बालक कई सकारात्मक व्यवहार विशेष बालकों से सीख सकते हैं।
- vi. सामान्य बालकों को कई मानवता से जुड़े व्यवसाय और उनमें कैरियर की संभावनाओं यथा विशेष शिक्षा, फिजियोथेरेपी, अकुपेसनल थेरेपी आदि की जानकारी मिलती है।
- vii. सामान्य बालकों में अलग-अलग प्रकार के व्यक्तियों से प्रभावी संप्रेषण कौशल का विकास होता है।

यूनिसेफ पोजिशन पेपर के अनुसार समावेशी शिक्षा के निम्नांकित लाभ हैं:

सभी बच्चों को लाभ

- i. बच्चे ज्यादा आत्मविश्वासी और आत्म सम्मान युक्त हो जाते हैं।
- ii. वे विद्यालय के अंदर और विद्यालय के बाहर स्वतंत्र अधिगम की प्रक्रिया सीखते हैं।

- iii. वे अपने सीखे हुए ज्ञान और समझ का अपने दैनिक जीवन में (अन्य स्त्रािानों यथा: खेल के मैदान में, घन में) उपयोग करना सीखते हैं।
- iv. वे अपने से इतर सहपाठियों एवं शिक्षकों से ज्यादा सक्रिय एवं प्रसन्नतापूर्ण अंतः क्रिया सीखते हैं।
- v. वे अपने से भिन्न बालकों के प्रति संवेदनशीलता और उन भिन्नताओं को स्वीकार करते हुए उनके साथ अनुकूलित होता सीखते हैं।
- vi. बच्चों के संप्रेषण कौशल का बेहतर विकास होता है, और बेहतर जीवन के लिए तैयार होते हैं।
- vii. वे अपने आप पर अपनी उपलब्धियों पर गर्व करना सीखते हैं।

शिक्षकों को लाभ


- i. शिक्षकों के पास विभिन्न प्रकार के बालकों को पढ़ाने के भिन्न भिन्न तरीके सीखने का अवसर होता है।
- ii. शिक्षकों को वैयक्तिक भिन्नता युक्त कक्षा में शिक्षण और अधिगम के अलग अलग नये तरीकों का ज्ञान होता है।
- iii. विभिन्न प्रकार की अधिगम संबंधी बाधाओं को कम करने का उपाय खोजते हुए, शिक्षकों को व्यक्तियों, बालकों एवं अलग-अलग परिस्थितियों के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति का विकास होता है।
- iv. शिक्षकों के पास संप्रेषण के नये तरीकों की खोज का बेहतर अवसर होता है विभिन्न सहकर्मियों, अभिभावक, समुदाय के विभिन्न व्यक्तियों आदि से।
- v. नये विचारों/तरीकों का शिक्षण के दौरान प्रयोग करते हुए वे अधिगम ज्यादा रुचिकर, और बच्चों को ज्यादा attentive बना पाते हैं। अतः बच्चे और उनके अभिभावकों से शिक्षकों को सकारात्मक फीडबैक मिलता है।
- vi. शिक्षक अधिक संतुष्टि (Job Satisfaction) का अनुभव करते हैं क्योंकि सभी बालक अपनी समता को अधिकृत स्तर तक सफल हो सकते हैं।

अभिभावकों को लाभ

- i. अभिभावकों को बच्चों की शिक्षा में भागीदारी बढ़ती है और अपने बच्चों का उनके अधिगम में वे ज्यादा सहयोग करते हैं।
- ii. अभिभावकगण उनके बच्चों को कैसे शिक्षा दी जा रही है, सीखते हैं।
- iii. शिक्षक विभिन्न अवसरों पर अभिभावकों के विचार पूछते हैं अतः अभिभावक को अपने अंदर सम्मान महसूस होता है और वे स्वयं को बच्चे की शिक्षा का समान भागीदार मानते हैं।
- iv. अभिभावकों के पास भी ज्यादा लोगों यथा शिक्षक, अन्य अभिभावक, अन्य बालकों आदि से अंतः क्रिया का अवसर होता है और वे पारस्परिक सहयोग की भावना सीखते हैं।

- v. सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अभिभावक यह जाने लगते हैं कि उनके बच्चे अन्य सभी बच्चों के साथ, गुणवत्ता युक्त शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।

11.4.1 विशेष शिक्षा , समेकित शिक्षा , एवं समावेशी शिक्षा में अंतर



**अक्षमता युक्त
बालक
समावेशी शिक्षा
सामान्य बालक**

समावेशी शिक्षा

क्र.सं.	विशेष शिक्षा	समेकित शिक्षा	समावेशी शिक्षा
1.	अक्षमताग्रस्त बच्चों को विशेष सेवा प्रदान करना।	अक्षमता युक्त बालकों की विशेष आवश्यकताओं पर जोर	अक्षमता युक्त बालकों के अधिकारों पर बला।
2.	अक्षमतायुक्त बालकों का विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकरण।	अक्षम बालकों में 'परिवर्तन' ताकि वे सामान्य बालकों के साथ शिक्षा ग्रहण करने योग्य हो सकें।	विद्यालय और वातावरण में परिवर्तन ताकि कोई भी बालक अपने आप को अक्षम महसूस न करें।
3.	विकलांगता एक व्यक्ति के अंदर की समस्या है।	विकलांगता एक समस्या है।	सभी व्यक्ति सक्षम हैं, परंतु व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं।
4.	सभी सेवाएं सामान्य से अलग	विकलांग बालकों कि लाभ हेतु।	सभी बालकों के हितार्थ।
5.	इनपुट पर जोर	प्रक्रिया पर जोर।	आउटपुट पर जोर।
6.	अलग पाठ्यक्रम पर बला।	विकलांग बच्चों को पाठ्यक्रम सिखाने की प्रक्रिया पर बला।	पाठ्यक्रम की सामग्री छात्र के क्षमतानुसार।
7.	दया की भावना पर आधारित	दया युक्त सामाजिकता पर आधारित।	व्यक्ति के सामान्य मानवाधिकार पर आधारित समाज में पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करना।

अभ्यास प्रश्न

27. विशेष शिक्षा में अक्षमतायुक्त छात्रों विशेष विद्यालय में पढ़ते हैं। (सत्य/ असत्य)
28. समेकित शिक्षा में विशेष बालक एवं सामान्य बालक एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। (सत्य/ असत्य)
29. समावेशी शिक्षा आनवाधिकार आधारित शिक्षा है। (सत्य/ असत्य)
30. समावेशी शिक्षा 'अल्पव्ययी' नहीं है। (सत्य/ असत्य)
31. विशेष शिक्षा अल्पव्ययी है।
32. विशेष शिक्षा में मानसिक मंदता युक्त बालकों को हमेशा भेजा जाना चाहिए। (सत्य/ असत्य)
33. समावेशी शिक्षा में सामान्य बालक को कोई लाभ नहीं है। (सत्य/ असत्य)
34. समावेशी शिक्षा सभी के लिए लाभप्रद है। (सत्य/ असत्य)
35. समावेशी विद्यालय वैयक्तिक वैविध्य का स्वागत करते हैं। (सत्य/ असत्य)
36. समावेशी विद्यालय में विशेष शिक्षक की कोई आवश्यकता नहीं। (सत्य/ असत्य)

अधिगम अक्षमतायुक्त बालक के समावेशी शिक्षण में शिक्षक की भूमिका:

पिछली इकाइयों में आपने अधिगम अक्षमता की परिभाषा, अधिगम अक्षमतायुक्त बालकों की मुख्य विशेषताएँ और उनकी विशिष्ट शैक्षणिक आवश्यकताओं के बारे में पढ़ा। सफल समावेशी शिक्षण में विशेषज्ञ शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका है विद्यालय के नियमित सामान्य शिक्षक के साथ समन्वय स्थापित करने में। चूंकि समावेशी शिक्षा के मत के अनुसार एक विशेष बालक को अधिकाधिक समय तक अपने हम उम्र बच्चों के साथ सामान्य कक्षा में ही सीखना है अतः विशेषज्ञ शिक्षक, एक सामान्य शिक्षक को बालकों की उन विशिष्ट आवश्यकताओं को समझने में सहयोग कर सकता है, जो सामान्य कक्षा में भी पूरी की जा सकती हो। कई बार अक्षमतायुक्त बालकों में कुछ समस्यात्मक व्यवहार भी देखने को मिलते हैं। एक विशेषज्ञ शिक्षक सामान्य शिक्षक की मदद समस्यात्मक व्यवहारों के प्रबंधन में भी कर सकता है।

11.5 अधिगम अक्षमता युक्त बालकों की समावेशी शिक्षा में विशेषज्ञ शिक्षक की भूमिका**11.5.1 विशेषज्ञ शिक्षक की शैक्षणिक भूमिका**

- मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता की पहचान करने में
- अतिरिक्त कक्षाओं के द्वारा मानसिक मंद/बौद्धिक अक्षम बालक की विशेष आवश्यकता पूरी करने में
- मानसिक मंद/बौद्धिक अक्षम बालक को संसाधन कक्ष शिक्षण प्रदान करने में और संसाधन कक्ष के विकास में

- मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता बालक की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पन्च बनाने एवं पाठ्यक्रम निर्माण में
- शोध आधारित शिक्षण विधियों के अभिनव प्रयोग में

1. **अधिगम अक्षमता की पहचान करने में विशेषज्ञ शिक्षक की भूमिका-** जैसा कि आपने पिछली इकाइयों में रेखा अधिगत अक्षमता एक अत्यंत जटिल संकल्पना है और इसकी पहचान करने में भी अत्यंत सावधानी की आवश्यकता है। आपने यह भी देखा है कि किसी बालक पर विकलांगता/अक्षमता का लेबल लगने के उसके जीवन पर क्या नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। अतः अधिगम अक्षमता की पहचान का कार्य एक दुष्कर कार्य है, जो एक विशेषज्ञ शिक्षक को ही करना चाहिए। उपरोक्त कार्य को करने में एक विशेषज्ञ शिक्षक निम्नलिखित का प्रयोग कर सकता है:

- i. मानक परीक्षणों के द्वारा (Using NRT's)
- ii. इमानदंड आधारित परीक्षणों के द्वारा (Using CRT's)
- iii. अनौपचारिक पठन जाँच सूचियों द्वारा
- iv. पाठ्यक्रम आधारित मामन का प्रयोग कर के
- v. प्रत्यक्ष दैनिक मापन (Observation)

अधिगम अक्षमता की पहचान करने में, एक विशेषज्ञ शिक्षक को परिस्थितियों के अनुसार एकाधिक युक्तियों का प्रयोग करके अधिगम अक्षमता की पहचान करनी होती है। उसकी गंभीरता एवं प्रकार का भी निर्धारण करना होता है और वैकल्पिक नियोजन का सुझाव भी देना होता है जो बच्चे के समानार्थिक स्तर गंभीरता का स्तर, अधिगम अक्षमता के प्रकार आदि पर निर्भर होता है।

2. **अतिरिक्त कक्षाओं के द्वारा बालक की विशेष आवश्यकता पूरी करने में-** विशेष कक्षाओं के द्वारा बालक की विशेष आवश्यकता पूरी करने में भी विशेषज्ञ शिक्षक की अहम भूमिका होती है। इसके लिए विशेषज्ञ शिक्षक को कक्षोपरांत अथवा खाली समय में अधिगम अक्षमता युक्त बालक को उसकी कठिनायी क्षेत्र की समस्याओं का निदान अतिरिक्त कक्षा में विशेष शिक्षण तकनीकों का प्रयोग कर के करना चाहिए। विशेष शिक्षण तकनीकों में-

बहुसंवेदी प्रशिक्षण (Multi Sensory Training)- अधिगम अक्षमता युक्त बालकों के शिक्षण एवं प्रशिक्षण में बहुसंवेदी प्रशिक्षण बहुत उपयोगी है। बहुसंवेदी प्रशिक्षण का तात्पर्य है एक से अधिक ज्ञानेन्द्रियों (दृश्य/श्रव्य, स्पर्श/घ्राण/स्वाद आदि) को प्रेरित करने हुए पढ़ाना। बहुसंवेदी अधिगम की प्रणेता सुप्रसिद्ध शिक्षाविद मारिया मांटेसरी मानी जाती है।

वी.ए.के.टी. (विजुअल ऑडिटरी काइनेस्थेस्टिक एंड टैक्टाइल) उपागम अधिगम अक्षमता युक्त बालकों को भाषायी प्रशिक्षण देने की एक सुप्रसिद्ध विधि है। जिसमें बच्चे को सर्वप्रथम किसी शब्द के सभी अक्षरों से परिचित कराया जाता है। तत्पश्चात् बच्चे को क्रमशः पूरे शब्द से परिचय कराया जाता है फिर बच्चे को संदर्भित शब्द से जुड़ी चीजों को देखने, सुनने और अनुभव करने के लिए प्रेरित करते हैं जब बच्चे को उस शब्द विशेष का ज्ञान हो जाता है तब उसे उस शब्द को वाक्यों में प्रयोग करना सिखाया जाता है। शब्द और शब्द के वाक्यों में प्रयोग पर अधिकार कर लेने के बाद बच्चे को छोटी-छोटी कहानियाँ आदि लिखने के लिए कहा जा सकता है। सीखने की प्रक्रिया को बहुसंवेदी बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की शैक्षणिक सामग्री यथा: फ्लैश कार्ड, कंप्यूटर, शब्द विशेष से संबंधित त्रिआयामी वस्तुएँ एवं चित्र आदि का भी प्रयोग किया जाता सकता है।

प्रत्यक्ष निर्देश (Direct/Explicit Instruction)- प्रत्यक्ष निर्देश शिक्षण की एक व्यवस्थित विधि है जिसमें छोटे-छोटे चरणों में आगे बढ़ना, छात्रों के समझ की जाँच करते रहना, और सभी छात्रों के सक्रिय और सफल सहभागी बनाना समाहित है। (रोषेनशाहन, 1987)।

रोशेनशाइन (**Rosenshine**) 1986, ने प्रत्यक्ष निर्देश के निम्नांकित चरण बनाये हैं:

- प्रत्येक पाठ का आरंभ पिछले दिन के गृहकार्य की जाँच और छात्रों ने क्या पढ़ा था उसकी पुनरावृत्ति से करें।
- आज के पाठ का लक्ष्य-उद्देश्य बतायें।
- नई पाठ्य वस्तु को छोटे-छोटे भागों में स्पष्ट एवं विस्तृत व्याख्या के साथ प्रस्तुत करें और प्रायः छात्रों के ग्राहाता की जाँच बीच-बीच में प्रश्न करके करते रहें।
- छात्रों को सक्रिय अभ्यास का अवसर प्रदान करें और उन्हें फीडबैक प्रदान करें।
- विभिन्न अभ्यासों के द्वारा छात्रों की प्रगति पर नजर रखें
- छात्रों को अभ्यास/पुनरावृत्ति का अवसर तक तब प्रदान करते रहें जब तक वे सिखाये गये कौशलों को स्वतंत्रता पूर्वक करने में सक्षम न हो जायें।
- प्रत्येक सप्ताह के पहले दिन, पिछले सप्ताह के कार्यों का पुनरीक्षण करें और प्रत्येक माह के अंत में छात्रों द्वारा सीखे गये कौशल का पुनरीक्षण करते रहें।

इस प्रकार, प्रत्यक्ष निर्देश में प्रारंभ में शिक्षक, छात्रों के अधिगम की पूरी जिम्मेदारी लेता है, परंतु धीरे-धीरे छात्रों को स्वतंत्र बनाने के लिए इसे कम करते हुए, उन पर स्थानांतरित कर देता है। प्रत्यक्ष निर्देश न में शिक्षक ज्ञानार्जन और उसके प्रयोग के बीच के संबंधों को छात्रों द्वारा अचानक सीखे जाने की बजाय, छात्रों को इस संबंध के बारे में पारदर्शी एवं स्पष्ट भाषा में बताता है। फच और फच (Fuchs & Fuchs 2001) प्रत्यक्ष निर्देश

न एक क्रमिक, सतत् श्रेणी है जो शिक्षक के द्वारा मोडलिंग से होते हुए विभिन्न सहायता एवं संकेतों के द्वारा निर्देशित अभ्यास तक जाता है जो छात्रों को सिखाये गये कौशल में स्वतंत्र एवं धाराप्रवाह बनाता है।

पाठ्यवस्तु संशोधन

पाठ्यवस्तु संशोधन का तात्पर्य उन विस्तृत तकनीकों से है जिसके द्वारा शिक्षक पाठ के गठन और उसके क्रियान्वयन को संशोधित करता है ताकि पाठ्यवस्तु को छात्र बेहतर तरीके में संगठित कर सके, उसे बेहतर तरीके से समझ सके एवं संदर्भित सूचनाओं को अपनी समृद्धि में लंबे समय तक संचित कर सके। (क्राफ्ट एवं मिलर 1993) पाठ्य-वस्तु संशोधन के लिए शिक्षक को निम्नांकित चीजों को ध्यान में रखना चाहिए:

- पाठ्य वस्तु का आलोचनात्मक तुलनात्मक चिंतन
- छात्रों के सफल अधिगम के लिए उनकी आवश्यकता के अनुरूप शिक्षण विधि का चयन
- बच्चे को सीखना है उसका चयन
- बच्चे को कैसे सिखाना/सीखना है इसका चयन

पाठ्यवस्तु संशोधन के निम्नांकित प्रकार हो सकते हैं:

निर्देशित नोट्स (Guided Notes) निर्देशित नोट्स पाठ्यक्रम संशोधन एवं उसके पुनर्गठन की एक विधि है जो विकलांगता युक्त बालकों एवं उसके अन्य अविकलांग सहपाठियों को कक्षा के दौरान सक्रिय भागीदारी निभाने में मदद करता है। (हेवर्ड, 2001)

सामान्यतः निर्देशित नोट्स शिक्षक द्वारा तैयार छोटे नोट्स होते हैं जो पाठ की रूपरेखा, मुख्य तथ्य, संकल्पनाएँ, एवं संबंधों के संक्षिप्त विवरण युक्त होते हैं। निर्देशित नोट्स का प्रयोग अधिगम अक्षमता युक्त बालकों के शिक्षण में अत्यंत प्रभावी हैं।

निर्देशित नोट्स के लाभ:

- छात्रों द्वारा पाठ्यवस्तु को लंबे समय तक याद रखना
- छात्रों की कक्षा में सक्रिय भागीदारी में वृद्धि
- छात्रों को समझने में आसानी
- कक्षापरांत अध्ययन के लिए छात्रों के पास पाठ्यवस्तु का मानक संकलन

ग्राफ युक्त विवेचक (Graphic Organizer)

यह सुचनाओं की एक दृश्य (Spatical) व्याख्या जिसमें शब्दों अथवा संकल्पनाओं को आरेखों के द्वारा जोड़ा जाता है। जो छात्रों को तुलनात्मक, क्रमिक, एवं विभिन्न स्तर युक्त संकल्पनाओं को समझने में मदद करता है। यह छात्रों को एक से अधिक इंद्रियों को प्रभावित करता है, अतः इसकी स्मृति लंबे समय तक रहती है।

Mnemonics (Memory Enhancing Strategies) शोधों से यह साबित हुआ है कि डदमदवदपबे और इस प्रकार के अन्य स्मृति सुधार तकनीके अधिगम अक्षमतायुक्त बालकों हेतु अत्यंत प्रभावी हैं।

3. बालक को संसाधन कक्ष शिक्षण प्रदान करने में और संसाधन कक्ष के विकास में अधिगम अक्षमता युक्त बालक को संसाधन कक्ष शिक्षण प्रदान करने एवं संसाधन कक्ष को उनकी आवश्यकतानुसार संरचित करने में भी विशेषज्ञ शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका है। संसाधन कक्ष में अधिगम अक्षमता युक्त बालको की आवश्यकतानुसार सामग्रियों को एकत्र करना संसाधन कक्ष शिक्षण तकनीकों का प्रयोग समय प्रबंधन, उपयुक्त सामग्रियों की सहायता से विशेष शिक्षण तकनीकों का प्रयोग करके अधिगम अक्षमता युक्त बालको के अधिगम की कठिनाइयों को दूर करने में भी विशेषज्ञ शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रत्येक समावेशी विद्यालय में संसाधन कक्ष स्थापित करना और उसमें अधिगम अक्षमता युक्त बालकों की विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु उपयुक्त सामग्री उपलब्ध कराना विशेष शिक्षक अधिगम अक्षमता युक्त बच्चों की विशेष आवश्यकता की पूर्ति हेतु निम्नलिखित सामग्री संसाधन कक्ष में उपलब्ध होनी चाहिए।
 - i. धीमी गति से वाचन करने वाले या लिखे हुए शब्दों को पढ़ने में कठिनायी बालकों हेतु 'बोलती पुस्तके ;जंसापदह ठववोद्ध ताकि वे सुनकर साथ-साथ वाचन करने का प्रयास कर सके। इनके साथ साथ विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक वीडियो आदि
 - ii. धीमी गति से लिखले वाले बालकों के लिए कंप्यूटर जो कि वर्ड प्रोसेसर से युक्त हो, उपलब्ध कराया जा सकता है।
 - iii. वे छात्र जिन्हें लघु अवधि की स्मृति में कठिनायी हो अथवा गणितिय समस्याएँ हो, उनके लिए विभिन्न तथ्यों को दर्शाते चार्ट कैलकुलेटर आदि उपलब्ध कराये जा सकते हैं।
 - iv. छात्रों की स्मृति, और श्रवण कौशल विकसित करने हेतु विभिन्न प्रकार की कविताएँ राइमस, गीत आदि के दृष्य श्रव्य साधन रखे जाने चाहिए।
 - v. गणित से संबंधित कठिनायी वाले बालकों के लिए संसाधन कक्ष में 'गणितीय प्रयोगशाला' से संबंधित सामग्रियाँ होनी चाहिए जिनमें से प्रमुख हैं:

● विभिन्न प्रकार की ज्यामितिय आकृतियाँ	कंप्यूटर सिस्टम,
● ज्यामिति बॉक्स	एल.सी.डी.
● अंबेकस	ओ.एच.पी.
● लंबाई चौड़ाई आदि मापने हेतु मानक टेप	डी.वी.डी. प्लेअर्स

- तरल की मात्रा मापने हेतु मापन मग
- समय की संकल्पना सीखने हेतु डमी दीवाल घड़ियाँ
- प्लास्टिक के विभिन्न गणितिय खिलौने
- खेलने वाले कार्डस
- मुद्रा/रुपय/पैसे की संकल्पना हेतु डमी नोट
- फ्लैश कार्डस
- सेंगुइन फॉर्म बोर्ड
- विभिन्न प्रकार के त्रिविभीय मॉडल
- चार्ट पेपर
- ग्राफ पेपर
- जोड़ घटाव की संकल्पना के लिए लकड़ी या प्लास्टिक के ब्लॉक
- स्वॉप वॉच

विभिन्न प्रकार के पजल्स धन की उपलब्धता के अनुसार ऐसी कई सामग्री संसाधन कक्ष में, रखी जा सकता है जो अधिगत अक्षमता युक्त बालकों की विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करती हो। इनके अतिरिक्त विशेषज्ञ शिक्षक को छात्रों की विशेष आवश्यकताओं के अनुसार अल्प व्यय वाल, नवीनता युक्त, स्वनिर्मित शिक्षण -सामग्रियों को भी संसाधन कक्ष में रखा जाना चाहिए।

4. बालक की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए **IEP** बनाने एवं पाठ्यक्रम निर्माण में अधिगत अक्षमता युक्त बच्चों को कक्षा-प्रशिक्षण के अलावा व्यक्तिगत शिक्षण कार्यक्रम की आवश्यकता भी हो सकती है क्योंकि एक बड़ी सामान्य बालकों की कक्षा में उसकी व्यक्तिगत, शैक्षणिक आवश्यकताएँ पूरी नहीं की जा सकती हैं। अधिगत अक्षमता युक्त बालक के व्यक्तिगत शिक्षण कार्यक्रम बनाने एवं क्रियान्वित करने का कार्य भी विशेषज्ञ शिक्षक का है। अधिगत अक्षमता युक्त बालक की व्यक्तिगत शैक्षणिक योजना उसके सामान्य पाठ्यक्रम के साथ तालमेल युक्त होना चाहिए और वह बालक को सामान्य पाठ्यक्रम से अलग नहीं अपितु उसका पूरक (complementary) होना चाहिए।
5. शोध आधारित शिक्षण विधियों के अभिनव प्रयोग में समावेशी शिक्षा, एक नई संकल्पना है, जिसमें नित्य नवीन शोध हो रहे हैं, और आगे कई शोधों की आवश्यकता है। ऐसे में विशेषज्ञ शिक्षक, जो इन शोधों का अधिगत अक्षमता युक्त बालकों के शिक्षण के प्रयोग एवं नवीन शिक्षण विधियों की खोज का प्रयास करने का होना चाहिए।

11.5.2 विशेषज्ञ शिक्षक की सामाजिक भूमिका

- अक्षमतायुक्त बालकों के सहपाठियों, विद्यालय के अन्य शिक्षकों एवं अभिभावकों को अधिगम अक्षमता के प्रति जागरूक बनाने में
- समुदाय में जागरूकता लाने एवं मानसिक मंदता युक्त बालकों के समुदाय आधारित पुनर्वास (Community Based Rehabilitation CBR) में
- अक्षमता युक्त बालकों को एवं अभिभावकों को उनके अधिकारों एवं मिलने वाले सरकारी लाभ के बारे में जागरूक करने में
- अभिभावकों एवं अधिगम अक्षमता युक्त बालक के एक काउंसलर के रूप में

1. अक्षमतायुक्त बालकों के सहपाठियों, विद्यालय के अन्य शिक्षकों एवं अभिभावकों को अधिगम अक्षमता के प्रति जागरूक बनाने में

अधिगम अक्षमता युक्त बालकों के सहपाठियों, विद्यालय के अन्य शिक्षकों एवं अभिभावकों में अधिगम अक्षमता युक्त बालकों के प्रति जागरूकता एवं उनकी विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति के प्रति संवेदनशील बनाने में विशेषज्ञ शिक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका है। हालांकि वर्तमान समय में भारतीय समाज में अधिगम अक्षमता के प्रति थोड़ी जागरूकता आयी है परंतु, अभी भी ग्रामिण क्षेत्रों में अशिक्षित लोगों में ही नहीं बल्कि शिक्षित लोगों, कई बार शिक्षकों में भी अधिगम अक्षमता के प्रति उपयुक्त जागरूकता नहीं आयी है। ऐसे में विशेषज्ञ शिक्षकों की यह अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका बन जाती है कि वह विद्यालय के अन्य छात्रों साथी शिक्षकों, एवं विद्यालय के अन्य कर्मचारियों को अधिगम अक्षमता युक्त बालकों के प्रति जागरूक एवं उनकी विशेष आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील बनायें।

2. समुदाय में जागरूकता लाने एवं अधिगम अक्षमता युक्त बालकों के समुदाय आधारित पुनर्वास (Community Based Rehabilitation CBR) में - शिक्षक सामाजिक परिवर्तन का नेतृत्व करता है क्योंकि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का आधार है। विद्यालयी क्रियाओं से इतर, विशेषज्ञ शिक्षक की भूमिका अधिगम अक्षमता के प्रति सामाजिक जागरूकता लाने और अधिगम अक्षम बालकों के समुदाय आधारित पुनर्वास में भी है। विशेषज्ञ शिक्षक की यही भूमिका भ्रमणशील शिक्षक (**Itinerant Teacher**) की संकल्पना में निहित है जिसमें, विशेषज्ञ शिक्षक की इतर विद्यालयी भूमिकाओं में समुदाय में जाकर अधिगम अक्षमता युक्त बालकों की पहचान, रेफरल, और उन्हें नियमित विद्यालय में भेजना सुनिश्चित करना भी शामिल है।

3. अक्षमता युक्त बालकों को एवं अभिभावकों को उनके अधिकारों एवं मिलने वाले सरकारी लाभ के बारे में जागरूक करने में

अधिगम अक्षमता युक्त बालकों के समावेशी शिक्षण का बढ़ाया देने के लिये एवं उनके कल्याणार्थ विभिन्न सरकारी योजनायें चलायी जा रही है जिसके बारे में प्रायः ग्रामिण क्षेत्रों के अभिभावक

जागरूक नहीं है और फलतः उसका लाभ नहीं उठा पाते। एक विशेषज्ञ शिक्षक को तत्संबंधित योजनाओं के बारे में न केवल जागरूक होना चाहिए बल्कि अभिभावकों को इसके प्रति जागरूक बनाने एवं सुविधाये हासिल करने की विभिन्न प्रक्रियाओं से परिचित कराने में मदद करनी चाहिए ताकि चलायी जा रही कल्याणकारी योजनायें उपयुक्त लाभार्थी तक पहुँच सकें।

4. अभिभावकों एवं अधिगम अक्षमता युक्त बालक के एक काउंसलर के रूप में

किसी बालक में अधिगम अक्षमता का निर्धारण, न केवल बालक को, बल्कि उसके पूरे परिवार का प्रभावित करता है। परिवार के लोग सर्वप्रथम यह स्वीकार ही नहीं कर पाते कि उनके बच्चे में अधिगम अक्षमता है, फलतः इधर उधर उसके इलाज, झाड़-फूँक आदि के लिये परेशान होते रहते हैं। और अच्छे के प्रशिक्षण का एक महत्वपूर्ण समय इन कार्यों में गँवा देते हैं। फिर जब वे यह स्वीकार कर लेते हैं कि उनके बच्चे में अधिगम अक्षमता है तब वे प्रायः उनके शिक्षण के लिये उन्मुख होते हैं, परंतु उन्हें आशा होती है कि विशेषज्ञ शिक्षक के पास कोई जादू है जिससे उनका बच्चा बिल्कुल ठीक हो जायेगा। इसके अलावा कई बार वे अपने बच्चे का आवश्यकता से अधिक ध्यान रखना शुरू कर देते हैं जो बच्चे को स्वावलंबी बनने में बाधा उत्पन्न करता है। अधिगम अक्षम बालक का पिता कहलाने में सामाजिक शर्म महसूस करते हैं, और बच्चे को सामाजिक अवसरों पर ले जाने से कतराते हैं जो बच्चे के सामाजिक समायोजन को प्रभावित करता है। साथ ही बच्चे के अभिभावक बच्चे के भविष्य को लेकर अवसादग्रस्त हो जाते हैं। इन परिस्थितियों में विशेषज्ञ शिक्षक न केवल बच्चे के लिये बल्कि उसके अभिभावकों के लिये भी, एक काउंसलर के रूप में उन्हें उपरोक्त परिस्थितियों से बाहर निकालने में, उन्हें यह समझने में कि शनैः शनैः प्रशिक्षण दिये जाने पर उनको अनुकूलनीय व्यवहार उन्नत होगा। और यह किसी भी परिवार में हो सकता है, अतः सामाजिक शर्म महसूस करने की बजाय वे बच्चे के साथ अधिकाधिक सामाजिक कार्यों में भाग लें, बच्चे को अति रख-रखाव की बजाय कार्य करने का अवसर दें, उसकी शिक्षा में भागीदार बनें और अक्षमता के प्रति समुदाय में जागरूकता फैलाये। इन कार्यों में विशेष शिक्षक एक अत्यंत उपयोगी काउंसलर की भूमिका निभा सकता है।

11.5.3 विशेषज्ञ शिक्षक की अन्य भूमिकाएँ

- सामान्य शिक्षक एवं आवश्यकता नुसार अन्य विशेष ज्ञों से समन्वय स्थापित करने में
 - TLM निर्माण में
 - अक्षमता युक्त बालकों के लिए प्रभावी अनुकूलन
- i. सामान्य शिक्षक एवं आवश्यकता नुसार अन्य विशेष ज्ञों से समन्वय स्थापित करने में समावेशी शिक्षा में एक अधिगम अक्षमता युक्त बालक अधिकांश समय तक सामान्य कक्षा में सीखता है। ऐसे में विशेषज्ञ शिक्षक द्वारा विभिन्न विषयों के शिक्षकों से समन्वय बनाकर कार्य करना

पड़ता है। जब तक बच्चे के व्यक्तिगत प्रशिक्षण और सामान्य कक्षा के क्रियाओं में तारतम्यता नहीं होगी तब तक बच्चे की उपयुक्त प्रगति संभव नहीं। इसके अतिरिक्त कई बार अधिगम अक्षमता से जुड़ी हुई अन्य स्थितियाँ भी होती हैं यथा आँख और हाथ के समन्वय में परेषानी, गामक कठिनाइयों आदि और इसके लिए उसे विभिन्न व्यसायियों यथा चिकित्सक, आकुपेशनल बेरेपिस्ट, फिजियाथेरेपिस्ट योगा थेरापिस्ट स्वीच थेरेपिस्ट आदि के सेवाओं की आवश्यकता भी होती है, ऐसी परिस्थिति में विशेषज्ञ शिक्षक को प्रभावी शिक्षण हेतु, उनके लिये समय का आबंटन आदि कार्यों में मुख्य भूमिका निभानी पड़ती है।

ii. शिक्षण सामग्रियों के निर्माण में

अधिगम अक्षमता युक्त बालक समूह व्यक्तिगत -वैविध्य से पूर्ण होता है, प्रत्येक बच्चे की शैक्षणिक आवश्यकता भिन्न होती है, उनके सीखने की गति अलग होती है। ऐसे वे विशेषज्ञ शिक्षक विभिन्न व्यक्तिनिष्ठ (Customized) शिक्षण सामग्रियों की आवश्यकता होती है। अधिगम अक्षमता युक्त बालक के आवश्यकतानुरूप, सक्षे, टिकाऊ विषयोन्मुख, खोजपूर्ण शिक्षण सामग्रियों के निरंतर विकास में विशेष शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका है।

iii. अक्षमता युक्त बालकों के लिये लिये प्रभावी अनुकूलनों के विकास में

कई परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं जिसमें हल्के वातावरणीय संशोधनों के उपरांत मानसिक मंदता युक्त बालक दिये गये कार्य करने में सक्षम हो जाता है। इन वातावरणीय संशोधनों को अनुकूलन (Adaptation) कहते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुगम एवं आसान बनाने के लिये, परिस्थितियाँ का आलोचनात्मक अध्ययन करके विशेषज्ञ शिक्षण को कई वातावरणीय अनुकूलन बनाने पड़ता है। उदाहरण के लिये यदि एक बालक का सूक्ष्म गामक (Fine Motor) की समस्या होने की वजह से यदि वह चम्मच को ठीक से पकड़ नहीं पाता तो उसे पकड़े बाँध कर मोटा बनाया जा सकता है। यदि कोई बच्चा लिखने समय कलम पकड़ने में समस्या का अनुभव कर रहा हो तो तो पेंसिल में एक छोटी गेंद ग्रिप के लिये लगायी जा सकती है। अनुकूलन प्रायः परिस्थिति जन्य होते हैं और शिक्षक की 'खोजपूर्ण' प्रवृत्ति पर निर्भर है कि वर्तमान परिस्थित का प्रयोग करते हुए अधिकतम अधिगम कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है।

अक्षमता युक्त बालकों के लिए प्रभावी अनुकूलन:

शैक्षिक वातावरण संबंधी	अनुदेशानात्मक विधियों से संबंधित	परीक्षण प्रक्रिया संबंधी	समय एवं संगठन सहयोग संबंधी	अधिगम सामग्री/ संसाधन सम्बंधी
कक्षा में वैकल्पिक स्थान	शाब्दिक प्रस्तुतियों के पूरक के रूप में दृश्य सामग्रियाँ	ध्वनि से आलेख तकनीक (Voice to Text)	अतिरिक्त समय	'मैनिपुलेटिव' (Manipulative) मिताने योग्य मार्कर
वैकल्पिक	दृश्य सामग्रियों की	दृश्य फार्मेट (यथा)	छोटे असाइनमेंट	कैलकुलेटर

व्यवस्था (यथा संसाधन कक्ष)	शाब्दिक व्याख्या	चित्र, चार्ट, ग्राफ, डायग्राम आदि		बोलती पुस्तकें (Talking Books)
सुगम भवन	कार्यों का छोट भागों में विभाजन	शाब्दिक प्रस्तुति	शैक्षणिक क्रियाओं में विविधता	ग्राफ/चार्ट/ डायग्राम
अनुकूलित डेस्क टेबल	सहपाठी शिक्षण (Peer Tutoring)	दृश्य प्रस्तुति	असाइनमेंट के छोटे छोटे खंड	कंप्यूटर सिस्टम उभरी पंक्तियों वाले कागज
बैठने हेतु कुशन	सहयोगी शिक्षण	वर्तनी जाँच	सहयोगी कक्षा	श्रवण यंत्र, (लाउड स्पीकर/हैंडसेट) आदि
ध्वनिक यंत्र	कंप्यूटर सहयोगी/तकनीकी (यथा: लाउडस्पीकर आदि)	कैलकुलेटर	सुगम भवन	बड़े प्रिंट में विभिन्न पाठ्य वस्तुओं के चार्ट

अभ्यास प्रश्न

1. अधिगम अक्षमता युक्त बालकों के समावेशी शिक्षण में संसाधन कक्ष शिक्षण की आवश्यकता होती है (सत्य/असत्य)
2. अधिगम अक्षमता युक्त बालकों के कक्षा में समायोजना (सत्य/असत्य)
3. कंप्यूटर आधारित अनुदेशन, अधिगम अक्षमता युक्त बालकों के शिक्षण की प्रभावी युक्ति है (सत्य/असत्य)
4. सहपाठी शिक्षण विशेष बालक के कक्षा में समायोजन में मदद करता है। (सत्य/असत्य)
5. विशेषज्ञ शिक्षक को अधिगम अक्षमता के प्रति समाज में जागरूकता फैलाने का कार्य भी करना चाहिए। (सत्य/असत्य)
6. संसाधन-कक्ष शिक्षण में विशेषज्ञ शिक्षक की कोई भूमिका नहीं है। (सत्य/असत्य)

11.6 अधिगम अक्षमता युक्त बालकों की समावेशी शिक्षा में सामान्य शिक्षक की भूमिका

अभी अभी आपने अधिगम अक्षमता युक्त बालकों की समावेशी शिक्षा में विशेषज्ञ शिक्षक की भूमिकाएं देखी। अब हम समावेशी शिक्षा के संदर्भ में सामान्य शिक्षकों की भूमिकाओं का अध्ययन करेगी।

11.6.1 सामान्य शिक्षक की शैक्षणिक भूमिका

- अधिगम अक्षमता युक्त बालकों की विशेष शैक्षिक आवश्यकता की सामान्य कक्षा में पूरा करना
 - सभी बालकों के शैक्षिक विकास पर ध्यान रखना
 - शिक्षण में विशेषज्ञ शिक्षण के साथ समन्वय
 - अभिनव शिक्षण तकनीकों का कक्षा में प्रभावी शिक्षण हेतु प्रयोग करने में
- i. अधिगम अक्षमता युक्त बालकों की विशेष शैक्षिक आवश्यकता की सामान्य कक्षा में पूरा करना- अधिगम अक्षमतायुक्त बालक की विशेष आवश्यकताओं को ध्याने में रखते हुए कक्षा शिक्षण समावेशी शिक्षा की संकल्पना 'सभी बालकों के समन्वित विकास' पर आधारित है अतः सामान्य शिक्षक को कक्षा में उपस्थित बालकों की विभिन्न को ध्यान में रखते हुए शिक्षण कार्य करना चाहिए। विभिन्न अक्षमता युक्त (जिसमें अधिगम अक्षमता भी शामिल है) बालकों की विशेष आवश्यकताओं के मद्देनजर पढ़ाने में शिक्षक को वातावरण को रुचिकर बनाना, आकर्षक एवं उपयुक्त विभिन्न शिक्षण सामग्रियों आदि का प्रयोग करना, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में सभी बालकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना आदि क्रियाओं को सम्मिलित करना चाहिए।
 - ii. सभी बालकों के शैक्षिक विकास पर ध्यान रखना- समावेशी शिक्षण के वातावरण में सभी बालकों के शैक्षणिक विकास पर ध्यान रखना सामान्य शिक्षक की नैतिक भूमिका है। शिक्षक को अधिगम अक्षमता अन्य अक्षमता युक्त बालकों के शैक्षणिक विकास के साथ-साथ अन्य बालकों के शैक्षणिक विकास पर भी ध्यान रखना चाहिए। यदि सामान्य शिक्षक का शिक्षण सिर्फ अधिगम अक्षमता/ अन्य अक्षमता युक्त बालकों को ध्यान में रखकर होगा, तो कक्षा के अन्य बच्चों की शिक्षा प्रभावित होगी, वहीं यदि सामान्य शिक्षक कक्षा में उपस्थित अधिगम एवं अन्य अक्षमता युक्त बालकों की उपेक्षा करेगा तब समावेशी शिक्षण की मूल भावना प्रभावित हीगी। अतः सामान्य शिक्षक को सभी बालकों के शैक्षणिक विकास पर ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए।
 - iii. शिक्षण में विशेषज्ञ शिक्षण के साथ समन्वय-विशेषज्ञ शिक्षक के साथ समन्वय करने एवं सामान्य सामूहिक कक्षा में अधिगम अक्षमता युक्त बालक को अत्यंत महत्वपूर्ण है। सामान्य शिक्षक विभिन्न

अक्षमता/अधिगम अक्षमता युक्त बालकों के विशेषज्ञ शिक्षक से सलाह लेकर, एवं बालक के व्यक्तिगत शिक्षण योजना से तालमेल बिठकार ही, प्रभावी शिक्षण कर सकता है सामान्य शिक्षक एवं विशेष शिक्षक दोनों को आपस में चर्चा करके, अधिगम अक्षमता युक्त बालक के लिए व्यक्तिगत शिक्षण योजना, बालक की अधिगम समस्याएं एवं सामूहिक कक्षा में उसका संभव हल निकालें, तभी अधिगम युक्त बालकों का कक्षा शिक्षण एवं अधिगम प्रभावी होगा।

- iv. अभिनव शिक्षण तकनीकों का कक्षा में प्रभावी शिक्षण हेतु प्रयोग करने में-अभिनव शिक्षण तकनीकों का कक्षा में प्रयोग करके सभी बालकों के लिए प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने में सामान्य शिक्षक का बड़ा हाथ है। अधिगम अक्षमता युक्त बालकों की शिक्षण पद्धतियों पर नित्य नए-नए शोध हो रहे हैं और नई-नई शिक्षण तकनीकें विकसित की जा रही हैं सामान्य शिक्षक को गंभीरतापूर्वक विचार करके विभिन्न नवीन शिक्षण तकनीकों का यथासंभव, परिस्थितिनुसार, उपयुक्त प्रयोग करके शिक्षण को प्रभावी बनाने का प्रयास करना चाहिए।

11.6.2 सामान्य शिक्षक की सामाजिक भूमिका

- सामान्य कक्षा में अधिगम अक्षमता युक्त बालकों का सामंजस्य बिठाने में
 - अधिगम अक्षमता युक्त बालकों को स्व.अभिव्यक्ति का बराबर अवसर देने में
 - अधिगम अक्षमता युक्त बालक एवं अन्य विभिन्न आवश्यकता वाले बालकों में एक सहयोग पूर्ण वातावरण बनाने में
- i. सामान्य कक्षा में अधिगम अक्षमता युक्त बालकों का सामंजस्य बिठाने में-सामान्य कक्षा में अधिगम अक्षमता युक्त बच्चों का सहपाठियों के साथ सामंजस्य बिठाने में सामान्य शिक्षक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। कई बार, अधिगम अक्षमता युक्त बालक, अपनी विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं के कारण सहपाठियों में पिछड़ा समझा जाने लगता है, और सहपाठी अस्वीकार्यता का शिकार हो जाता है। कई बार ऐसी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे विभिन्न तरीके के शोषण एवं सताए जाने का शिकार हो जाते हैं। एक सामान्य शिक्षक को कक्षा में छात्रों की विभिन्न गतिविधियों एवं कक्षा की गतिकि पर पैनी नजर रखनी चाहिए और यदि ऐसी किसी भी संभावना का संकेत मिलता है तो शिक्षक को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए ताकि स्थिति गंभीर रूप न ले ले। जब तक अधिगम अक्षमता युक्त बालक कक्षा में स्वीकार्य नहीं होगा तब तक अधिगम अभावी नहीं हो सकता। अधिगम अक्षमता युक्त बालकों की कक्षा में सहपाठियों के मध्य स्वीकार्य बढ़ाने के लिए सभी बालकों को विशेष आवश्यकता वाले बालकों के प्रति जागरूक बनाने में सामान्य शिक्षक एक अहम् भूमिका निभा सकता है, साथ ही 'सहपाठी शिक्षण' जैसी आधुनिक तकनीकों का प्रयोग भी कर सकता है जो अधिगम अक्षमता युक्त बालकों को अपने अन्य सहपाठियों से घुलने-मिलने में उनकी मदद करेगा।

- ii. अधिगम अक्षमता युक्त बालकों को स्व-अभिव्यक्ति का बराबर अवसर देने में- अधिगम अक्षमता युक्त बच्चों को स्व-अभिव्यक्ति को बराबर अवसर प्रदान किया जाना चाहिए, जिसकी जिम्मेदारी मुख्यतः सामान्य शिक्षक की है। प्रायः इस प्रकार के अक्षमता युक्त बालक कक्षा में पिछड़े दिखाई देते हैं और फलस्वरूप उन्हें स्वाभिव्यक्ति का अवसर नहीं मिल पाता, उस अवसर को अन्य बालक छीन लेते हैं एक सामान्य शिक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिगम अक्षमता युक्त बालक को भी कक्षा में स्वाभिव्यक्ति का पूरा मौका मिले अन्यथा वह कक्षा में उत्तरोत्तर पिछड़ता चला जाएगा।
- iii. अधिगम अक्षमता युक्त बालक एवं अन्य विभिन्न आवश्यकता वाले बालकों में एक सहयोग पूर्ण वातावरण बनाने में- अधिगम अक्षमता युक्त बालक एवं अन्य बालकों के मध्य एक सहयोग पूर्ण वातावरण का विकास का प्रयास सामान्य शिक्षक को करना चाहिए जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को अत्यंत प्रभावी बनाता है कक्षा के सभी बालकों में एक पारस्परिक सद्भावना एवं सम्मान का भाव विकसित करने के लिए सामान्य शिक्षक छात्रों को व्यक्तिगत कार्यों के अतिरिक्त सामूहिक कार्य भी छात्रों को दे सकता है। कक्षा में छात्रों/छात्र समूहों के बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का वातावरण विकसित किए जाने में सामान्य शिक्षक की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है।

11.6.3 सामान्य शिक्षक की अन्य भूमिकाएं

- i. अधिगम अक्षमता युक्त बालकों की शिक्षा में अभिभावकों की भागीदारी बढ़ाने में
- ii. समुदाय को समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया में शामिल करने में
- iii. अक्षमता ग्रस्त बालकों (जिसमें अधिगम अक्षमता भी शामिल है) के प्रभावी शिक्षण हेतु अल्पव्ययी, खोजपूर्ण, कार्यानुसार शैक्षणिक सामग्री के विकास में
- iv. सामान्य पाठ्यक्रम में अधिगम अक्षम बालकों के लिए उपयुक्त अनुकूलन

अभ्यास प्रश्न

1. अधिगम अक्षमता युक्त बालकों की सहपाठी स्वीकार्यता में सामान्य शिक्षक की अहम् भूमिका है (सत्य/असत्य)
2. सामान्य शिक्षक का अधिगम अक्षमतायुक्त बालक के विद्यालय में समायोजन से कोई सरोकार नहीं है। (सत्य/असत्य)
3. सामान्य शिक्षक को विशेषज्ञ शिक्षक के साथ समन्वय बनाकर कार्य करना चाहिए। (सत्य/असत्य)
4. सामान्य शिक्षक अधिगम अक्षम बालकों को अभिभावकों की उनकी शिक्षा में भागीदारी बढ़ाने में मददगार हो सकता है। (सत्य/असत्य)
5. अधिगम अक्षमता युक्त बालक वर्तमान भारतीय कानूनों के अंतर्गत 'अक्षमता' की श्रेणी में नहीं आते। (सत्य/असत्य)

11.7 सारांश

इस इकाई में अक्षमता के अध्ययन के चिकित्सकीय और सामाजिक उपागमों का तुलनात्मक अध्ययन किया। जहाँ चिकित्सकीय उपागम की मान्यता, विकलांगता को व्यक्तिगत समस्या मानते हुए उसके इलाज की ओर केंद्रित है वहीं सामाजिक उपागम विकलांगता का एक सामाजिक समस्या मानते हुए उसके समाधान एवं समाजिक स्वीकार्यता पर बल देता है। आपने यह भी पढ़ा कि 'विकलांगता' का 'लेवन' लगने से व्यक्ति का आत्म सम्मान, आत्म विश्वास, सामाजिक स्तर, आदि नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है वहीं दूसरी ओर विशेष शिक्षा एवं अन्य सुविधाओं का लाभ उठाने, उपयुक्त सेवायें प्राप्त करने में 'लेबलिंग' मददगार है।

इसके अतिरिक्त आपने अधिगम अक्षमता के समावेशी शिक्षण के 1963 जब सेमुअल क्रिक ने अधिगम अक्षमता के शब्द का प्रथम प्रयोग किया पा तब से अबतक 2004 ;फ़ेब्रुअरी 2004 तक के क्रमिक विकास आदि के बारे में पढ़ा। इसी क्रम में आपने आगे विशेष शिक्षा, समेकित शिक्षा एवं समावेशी शिक्षा के बारे में पढ़ा। विशेष शिक्षा का तात्पर्य विशेष तकनीक विशेष सामग्री, विशेष वातावरण और विशेष शिक्षको द्वारा अक्षमतायुक्त बालकों के शिक्षण से है। इसमें बालक के पास समाजीकरण, एवं नकल करके सीखने का अवसर कम होता है। साथ ही खर्चीला तो है परंतु बच्चों पर व्यक्तिगत ध्यान की वजह से अतिगंभीर एवं गंभीर अक्षमता मुक्त बालकों की विशेष शैक्षिक आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम है। समेकित शिक्षा मध्यम स्तर का सामाजिकरण का अवसर असमता युक्त बालकों को प्रदान करता है। परंतु अत्यंत खर्चीला है असमतायुक्त बालकों की शैक्षणिक क्रियाओं में पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित नहीं करता है। समावेशी शिक्षा सभी बालकों के लिये एक उत्तम विकल्प है जो कम खर्चीला है और सामान्य शिक्षण वातावरण में अक्षमता युक्त बालकों की समाजिकरण का बेहतर अवसर प्रदान करता है। आग्र की दा इकाइयों में आपने अधिगम अक्षमता युक्त बालकों के समावेशी शिक्षण में विशेषज्ञ एवं सामान्य शिक्षको की शैक्षणिक, सामाजिक और अन्य भूमिकाओं के बारे में पढ़ा जिनमें अतिरिक्त शिक्षण, संसाधन कक्ष शिक्षक, अभिभावक परामर्शदाता, सामुदायिक जागरूकता, आदि महत्वपूर्ण हैं। आपने यह भी देखा कि एक अधिगम अक्षमतायुक्त बालक के प्रभावी समावेशी शिक्षण में स्कूल, सामान्य शिक्षक, विशेषज्ञ शिक्षक, छात्र स्वयं, एवं अभिभावक और समूह की भागीदारी आवश्यक है।

11.8 पारिभाषिक शब्द एवं शब्द विस्तार

1. **चिकित्सकीय उपागम-** चिकित्सकीय उपागम की मान्यता है कि अन्य बीमारियों की तरह ही अक्षमता/विकलांगता भी किसी व्यक्ति के अंदर किसी प्रकार की जैविक कमी से होती है जिसे दवाओं से ठीक किया जा सकता है।
2. **सामाजिक उपागम-** अक्षमता के अध्ययन का सामाजिक उपागम अक्षमता को एक सामाजिक वैविध्य

- a. (Social Diversity) के रूप में देखता है और उसे स्वीकार करते हुए, उसके सामाजिक समाधान एवं सामाजिक भागीदारी से समाधान पर जोर देता है।
3. **विशेष शिक्षा** का तात्पर्य है विशेष आवश्यकता युक्त बालक को (सामान्य से अलग) विशेष वातावरण में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों द्वारा, विशेष संरचित पाठ्यक्रम, विशिष्ट तकनीकों एवं विधियों तथा विशेष रूप से निमित्त शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग करके पढ़ाना।
 4. **समेकित शिक्षा** का तात्पर्य है अक्षमताग्रस्त बालकों को कुछ समय के लिए सामान्य बालकों के साथ अंतः क्रिया का मौका देना जैसे लंच टाइम में, खेल के समय, विभिन्न सामाजिक अवसरों पर आदि परंतु उनका संपूर्ण शिक्षण का कार्य अलग-अलग होता है चाहे दोनों विद्यालय अलग-अलग हों या विशेष बालक की एक ही कैम्पस में अलग कक्षा हो।
 5. शिक्षा के क्षेत्र में समावेश (समावेशी शिक्षा) का तात्पर्य है विद्यालय के पुनर्निर्माण की वह प्रक्रिया जिसके लक्ष्य सभी बच्चों को शैक्षणिक और सामाजिक अवसरों की उपलब्धता है। इस प्रक्रिया में पाठ्यक्रम, परीक्षण, छात्र की उपलब्धियों का रिकार्ड, विभिन्न योग्यताओं के आधार पर छात्रों के समूहन, शिक्षण तकनीक, कक्षा के अंदर के कार्यकलाप आदि के साथ ही खेल और मनोरंजनात्मक क्रियाओं भी समाहित है।
 6. CAI: Computer Assisted Instruction
 7. PALS: Peer Assisted Learning Strategies , Collaborative Learning
 8. CBR: Community Based Rehabilitation
 9. TLM: Teaching Learning Material
 10. IDEA: Individual with Disabilities Education Act

11.9 संदर्भ ग्रंथ सूची/अन्य अध्ययन

1. हेवार्ड डब्ल्यू.जे., (2006), विशिष्ट काउंसिल ऑफ एक्सेप्सनल चिल्ड्रेन (CEC से प्रकाशित)।
2. ल्यूकेसान एवं अन्य, (1992), मेंटल रिटार्डेशन, क्लासिफिकेशन एंड सिस्टम ऑफ स्पॉर्ट्स (9वीं मैनुअल) AAMR से प्रकाशित ।
3. श्वेलॉक एवं अन्य, (2002), मेंटल रिटार्डेशन, क्लासिफिकेशन एंड सिस्टम ऑफ स्पॉर्ट्स (9वीं मैनुअल) AAMR से प्रकाशित ।
4. डिसेबिलिटी स्टेटस ऑफ इंडिया ;2007-द्वि भारतीय पुनर्वास परिषद् से प्रकाशित ।
5. यूनेस्को, (2001), अंडरस्टैंडिंग एंड रेस्पॉन्डिंग टू चाइल्ड नीड्स इन इनक्लूसिव क्लासरूम, यूनेस्को से प्रकाशित ।
6. मंगल एस.के., (2007), विशिष्ट बालक, प्रेंटिल हॉल ऑफ इंडिया से प्रकाशित ।
7. हालान डी.पी. एंड कॉफ मैन जे.एम., (2006), एक्सेप्सनल चिल्ड्रेन इंट्रोडक्शन टू स्पेशल एजुकेशन, पार्सन एजुकेशन से प्रकाशित ।

8. भारत सरकार, (1995), पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज ऐक्ट, भारत सरकार से प्रकाशित ।
9. यूनेस्को, (2004), इमब्रासिंग डायवर्सिटी टूलकिट फॉर क्रिएटिंग इनक्लूसिव लर्निंग फ्रेंडली इनवायरमेंट यूनेस्को की वेबसाइट से लिया गया।
10. एनिसवर्थ पी. एंड बेकर सी.बी. (2004), अंडरस्टैंडिंग मेंटल रिटार्डेशन, यूनिवर्सिटी प्रेस ऑफ मिसीसीपी से प्रकाशित ।
11. रेनाल्डस सी.आर. एंड जानजेन इ.एफ. (Ed), (2007), इनसालक्लोपीडिया ऑफ स्पेशल एजुकेशन, जॉन वाइली एंड संस से प्रकाशित ।

11.10 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न /निबंधात्मक प्रश्न

1. अक्षमता के अध्ययन के विभिन्न उपागम क्या हैं? अक्षमता के अध्ययन के चिकित्सकीय एवं सामाजिक उपागम का तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत करें?
2. विशेष शिक्षा, समेकित शिक्षा और समावेशी शिक्षा की परिभाषा दीजिए एवं इनके लाभ और हानियों की चर्चा करें?
3. समावेशी शिक्षा से आप क्या समझते हैं? इसकी विशेष ताएं और फायदे पर प्रकाश डालें?
4. एक अधिगम अक्षमता युक्त बालक के समावेशी शिक्षण में विशेष शिक्षक की विभिन्न भूमिकाओं की विस्तृत चर्चा करें?
5. एक अधिगम अक्षमता युक्त बालक के समावेशी शिक्षण में सामान्य शिक्षक की क्या भूमिका हो सकती है, विस्तार से लिखें?

इकाई 12 – प्रतिभाशाली बच्चे : संप्रत्यय, पहचान तथा विशेषताएं

-
- 12.1 प्रस्तावना
 - 12.2 उद्देश्य
 - 12.3 प्रतिभाशाली बच्चे
 - 12.3.1 प्रतिभाशाली बच्चे की परिभाषा
 - 12.3.2 प्रतिभाशाली बच्चे का वर्गीकरण
 - 12.3.3 रेजुल्ली का तीन-वृत्त संप्रत्यय
 - 12.3.4 गैने का विभेदीकरण प्रारूप
 - 12.4 प्रतिभाशाली बच्चे की पहचान
 - 12.4.1 प्रतिभाशाली बच्चों के पहचान के तरीके
 - 12.4.2 प्रतिभाशाली बच्चों के पहचान में ध्यान देले वाली बातें
 - 12.5 प्रतिभाशाली बच्चे की विशेषताएं
 - 12.6 सारांश
 - 12.7 शब्दावली
 - 12.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
 - 12.9 संदर्भ ग्रन्थ सूची
 - 12.10 सहायक उपयोगी पाठ्य सामग्री
 - 12.11 निबन्धात्मक प्रश्न
-

12.1 प्रस्तावना

इस बात से हम भलीभांति परिचित हैं कि प्रत्येक बच्चा भिन्न होता है। प्रत्येक बच्चे की मानसिक तथा शारीरिक योग्यताएं अलग-अलग होती हैं। हमारे बीच कुछ ऐसे भी बालक या बालिकाएं भी होती हैं जिनकी बौद्धिक क्षमताएं काफी अधिक होती हैं। इन बालक या बालिकाओं की योग्यता, क्षमता तथा उपलब्धि सामान्य बालकों या बालिकाओं से सार्थक रूप से अधिक होती है। सामान्यतः यह भी संभावना होती है कि इन बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि अधिक हो। इन विशेष बच्चों को प्रतिभाशाली बच्चों के रूप में जाना जाता है। इन अधिक क्षमतावान प्रतिभाशाली बालक या बालिकाओं की आवश्यकताओं को समझाना काफी आवश्यक होता है ताकि ये अपनी क्षमताओं का प्रयोग सही कार्यों में कर सकें जो समाज के लिए हितकारी हो।

पिछले कुछ दशकों से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की विशिष्टता एवं इनकी समस्याओं को बहुत गंभीरता से देखा जाने लगा है। विकलांग बच्चों की आवश्यकता अनुरूप समावेशी शिक्षा ने कार्ययोजना से कहीं अधिक एक दर्शन के रूप में अपने को स्थापित किया है। इस दर्शन ने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की सूची को और भी व्यापक रूप दिया है। चूंकि प्रतिभाशाली बच्चों की आवश्यकता भी बिल्कुल अलग होती है, अतः अब इसे भी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के समूह में रखा जाता है। मनोवैज्ञानिकों एवं शिक्षा-शास्त्रियों का ध्यान भी प्रतिभाशाली बच्चों की ओर भी आकर्षित हुआ है। यह माने जाना लगा है कि इन प्रतिभाशाली बच्चों की क्षमता का उपयोग कर समाज अधिक लाभान्वित हो सकता है। अतः इनके लिए अलग से शैक्षिक कार्यक्रम बनाए जाने चाहिए जिससे इनके क्षमताओं को और निखारा जा सके और इनके सर्वांगीण विकास को प्रोत्साहित किया जा सके। अर्थात्, इनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही इनके लिए अलग से शैक्षिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की जानी चाहिए। इसी क्रम में प्रस्तुत इकाई के अंतर्गत आप प्रतिभाशाली बच्चों को समझाने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ आप इन बच्चों की पहचान तथा विशेषताओं के बारे में भी अपनी समझ बनायेंगे।

12.2 उद्देश्य


प्रस्तुत इकाई प्रतिभाशाली बच्चों के संप्रत्यय पर आधारित है। इस इकाई के अध्ययन के उपरांत आप:

- जान सकेंगे कि प्रतिभाशाली बच्चे कौन हैं।
- समझ सकेंगे कि प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान किस प्रकार संभव है।
- बता सकेंगे कि प्रतिभाशाली बच्चों की कौन-कौन सी विशेषताएँ होती हैं।

12.3 प्रतिभाशाली बालक

आप अक्सर रोजमर्रा की जिंदगी में बुद्धि शब्द का प्रयोग करते हैं। हम सामान्यतः इस शब्द का प्रयोग तब करते हैं जब कोई हमारी उम्मीद से अच्छा कम करता है। विद्यालयों में भी इस शब्द (जो कि एक मनोवैज्ञानिक प्रत्यय भी है) का खूब प्रचलन है। कक्षा में जो बहुत अच्छा करता है या परीक्षा में जो सबसे ज्यादा अंक प्राप्त करता है, उसे अधिक बुद्धि वाला बालक या बालिका समझा जाता है। लेकिन बुद्धि का संबंध अंक अर्जित करने और डिग्रीयां हासिल करने से कहीं अधिक है। बुद्धि लोगों के बहुमुखी क्षमताओं को दर्शाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 'बुद्धि' कार्यात्मक है, यह कुछ करने के लिए और कुछ हासिल करने के लिए इस्तेमाल होता है। यह कई रूपों में प्रदर्शित होता है। कुछ लोग मशीनों की मरम्मत में अच्छा कर रहे हैं, कुछ अभिनय में अच्छा कर रहे हैं, और कुछ खेल में महान हैं, तो कोई पढ़ाई में अच्छा कर रहे हैं। यानि कुछ लोग औसत से बहुत अच्छा कर रहे हैं।

बुद्धि-लब्धि द्वारा हम किसी व्यक्ति की बुद्धि को जानते हैं, जो किसी बुद्धि परीक्षण के उपरांत प्राप्त होता है। शब्द बुद्धि-लब्धि का पहली बार प्रयोग 1912 में एक जर्मन मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्न द्वारा किया गया था। मूल रूप से, यह एक अनुपात है जो मानसिक उम्र तथा कालानुक्रमिक उम्र के भागफल से प्राप्त किया जाता है। बुद्धि-लब्धि स्कोर वास्तविक जनसंख्या के स्कोर के मानदंडों के अनुसार ही समझी जाती है। यदि बच्चों की जनसंख्या के बुद्धि-लब्धि स्कोर को सामान्य संभावना वक्र (NPC Normal Probability Curve) पर देखा जाए तो हम पाएंगे कि अधिकतम बच्चे सामान्य बुद्धि वाले होते हैं जबकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी बुद्धि सामान्य से कम या अधिक होती है। प्रतिभाशाली बच्चों का संबंध इस वक्र में दाहिने ओर स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों से है यानि वे बच्चे जिनकी बुद्धि सामान्य से अधिक है।



चित्र संख्या-1

हम कह सकते हैं कि ऐसे बालक जिनकी बुद्धि सामान्य बालकों से अधिक होती है और इस कारण वे अपने साथियों का विशिष्ट ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे कहे जाते हैं।

12.3. 1 प्रतिभाशाली बच्चों की परिभाषा

कई संस्थाओं, शिक्षाविदों तथा मनोवैज्ञानिकों ने प्रतिभाशाली बच्चों को परिभाषित किया है। कुछ प्रमुख परिभाषाएँ निम्न हैं:

अमेरिका में स्थित 'प्रतिभाशाली बच्चों के लिए राष्ट्रीय संघ' (NAGC) के अनुसार-

“प्रतिभाशाली व्यक्ति एक या एक से अधिक डोमेन में विशिष्ट स्तर पर परीक्ष्यता या सक्षमता को प्रदर्शित करते हैं। डोमेन में प्रतीक प्रणाली आधारित गतिविधि के किसी भी संरचित क्षेत्र (उदाहरण के लिए, गणित, संगीत, भाषा) और/या ज्ञानेन्द्रिय-गामक कौशल (जैसे, चित्रकला, नृत्य, खेल) शामिल हैं”

“Gifted individuals are those who demonstrate outstanding levels of aptitude or competence in one or more domains. Domains include any structured area of activity with its own symbol system (e.g., mathematics, music, language) and/or set of sensorimotor skills (e.g., painting, dance, sports)”

रेंजुल्ली (1978) के अनुसार-

“प्रतिभाशाली होना तीन निम्नांकित आधारभूत विशेषताओं के समूह के मध्य परस्पर अनुक्रिया से सम्बंधित है:

- औसत से अधिक सामान्य क्षमता
- उच्च स्तरीय कार्य प्रतिबद्धता
- उच्च स्तरीय रचनात्मकता”

“Giftedness consists of an interaction among three basic clusters of human traits:

- above average general abilities
- high levels of task commitment
- high levels of creativity”

यूएस ऑफिस फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड इम्प्रूवमेंट (OERI) (1993) प्रतिभाशाली का संबंध असामान्य प्रतिभा (outstanding talent) से है तथा यह सभी आर्थिक वर्गों, और मानव प्रयास के सभी क्षेत्रों में तथा सभी सांस्कृतिक समूहों के बच्चों और युवाओं में पाया जा सकता है।

Giftedness is about outstanding talents which “may present in children and youth from all cultural groups, across all economic strata, and in all areas of human endeavor.”

12.3.2 प्रतिभाशाली बच्चों का वर्गीकरण

हमने यह देखा है कि सामान्यतः प्रतिभाशाली बच्चों का विश्लेषण बुद्धि-लब्धि के आधार पर ही होता है। वो सभी बच्चे जो सामान्य से अधिक बुद्धि-लब्धि वाले होते हैं उन्हें प्रतिभाशाली बच्चों के श्रेणी में रखते हैं। पुनः यह सवाल हमारे मन में आता है कि क्या सभी प्रतिभाशाली बच्चे एक जैसे होते हैं या उन्हें भी भी अलग-

अलग श्रेणियों में बांटा जा सकता है। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए भी कई वर्गीकरण प्रस्तुत किए गए जिनमे से शीली एवं सिल्वेरमैन (2000) द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण प्रचलित है। इन्होंने प्रतिभाशाली बच्चों को पांच प्रवर्ग में बाँट कर एक वर्गीकरण प्रस्तुत किया जो निम्न है:

प्रवर्ग	बुद्धि-लब्धि स्तर
न्यून प्रतिभाशाली (Mildly gifted)	115-129
माध्यम प्रतिभाशाली (Moderately gifted)	130-144
उच्च प्रतिभाशाली (Highly gifted)	145-159
असाधारण प्रतिभाशाली (Exceptionally gifted)	160-174
प्रगाढ़ प्रतिभाशाली (Profoundly gifted)	175 से अधिक


प्रतिभाशाली बच्चों में अंतरनिहित प्रतिभा को समझने का प्रयास कई विद्वानों ने किया है। कई इसे अंतर्निहित शक्तियों से जोड़ते हैं, कुछ इसे आनुवांशिक विरासत से जोड़ कर देखते हैं जबकि कुछ लोग इसे अर्जित क्षमता के रूप में देखते हैं। इस क्रम में कई सिद्धांत भी प्रतिपादित किए गए हैं। आइए अब हम प्रतिभाशाली बच्चों हेतु रेंजुल्ली तथा गैने के द्वारा दिए गए दो अलग-अलग महत्वपूर्ण सिद्धांतों को बारी-बारी से समझाने का प्रयास करते हैं।

12.3.3 रेंजुल्ली का तीन-वृत्त संप्रत्यय

रेंजुल्ली के तीन-वृत्त सिद्धांत में तीन वृत्त मानव लक्षण के तीन समूहों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे हैं- 1) औसत से ऊपर की क्षमता, 2) रचनात्मकता और 3) कार्य प्रतिबद्धता। उनके अनुसार, ये तीनों गुण एक दुसरे से जुड़ कर या एक दूसरे के साथ अन्तःक्रिया कर रचनात्मक उपलब्धि (प्रतिभाशाली व्यवहार) के रूप में प्रकट होते हैं। जो छात्र इन गुणों संबंधी तत्वों का पर्याप्त स्तरों पर प्रदर्शन करते हैं, या प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं, के समक्ष नियमित रूप से कक्षा में उपलब्ध होने वाले अवसरों और चुनौतियों से कहीं अधिक अवसरों और चुनौतियों की पेशकश की आवश्यकता होती है।

रेंजुल्ली के ये तीन वृत्त किसी शून्य में मौजूद नहीं होते हैं। बल्कि, व्यक्तित्व और पर्यावरणीय कारक इन तीन वृत्तों को विकसित करने हेतु परिवेश तथा संदर्भ का निर्माण करती हैं। व्यक्तित्व कारकों के बीच रेंजुल्ली 'सह-संज्ञानात्मक')co-cognitive(कारकों को प्रमुख मानते हैं जो सामाजिक और बौद्धिक पूंजी के विकास में मदद करती हैं: आशावाद, साहस, एक विषय या अनुशासन के साथ प्रेम, मानव चिंताओं के प्रति संवेदना, मानसिक/शारीरिक ऊर्जा, और भवितव्यता)destiny (की दृष्टि/भावना सह-संज्ञानात्मक कारकों में शामिल

हैं। ये सभी व्यक्तित्व लक्षण बच्चे के संज्ञानात्मक लक्षण के साथ परस्पर संयोजन कर क्षमता विकसित करती है।




चित्र संख्या -2 (रेंजुल्ली का तीन वृत्त संप्रत्यय)

रेंजुल्ली प्रतिभाशाली के शिक्षा के दो उद्देश्य भी बताते हैं- पहला, उनके भीतर क्षमता विकसित करने के अवसरों को अधिकतम करने तथा दूसरा यह की समाज को अग्रिम बनाने में तथा समस्या समाधान के लिए नए योगदान व उत्पादन के माध्यम को समृद्ध करना।


12.3.4 गैने का विभेदीकरण प्रारूप

गैने (Gagné) ने अपने विभेदीकरण मॉडल (Differentiated Model) में मेधावी (giftedness) तथा प्रतिभा (talent) को दो अलग अलग संप्रत्यय मानते हैं। उनके अनुसार, मेधावी एक उत्कृष्ट प्राकृतिक क्षमता है जबकि प्रतिभा अच्छी तरह से विकसित या अर्जित असाधारण क्षमता (या कौशल) है। हम कह सकते हैं कि प्रतिभा का होना मेधावी को दर्शाता है किन्तु मेधावी होना मात्र ही प्रतिभा को परिलक्षित करे यह आवश्यक नहीं होता है। गैने मानते हैं कि एक व्यक्ति में मेधा के साथ शुरूआत होती है और विभिन्न उत्प्रेरकों के माध्यम से प्रतिभा को विकसित करने का मौका मिलता है। इन उत्प्रेरकों में अंतर-वैयक्तिक संबंध आधारित कारक (जैसे परिपक्वता, प्रेरणा, हितों, मौका) और पर्यावरणीय कारक (जैसे परिवार व स्कूल) शामिल हैं। गैने के सिद्धांत को हम निम्न आतेख चित्र द्वारा भी समझ सकते हैं:



चित्र संख्या-3

गैने मानते हैं कि, एक बच्चा मेधावी (gifted) पैदा हो सकता है, लेकिन यदि इस मेधा को सही रूप से निखारा नहीं गया तो वे पूरी तरह से प्रतिभा में विकसित नहीं हो पते हैं। एक छात्र संगीत में मेधावान हो सकता है, लेकिन प्रशिक्षण के बिना न तो इस मेधा का एहसास होगा और न ही इस मेधा के गहनता पर ध्यान दिया जायेगा। इसके अलावा, गैने यह भी कहते हैं कि अगर एक बच्चा 10 साल की उम्र में प्रतिभाशाली है तो आवश्यक नहीं है कि 20 साल की उम्र में भी उसका प्रदर्शन बेहतर ही हो। इस परिपेक्ष में उनका मनना है कि प्रतिभा बच्चे के साथियों या उससे उम्मीदों पर प्रदर्शन के आधार पर निर्धारित की जाती है। गैने के मॉडल को और स्पष्टता के साथ समझाने के लिए हम निम्न चित्र का भी अवलोकन कर सकते हैं:



Gagné's Differentiated Model of Giftedness and Talent (DMGT.EN.2K)

चित्र संख्या- 4

[श्रोत(Source): न्यू साउथ वेल्स डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड कम्युनिटीज, ऑस्ट्रेलिया]

अभ्यास प्रश्न

- निम्न में से कौन सा विकल्प रेंजुल्ली के तीन वृत्त संप्रत्यय का हिस्सा नहीं है:
 - औसत से ऊपर की क्षमता
 - रचनात्मकता
 - सामाजिक अवधारणा
 - कार्य प्रतिबद्धता
- प्रतिभाशाली बच्चों हेतु प्रस्तुत गैने (Gagne) के मॉडल को कहते हैं:
 - विघटन मॉडल
 - विकृत मॉडल

- c. विस्तृत मॉडल
d. विभेदीकरण मॉडल
3. शीली एवं सिल्वेरमैन ने प्रतिभाशाली बच्चों के वर्गीकरण में कुल कितने श्रेणी निर्धारित किए थे:
- a. पांच
b. चार
c. सात
d. तीन

12.4 प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान

यह हमने जाना है कि प्रतिभाशाली बच्चों के समुचित विक्स से समाज के विकास को बल मिल सकता है। इन बच्चों का समाज में उनकी क्षमता के अनुरूप योगदान प्राप्त किया जा सके इसके लिए सर्वप्रथम यह आवश्यक है कि ऐसे बच्चों की पहचान की जाय तथा उनके लिए विशेष शिक्षा तथा संवधन की व्यवस्था की जाय।

12.4.1 पहचान के संकेतक

कुछ बच्चे कम उम्र में ही उच्च क्षमता के लक्षण प्रदर्शित करते हैं। किसी एक व्यक्ति के स्तर की क्षमता स्थायी नहीं होती है, समय के साथ इनका विकास भी संभव है। किसी विशेष स्तर/स्टेज पर एक बच्चे द्वारा प्रदर्शित उच्च क्षमता दूसरे बच्चे द्वारा अलग स्तर/स्टेज पर प्रदर्शित हो सकती है। शिक्षक तथा माता-पिता द्वारा किया गया अवलोकन और अनौपचारिक आकलन विशेष रूप से बहुत छोटे बच्चों के मामले में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उच्च क्षमता सम्बन्धी विशेषता किसी भी उम्र में प्रदर्शित हो सकती है। कुछ सुविधाएँ और अभिवृत्ति विकास के चरण में पहचान के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। निम्नांकित सूची विद्यालय में प्रदर्शित किये जाने वाले संकेत (छात्रों की जरूरतों के कुछ उदाहरण) को बताती हैं, जिससे प्रतिभावान बच्चे की पहचान में सहायता मिल सकती है। यह समझाना जरूरी है कि ये संकेत मात्र है, निश्चित साधन नहीं हैं।

प्रारंभिक वर्षों में	प्राथमिक स्तर	माध्यमिक स्तर
जल्दबाजी या मेधा	प्रक्रिया को पूरा करने में कम चरणों की आवश्यकता	प्रश्न नियम / अधिकार
अनियमित विकास	तेज गति से कार्य करने में आनंद	गैर-अनुरूपता
ज्यादा कठिन या आसन कार्य को पार पाना	अल्प अनुदेशन की आवश्यकता	उच्च क्षमता/निम्न अभिप्रेरण
खुद के विस्तारित कार्य को स्वयं करने की इच्छा	स्वतंत्र अध्ययन के प्रति रुझान	न्याय की गहरी समझ की इच्छा
रचनात्मकता का प्रदर्शन	अमूर्त क्रियाओं का निष्पादन	विस्तारित चिंतन

आसानी से बोर	अप्रतिबंधित स्थिति को पसंद करना	वाक्-पटुता में माहिर
अच्छा मौखिक तर्क शक्ति	विफलता सिखाने की जरूरत	बढ़ता आत्मविश्वास
जल्दी से सिखने के बजाय संवर्धन पर बल	अनेक रचनात्मक मौकों का प्रतिवादी	रूचि के लिए आजीवन उत्साह का विकास
उम्र से अधिक सोच का प्रदर्शन	कार्य को करने के लिए प्रोत्साहन की आवश्यकता	बौद्धिक उत्सुकता स्टैंड्स आउट
भावनात्मक समझ का शैक्षणिक कार्य से पीछे होना	सहायक वातावरण में आत्मसम्मान को विकसित करने की जरूरत	एकाग्रता व सहनशीलता की असाधारण शक्ति
समझ और प्रावधान की पहचान	बौद्धिक स्तर कैसा भी हो वास्तविक उम्र का याद रहना	समान क्षमता के छात्रों के साथ काम करने की जरूरत (स्कूल या बहार)

12.4.2 प्रतिभाशाली बच्चों के पहचान के तरीके

प्रतिभाशाली बच्चों को पहचानने के लिए विधिवत अवलोकन तथा मानकीकृत परीक्षणों का प्रयोग किया जा सकता है। कुछ प्रमुख तरीके निम्नांकित हैं, जिससे हम प्रतिभाशाली बच्चों के योग्यताओं की पहचान कर सकते हैं:

- शिक्षक/कर्मचारियों द्वारा नाम-निर्देशन/ शिक्षक निर्णय
- सहकर्मी नामांकन/सहपाठी निर्णय
- उपलब्धि परीक्षण/पाठ्यक्रम की क्षमता
- जाँच सूची
- बच्चों के काम का आकलन
- पैतृक जानकारी
- बच्चों का युवा/लोगों के साथ चर्चाएँ
- विधिवत अवलोकन
- बुद्धि परीक्षण
- विशिष्ट योग्यता परीक्षण
- व्यक्तित्व परीक्षण
- रूचि परीक्षण

12.4.3 प्रतिभाशाली बच्चों के पहचान में ध्यान देले वाली बातें:

- बच्चों में प्रतिभा की पहचान करने के क्रम में शिक्षकों या पेशेवरों को किसी एक कारक के बजाय प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों पर विचार करना चाहिए।
- व्यक्तिगत आकलन और पर्यवेक्षण सामान्यतः उस समय विशेष में बच्चे की स्थिति को बताती हैं जबकि प्रतिभाशाली बच्चे की पहचान करने के लिए लम्बे समय में तथ्यों को संग्रह करने की आवश्यकता होती है।
- यह आवश्यक नहीं है कि प्रतिभाशाली बच्चे अपनी पूरी क्षमता का प्रदर्शन जब हम चाहें तब कर ही दें।
- प्रतिभाशाली बच्चों में भी विकलांगता हो सकती है। इसलिए प्रतिभा को शारीरिक या मानसिक क्षमता से अलग कर के देखा जाना चाहिए।
- शिक्षकों तथा पेशेवर कर्मियों में निहित सांस्कृतिक और अन्य पूर्वाग्रह बच्चों में प्रतिभा की पहचान करने की क्रिया में बाधक हो सकते हैं। कुछ संस्कृतियों में बच्चों को उनकी क्षमता को प्रदर्शित करने से हतोत्साहित किया जा सकता है।
- प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान मुश्किल हो जाती है जहाँ उनके द्वारा प्रदर्शित लक्षण सूक्ष्म या गौण होते हैं। ऐसा बिलकुल भी नहीं है कि सभी युवा प्रतिभाशाली बच्चे पठन क्रिया या गणित में अच्छे हों।
- युवा प्रतिभाशाली बच्चों को उनके प्रतिभाशाली क्षमता प्रदर्शित करने का अवसर या समर्थन की कमी भी पहचान में बाधक हो सकती है।

अभ्यास प्रश्न

4. प्रतिभाशाली बच्चे सामान्यतः आलसी होते हैं. (सही/गलत)
5. प्रतिभाशाली बच्चों के पहचान करते समय किसी एक कारक से भी उसकी पहचान पक्की हो जाती है. (सही/गलत)
6. यह आवश्यक नहीं कि हर प्रतिभाशाली बच्चा गणित में निपुण हो. (सही/गलत)
7. बुद्धि परीक्षण भी प्रतिभाशाली बच्चों के पहचान का एक साधन है. (सही/गलत)

12.5 प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषताएं

प्रतिभाशाली बालकों की विभिन्न योग्यताओं का विकास करने हेतु एक सफल एवं उपयोगी शैक्षिक कार्यक्रम की आवश्यकता होती है। इस क्रम में यह अति आवश्यक है कि प्रतिभाशाली बच्चों विशेषताओं को जाना जाय। प्रतिभाशाली बालकों की कुछ प्रमुख विशेषताएँ निम्न हैं:

- इनमें मानसिक क्रियाओं (जैसे अवधान, निरीक्षण, प्रत्यक्षीकरण, प्रत्ययीकरण, कल्पना, तर्क, चिन्तन, निर्णय व स्मरण करने) की योग्यता अधिक तीव्र होती है।
- ये बहुत चौकस तथा अत्यंत जिज्ञासु होते हैं।
- इनमें लम्बी ध्यान अवधि की क्षमता होती है।
- ये बढ़िया तर्क कौशल में निपुण होते हैं।
- अमूर्त अवधारणा और संश्लेषण की शक्तियां अच्छी तरह से विकसित होती हैं।
- ये जल्दी और आसानी से विचारों, वस्तुओं या तथ्यों में संबंधों को देखते हैं।
- व्यापक और मूल सोच के साथ-साथ धाराप्रवाह व लचीला सोच का विद्यमान होना।
- समस्या को सुलझाने का कौशल काफी विकसित होता है।
- जल्दी और कम अभ्यास या दोहराव के साथ सीखते हैं।
- असामान्य और/या उज्ज्वल कल्पना का होना।
- ये कठिन विषयों में अधिक रूचि लेते हैं।
- इनकी ज्ञानेन्द्रियों का विकास तीव्र गति से होता है।
- इनका शब्द भण्डार अधिक व्यापक होता है।
- इनकी विद्यालयी उपलब्धि अधिक हो सकती है।

उपरोक्त वर्णित विशेषताएं प्रतिभाशाली बालकों की सामूहिक विशेषताएं हैं। यह बिलकुल आवश्यक नहीं कि प्रत्येक प्रतिभाशाली बालक में ये सभी विशेषताएं पायीं ही जाएं। परन्तु यह कहा जा सकता है कि किसी प्रतिभाशाली बालक में इनमें से अधिकतर विशेषताएं विद्यमान होती हैं।

अभ्यास प्रश्न

8. प्रतिभाशाली बच्चे मानसिक क्रियाओं की योग्यता _____ होती है।
9. प्रतिभाशाली बच्चे _____ से विचारों, वस्तुओं, या तथ्यों में संबंधों को देखते हैं।
10. समस्या को सुलझाने का कौशल प्रतिभाशाली बच्चों में _____ होता है।

12.6 सारांश

यदि बच्चों की जनसँख्या के बुद्धि-लब्धि स्कोर को सामान्य संभावना वक्र पर देखा जाए तो हम पाएंगे कि अधिकतम बच्चे सामान्य बुद्धि वाले होते हैं जबकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी बुद्धि सामान्य से अधिक होती है। प्रतिभाशाली बच्चों का संबंध इन्हीं बच्चों से है जिनकी बुद्धि सामान्य से अधिक है। कई संस्थाओं, शिक्षाविदों तथा मनोवैज्ञानिकों ने प्रतिभाशाली बच्चे को अलग अलग रूप से परिभाषित किया है। अमेरिका के 'प्रतिभाशाली बच्चों के लिए राष्ट्रीय संघ' के अनुसार, प्रतिभाशाली व्यक्ति एक या एक से अधिक डोमेन में विशिष्ट स्तर पर परिक्षमता या सक्षमता को प्रदर्शित करते हैं। प्रतिभाशाली बच्चों को भी पुनः वर्गीकृत किया गया है। शीली एवं सिल्वेरमैन (2000) ने प्रतिभाशाली बच्चों को पांच प्रवर्ग में बाँट कर एक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। ये पांच प्रवर्ग हैं: न्यून प्रतिभाशाली (Mildly gifted), माध्यम प्रतिभाशाली (Moderately gifted), उच्च प्रतिभाशाली (Highly gifted), असाधारण प्रतिभाशाली (Exceptionally gifted) तथा प्रगाढ़ प्रतिभाशाली (Profoundly gifted)। प्रतिभाशाली बच्चों में अंतरनिहित प्रतिभा को समझने का प्रयास कई विद्वानों ने किया है। रेंजुल्ली ने अपने तीन-वृत्त सिद्धांत में औसत से ऊपर की क्षमता, रचनात्मकता और कार्य प्रतिबद्धता के मध्य अन्तःक्रिया को प्रतिभाशाली व्यवहार के उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार बताया। दूसरी ओर गैने ने अपने विभेदीकरण मॉडल में मेधावी तथा प्रतिभा को दो अलग अलग संप्रत्यय के रूप देखा है। उनके अनुसार, मेधावी एक उत्कृष्ट प्राकृतिक क्षमता है जबकि प्रतिभा अच्छी तरह से विकसित या अर्जित असाधारण क्षमता है। ऐसे बच्चों की पहचान के लिए विधिवत अवलोकन तथा मानकीकृत परीक्षणों का प्रयोग किया जा सकता है। प्रतिभाशाली बालकों की कुछ प्रमुख विशेषताएँ होती हैं, जिनमें मानसिक क्रियाओं की योग्यता का अधिक तीव्र होना, बहुत चौकस, अत्यंत जिज्ञासु, लम्बी ध्यान अवधि की क्षमता, बढ़िया तर्क कौशल, अमूर्त अवधारणा सहित कई योग्यताएँ शामिल हैं।

12.7 शब्दावली

- **प्रतिभाशाली बच्चा-** प्रतिभाशाली बच्चे एक या एक से अधिक क्षेत्र (उदाहरण के लिए, गणित, संगीत, भाषा, चित्रकला, नृत्य या खेल) में विशिष्ट स्तर पर परिक्षमता या सक्षमता को प्रदर्शित करते हैं।
- **तीन-वृत्त सिद्धांत-** रेंजुल्ली द्वारा प्रतिपादित तीन-वृत्त सिद्धांत में तीन वृत्त मानव लक्षण के तीन समूहों (औसत से ऊपर की क्षमता, रचनात्मकता और कार्य प्रतिबद्धता) का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार, ये तीनों गुण एक दुसरे से जुड़ कर या एक दूसरे के साथ अन्तःक्रिया कर प्रतिभाशाली व्यवहार के रूप में प्रकट होते हैं।
- **विभेदीकरण मॉडल-** गैने द्वारा प्रतिपादित विभेदीकरण (डिफरेंसिएटेड) मॉडल में मेधावी (giftedness) तथा प्रतिभा (*talent*) को दो अलग अलग संप्रत्यय में देखा गया है। जिसमें मेधावी

एक उत्कृष्ट प्राकृतिक क्षमता है जबकि प्रतिभा अच्छी तरह से विकसित या अर्जित असाधारण क्षमता है।

12.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. (c)
2. (d)
3. (a)
4. गलत
5. गलत
6. सही
7. सही
8. तीव्र
9. b) आसानी
10. c) विकसित

12.9 संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. Gagné, F. (2000). A Differentiated Model of Giftedness and Talent (DMGT), PersonalNotes.Retrieved from www.curriculumsupport.education.nsw.gov.au/.../poldmgt2000rtcl.pdf
2. Renzulli, J.S. (1998) Three-Ring Conception of Giftedness. In Baum, S. M., Reis, S. M., & Maxfield, L. R. (Eds.). (1998). *Nurturing the gifts and talents of primary grade students*. Mansfield Center, CT: Creative Learning Press.
3. Renzulli, J. S. (2005). The three-ring conception of giftedness: A developmental model for promoting creative productivity. In R. J. Sternberg & J. E. Davidson (Eds.), *Conceptions of Giftedness* (pp. 246-279). New York: Cambridge University Press.
4. Sheely, A. R. and Silverman, L. K. (2000). Defining the few. *Communicator*, California association for the Gifted. 31(4), 1-37.
5. **Websites:**

<http://www.gifted.uconn.edu/>
www.nagc.org
www.cec.sped.org
www.cectag.org
www.nsgt.org
www.hoagiesgifted.org
www.curriculumsupport.education.nsw.gov.au

12.10 सहायक उपयोगी पाठ्य सामग्री

1. Joshi, S. (2013). Pratibhashali (The Talented). Sliver Leaf Publishing, Holliston
2. Mangal, S. K. (2007). Educating Exceptional Children: An Introduction to Special Education. Prentice Hall of India Pvt Ltd. New Delhi.
3. Stevens, M. (2009). Challenging the Gifted Child: An Open Approach to Working with Advanced Young Readers. Jessica Kingsley Publishers, London

12.11 निबन्धात्मक प्रश्न

1. प्रतिभाशाली बच्चों से आप क्या समझते हैं। किस प्रकार इन बच्चों की आवश्यकताएं भिन्न होती हैं, समझाएं?
2. प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान के लिए किन किन बातों का ध्यान में रखना आवश्यक है, वर्णन करो।?
3. उन विशेषताओं को सूचीबद्ध करें जो प्रतिभाशाली बच्चों को अलग करती हैं?
4. प्रतिभाशाली के समझ को स्थापित करने के लिए रेंजुल्ली के तीन वृत्त मॉडल की विवेचना करें?s

इकाई 13; प्रतिभाशाली बच्चों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम, समावेशी शैक्षिक कार्यक्रम, अल्प सम्प्राप्ति वाले प्रतिभाशाली बच्चे

- 13.1 प्रस्तावना
- 13.2 उद्देश्य
- 13.3 प्रतिभाशाली बालकों के लिए शैक्षिक कार्यक्रमों का लक्ष्य
- 13.4 प्रतिभाशाली बच्चों के शैक्षिक कार्यक्रम के प्रकार
- 13.5 प्रतिभाशाली बालकों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम
- 13.6 प्रतिभाशाली बालकों के लिए समावेशी शैक्षिक कार्यक्रम
- 13.7 निम्न उपलब्धि वाले प्रतिभाशाली बालक
- 13.8 सारांश
- 13.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 13.10 निबंधात्मक प्रश्न

13.1 प्रस्तावना

पिछली इकाई में आप जान गये होंगे कि प्रतिभाशाली बालकों की क्या विशेषताएं हैं और उनकी पहचान कैसे की जाती है। अब हम प्रस्तुत इकाई में इस सम्बन्ध में अध्ययन करेंगे कि प्रतिभाशाली बालकों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम किस तरह बनाये जाने चाहिए।

प्रतिभाशाली बालकों की विभिन्न योग्यताओं का विकास करने हेतु एक सफल एवं उपयोगी शैक्षिक कार्यक्रम की आवश्यकता होती है। प्रतिभाशाली बालकों में सीखने की गति तीव्र होती है जिस कारण ये बालक सामान्य कक्षाओं में समायोजित हो पाने में समस्या का अनुभव करते हैं। सामान्य कक्षाओं में इनकी स्थिति कुछ इस तरह हो जाती है जैसे पानी के बाहर मछली। अतः ऐसे बालकों हेतु तीव्रगति से सीखने सम्बन्धी कार्यों की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके साथ ही इनके लिए नियमित पाठ्यक्रम के अतिरिक्त अन्य विस्तृत शैक्षिक कार्यक्रम का क्रियान्वयन होना चाहिए। जिससे इनके ज्ञान एवं अनुभवों का अधिक विकास हो सके। साथ ही इनके अन्दर शोध एवं समस्याओं को हल करने की क्षमताओं का उचित विकास हो सके व इनकी सृजनात्मक क्षमताओं से समाज को लाभान्वित किया जा सके। इसके लिए ऐसे बालकों के लिए विशिष्ट शैक्षिक कार्यक्रम की आवश्यकता होती है।

13.2 उद्देश्य

1. इस इकाई के अध्ययन के बाद आप जान जायेंगे कि प्रतिभाशाली बालकों के शैक्षिक कार्यक्रम का क्या लक्ष्य होना चाहिए।
2. इस इकाई के अध्ययन के बाद आप जान जायेंगे कि प्रतिभाशाली बालकों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
3. इस इकाई के अध्ययन के बाद आप जान जायेंगे कि प्रतिभाशाली बालकों के लिए समावेशी शैक्षिक कार्यक्रम की क्या उपयोगिता होती है।
4. इस इकाई के अध्ययन के बाद आप जान जायेंगे कि प्रतिभाशाली बालकों के लिए समावेशी शैक्षिक कार्यक्रम बनाते समय किन बातों पर ध्यान देना चाहिए।
5. इस इकाई के अध्ययन के बाद आप जान जायेंगे कि कुछ प्रतिभाशाली बालक किन कारणों से निम्न शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त करते हैं।
6. इस इकाई के अध्ययन के बाद आप जान जायेंगे कि निम्न शैक्षिक उपलब्धि वाले बालकों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम बनाते समय किन बातों पर ध्यान देना चाहिए।

13.3 प्रतिभाशाली बालकों के लिए शैक्षिक कार्यक्रमों का लक्ष्य (Goal of Educational Programme for Gifted Children)

प्रतिभाशाली बालकों के लिए शैक्षिक कार्यक्रमों का लक्ष्य निम्नवत होना चाहिए -

1. विस्तृत शैक्षिक कार्यक्रम- प्रतिभाशाली बालकों के लिए नियमित पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त अन्य विस्तृत शैक्षिक कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जाना चाहिए जिससे उनके ज्ञान एवं अनुभवों का समुचित विकास किया जा सके।
2. गहन अध्ययन की सुविधा- प्रतिभाशाली बालकों की रुचि के विषय में उन्हें सूक्ष्म एवं गम्भीर अध्ययन हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शैक्षिक कार्यक्रम बनाये जाने चाहिए।
3. तीव्रगति से सीखने सम्बन्धी कार्यों की व्यवस्था -प्रतिभाशाली बालक सामान्य बालकों की अपेक्षा तीव्रता से सीख लेते हैं। अतः इनके लिए ऐसे शैक्षिक कार्यक्रमों की व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे इनमें तीव्रता से सीखने की क्षमता बनी रहे।
4. समस्या समाधान की योग्यता सम्बन्धी कार्यक्रम - ऐसे बच्चे समाज की बहुमूल्य धरोहर होते हैं। इनका उपयोग समाज में उचित ढंग से किया जा सके व समाज इनकी प्रतिभा से लाभान्वित हो सके इसके लिए आवश्यक है कि इनका प्रशिक्षण उचित तरीके से किया जाये, जिससे इनकी मौलिकता का समास्याओं के समाधान हेतु प्रयोग किया जा सके। अतः इस प्रकार के बच्चों के लिए ज्ञान वर्धन व शोध क्षमता को विकसित करने वाले शैक्षिक कार्यक्रम बनाये जाने चाहिए।

13.4 प्रतिभाशाली बच्चों के शैक्षिक कार्यक्रम के प्रकार (Types of Educational Programme for Gifted Children)

प्रतिभाशाली बच्चों के शैक्षिक कार्यक्रम की योजना मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है:-

1. समानान्तर योजना (Horizontal Programme)
2. शिखर सम्बन्धी योजना (Vertical Programme)

समानान्तर योजना (Horizontal Programme) - प्रतिभाशाली बालकों के लिए समानान्तर शैक्षिक योजना बनाते समय निम्नलिखित बातों को शामिल करना चाहिए।

- i. **अन्वेषण (Exploration)**- प्रतिभाशाली बच्चों में सीखने के प्रति उत्साह बना रहे इसके लिए आवश्यक है कि उन्हें प्राथमिक स्तर पर ही अपनी रुचि एवं क्षमता के अनुरूप विषय चयन की स्वतंत्रता हो। अपनी रुचि व क्षमता के अनुसार अन्वेषण की सुविधा देने से इन बालकों को पृथक स्तर का ज्ञान प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होता है।
- ii. **संवर्धन (Enrichment)** - प्रतिभाशाली बच्चों के ज्ञान एवं अनुभव को विस्तृत करने के लिए नियमित पाठ्यक्रम से इतर अन्य प्रकरणों के भी सीखने की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे उनकी सीखने सम्बन्धी शक्तियों का उचित उपयोग हो सके।
- iii. **प्रशासनिक स्थानबद्धता (Executive Internship)**- प्रतिभाशाली बालकों की रुचि जिस क्षेत्र में हो उससे सम्बन्धित जानकारी क्रियाकलापों के माध्यम से देने की व्यवस्था की जानी चाहिए। यदि किसी बालक की रुचि फोटो ग्राफी में है तो उसे फोटोग्राफर के स्टूडियो में भेजकर सीखने का अवसर प्रदान करना चाहिए।

शिखर सम्बन्धी योजना (Vertical Programme) - शिखर सम्बन्धी योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित बातों को शामिल करना चाहिए।

- i. **त्वरण (Acceleration)** - प्रतिभाशाली बालकों को इस प्रकार अवसर प्रदान करना चाहिए जिससे ये अपनी गति के साथ सीख सकें प्रतिभाशाली बच्चे जब अपनी कक्षा का पाठ्यक्रम पूर्ण कर लें तब इन्हें अगली कक्षा में भेजकर सीखने का अवसर प्रदान करना चाहिए, जिससे इनकी त्वरण या गति संवर्धन की स्थिति बनी रहे।
- ii. **स्वतंत्र रूप से अध्ययन (Independent Study)** - प्रतिभाशाली बच्चों को अपनी रुचि के अनुसार गहन अध्ययन हेतु मुक्त कर देना चाहिए। अध्यापक को केवल एक मार्ग दर्शक के रूप में उनके लक्ष्य निर्धारण, अध्ययन सामग्री व अध्ययन विधियों के चयन में उनकी सहायता करनी चाहिए।

- iii. **मंत्रित्व (Mentorship)** - प्रतिभाशाली बच्चे अपने से कम बौद्धिक क्षमता वाले बच्चों के लिए विशेषज्ञ के रूप में उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं। इन्हें इस प्रकार का अवसर प्रदान कर उनकी क्षमता का विकास व उचित उपयोग किया जा सकता है।

उपर्युक्त शैक्षिक कार्यक्रमों के आधार पर प्रतिभाशाली बच्चों को निम्नलिखित तीन श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। -

- पूर्ण कालिक-** पूर्ण कालिक रूप से विशिष्ट विद्यालय में अध्ययन करने वाले प्रतिभाशाली बालक।
- अंश कालिक** - सामान्य विद्यालय में अध्ययन करने वाले प्रतिभाशाली बालक जिन्हें किसी अध्ययन केन्द्र या विशिष्ट कक्षा में कुछ समय के लिए भेजा जाता है।
- नियमित कक्षा में रहकर पढ़ने वाले प्रतिभाशाली बालक** - सामान्य विद्यालय की सामान्य कक्षा में सामान्य छात्रों के साथ पढ़ने वाले प्रतिभाशाली बालक।

प्रायः अधिकांश शिक्षाशास्त्री प्रतिभाशाली बच्चों के अंशकालिक कार्यक्रमों पर विशेष रूप से बल देते हैं। किसी एक प्रकार का कार्यक्रम प्रतिभाशाली बालकों के लिए समान रूप से सभी विद्यालयों में क्रियान्वित नहीं किया जा सकता। प्रतिभाशाली बालकों की रुचि, योग्यता, आवश्यकता एवं क्षमता के अनुसार भिन्न-भिन्न विद्यालयों में अलग योजनायें निर्मित करनी चाहिए, जिससे उनकी अन्तर्निहित क्षमताओं का उचित विकास हो सके।

13.5 प्रतिभाशाली बालकों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम (Educational Programme for Gifted Children)

प्रतिभाशाली बालकों के वांछित सर्वांगीण विकास को प्रोत्साहित करने के लिए उपयोगी तथा प्रभावी शैक्षिक व्यवस्था करने के लिए अनेक तरीके अपनाये जा सकते हैं, जो निम्नवत् हैं:-

- पाठ्यक्रम में समृद्धि** - प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा का एक महत्वपूर्ण तरीका यह है कि इनके लिए सामान्य पाठ्यक्रम की तुलना में थोड़ा कठिन एवं जटिल पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाय, जिससे ये बालक अपनी प्रतिभा के अनुरूप अधिगम कर आत्म सन्तुष्टि प्राप्त कर सकें।
- संपुष्ट कार्यक्रम** - ऐसे बालकों को पुस्तकालय, भ्रमण आदि की सुविधा देकर उन्हें व्यापक और विस्तृत अनुभव कराया जाना चाहिए।
- तीव्र उन्नति** - प्रतिभाशाली बालकों को शिक्षा देने की एक विधि यह भी है कि उन्हें शीघ्र ही अतिरिक्त उन्नति देकर अगली कक्षा में भेज दिया जाना चाहिए। उच्चतर वर्ग का पाठ्यक्रम कठिन होने से उसे ये बालक अपनी क्षमता के अनुरूप पायेंगे और अपनी क्षमता का पूरा उपयोग कर सीखने की गति में तीव्रता बनाये रख पायेंगे।
- व्यक्तिगत ध्यान** - ऐसे बालकों की क्षमता का अधिकतम उपयोग किया जा सके, इसके लिए आवश्यक है कि इन पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देकर निर्देशन व परामर्श प्रदान करते रहना चाहिए।

5. **प्रोत्साहन** - इन बालकों की सीखने की गति तीव्र बनी रहे इसके लिए यह आवश्यक है कि इनको प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। उचित अभिप्रेरणा के अभाव में ये अपनी क्षमता का उपयोग गलत दिशा में कर सकते हैं।
6. **प्रभावकारी शिक्षक** - प्रतिभाशाली बालकों को यदि योग्य शिक्षक नहीं मिल पाते तो ये अपनी प्रतिभा के अनुरूप शिक्षा न प्राप्त कर कुंठित हो जाते हैं और अनुशासन की भी समस्या पैदा कर देते हैं। इन्हें शिक्षण करने वाले शिक्षक के लिए यह आवश्यक है कि वह बौद्धिक रूप से सजग हो, विभिन्न प्रकार की अभिरूचि रखने वाला व अनुपयोगी (unusual) और विविध (diverse) प्रकार के प्रश्नों का भी उत्तर देने की क्षमता रखता हो। प्रतिभाशाली बालकों के अध्यापकों को शिक्षा मनोविज्ञान का भी ज्ञान होना चाहिए।
7. **विशिष्ट कक्षा** - ऐसे बालक सामान्य कक्षाओं में अपनी सीखने की तीव्रता नहीं बनाये रख पाते और समायोजन में भी समस्या का अनुभव करते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने ऐसे बालकों की शिक्षा के लिए अलग से विशिष्ट कक्षा चलाने का सुझाव दिया है। चूँकि ऐसी कक्षा में सिर्फ प्रतिभाशाली बालक ही होते हैं, शिक्षकों के लिए एक समान ढंग से शिक्षण करना सुलभ हो जाता है। समान योग्यता वाले बालकों के साथ देने के कारण इन बालकों का कक्षा में समायोजन भी पूर्ण रूप से हो जाता है। ऐसी कक्षाओं में इनमें न तो श्रेष्ठता का भाव आता है और न ही हीनता का। बल्कि स्वस्थ प्रतियोगिता के माध्यम से ये बालक सीखने में तीव्रता बनाये रखते हैं।
8. **विशिष्ट विद्यालय** - कुछ शिक्षा शास्त्री और मनोवैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि प्रतिभाशाली बालकों की प्रतिभा के साथ न्याय हो पाये इसके लिए आवश्यक है कि इनके लिए अलग से विशिष्ट विद्यालय खोले जाने चाहिए। ऐसे विद्यालयों का विशेष लाभ यह होता है कि छात्रों में एकरूपता होगी और अध्यापक के लिए शिक्षण करना आसान होगा। ऐसे विद्यालयों में एक ऐसा शैक्षिक वातावरण बन पायेगा जिसमें कक्षा के अन्दर तथा बाहर भी बालकों को अन्तः क्रिया करने में कठिनाई नहीं होगी और उनमें समायोजन से सम्बन्धित कोई समस्या भी नहीं खड़ी होगी। कई राज्य सरकारों द्वारा भी इस तरह के विद्यालय समय-समय पर खोले गये। सैनिक स्कूल भी इसी श्रेणी में आते हैं। प्रतिभाशाली बालकों की विशिष्ट आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने भी गति निर्धारण विद्यालय स्थापित किये हैं। नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत देश के प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालयों की स्थापना की गयी जिसमें योग्यता के आधार पर मेधावी छात्रों का चयन कर उन्हें उच्च गुणवत्ता वाली निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। कई प्रतिष्ठित पब्लिक स्कूल भी योग्यता के आधार पर अपने यहाँ बालकों का प्रवेश लेते हैं और उन्हें गुणवत्तापूर्ण की शिक्षा प्रदान करते हैं। निःसन्देह प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए जिससे उनका सर्वांगीण विकास कर राष्ट्र की प्रगति में उनका योगदान प्राप्त किया जा सके।

अभ्यास प्रश्न

1. त्वरण, समानान्तरण योजना का एक महत्वपूर्ण अंग है। (सत्य/ असत्य)
2. मंत्रित्व का तात्पर्य अपने से कम बौद्धिक क्षमता वाले बालकों के लिए विशेषज्ञ के रूप में मार्ग दर्शन करना है। (सत्य/ असत्य)
3. स्वतंत्र रूप से अध्ययन शिखर सम्बन्धी योजना का महत्वपूर्ण अंग है। (सत्य/ असत्य)
4. प्रतिभाशाली बालक विशिष्ट कक्षाओं में अपने समान योग्यता के साथी न पाकर समायोजन सम्बन्धी समस्या का अनुभव करते हैं। (सत्य/ असत्य)

13 6 प्रतिभाशाली बालकों के लिए समावेशी शैक्षिक कार्यक्रम (Inclusive Education Programmes for Gifted Children)

प्रतिभाशाली बालकों के लिए अलग से शैक्षिक कार्यक्रम बनाये जाने की आवश्यकता पर बल दिया जाता है लेकिन अलग-अलग तरह की विशिष्टता वाले बालकों के लिए अलग शैक्षिक कार्यक्रम बनाया जाना व्यावहारिक रूप से बहुत उपयुक्त नहीं हो पाता। इसके साथ ही अपने से अलग तरह के छात्रों के साथ उनकी शिक्षा की व्यवस्था न करने से उनका उचित समायोजन समाज में नहीं हो पाता। क्योंकि शिक्षा पूर्ण करने के बाद उन्हें समाज में हर तरह के व्यक्तियों के साथ रहना होता है। इन कारणों से प्रतिभाशाली बालकों को अन्य बालकों के साथ ही शिक्षा देने की बात की जाती है। परन्तु ऐसा करते समय यह ध्यान अवश्य रखना होता है कि ऐसे छात्र सामान्य कक्षा में कुंठित न हो पायें। अध्यापकों को इन छात्रों की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए इनके विकास व देखभाल की जिम्मेदारी निभानी होती है। इनके लिए सामान्य कक्षा के अतिरिक्त विशिष्ट कक्षा व सामान्य कक्षा में भी विशिष्ट ध्यान की आवश्यकता होती है।

समावेशी शैक्षिक कार्यक्रम का तात्पर्य सामान्य बालकों के साथ ही विशिष्ट बालकों की शिक्षा व्यवस्था कर उन्हें उनकी क्षमता व आवश्यकता के अनुरूप सामाजिक व शैक्षणिक अनुभव प्रदान किया जाय।

समावेशी शिक्षा के अन्तर्गत सामान्य विद्यालयों में प्रतिभाशाली बालक कुछ विषयों का अध्ययन अपने स्तर के अनुरूप सामान्य विद्यार्थियों के साथ करता है। उदाहरण के लिए हिन्दी वह कक्षा-3 में पढ़ता है, तो गणित का अध्ययन वह कक्षा- 4 में कर सकता है। समावेशी शिक्षण में अध्यापक कक्षा में अपने विषय को एक विशेष दृष्टिकोण से पढ़ाने का प्रयास करता है जिससे सामान्य और प्रतिभाशाली बच्चे समान रूप से लाभ प्राप्त कर सकें। इसके बावजूद भी यदि प्रतिभाशाली बच्चे किसी कमी का अनुभव करते हैं तो अध्यापक व्यक्तिगत स्तर पर या विशेष कक्षा के माध्यम से उनकी गति के अनुसार शिक्षण कर सकते हैं। इस हेतु विद्यालय में एक या दो विशेष कक्षाओं और एक या दो विशेषज्ञ नियुक्त करने की आवश्यकता होती है।

प्रतिभाशाली बालकों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम बनाते समय मुख्यतः दो बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। सर्वप्रथम यह कि इन्हें अपनी क्षमता के अनुसार सीखने का अवसर उपलब्ध कराया जाना चाहिए, जिससे

इनकी क्षमता का अधिक से अधिक लाभ स्वयं इनको व समाज को प्राप्त हो सके व इनका ध्यान गलत दिशा में न जाने पाये। दूसरा यह कि इनके लिए कोई ऐसा शैक्षिक कार्यक्रम न बनाया जाय जिससे ये अन्य सामान्य छात्रों से अपने को अलग-थलग महसूस करें व समाज में इनके समायोजन में समस्या पैदा हो।

अतः आधुनिक शिक्षा शास्त्री व मनोवैज्ञानिक समावेशी शैक्षिक कार्यक्रम को आवश्यक मानते हैं जिसमें सभी तरह के छात्र एक साथ अध्ययन कर सकें और साथ ही साथ उनकी विशिष्टता का भी ध्यान रखा जाय। समावेशी शैक्षिक कार्यक्रम के तहत प्रतिभाशाली बालकों को सामान्य छात्रों के साथ ही अध्ययन करना होता है परन्तु इसके साथ ही उनके लिए अलग से सम्पुष्ट कार्यक्रमों, कक्षा से शीघ्र उन्नति, विशिष्ट कक्षा व व्यक्तिगत ध्यान व प्रोत्साहन के माध्यम से इनको अपनी प्रतिभा के अनुसार अध्ययन करने का अवसर प्रदान किया जाता है।

अभ्यास प्रश्न

5. समावेशी शैक्षिक कार्यक्रम का क्या तात्पर्य होता है ?
6. प्रतिभाशाली बालकों के लिए समावेशी शैक्षिक कार्यक्रम की उपयोगिता साबित करने के लिए दो महत्वपूर्ण तथ्य दीजिए।

13.7 निम्न उपलब्धि वाले प्रतिभाशाली बालक (Under Achieving Gifted Children)

प्रतिभाशाली बालक शिक्षा एवं समायोजन की दृष्टि से शिक्षकों के लिए सबसे अधिक चुनौती देने वाले बालक होते हैं। ऐसे बालक अधिक तीव्र गति से सीखते हैं जिससे कक्षा की विषय वस्तु को अन्य छात्रों की अपेक्षा शीघ्रता से सीख लेते हैं और अति आत्मविश्वास का षिकार हो कक्षा में रूचि लेना बन्द कर देते हैं। यदि इन पर उचित ध्यान न दिया जाय तो ये अपना ध्यान विभिन्न तरह के शरारतों में लगा देते हैं और कक्षा में अनुशासन एवं समायोजन की समस्या पैदा कर देते हैं। ये बालक पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को अत्यधिक आसान समझ लेते हैं जिस कारण इनकी शैक्षिक उपलब्धि का स्तर नीचे गिरता जाता है।

अध्ययन के प्रति अरूचि का परिणाम यह होता है कि इनकी रूचि पढ़ाई से हटकर अन्य कार्यों में हो जाती है। जब इनकी रूचि अन्य कार्यों में हो जाती है, जिनमें कुछ असामाजिक तरह के भी हो सकते हैं, तब इनका ध्यान पुनः अध्ययन की तरह ले आ पाना काफी मुश्किल हो जाता है और ये छात्र प्रतिभाशाली होने के बावजूद भी शैक्षिक उपलब्धि अपनी क्षमता के अनुरूप नहीं प्राप्त कर पाते। प्रतिभाशाली बालकों के लिए गृह कार्य व कक्षा कार्य उत्तेजनापूर्ण नहीं होते हैं। जिस कारण इनमें अच्छी अध्ययन आदत का भी विकास नहीं हो पाता और ये शैक्षिक उपलब्धि में पिछड़ जाते हैं।

इन छात्रों में श्रेष्ठता का भाव अत्यधिक होता है जिस कारण कक्षा के साथियों से इनका उचित समायोजन नहीं होता और अध्यापकों के साथ भी इनके सम्बन्ध अपनी शरारतों व श्रेष्ठता के भाव के कारण उतने अच्छे नहीं रह पाते, जिसका परिणाम यह होता है कि ये अपने अध्ययन में अपने साथियों व अध्यापकों का सहयोग नहीं प्राप्त कर पाते हैं। अपनी श्रेष्ठता के भाव के कारण ये अपने को अन्य साथियों से अलग रखते हैं और धीरे-धीरे इनमें सामाजिक अकेलापन की भावना उत्पन्न हो जाती है और कक्षा से भागने लगते हैं व शिक्षा के प्रति उदासीन हो जाते हैं। ऐसे बालक प्रायः कुछ इस तरह के कार्यों में रूचि लेते हैं जिसमें नवीनता का तत्व अधिक हो। परन्तु इस दिशा में जब उन्हें उचित प्रोत्साहन नहीं प्राप्त होता है और ये अपने इस तरह के कार्यों के प्रति लोगों के मजाक या परिवार व शिक्षकों के डाँट का पात्र बनने लगते हैं, तब इनमें प्रतिरोध का भाव उत्पन्न हो जाता है और ये अध्ययन में रूचि न लेकर असामाजिक व्यवहार करने लगते हैं। जिस कारण इनकी शैक्षिक उपलब्धि कम होने लगती है। अतः आवश्यक ता इस बात की है कि प्रतिभाशाली बालकों पर अध्यापक व अभिभावक को हमेशा ध्यान देते रहना चाहिए। यह न माना जाय कि ये प्रतिभाशाली हैं जिस कारण इनको निर्दोष या परामर्ष की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि इन्हें निर्दोष व परामर्ष की अधिक आवश्यकता होती है। इनकी शैक्षिक एवं भावनात्मक समस्याओं की पहचान व उसका निदान करना अत्यन्त आवश्यक होता है जिससे इनको अध्ययन से अरूचि न होने पाये। कक्षा में इनका उचित समायोजन व अध्ययन में इनकी रूचि बनाये रखने हेतु इनके लिए अलग से शैक्षिक कार्यक्रम बनाना व उसके अनुरूप इनके शिक्षा की व्यवस्था करना आवश्यक होता है जिससे इनकी शैक्षिक उपलब्धि का स्तर उच्च बना रहे।

अभ्यास प्रश्न

7. प्रतिभाशाली बालक कभी-कभी निम्न उपलब्धि प्राप्त करने लगते हैं इसके दो प्रमुख कारण बताइए ?
8. प्रतिभाशाली बालकों को सामान्य कक्षाओं में समायोजन में क्या समस्या आती है।

13.8 सारांश

इस इकाई में हमने निम्न तथ्यों का अध्ययन किया -

प्रतिभाशाली बालकों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम का लक्ष्य -

- i. विस्तृत शैक्षिक कार्यक्रम।
- ii. गहन अध्ययन की सुविधा।
- iii. तीव्रगति से सीखने सम्बन्धी कार्यों की व्यवस्था।
- iv. समस्या समाधान की योग्यता सम्बन्धी कार्यक्रम।

प्रतिभाशाली बालकों के शैक्षिक कार्यक्रम के प्रकार –

1. समानान्तर योजना
 - a. अन्वेषण
 - b. संवर्धन
 - c. प्रषासनिक स्थान बद्धता
2. शिखर योजना-
 - a. त्वरण
 - b. स्वतंत्र रूप से अध्ययन
 - c. मंत्रित्व

प्रतिभाशाली बालकों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम -

- i. पाठ्यक्रम में समृद्धि।
- ii. सम्पुष्ट कार्यक्रम।
- iii. तीव्र उन्नति।
- iv. व्यक्तिगत ध्यान।
- v. प्रोत्साहन।
- vi. प्रभावकारी शिक्षक।
- vii. विशिष्ट कक्षा।
- viii. विशिष्ट विद्यालय।

प्रतिभाशाली बालकों के लिए समावेशी शैक्षिक कार्यक्रम - प्रतिभाशाली बालकों को सामान्य बालकों के साथ ही शिक्षा देने की व्यवस्था कर उनके सामाजिक अलगाव से बचा जा सकता है और साथ ही उनके लिए तीव्र उन्नति व विशेष कक्षाओं के आयोजन से उनकी सीखने की तीव्रगति के साथ न्याय भी किया जा सकता है। निम्न उपलब्धि वाले प्रतिभाशाली बालक - कुछ प्रतिभाशाली बालक उचित निर्देशन व देखभाल के अभाव में अपनी प्रतिभा का उपयोग उचित दिशा में नहीं कर पाते, जिस कारण उनकी शैक्षिक उपलब्धि निम्न रह जाती है। इनकी उचित देखभाल व इनकी समस्याओं को समझकर व उसका निदान कर इनकी क्षमता के अनुसार इनकी उपलब्धि प्राप्त करायी जा सकती है।

13.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. असत्य
2. सत्य

3. सत्य
4. असत्य
5. समावेशी शैक्षिक कार्यक्रम का तात्पर्य ऐसा शैक्षिक कार्यक्रम जिसमें सामान्य एवं विशिष्ट दोनों तरह के बालकों को साथ-साथ शिक्षा देने की व्यवस्था कर उन्हें उनकी क्षमता एवं आवश्यकता के अनुरूप सामाजिक एवं शैक्षणिक अनुभव प्रदान किया जाय।
6. (i) प्रतिभाशाली बालकों को समावेशी शैक्षिक कार्यक्रम के तहत सामान्य बालकों के साथ शिक्षा देने से उनमें सामान्य बालकों से अलगाव की भावना नहीं पैदा हो पाती है।
(ii) प्रतिभाशाली बालकों को भविष्य में सामान्य बालकों के साथ ही समाज में रहना होता है। अतः विद्यालय से ही साथ-साथ रहने से बाद में सामाजिक जीवन में सामान्य लोगों के साथ रहने में उन्हें समायोजन सम्बन्धी समस्या नहीं आयेगी।
7. (i) प्रतिभाशाली बालक अति आत्म विश्वास का षिकार होकर कक्षा की गतिविधियों में रूचि लेना बन्द कर देते हैं जिसका परिणाम यह हो सकता है कि उनकी शैक्षिक उपलब्धि निम्न हो जाय।
(ii) प्रतिभाशाली बालकों में यदि श्रेष्ठता की भावना बलवती हो जाय तो ये बालक अध्यापक व सामान्य सहपाठियों से अपने सम्बन्ध मधुर नहीं रख पाते और सामाजिक अकेलापन का षिकार हो कक्षा से भागने लगते हैं और इसका परिणाम यह होता है कि इनकी शैक्षिक उपलब्धि कम हो जाती है।
8. प्रतिभाशाली बालक अपनी योग्यता के कारण अपने सामान्य सहपाठियों की ईर्ष्या का पात्र बन जाते हैं। अपने साथियों के साथ तनावपूर्ण सम्बन्ध के कारण ये बालक अन्तर्मुखी व असामाजिक हो जाते हैं और उनके समायोजन में समस्या पैदा हो जाती है।

13.10 निबंधात्मक प्रश्न

1. प्रतिभाशाली बालकों के लिए बनाये जाने वाले शैक्षिक कार्यक्रमों में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसकी व्याख्या कीजिए?
2. समावेशी शैक्षिक कार्यक्रम के तहत प्रतिभाशाली बालकों की क्षमता के साथ न्याय किया जा सकता है। इस कथन की व्याख्या कीजिए?
3. उन कारणों की व्याख्या कीजिए जिस कारण प्रतिभाशाली बालकों की उपलब्धि निम्न रह जाती है?